राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का 19वां दिवस [संख्या 11

शुक्रवार

दिनांक 20 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-1 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, सहकारिता, देवस्थान, चिकित्सा, पशुपालन, आयुर्वेद विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री शिवनाथ सिंह ।

पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही

236. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारान निवासी खटकड़ भूराराम, रामूराम, धौंकलराम आदि ने पटवारी हल्का केढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू श्री कन्हैयालाल के खिलाफ ग्राम खटकड़ की भूमि को अपने भाई-बन्द तथा सगे-सम्बन्धियों के नाम गलत रूप से रेगुलराइज करवाने के हेतु गलत इन्द्राज खसरा गिरदावरी में करने तथा गैर कानूनी तरीके से प्रभूराम, पितराम, तेजाराम, नौरंग, कैलाशचन्द्र आदि के नाम रेगुलराइज जमीन करने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदय को शिकायत पेश की थी जिसको कि करीब आठ माह का अर्सा हो गया है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई तथा जमीन के गलत रेगुलराइजेशन को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस शिकायत की जांच तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा की जाकर रिपोर्ट कार्यालय कलेक्टर झुंझुनूं में काफी अर्से पहले पेश की जा चुकी है जिसको कि दबा दिया गया है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(1) जी हां । यह सही है कि पटवारी के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ।

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा करवाई गई। रिपोर्ट एवं रेकार्ड प्राप्त होने पर भूतपूर्व तहसीलदार श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं श्री कन्हैयालाल पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच खोलने से पूर्व स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

भूमि के गलत रेगुलराइज करने की कार्यवाही को निरस्त करने हेतु कार्यवाही चालू है।

(3) तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा जांच की जाकर रिपोर्ट भेजी गई। साथ में पत्रावलियां एवं खसरे आदि नहीं भेजे गये थे जो बाद में मंगवाये गये हैं। जिलाधीश कार्यालय में रिपोर्ट को दबाया नहीं गया।

श्री शिवनाथसिंह : खण्ड नम्बर दो के जवाब में बताया है कि रिकार्ड एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर-तो वह कौनसा रिकार्ड प्राप्त हो गया था, कौनसी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही को स्थगित किया है? खण्ड तीन के जवाब में कहा कि पत्रावलियां एवं खसरे आदि नहीं भेजे थे। तो ऐसा कौनसा रिकार्ड है जो खण्ड दो का तो आ गया है और तीन का नहीं आया?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसीलदार जो उस वक्त मौजूद था, उसने अपनी रिपोर्ट 12-11-67 को जिलाधीश को भेज दी थी, उस रिपोर्ट में नियमन से सम्बन्धित पत्रावलियां खसरे आदि नहीं थे, जिनको मंगवाने में समय लगा। अब कार्यवाही जारी है अलाटमेंट कैंसिल करने की।

श्री शिवनाथसिंह : 12-11-69 को रिपोर्ट दी, तो फर्स्ट टाइम कलेक्टर को पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कब लिखा गया था?

श्री गंगाराम चौधरी : कार्यवाही करने के लिए नहीं लिखा गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो 22-8-70 को मांगा गया है। इसमें देरी हुई क्योंकि रिकार्ड और पत्रावलियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

श्री शिवनाथसिंह : 12-11-69 को रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, लेकिन आठ महीने तक कार्यवाही नहीं हुई। जब प्रश्न सामने आगया उस समय कलेक्टर से मूव होता है कागज, जबकि आठ नौ महीने तक कलेक्टरी में कागज पड़ा रहा। यह पटवारी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाल रचा हुआ है, इसलिये इसके अन्दर कार्यवाही नहीं हो सकी। अब तक पटवारी का जवाब आ चुका है.......

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है?

श्री गंगाराम चौधरी : पटवारी का जवाब आ गया। जिलाधीश ने पत्रावलियां और खसरे आदि नहीं आना बताया है। उसके आने पर विभागीय कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवनाथसिंह : एक साल हो गया, तहसीलदार की रिपोर्ट आगई और जिस पटवारी के खिलाफ मामला है वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से मुश्किल से पन्द्रह मील दूरी पर है। एक साल के अन्दर उससे जवाब नहीं मिल पाता है, इससे ज्यादा क्या ढिलाई हो सकती है। आप कहते हैं कि कागज नहीं दाबा गया, तो जो पटवारी नियमों के खिलाफ कार्यवाही करने वाला है वह उसी हल्के में मौजूद है, उसका रिकार्ड भी वहां

(श्री शिवनाथसिंह)

मौजूद है। वह उसको टेम्पर विद् कर सकता है। इतने दिनों में इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब रिकार्ड प्राप्त हो गया है।

श्री शिवनाथसिंह : इसमें अब जल्दी कार्यवाही की जाय....

श्री गंगाराम चौधरी : इसलिये मामले को दबाने की कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है टेम्पर विद् करने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा ! श्री रूपसिंह। श्री हरजीराम बुरड़क।

आयातित ट्रेक्टरों का आवंटन

237. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रेक्टरों के एलाटमेंट में क्या क्या प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं ?

(2) आयातित ट्रेक्टरों का एलाटमेंट कब से किया जा रहा है ? क्या इस संबंधी कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि निगम को प्राप्त होने वाले ट्रेक्टरों में से कुछ प्रतिशत कोटा "ऐच्छिक कोटा" के नाम से सुरक्षित रहता है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से कितना प्रतिशत तथा अब तक कितने कितने ट्रेक्टर कौन कौन से आए और ऐच्छिक कोटे में कितने कितने कौन कौन से ट्रेक्टर रखे गये ?

(4) ऐच्छिक कोटे में से कौन कौन से ट्रेक्टर किस किस व्यक्ति को किस आधार पर एलाट किये गये हैं तथा उन व्यक्तियों के पास कितनी कितनी भूमि थी ?

(5) क्या राज्य सरकार को ऐच्छिक कोटे के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) ट्रेक्टरों के एलॉटमेंट के लिये जिन व्यक्तियों की दरख्वास्तें मंजूर नहीं की गई हैं उनके आधार अथवा कारण क्या रहे हैं ?

(7) क्या ट्रेक्टर पर निगम कोई कमीशन लेता है? यदि हां, तो कितना और किस आधार पर तथा अब तक कमीशन के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

(8) क्या ट्रेक्टरों के साथ निगम के दो उपकरण खरीदना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या उपकरणों की खरीद की शर्त सभी मामलों में निभाई गई है ?

(9) क्या उपकरणों की कीमत के सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना एक-

Page No 4

(श्री हरिसिंह)

त्रित की जा रही है, पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर उत्तर दे दिया जायगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : ऐसी कौनसी सूचना है जो एकत्रित की जा रही है ?

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ! माननीय सदस्य ! प्रश्नकर्ता !

श्री बालसिंह सोढ़ा : ऐसी कौनसी सूचना है ? कहां से कलेक्ट करनी है ? जिसके कारण माननीय मंत्रीजी आज उत्तर देने में असमर्थ हैं ?

श्री हरिसिंह : इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टरों के बारे में पूछा गया हैं, ट्रेक्टर कब कब किस किस को दिये गये।

श्री रामकिशन (वैर) : निगम के पास इसका पूरा रजिस्टर होता हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : निगम कार्यालय में सारी सूचना एकत्रित है।

श्री हरिसिंह : यह भी सूचना मांगी है कि अब तक किस किस को ट्रेक्टर कौन कौन से दिये गये। तो क्वेश्चन इस नेचर का है कि इसकी इन्फार्मेशन सारे जिलों से एकत्रित की जायगी।

श्री रामकिशन : सूचना तो यही है।

श्री आईदान सिंह : जो लिस्ट है, वह मौजूद है तो फिर कौनसी महत्वपूर्ण जानकारी की गई है ?

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह दिन के बाद सूचना दे दी जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है, गैरवाजिब है जो उत्तर दे रहे हैं। ऐसी सूचना इसमें नहीं है। सब सूचना निगम के कार्यालय में उपस्थित है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ऐसा कम्पलिकेटेड है कि पन्द्रह दिन सूचना एकत्रित करने में और लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सारी सूचना संकलन करने की आवश्यकता है। इसमें जमीन की तादाद को जानकारी मांगी गई है कि जिनको ट्रेक्टर दिये गये हैं उनके पास कितनी कितनी जमीन है......

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : यह सब प्रार्थना-पत्र में मौजूद है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं भी प्रश्नकर्ता हूं।

श्री रूपसिंह (सरदारशहर): मंत्री महोदय नहीं मानते हैं तो बात दूसरी है, वैसे जितने ट्रेक्टर दिये जाते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट-वाइज रजिस्टर रखा जाता है, उसमें सारी एन्ट्री होती हैं। इनके पास कम्प्लीट रिकार्ड है। यह भी यह कह सकते हैं कि कहां कहां ट्रेक्टर ब्लेक में बेचे हैं, पंजाब में चले गये हैं। यह नहीं दे सकते यह जानकारी तो हम दे सकते हैं। हमारे पास है।

श्री रामकिशन : दिल्ली में बेचे गये है ट्रेक्टर।

श्री रूपसिंह : लिस्ट सरकार ने सप्लाई की है, जिसमें नाम बतलाये हैं। यह इनके पास नहीं है क्या? प्रश्न का जवाब देने से टालमटोली की जा रही है। आप कहते हैं कि पन्द्रह दिन में जवाब दिया जायगा तो सेशन कल खत्म हो रहा है, इसलिए कल देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : गत बजट सेशन में एक सवाल के सम्बन्ध में आपनें सूची दी थी, पूरी सूची दी थी। मैं आज लाया नहीं। आप फर्मायें तो जाकर ला सकता हूं और बता सकते हैं। उसके बाद जो एलॉटमेंट किये हैं वह आप बता सकते हैं। मुझे सूची दी है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : प्रश्न संख्या भाग 7 है, इसमें यह है कि जो ट्रेक्टर दिये जाते हैं यह बाजार की कम्पीटिटिव रेट से अधिक रेट पर देते हैं। जो कारपोरेशन पैसा लेता है वह मार्केट रेट से अधिक लेता है और ट्रेक्टर के साथ इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं और कहते हैं कि नहीं लेते हैं तो ट्रेक्टर नहीं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। स्थगित करने के लिए अर्ज किया है।

श्री आईदानसिंह : कल उत्तर दिलवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कल दे सकते हैं।

श्री हरिसिंह : कल तक देना सम्भव नहीं होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : सारी सूचना निगम के कार्यालय में मौजूद है।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। कम से कम सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान के लिए जो ट्रेक्टर का कोटा है उसके अन्दर से जो ट्रेक्टर दिये हैं वह पंजाब और दूसरी जगह बिकते हैं। क्या यह सरकार नहीं जानती है? माननीय प्रश्नकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है…

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सब ही भूमि गोपाल की।

श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसी चीज की जानकारी नहीं है तो मुझे आशंका है कि जानबूझ कर इन्फार्मेशन को विथहोल्ड कर रही है सरकार।

श्री रामकिशन : इसमें ज्यादा दिक्कत सूचना एकत्रित करने में इसलिए नहीं है कि सारे ट्रेक्टरों की जानकारी सरकार कर सकती है। वैसे ऐच्छिक कोटा होता है वह पच्चीस परसेंट मिलता है। सौ आते हैं तो पच्चीस का सवाल है। वह किसको कौनसे जिले में दिये हैं और लेने वाले के पास जमीन कितनी है। यह सूचना फार्म में अंकित होती है। इसमें दिक्कत क्या है?

श्री हरिसिंह : इसमें दिक्कत तो कोई नहीं है लेकिन इसमें ऐच्छिक कोटा का भी प्रश्न है।

श्री रामकिशन : ऐच्छिक कोटा का जो प्रश्न है ….

श्री हरिसिंह : और आगे सुनिये। इस निगम के जो अध्यक्ष है चन्दन मल जी, वह फॉरिन गये हुए हैं।

Page No 6

श्री रामकिशन : उससे क्या मतलब है ? रजिस्टर तो साथ नहीं ले गये होंगे ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लें।

श्री हरिसिंह : ऐच्छिक कोटा का रजिस्टर अलमारी में है, जिसकी चाबी नहीं मिली है। इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री आईदानसिंह : कल भी ऐसा हुआ था। माननीय मन्त्रीजी ने कहा''''

श्री रामकिशन : यह और भी अनियमितता है।

श्री आईदानसिंह : कल भी ऐसा हुआ था एक प्रश्न के जवाब में।

श्री रूपसिंह : आप कहते हैं कि आपको चाबी नहीं मिल सकी तो आप हमें कह दीजिए, हम तीन घण्टे के अन्दर अन्दर सारा रिकार्ड ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकार दे दिया जाय''''''''''''

श्री रूपसिंह : सारा रिकार्ड दफ्तर में मौजूद है। आप सेक्रेटरी से पूछिये कि उसने क्यों नहीं सप्लाई किया हैं'''

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय के पास लिखा हुआ है।

श्री हरिसिंह : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हाथ में लेकर आए हैं। कल इसका उत्तर तैयार करवाया गया है और मंत्री महोदय ने आफिशर्स से यह कहा है कि कोशिश तो यह करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये, परन्तु अगर नहीं स्थगित हुआ तो यह जवाब देदेंगे।

श्री हरिसिंह : इसका उत्तर मेरे पास नहीं है।

श्री रूपसिंह : कम से कम यह तो व्यवस्था होनी चाहिये, मंत्री महोदय यह कह दें कि जब तक चेयरमैन बाहर से वापिस न लौटें तब तक ऐच्छिक कोटा में से कोई अलाटमेंट नहीं होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जवाब तो है इनके पास, अध्यक्ष महोदय उत्तर तैयार करवाया है, टाइप करवाया है आफिशर्स से यह कह कर आए हैं कि कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित करवाने की, पर यदि कोशिश कामयाब नहीं हुई तो यह उत्तर दे दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं वह उत्तर पढ़कर सुना दूं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो कागज पड़े हुए हैं उनमें उसका कोई उत्तर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य (श्री भैरोंसिंह से) : आप सुना दीजिए हम सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : सुना कैसे दीजिए।

श्री रूपसिंह : मंत्री महोदय को बुला कर पूछें। उप मन्त्री नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : यदि अपर्याप्त उत्तर भी हो, तो कल दे दीजिए। क्या इस पर सहमत हैं ?

श्री हरिसिंह : जितनी सूचना इकट्ठी हो सकी मैं कल कोशिश करूंगा उत्तर देने की।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

प्रश्न संख्या 238

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री राम किशन।

भूमि की अधिकतम सीमा

239. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अधिकतम भूमि सीमा कानून के पारित होने के बाद राज्य में कुल कितने एकड़ जमीन वितरण के लिए उपलब्ध होगी। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में कुल भूमिहीन कृषकों की संख्या कितनी है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार का इरादा भूमि की अधिकतम सीमा में कमी करने का है। अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन कब पेश किया जा रहा है ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चोधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना अभीतक एकत्रित नहीं हो सकी है, इसलिये निवेदन है कि इसको स्थगित किया जावे।

श्री रामकिशन : कैसे।

श्री गंगाराम चौधरी : आपने प्रश्न के भाग (2) में जो सूचना चाही है वह एकत्रित की जा रही है।

श्री रामकिशन : भूमिहीनों की संख्या तो आपके पास आज भी पड़ी हुई है।

श्री गंगाराम चौधरी : आपने जिलेवार सूचना मांगी है, उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री नत्थीसिंह।

कृषि उपज मन्डियों में सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा मतदान

240. **श्री नत्थी सिंह** (भरतपुर): की अनुपस्थिति में **श्री रामकिशन** (वैर) : द्वारा पूछा गया ! क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में सरकार द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि होते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सरकारी प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों में भी मतदान किया है। यदि हां, तो कहां कहां ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य अधिकारियों द्वारा इस प्रकार चुनावों में भाग लेने से वह स्थानीय राजनीति में फंसते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के चुनावों में उक्त अधिकारियों द्वारा भाग न लेने के बारे में निदेश प्रसारित करने का इरादा रखती है।

उप मंत्री कृषि (श्री हरीसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई उदाहरण राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अजीब उत्तर मन्त्री महोदय दे रहे हैं। क्या आपको कानून की जानकारी है। सरकारी प्रतिनिधि वहां रहते हैं मंडी में और आप कहते हैं, जी नहीं। हमारे यहां डीग कृषि उपज मंडी के चुनावों के समय वोट डाला है, उसी तरह नदबई के चुनावों में आपके प्रतिनिधि ने वोट डाला है, यह तो आप रिकार्ड देख लीजिए वोटों का और आप कहते हैं कि जी नहीं।

श्री हरिसिंह : आपने जो प्रश्न पूछा उसकी रेलेवेन्सी डीग के सरकारी अधिकारी ने क्या किया, उससे नहीं होती है। अगर दो जने वैसे ही चुनकर आ जाते हैं, तो सरकारी प्रतिनिधि दो होते हैं, और अगर तीन होते हैं तो सरकार की तरफ से केवल एक ही मनोनीत किया जाता है। कुल मिलाकर चार से अधिक नहीं होने चाहियें। आपने पूछा था कि क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से तीन प्रतिनिधि होते हैं, तो मैंने उत्तर दिया 'जी नहीं'।

श्री रामकिशन : आप यह तो कह सकते थे कि 'जी नहीं', तीन नहीं, दो होते हैं केवल 'जी नहीं' कहने से क्या मतलब ? और वोट के बारे में आप क्या कह रहे है ?

श्री अध्यक्ष : आप इसको दो मानकर उत्तर दें।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वोटिंग के लिये पूछ रहे हैं, वोटिंग राइट्स मेम्बर्स को होते हैं, इसलिये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया होगा कहीं कहीं। अब किस किस जगह उन्होंने वोट दिया है इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। आयंदा के लिये ये वोटिंग राइट्स नहीं रखे गये हैं।

श्री रामकिशन : अब तक क्या किया था ?

श्री हरिसिंह : अब तक वोटिंग राइट्स थे ?

श्री रामकिशन : उनको वोटिंग राइट्स पहले भी नहीं थे।

श्री हरिसिंह : पहले एज मेम्बर्स वोटिंग राइट्स थे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अब 'जी नहीं' 'जी हां' में परिवर्तित हो गया ?

श्री अध्यक्ष : भाग (2) के उत्तर में जी हां।

श्री दौलतराम सारण: सरकारी प्रतिनिधियों में केवल सरकारी अधिकारी ही होते हैं या और किसी को भी मनोनीत किया जा सकता है।

श्री हरिसिंह : सरकारी अधिकारी ही होते हैं जैसे तहसीलदार, बी.डी.ओ. आदि।

श्री पृथ्वीसिंह (पाली) : क्या यह सही है कि सुमेरपुर कृषि उपज मंडी में दूसरे व्यक्तियों को भी मनोनीत किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री पृथ्वीसिंह: अलग से नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह : आपने कहा कि सरकारी प्रतिनिधि केवल सरकारी अधिकारी ही होता है, लेकिन वास्तव में दूसरे व्यक्ति भी मनोनीत होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सरकार के जो दो तीन प्रतिनिधि होते हैं, उनमें प्राइवेट आदमी को भी आप मनोनीत कर सकते हैं ?

श्री हरिसिंह : प्राइवेट तो व्यापारी वर्ग से होते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में ?

श्री हरिसिंह : सरकारी अधिकारी ही होते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार की तरफ से जो मनोनीत किये जाते हैं उनमें प्राइवेट व्यक्ति भी होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह : ऐसी नियुक्तियां हुई हैं सुमेरपुर में।

श्री हरिसिंह : अगर इसी तरह का प्रश्न पूछ लेते तो मैं जांच करवा लेता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी में एम.एल.ए. के साले के लड़के को मनोनीत किया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है....

श्री हरिसिंह : वह हरिजन होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजन नहीं है, सवर्ण है।

श्री पृथ्वीसिंह : गवर्नमेंट आफिसर्स को ही नामीनेट करना चाहिये।

श्री रामकिशन : हंसराज जी के साले का लड़का है और सवर्ण है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह।

तहसील पाटन में सेटलमेंट कार्य

241. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) तहसील पाटन, जिला बूंदी में तरमीम सेटलमेंट कब हुआ था ? यह पेमाइश पुराने स्टेट के वक्त के पेमाइशी शीटों के आधार पर की गई थी अथवा किसी दूसरी प्रकार से और वह आधार क्या था ?

(2) क्या यह सत्य है कि तरमीम पेमाइश में किसी अमीन ने खेतों को जरीब से नहीं नापा और यही कारण है कि स्टेट पेमाइशी शीट में और नई तरमीम पैमाइशी शीटों में एक ही खेत के रकबे में फर्क है ?

(3) क्या यह सत्य है कि तरमीम सेटलमेंट ने खातेदारों के खाते के रकबे को घटा

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

बढ़ा दिया है और जो पर्चे दिये गये थे उनकी भी मौके पर कोई प्राथमिक जांच नहीं हुई ?

(4) क्या यह सत्य है कि शिकमी जोतों को भी खातेदार मान कर जमीन का नामांकन जोतों के नाम पर दी गई ?

(5) तरमीम पैमाइश का कार्य क्या होता है ? तफसील से बतलाने की कृपा करें।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील पाटन जिला बूंदी की तरमीम सेटलमेंट माह अक्टूबर, 1962 में कराया गया था । यह पैमाइश पुराने स्टेट के वक्त की पैमाइश शीटों के ट्रेस, ट्रेसिंग क्लाथ पर तैयार कराये जाकर कराई गई थी । पुरानी स्टेट के वक्त की शीट ही आधार थी।

(2) जी यह सही नहीं है . तरमीम पैमाइश के वक्त सिर्फ उन्हीं खेतों को जरीब से नापा जाता है जिनमें परिवर्तन हुआ है । शेष खेतों को नहीं नापा जाता है। तरमीम पैमाइश में जिन खेतों की कोई नाप नहीं होती यानि जिन खेतों की मेड़ पहले जैसे ही रहती है उनका क्षेत्रफल भी वही रहता है । परिवर्तन केवल उन्हीं खेतों के क्षेत्रफल में होता है जिनमें कि बरवक्त तरमीम खेतों की मेड़ हटी हो, यानी इन खेत को शक्ल बदलने पर ही पुन: नाप होने पर क्षेत्रफल बदलता है।

(3) जी, यह भी सही नहीं है कि तरमीम पैमाइश में खातेदारों के रकबे को अकारण घटा बढ़ा दिया गया । जिन खेतों में परिवर्तन पाया गया था उन्हीं के क्षेत्रफल में कमी बेशी मौके के हिसाब से हुई थी । पर्चे प्राथमिक जांच के पश्चात् वितरित किये गये थे।

(4) तरमीम बन्दोबस्त में उन शिकमी काश्तकारों को खातेदार अंकित किया गया है जिन्हें राज्य के वर्तमान कानून के अधीन खातेदार माने जाने के विधिवत् आदेश जारी हो चुके हैं।

(5) तरमीम पैमाइश के वक्त जमीन व निरीक्षक सर्व प्रथम गांव में जाकर जांच करते हैं कि कितना प्रतिशत खेतों में परिवर्तन हुआ है और इस जांच में परिवर्तन 25 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो सम्पूर्ण सर्वेक्षण नये सिरे से किया जाता है अन्यथा चालू सर्वे शीटों पर ही उन खेतों में नाप नये सिरे से अंकित की जाती है जिन जिन में परिवर्तन पाया जाता है इसके बाद क्षेत्रफल निकाल कर सम्पूर्ण गांव के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल से मिलान किया जाता है। मौके की स्थिति के अनुसार सर्वे होने पर खसरा लिखा जाकर काश्तकारों के हक का अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसका प्रमाणीकरण सहायक भू प्रबंध अधिकारी गांव के ग्राम जलसे में करता है । भू-दर स्वीकृत होने पर प्रमाणित अभिलेख के आधार पर काश्तकारों को पर्चे वितरण किये जाते हैं। पर्चों में अन्य कोई अशुद्धि हो तो काश्तकार एतराज सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को सुनकर किया जाता है । इस निर्णय के विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी व भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान को अपीलें भी हो सकती हैं। एतराजों पर हुए निर्णय के अनुसार अभिलेख में शुद्धि की जाती है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

तत्पश्चात शुद्ध अभिलेख की प्रतियां तैयार करवा कर जिलाधीश को भेज दी जाती हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने तरमीम सेटलमेंट के लिये लिखा। पुरानी स्टेट के सेटलमेंट शीटों से तरमीम किया गया या दूसरे से ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, पुरानी शीटों के आधार पर किया गया।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, पुरानी स्टेट के समय में जो सेटलमेंट हुआ उस वक्त के शीटों को काम में नहीं लिया है किन्तु कोलोनाइजेशन की जो शीटें हैं उनसे तरमीम की गयी है यह गलत है। अमीन ने फिल्ड बुक नहीं रखी है और जरीब से नापा, उस माफिक नक्शा बना दिया। बहुत से काश्तकारों की जमीनें कम हो गयीं। किसी की बढ़ी तो पैसा इधर से उधर लिया।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। स्टेट की पुरानी शीटों के आधार पर 25 परसेन्ट से कम हो तो हेरफेर किया जाता है और ज्यादा हो तो रि-सेटलमेंट किया जाता है। एतराज है तो अपील और निगरानी का प्रावधान है और उसके लिये उनको अधिकार है उसको अवेल करना चाहिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : स्टेट के समय क्या होता था कि शीट पटवारी के पास होती थी। खाते में कोई परिवर्तन हो गया तो उसमें इन्द्राज कर लेता था। दूसरे सेटलमेंट शीटों में परिवर्तन हो गया। जितने भी परिवर्तन पहले हुए थे वह पहले में दर्ज है। उनको काम में नहीं लेने से सारी गड़बड़ हुई है। और एक वक्त ऐसा आवेगा कि दुबारा सेटलमेंट करवाना पड़ेगा।

श्री गंगाराम : स्टेट की पुरानी शीटों के आधार पर ही यह किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि तरमीम बन्दोबस्त होने के बाद जिसके पास अधिक जमीन निकली तो उसी काश्तकार को अतिक्रम घोषित किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : काश्तकार ठीक करवा दे तो ठीक है। सेटलमेंट के वक्त से अधिक जमीन कब्जे में आती है तो ट्रेसपासिंग की बात आती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बन्दोबस्त के बाद रकबा बढ़ जाता है, उस काश्तकार का हक होता है लेकिन उसको अतिक्रमी घोषित किया गया है अब तक ऐसे हाल रहे हैं और अभी हो रहे हैं क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : टिनेन्सी एक्ट लागू हो गया उसमें सारे अधिकार निर्धारित किये हुए हैं। बाद में अधिक पुराने सेटलमेंट से रकबा पाया जाता है तो उसको ठीक करने का सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं है कानून के बन जाने के बाद।

श्री रामचन्द्र आर्य : फालतू जमीन निकलती है और उसको अतिक्रमी घोषित करते हैं क्या यह काश्तकार के हक में है ?

श्री गंगाराम चौधरी : एतराज का हक दिया हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : फालतू रकबा निकलता है, उतनी ही जमीन है। कोई सरकारी जमीन नहीं है। उसको भी अतिक्रमी घोषित किया है।

श्री केसरसिंह हाडा : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं लोगों को समय पर पर्ची नहीं मिलती है। कब एतराज करें ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसके लिये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डेट मुझे अभी याद नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाडा : पर्ची ही नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 242

श्री हंसराज आर्य

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

राज्य के टी. बी. हास्पिटल

243. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में टी. बी. अस्पताल कौन कौन से शहरों में है तथा वे कब कब बने ? इन अस्पतालों को बनाने में सरकार का तथा जनता का कितना कितना योगदान रहा ?

(2) प्रत्येक अस्पताल में कितनी कितनी शैयायें हैं ?

(3) प्रत्येक अस्पताल का 1969-70 तथा 1970-71 का वार्षिक बजट कितना कितना है ?

(4) प्रत्येक अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या बतायें व सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) उन शहरों की जहां टी. बी. अस्पताल हैं, जिलेवार सूची संलग्न है।

जनता द्वारा अस्पताल में दिये गये योगदान की सूची जिलेवार संलग्न है।

(2) अस्पताल में शय्याओं की जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) प्रत्येक अस्पताल का 69-70, 70-71 का वार्षिक बजट जिलेवार संलग्न है।

(4) प्रत्येक अस्पताल के कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ओमदत्त भाटी : ठहरिये साहब। मैंने पहला प्रश्न तो यह पूछा था कि टी.बी. अस्पताल कहां कहां पर स्थित हैं लेकिन आपने बेड्स और संख्या बता दी कि इतने बेड्स बढ़ा दिये।

बृजसुन्दर शर्मा : टी० बी० क्लिनिक की, होस्पिटल्स की सूची और स्टाफ की सूची सब इसके साथ संलग्न है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने यह पूछा है कि कौनसी जगह पर टी. बी. अस्पताल हैं ? बेड्स का नहीं पूछा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें आप हैडिंग देख लीजिये, नेम ऑफ होस्पिटल्स, नम्बर ओफ बेड्स, स्टाफ ।

श्री ओमदत्त भाटी : जोधपुर में न्यू टी. बी. होस्पिटल कब बना ?

एक माननीय सदस्य : अलग सवाल है ।

श्री ओमदत्त भाटी : कौनसा अलग सवाल है ?

श्री अध्यक्ष : उनसे मत पूछिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जोधपुर में इसके लिए 27,300 रुपये थे । ब्याज वगैरा करके 3 लाख 56 हजार हो गये । टी. बी. अस्पताल पर 4 लाख 65 हजार खर्चा हुआ । 44 हजार 565 रुपया अधिक खर्चा हुआ । मेडीकल कालेज के लिये कोई भवन नहीं होने से टी. बी. अस्पताल की बिल्डिंग को उसके काम में लिया । मेडीकल कालेज की नयी बिल्डिंग पूरी होते ही उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जायगा ।

श्री ओमदत्त भाटी : आपका जवाब गलत है । दो वर्ष से टी. बी. अस्पताल खाली पड़ा है । गंगानगर से लोग गये । दो लाख रुपया मांगा तो दिये नहीं गये । जोधपुर की जनता चाहती है कि टी. बी. अस्पताल को चलाया जाय । बजट सेशन में आश्वासन दिया था कि बजट का पैसा युटिलाइज करेंगे । बजट की क्या तकलीफ थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बजट की तकलीफ नहीं थी । बजट के अन्तर्गत प्रावधान किया गया । 38 शेय्यायें हैं । कालेज बन कर तैयार नहीं हुआ था इसलिये कॉलेज उसमें चल रहा है ।

श्री ओमदत्त भाटी : आपने यह स्टाफ क्यों नहीं सेंक्शन किया ? बजट के समय आश्वासन दिया था सारा हो जावेगा । मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि टी. बी. अस्पताल खाली पड़ा है और पैसा नहीं देने से यह है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 62 रोगी शेय्याओं की अलग से सेन्कशन थी । 38 का सवाल रहा जो उसका प्रावधान कर दिया गया है ।

श्री ओमदत्त भाटी : सदन को गुमराह कर दिया गया है । 62 शेय्यायें अस्पताल में हैं । वे खाली हो जावेंगी तो आप जाकर सोयेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : आपके लिये व्यवस्था थी ।

श्री ओमदत्त भाटी : आप कहते हैं कि 62 तक शेय्यायें कर दी जावेंगी ··

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुन लीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप टी० बी० पेशेन्ट के लिए जो 62 बेड्स हैं उनको भी उसमें शामिल करवाना चाहते हैं । ये जो टी०बी० के बेड्स महात्मा गांधी अस्पताल में हैं वे शामिल होंगे । बाकी 38 का और प्रावधान किया गया है ।

श्री ओमदत्त भाटी : महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर के बारे में सरकार की हमेशा उपेक्षावृति रही है। उदयपुर, बीकानेर आदि अस्पतालों में 25 लाख रुपया दिया गया है जबकि इसके लिए सात लाख ही दिया गया। जयपुर, उदयपुर और बीकानेर की अस्पतालों के लिए आप ज्यादा प्रावधान देते हैं लेकिन जोधपुर के साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। यहां यह कहा जाता है कि जोधपुर के वित्त मन्त्रीजी हैं इसलिये जोधपुर को ज्यादा दिया जाता है यह बिल्कुल गलत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपको तो हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आता है। उदयपुर का टी० बी० सेनीटोरियम किसी के द्वारा दान में दिया हुआ है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : जोधपुर का सेनीटोरियम भी रघुनाथजी बांगड़ द्वारा दिया हुआ है फिर भी आप इस तरह से भेदभाव रखते हैं यह न्याय संगत नहीं है।

श्री रामकिशन : ज्यादा खर्चा उदयपुर में हुआ है यह जब कहते हैं तो मुख्य मन्त्रीजी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। इस तरह के आप जो शब्द कहते हैं इससे वे और ज्यादा लाभ उठाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप भी कह दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : जोधपुर राजस्थान का प्रमुख नगर है वहां पर टी० बी० अस्पताल की अलग से व्यवस्था नहीं है यह आश्चर्यजनक बात है। खास तौर से जबकि किसी समय जोधपुर का अस्पताल एशिया में लोक प्रसिद्ध अस्पताल था, ऐसी जगह पर आप जनरल अस्पताल के साथ टी०बी० अस्पताल रखते हैं यह अनुचित है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जोधपुर में जब मेडिकल कालेज की स्थापना हुई थी उस समय मेडिकल कालेज के लिए भवन नहीं था इसलिये टी०बी० अस्पताल जो तैयार था उसको मेडिकल कालेज के लिये ले लिया गया। इसी तरह से अजमेर में भी हुआ वहां भी टी०बी० अस्पताल को मेडिकल कालेज के लिये लिया गया है। मेडिकल कालेज दोनों जगह जल्दी से चालू करवाना चाहते थे, भवन था नहीं इसलिये इनका उपयोग किया गया। अब जोधपुर में भवन निर्माण हो गया है। वहां कालेज चालू हो जायगा।

श्री ओमदत्त भाटी : सदन को आप गुमराह कर रहे हैं। दो साल से टी० बी० अस्पताल खाली पड़ा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 68 शैयायें मौजूद हैं। और शैयायें रोगी नहीं आयेंगे तो बढ़ेंगी कैसे ?

श्री ओमदत्त भाटी : रोगी तो हजारों हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

244. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि निदेशक भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार

Page No 15

(श्री हरजीराम बुरड़क)

को विभाग के कुछ राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु कोई आरोप पत्र प्रस्तुत किये परन्तु सचिवालय के कृषि अनुभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां तो किन२ अधिकारियों के खिलाफ किन किन आरोप पत्रों के लिये निदेशक ने लिखा ?

(2) उक्त अधिकारियों के खिलाफ अब तक सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त कार्यवाहियां सम्पूर्ण कर दी जावेंगी ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये निदेशक द्वारा कोई स्मरण-पत्र सचिवालय को दिया हो, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां । इस विषय में नियुक्ति विभाग में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जिन अधिकारियों के खिलाफ इस विभाग द्वारा राज्य सरकार को आरोप-पत्रों के लिये लिखा है उनकी सूचना संलग्न विवरण पत्र के कालम संख्या दो व तीन पर अंकित है ।

इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही नियुक्ति विभाग में विचाराधीन है ।

(3) इस सम्बन्ध में चाही गई सूचना प्रत्येक मामले के संलग्न विवरण पत्र के कालम संख्या चार पर अंकित है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न के भाग 2 में पूछा था उक्त अधिकारियों के खिलाफ अब तक सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक कार्यवाहियां सम्पूर्ण कर दी जावेंगी ? आपने इसका उत्तर नहीं दिया है ?

श्री हरिसिंह : कार्यवाही तो बराबर चल रही है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न दो पढ़िये और उत्तर दीजिये ?

श्री हरिसिंह : कई चार्जेज होते हैं उनमें प्राइमाफेसी देखी जाती है, तथ्य क्या हैं । उसके बाद प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी होती है । अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफर होते हैं । जो मामले राजपत्रित कर्मचारियों से सम्बन्धित होते हैं नियुक्ति विभाग में भेजे जाते हैं । वहां से चार्जशीट दी जाती है । उसके उत्तर के लिए संबंधित अधिकारी को समय दिया जाता है । उसमें जितना समय लग जाता है उसके कारण देरी हो जाती है । नियुक्ति विभाग से निवेदन करेंगे कि इस बारे में जल्दी कार्यवाही करें ।

श्री हरजीराम बुरड़क : 19 अधिकारियों के नाम हैं उसके अलावा भी और कोई अधिकारी है क्या जिसके खिलाफ कार्यवाही चल रही हो ?

श्री हरिसिंह : अराजपत्रित अधिकारी है । जिनको हैड आफ दी डिपार्टमेंट ने पनिशमेंट दिया है । राजपत्रित अधिकारियों के लिये नियुक्ति विभाग में मामले हैं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 19 बताई है उसके अलावा और किसी के बारे में कार्यवाही नहीं चल रही है क्या ?

श्री हरिसिंह : जितनी सूचना उपलब्ध थी वह मैंने आपको दे दी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : श्री बजाज के सम्बन्ध में भी इन्क्वायरी चल रही है क्या ?

श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसका क्या हुआ ?

श्री हरिसिंह : अपोइंटमेंट डिपार्टमेंट में इन्क्वायरी विचाराधीन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं और इनके खिलाफ कौन इन्क्वायरी कर रहा है ?

श्री हरिसिंह : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : भाग 2 जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप बताये हैं सिर्फ इसमें दो तीन आरोप हैं जिनके बारे में आप विधान सभा में उत्तर दे चुके हैं इनमें शामिल नहीं किया है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : फिर उनके खिलाफ जांच चल रही है तो उनको प्रमोशन किस आधार पर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनके लिए चार्जशीट देने के लिये अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेण्ट को भेजा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं इसमें सिर्फ दो ही चार्ज दिये गये हैं ? आपने पहले भी इस तरह के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि इनके खिलाफ फर्जी टी० ए० आदि लेने के बारे में चार्ज है, दूसरा ये आस्ट्रेलिया गये नहीं फर्जी बिल उसका बनाया, फर्जी बिल ट्रेनिंग का बनाया उसके बारे में भी कार्यवाही करने का था आपने इसमें एक दो ही आरोप दिये हैं क्या बाकी के आरोपों के बारे में फैसला हो चुका है ?

श्री हरिसिंह : आपको इतनी एक अधिकारी के बारे में जानकारी लेनी थी तो आप एक ही अधिकारी के बारे में पूछते।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : प्रश्न पूछने के लिए आप हमें ट्रेनिंग दे नहीं सकते। इसमें आपको साफ पूछा गया है किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या आरोप हैं। आपको आरोपों की पूरी फहरिस्त देनी चाहिये। एक आरोप दे दिया क्या यही उत्तर देने का तरीका है ? और आप मेम्बर को प्रश्न पूछने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : एक बात पूरी कर लेने दीजिये।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौलतरामजी ने यह पूछा कि कितने अधिकारियों के खिलाफ किस किस विभाग में क्या एन्क्वायरी चल रही है तो मैं सभी मामले जो एन्टीकरप्शन में हैं जिनकी लम्बी चौड़ी लिस्ट विभाग ने दी है···

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न बहुत साफ है। क्या यह सत्य है कि भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान ने…

(विराम)

राज सरकार को विभाग ने कुछ राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु कई आरोप पत्र प्रस्तुत किये परन्तु सचिवालय के कृषि अनुभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों के खिलाफ किन किन आरोप पत्रों के लिये निदेशक ने लिखा— यह बहुत स्पष्ट है और यदि हां, तो किन आरोप पत्रों के लिए निदेशक को लिखा, यह साफ है।

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि…

(व्यवधान)

आप सुनिये।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो एग्रीकल्चर का पूछा है।

श्री हरिसिंह : अलग अलग केवल है जो प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है। आप चाहते हैं उनको भी रिप्लाई मान लिया जाय। उस लेवल पर जो चार्जेज आये है उसमें छिपाने की क्या बात है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि…

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि इसके खिलाफ जांच हो रही है और उसके बीच में ही प्रमोशन दे दिया।

श्री हरिसिंह : केवल चार्ज लगाने से ही…

श्री दौलतराम सारण : इनकी जांच कौन करेगा ? उनके नीचे के अधिकारी ? एक विभाग के डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के अधिकारियों की जांच क्या नीचे के अधिकारी करेंगे ?

श्री हरिसिंह : बहुत ऊंचे अधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : कौन कर रहा है। नाम बतायें।

श्री हरिसिंह : ये राजपत्रित है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप यह बताने के लिये असमर्थ है कि उनकी जांच कौन कर रहे है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजपत्रित अधिकारी जिनकी आपने सूची दी है, उनके खिलाफ और उनमें से श्री दुबे के खिलाफ गबन और अन्य प्रकार के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं और प्रमाणित होने के बाद उनको चार्जशीट दी जा चुकी है ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय इनके केसेज के बारे में…

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। स्पष्टीकरण आने दीजिये।

Page No 18

श्री हरिसिंह : अलग अलग स्तर पर कार्यवाही चल रही है। जब तक केसेज अपाइन्टमेंट्स के पास नहीं चले जाते हैं तब तक राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सोढा। नेक्स्ट।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सवाल के अधिक लेने का सवाल नहीं है। अधिकारियों ने हजारों रुपयों का गबन किया है। आस्ट्रेलिया में जाकर सरकार के खर्चे से ट्रेनिंग ली है उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उनके मनमाने तरीके से प्रमोशन दे देते हैं। आज वर्षों से मामले पेन्डिग पड़े हैं। उत्तर देने में घोटाले हैं इसलिये जानबूझ कर इसको छिपाया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन घोटालों को दबा रहे हैं और उनको प्रमोशन दे दें ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया उनके विषय में जो भी कार्यवाही अपाइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट उचित समझेगा, की जायेगी।

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य) यह विधान सभा इसलिये नहीं चलती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या अभी तक प्रिलिमिनरी एन्कवायरी नहीं हो सकी है।

श्री हरिसिंह : हो गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या हो गई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सोढ़ा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं एक छोटा कर्मचारी हो, छोटा गरीब अध्यापक हो, छोटा पटवारी हो छोटा मोटा कोई क्लर्क हो उनको तो यह सरकार फौरन सस्पेन्ड कर देती है लेकिन राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होने गबन किया है प्रमाणित हुआ है, लाखों रुपयों का घोटाला किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते, सस्पेंड नहीं करते। क्या इसी आशय पर यह सरकार चलाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सोढ़ा। कृषि मंत्रीजी।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : 246।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके खिलाफ कर सकते जिन्होंने लाखों का गबन किया है और छोटे कर्मचारियों को इन्टीरिम राहत नहीं दे सकते ? क्या यह ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज । इस प्रश्न ने काफी समय ले लिया है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) श्री देवीदत्त गाड़िया : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती तो वित्तीय स्थिति अपने आप ठीक हो जाती ......

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया ।

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे).

माननीय श्री गाड़िया । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

नेक्स्ट । श्री सोढ़ा ।

श्री बालसिंह : 246 ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न और पूछना है......

श्री अध्यक्ष : अब नहीं । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : समय बचने पर माननीय सदस्य, देख लिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो प्रश्न है श्री हरजी राम बुरड़क द्वारा पूछा गया है इससे श्री दुबे, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित हो चुके हैं । इनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : 246 ।

एक माननीय सदस्य : यह भी तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आ रहा है वह भी अच्छा है

श्री रामचन्द्र आर्य : दुबे के खिलाफ प्रमाणित आरोप सिद्ध हो चुके है......

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्र आर्य मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ......

(श्री आर्य के बराबर बोलते रहने पर)

मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब तक सही उत्तर न आजाय तब तक दूसरा प्रश्न नहीं लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने पर विचार करूंगा ।

प्रश्न संख्या 245

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट क्वेश्चन

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम

246. श्री बाल सिंह सोढ़ा (जैसलमेर) श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई तथा इसके

Page No 20

(श्री बालसिंह सोढा-
श्री रूप सिंह)

अध्यक्ष व मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन हैं तथा किन किन योग्यताओं के आधार पर उन्हें इस पद पर रखा गया है ?

(2) इस निगम के अध्यक्ष को किस स्तर पर की सुविधायें दी गई हैं और उनके इस पद पर नियुक्ति के पश्चात उन पर किस किस मद में कितना व्यय हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नियुक्ति के पश्चात अब तक उन्होंने सरदारशहर के कितने दौरे किये हैं और इन दौरों पर उनके दैनिक भत्ते व यात्रा भत्ते के रूप में कितना व्यय हुआ है ?

(4) चेयरमैन ने राजस्थान में व राजस्थान के बाहर जहां जहां के दौरे किये है उनके दौरे के कार्यक्रमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) एक ही व्यक्ति के चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर के पदों पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

(6) निगम के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सेल्स आफिसर, चीफ अकाउन्टेन्ट, अकाउन्ट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर व अध्यक्ष के पी० ए० के पद पर कौन कार्य कर रहे हैं ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना जयपुर में हुई। इसके अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चन्दन मल बैद हैं तथा ये ·······

श्री रामचन्द्र आर्य : और वे हारे हुए भी हैं।

श्री हरिसिंह : एम० ए०, एल० एल० बी० हैं। इन्हें प्रशासन का तथा समाज सेवा का भी अच्छा अनुभव है।

(2) इस निगम के अध्यक्ष को वे सब सुविधायें दी गई हैं जो राजस्थान के मंत्रि-मण्डल के स्तर के मंत्री को दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति के पश्चात मद अनुसार व्यय सूची (परिशिष्ट क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नियुक्ति के पश्चात् अब तक इन्होंने सरदारशहर के 12 दौरे किये हैं तथा इन दौरों पर कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है। चूंकि इनके दौरे, केवल सरदारशहर तक ही नहीं है तथा और भी जगह के दौरे सरदारशहर के दौरे के साथ किये हैं अतः केवलमात्र सरदारशहर के यात्रा भत्ते का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) सूची (परिशिष्ट ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था सुविधाजनक पाई गई।

(6) सूची (परिशिष्ट ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय पहले तो मंत्री महोदय यह बतायें कि वह यात्रा भत्ता बताने में असफल कैसे हैं ?

श्री हरिसिंह : मैंने उत्तर में बताया, सरदारशहर के दौरे के साथ अन्य दौरे भी सम्मिलित हैं। अब उसमें सरदारशहर के कितने दौरे किये हैं, यह सम्भव नहीं हैं, यह कैसे निकाला जा सकता है। वे दोनों स्थान पर जाते हैं तो भिन्नता कैसे की जाय।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : आपने बताया, सरदारशहर के 12 दौरे किये हैं और सूची के अनुसार 16 हैं।

श्री हरिसिंह : जो भी हुये हैं, सूची में दे दिये गये हैं।

श्री आईदान सिंह : इस निगम की स्थापना कब हुई?

श्री हरिसिंह : प्रश्न में कब नहीं पूछा गया है, कहां पूछा गया है और वह बता दिया गया है उत्तर में।

कई माननीय सदस्य: आपने प्रश्न को पढ़ा ही नहीं है।

श्री विजयसिंह : मंत्रिमण्डल में ऐसे ऐसे आदमियों को भर रखा है जिनको न पढ़ना आता है, न लिखना आता है और न जवाब देना आता है। जो समझ नहीं सकते, अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि ये कौनसी पाठशाला में पढ़े हैं?

कई माननीय सदस्य : कहां से पढ़कर आये हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में 'कब हुई,' यह है।

श्री हरिसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर 'कहां' लिखा हुआ है।

श्री विजयसिंह : यह प्रिन्टिंग में भेद है क्या?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि सप्लीमेंटरी पूछना चाहें तो मैं निवेदन कर दूं।

श्री आईदान सिंह : इसको सप्लीमेंटरी मान लीजिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अब फिर जिद कर रहे हैं। इस सूची में जो प्रकाशित हुई है लिखा है 'राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, यह साफ लिखा है, पढ़ते भी नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी में आपके पास उत्तर है तो दे दीजिये।

श्री हरिसिंह : 1969 में।

श्री भैरोंसिंह : क्या कृषि निगम के अध्यक्ष श्री चन्दन मल वैद की सर्विसेज के लिये राज्य सरकार के द्वारा कोई सर्विस कन्डीशन लागू की गई है?

(विराम)

एक माननीय सदस्य : पता ही नहीं है।

श्री हरिसिंह : प्रश्न के उत्तर में बताया, वे सभी सुविधायें जो मंत्रिमण्डल के सदस्यों को दी जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : सर्विस कन्डीशन्स में यह है कि छुट्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते है? एक प्रश्न। आगे यह है कि वे होल टाइम सर्वेन्ट है या पार्ट टाइम सर्वेन्ट हैं? इस प्रकार की सर्विस कन्डीशन्स जितनी होती है....

श्री हरिसिंह : मंत्रियों की ऐसी सर्विस कन्डीशन्स नहीं होती हैं। उन्हें मंत्रिमंडल का स्तर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल के स्तर की सुविधाएं नहीं, बल्कि उपमंत्री को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे अध्यक्ष को मिलेंगी ?

श्री हरिसिंह : केबिनेट मिनिस्टर को जो मिलती हैं वे मिलेंगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के अन्य जितने भी अध्यक्ष हैं उनको डिप्टी मिनिस्टर की ही सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं ? ऐसी स्थिति में इनको मंत्री स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का क्या कारण है ?

श्री हरिसिंह : अगर यह चीज इसमें पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में इस प्रकार के चार निगम हैं। राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन श्री ज्वाला प्रसाद जी हैं, उनको जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं वे एक डिप्टी मिनिस्टर के स्तर को करा रहे हैं । ज्वाला प्रसाद जी के अलावा खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं और मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अध्यक्ष हैं इन सब को आज डिप्टी मिनिस्टर के स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनका, चन्दनमलजी का मिनिस्टर का स्तर बढ़ाया था, तो वह कैसे एप्रूव्ड हो गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): वे पहले मंत्री रह चुके हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि वे मंत्री थे लेकिन चुनाव में हार गये थे इसलिए उनको मंत्री स्तर की सुविधाएं दीं ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : उनका अनुभव रहा है और इस विधान सभा में भी काफी रहे हैं तो इन सारी बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए यह तय किया गया था । ज्वाला प्रसादजी के बारे में भी विचार जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह खर्चा और बढ़ा दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तरफ तो राजस्थान में आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ इस प्रकार से इस प्रकार के आदमियों की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : इन प्रश्न के पार्ट एक के उत्तर में जो उनकी योग्यता बताई है तो उनकी योग्यता यह बताई है कि वे एम० एल० ए० रहे हैं और एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन है जिसके अन्दर टेक्निशियन्स की जरूरत पड़ती है न कि मिनिस्टर होने वाले की । तो क्या इनकी मेन क्वालिफिकेशन यही मानी जायेगी कि ये हार गये ? इन्डस्ट्रीज, माइन्स और ट्रान्सपोर्ट में ये जब मिनिस्टर रहे तो इनके खिलाफ एलिगेशन्स थे और उन एलिगेशन्स के बावजूद क्या केबिनेट ने यह मुनासिब समझा कि ऐसे आदमी को इसका चेयरमैन बनाया जाय ? क्या यह सही है कि आपने इनको चेयरमैन बनाया है तो इन्होंने ट्रेक्टर्स 5 हजार और 10 हजार ब्लेक में बेचे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (उपमंत्री, नियुक्ति विभाग) : यह असत्य है । यह झूठ है । ये गलत आरोप लगा रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बिल्कुल सही है । अपने पापों पर पर्दा डालो हो ।

Page No 23

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किन की वकालत कर रहे हैं ? बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की ?

श्री विजयसिंह : He is Technically Currupt.

एक माननीय सदस्य : Not Technically but practically.

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे करप्ट हो गये ?

श्री विजयसिंह : He is Technically and practically carrupt.

श्री प्रद्युम्नसिंह: आपको ट्रैक्टर नहीं दिये होंगे इसलिए कर रहे हैं ये प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि जो ट्रैक्टर्स बेचे गये हैं वे पंजाब गये हैं ?

एक ट्रैक्टर 10 हजार में बिका वह उनको दिया गया था जो उप मंत्री बोल रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं। गंगानगर के एक मंत्री के दामाद को दिया है वह ट्रैक्टर 15 हजार में बिका। इसकी लिस्ट मैं अपने साथ में लाया हूं। जिन आदमियों को ट्रैक्टर दिये गये हैं, मेरे पास उनकी लिस्ट मौजूद है ..

एक माननीय सदस्य : पेश करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है वह गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजनैतिक आधार पर दिये गये हैं और जनता को नहीं दिये गये ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं कि एक डिप्टी मिनिस्टर साहब थे उनके ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रूपसिंह : मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि ट्रैक्टर मौके पर खड़ा है मेरा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको ट्रैक्टर नहीं दिया तब यह प्रश्न लाये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लाखों रुपयों के ट्रैक्टर बिके हैं ..

(सदन में अत्यन्त कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गाड़िया, श्री गाड़ियाजी। आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है ...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था आजाने दें फिर सही और गलत का ले लेते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दिला देते।

Page No 24

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य।

आपने यह एलिगेशन लगाया है इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इनका स्पष्टीकरण मांगा करें। इसके लिए वे चैलेन्ज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण आने दें तब प्रश्न होगा तो ले लेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नये नये उठ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो नये हैं।

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह निराधार है और गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं है। जिसको दिया है उसके पास मौजूद है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हरिसिंह : जहां तक यह प्रश्न उठाया गया है कि एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन जैसी संस्था में टेक्निशियन होना चाहिए तो यह इस प्रकार की संस्था है कि वहां पर बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का मेम्बर किस को बनाया जाय तो यह माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं कि वहां पर टेक्निशियन के पद तो होते हैं लेकिन प्रशासकीय अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी इसके लिए यह नहीं है कि एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री के एक्सपर्ट को डिग्री प्रदान की जाय तभी उसके लिए उपयुक्त माना जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय मंत्रीजी कहने वाले थोड़े ही हैं।

श्री आईदानसिंह : जो सूची दी गई है दौरों की उसके अन्दर 24 दौरे किये गये हैं जिनमें से 12-13 दौरे तो सरदारशहर के हैं।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि रूपसिंहजी के चार्जेज सही नहीं हो सकते हैं कि इनका (उपमंत्रीजी) रोल ठीक रहा है। कभी इधर बैठे हैं और कभी उधर बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग से प्रश्न।

श्री आईदानसिंह : उन्होंने 24 दौरे किये हैं तो 24 में से 12-13 सरदारशहर के हैं, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : सरदारशहर के 12 दौरे हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय....

श्री विजयसिंह : आया राम गया राम।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न 3 के उत्तर में आपने जो दौरों की सूची दी है और उसमें आपने यह कहा है कि सरदार शहर के दौरों का उन्होंने भत्ता नहीं लिया है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको बिना भत्ते लिये हुए राजकीय वाहन में कहीं भी दौरा करने की बिना नियम के कार्य के अनुमति है?

श्री हरिसिंह : सरकारी कार्य के लिए कोई मंत्री वहां पर जाता है और वहां पर राजकीय कार्य के साथ अपने निजी कार्य से रुक जाता है और उसका भत्ता नहीं लेता और फिर वापिस आता है तो राजकीय कार्य ही हुआ।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरदारशहर में क्या काम था ?

श्री रूपसिंह : एक प्रश्न का उत्तर और दे दें ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री रूपसिंह : इसका उत्तर भी साथ ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न आ चुका है उसका उत्तर आने दीजिए आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रूपसिंह : उसी में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिए।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कार्य के लिए जायें और उसके बाद में दूसरे दिन अगर वहां पर राजकीय कार्य नहीं हो और दैनिक भत्ता नहीं लें और वापिस राजकीय कार्य से लौटें तो एक दिन का दैनिक भत्ता नहीं लेते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं नियमों के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जैसे भत्ता नहीं लिया इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत काम के लिए गये थे ?

श्री हरिसिंह : सरकारी काम के लिए गये थे।

श्री अध्यक्ष : जो व्हीकल गवर्नमेन्ट का काम में लिया उसके बारे में क्या कहना है ? यह माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं। उसके भी क्या चार्जेज जमा करा दिये ?

श्री हरिसिंह : जैसे गंगानगर जाते समय वहां पर सरकारी कार्य से गये हैं और रास्ते में एक दिन का हाल्ट आते हुए या जाते हुए अपने व्यक्तिगत किसी कार्य के लिए रुक जाते हैं तो सरकारी यात्रा हुई लौटते समय की।

श्री आईदान सिंह : लिस्ट को उठाकर देखा जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसे स्पष्ट करें वहीं से यात्रा को रुके और दूसरे दिन गंगानगर चले गये ऐसा उल्लेख है क्या ?

श्री हरिसिंह : इस प्रकार का उल्लेख तो नहीं है लेकिन व्यक्तिगत कार्य से रुके होंगे तो उन्होंने दैनिक भत्ता नहीं लिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : सूची में ऐसा आइटम भी है कि जो सरदारशहर से यहां और यहां से सरदारशहर निगम की गाड़ियां ले गये हैं और रुके हैं।

श्री हरिसिंह : कोई भत्ता नहीं लिया।

श्री दौलतराम सारण : श्री चन्दनमल वैद ने चूरू नगरपालिका के चुनाव के दिनों में दौरा किया है और उन दिनों में निगम

(श्री दौलतराम सारण)

की सरकारी जीपों का दुरुपयोग किया है और उस जीप से दौरा किया है। यह कहते हैं कि भत्ता नहीं लिया है तो चूरू जिले की नगरपालिकाओं में भी गये हैं तो उन जगहों पर कौन से राजकीय कार्यों पर गये थे ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इससे संबंधित नहीं है और यों ही इस प्रश्न को नगरपालिकाओं के चुनावों से जोड़ रहे हैं। यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : अलग से प्रश्न नहीं है। यह सारे दौरे फर्जी हैं। कृषि निगम का कोई कार्य नहीं है, यह केवल राजनैतिक कार्यों के लिए दौरों पर गये हैं और राजकीय वाहनों का प्रयोग किया है, पैट्रोल जलाया है, डी० ए० लिया है और यह सब मनमाना भ्रष्टाचार है, मनमाना दुरुपयोग है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय : यह ट्रैक्टरों का आवंटन का मंत्रीजी का और चेयरमैन साहब का कितना पर्सेन्टेज डिस्क्रिशनरी कोटा है ?

श्री हरिसिंह : 5 पर्सेन्ट

श्री रघुनाथ विश्नोई : जितना भी डिस्क्रिशनरी कोटा है उसके अनुसार आज दिन तक जितने ट्रैक्टर्स आये हैं उसी हिसाब से उनका वितरण हुआ है ? 5 पर्सेन्ट मंत्री और 5 पर्सेन्ट चेयरमैन का जो डिस्क्रिशनरी कोटा है उसी के आधार पर वितरण किया है क्या ?

श्री हरिसिंह : वितरण का आधार प्रायोरिटी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 5 पर्सेन्ट चेयरमैन का कोटा है और 5 पर्सेन्ट ही मंत्री जी का कोटा है तो यह जो कोटा है आज दिन तक जितने ट्रैक्टर्स आये हैं उनका उसी पर्सेन्टेज के हिसाब से वितरण हुआ है या उसमें भेद है, चेयरमैन के ज्यादा या मंत्री जी के ज्यादा ?

श्री हरिसिंह : कोई भेद नहीं है। 5 पर्सेन्ट है और 100 आये तो 5 पर्सेन्ट कृषि मंत्री जी अलॉट कर सकते हैं और 5 पर्सेन्ट चेयरमैन अलॉट कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो है लेकिन जितने ट्रैक्टर्स आये हैं उनका वितरण इसी पर्सेन्टेज से हुआ है या इसमें भिन्नता है ?

श्री हरिसिंह : कोई भिन्नता नहीं है। वितरण प्रायोरिटी के आधार पर हुआ है और इसी आधार पर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह जो ट्रैक्टर्स दिये जाते हैं क्या इन्हें राज्य के भीतर ही देने का प्रावधान है या बाहर भी दिये जा सकते हैं ?

श्री हरिसिंह : वैसे प्रायोरिटी तो राजस्थान के ही रहने वालों को दी जाती है। बाहर की एप्लीकेशन को जहां तक, मैं

(श्री हरिसिंह)

समझता हूं, प्रश्न में तो नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय लेकिन प्रायोरिटी राजस्थान के रहने वालों को ही दी जाती है।

श्री रामकिशन : अगर राज्य के बाहर ट्रैक्टर्स को दे दिया गया है तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने के लिये तैयार है कि किस आधार पर किसको और क्यों दिया गया ?

श्री हरिसिंह : इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बाहर यह ट्रैक्टर्स राजस्थान के दिए बिना नहीं जा सकते क्या यह ठीक है ?

श्री हरिसिंह : इसकी जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : बड़ा अजीब उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह पालिसी का प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : कृषि निगम राजस्थान के लिए स्थापित किया गया है और राजस्थान के कृषकों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए वह काम करता है और उसी कृषि निगम के साधनों से और धन से और वाहनों से राजस्थान के बाहर के किसी आदमी को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता क्या यह सही है ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ट्रैक्टर्स जर्मन ट्रैक्टर्स हैं, रूमानिया के हैं 65 हार्सपावर्स के तो जितने एस.टी.सी. से मंगवाये गये अधिकतर तो यहां दिये गये और जिनकी यहां खपत ही नहीं थी और ऐसे ही पड़े हुए थे तो या तो उनको एस० टी० सी० को सौंप दिये गये या बाहर भेज दिये गये हों। हो सकता है किसी को अलॉट भी किये गये हों।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भारत सरकार आवंटन अलग अलग स्टेटवाइज देती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस अलाटमेंट के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए है उन नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रकार का आवंटन केवल राजस्थान के लोगों को ही किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता, इस बात की आप को जानकारी है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट आफ इण्डिया से क्लेरीफिकेशन आता है अगर यहां डिमाण्ड नहीं होती है तो जर्मन ट्रक्टर्स हैं, रूमानिया ट्रैक्टर्स हैं तो वह पड़े रहते हैं और जो अधिकतर ट्रैक्टर्स हैं......

श्री अध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है क्या ?

श्री हरिसिंह : गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत से ही बाहर दिये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अलॉटमेंट के गवर्नमेंट ने और कार्पोरेशन ने खुद की तरफ से कुछ सरकुलर्स और नियम बनाये हुए हैं उन प्रावधान है कि नहीं ? जहां तक मेरी जानकारी है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस प्रावधान के अन्तर्गत राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का ट्रैक्टर चाहे किसी प्रकार का क्यों न हो वह बाहर के व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया जा सकता – यह सही है क्या ?

श्री हरिसिंह : मैंने कहा है कि अगर दिये भी गये हैं......

श्री भैरोंसिंह : अगर मगर नहीं, मैं नियमों में प्रावधान की बात पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह : यहां नियम की कापी मेरे पास नहीं है ।

श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम मेरे पास हैं मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने और कार्पोरेशन ने अलाटमेंट के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ?

श्री हरिसिंह : वर्किंग मेनुअल जरूर है लेकिन यहां पर उपलब्ध नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया और बाहर भेजने का कहा है वह मेरे ज्ञान के अनुसार यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से पूछे जाने के ऊपर ही बाहर दिये जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्किंग मेनुअल के अनुसार राजस्थान के बाहर के किसी व्यक्ति को ट्रैक्टर आवंटित नहीं किया जा सकता ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिना नियम देखे नहीं कह सकता ।

श्री विजयसिंह : नियम देखें और पढ़ें तब न। आपके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है ।

श्री हरिसिंह : आपकी समझ के बाहर की बात है ।

श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम नहीं पढ़ा इसलिए मैं पढ़कर सुना देता हूं। रूल नं० 1 है उसमें साफ दिया हुआ है कि जो कृषक राजस्थान के निवासी हैं अथवा जिनकी राजस्थान में खेती योग्य भूमि है उनको ही ट्रैक्टर आवंटन किया जायेगा, आउटसाइडर्स को नहीं ।

श्री रामकिशन : माननीय कृषि मन्त्री जी ने यह कहा है कि जिन ट्रैक्टरों की मांग राज्य में नहीं थी तो क्या जेटर ट्रैक्टर को राज्य के बाहर के लोगों को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह सूचना राज्य के पास नहीं है ।

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी कहा गया है, कार्पोरेशन इसीलिए बनाया गया है कि जो ट्रैक्टर आयेंगे, वह राजस्थान के रहने वालों को दिये जायेंगे। लेकिन दो तीन परिस्थितियां रही हैं, जिनको देखना होगा कुछ ट्रैक्टर भरतपुर में पड़े हुये हैं ।

श्री रामकिशन : उनको कोई नहीं लेता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : जिनकी मांग देश में थी, वह बाहर से मंगाकर पूरी की गई है। क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि भारत सरकार से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी कुछ एलाटमेंट हुये हैं। यह अच्छा होगा कि प्रश्नकर्ता यह सूचना दे दें कि बाहर जो ट्रैक्टर दिये गये हैं वह कौन से हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप यह एलाटमेंट करते हैं। किस प्रकार का ट्रैक्टर था और राजस्थान के बाहर क्यों एलाटमेंट किया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर वह ट्रैक्टर यहां आये लेकिन काम का न हो तो कार्पोरेशन घाटा उठाये उसके बजाये उसको डिस्पोज ऑफ कर दें।

श्री भैरोंसिंह : कार्पोरेशन रूल्स में अमेन्टमेंट कर सकता था। कार्पोरेशन ने रूल्स में अमेंडमेंट नहीं किया है, उस स्थिति में बाहर नहीं दिया जा सकता है। अगर दिया गया है तो यह अनियमित कार्यवाही है और उस अनियमित कार्यवाही को मुख्य मन्त्री महोदय सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न था, 5 हजार का मामला है। निगम में भयंकर भ्रष्टाचार है। उसमें यह जानना चाहते हैं कि जिन आदमियों को रखा गया है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मुख्य मन्त्री जी कह दें कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको वह जांच करवायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन्दाजे वाली बातें हैं। उन पर क्या किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री विजयसिंह : इसमें जातिवाद भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, मगर उसको यहां नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा यहां अनियमितता को अनुमोदन मिल गया है। यानी ट्रैक्टर के घाटे से बचने के लिए इस प्रकार से निगम बाहर भेज सकता है। यहां का यह दुर्भाग्य है। यह ट्रैक्टर जिस पर 15 का ब्लैक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं, वह बाहर किन व्यक्तियों को एलाटमेंट हुआ है, वह तो बताइये?

श्री रामकिशन : आप पता बतायेंगे कि बाहर किन व्यक्तियों को एलाट हुआ है?

श्री अध्यक्ष : वह समझायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाहर कहां हुआ है?

श्री रूपसिंह : रूल नम्बर साफ है कि बाहर सेल नहीं कर सकते हैं। मैंने जो सवाल किया था, ट्रैक्टर यहां से एलाट होता है, उनका क्या होता है, नाम यहां से काश्तकार का लिखते हैं और वह बाहर चला जाता है। इसकी हमारे पास मिसाल है।

एक माननीय सदस्य : यह बात है।

श्री रूपसिंह : यह मांग की थी, यहां पर यह है कि पहले राजस्थान में यह रूल्स

(श्री रूपसिंह)

बने हुये है । एग्रोइण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसमें यह एफेडेविट देना पड़ता था कि वह 10 साल तक नहीं बेच सकते हैं । लेकिन अब यह नहीं रहा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री रूपसिंह : जिस चेयरमैन के खिलाफ इस हाउस में क्वेश्चन रेज किया था । आपने उसको चेयरमैन बना दिया । वह बिहाइण्ड दी बार होना था ।

आप देखेंगे तो पता चलेगा उनका टेलीफोन, उनके भाइयों के पास, उनकी एजेन्सी है । इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं । उनको प्रश्रय दे रहे हैं । पब्लिक का पैसा खराब करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब समाप्त करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यहां के किसानों को ट्रैक्टर ···

(शोरगुल : व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय श्री गाड़िया ।

श्री विजयसिंह : प्रश्न समाप्त नहीं होता । भाषण समाप्त हो गया । कांग्रेस में जातिवाद···

श्री अध्यक्ष : कोई चर्चा नहीं होगी । अंकित न किया जाये ।

श्री विजयसिंह : × × ×

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आइरन विण्डोज एन्ड शटर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, अलवर

238. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आइरन विण्डोज एण्ड शटर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, अलवर के सभी सदस्य करीब करीब एक ही परिवार के हैं ? क्या यह भी सही है कि निरीक्षक सहकारी समितियां (उद्योग) अलवर ने प्रमाणित किया है कि समिति के सभी सदस्य अलग अलग परिवार के हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आइरन हैन्डलिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, अलवर की रोकड़ में इस प्रकार के इन्द्राजात है जिनका सीधा संबंध निरीक्षक सहकारी समितियां (उद्योग) से आता है जिन्हें बदलवा कर निरीक्षक श्री जयदेवसिंह ने अपनी बचत की है ?

(3) क्या यह सही है कि पायोनियर थिफ्ट एण्ड क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी,

---

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री गंगासहाय)

अलवर में उक्त निरीक्षक द्वारा 1300 रुपये का दुरुपयोग किया गया है जिसका विवरण समिति की ऑडिट रिपोर्ट में भी आया है एवं वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार अलवर ने भी अपने निरीक्षण में दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षक अलवर इकाई की कई समितियों के अवसायक भी हैं ? क्या उन्होंने कई समितियों में अनधिकृत व्यवस्थापक भी लगा रखे हैं और जिनके नाम से वेतन उठा कर समितियों के धन का दुरुपयोग किया जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि दी मूनपुर फर्नीचर सहकारी समिति भी काफी समय से अवसायन की स्थिति में है ? यदि हां, तो इसको अवसायन में क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में इस नाम की कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है।

(2) अलवर जिले में इस नाम की कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) समिति अवसायन में ही है।

गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था

242. श्री हंसराज आर्य (मादरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवस्थान विभाग ने गोगामेड़ी के मेले को व्यवस्था अपने हाथ में किस वर्ष ली है और तब से लेकर आज तक वर्षवार कुल कितनी आय हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग इस आय में से कुछ धनराशि आने वाले यात्रियों की स्थाई सुविधा के लिये खर्च करना चाहती है ?

(3) यदि हां तो किस कार्य पर कितनी धनराशि और कब तक ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) गोगामेड़ी मेले की व्यवस्था राजस्थान निर्माण के समय से ही देवस्थान विभाग द्वारा की जा रही है। सन् 50–51 से 69–70 तक की आय का मानचित्र संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) धर्मशाला निर्माण पर करीब 50,000) रुपया आगामी मेले से पूर्व व्यय करने का प्रस्ताव है।

(4) प्रश्न नहीं रहता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राज्य में आई. ए. एस. अधिकारी

245. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आज राजस्थान में कुल कितने आई. ए. एस. अधिकारी हैं और उनको कितना पगार प्रतिमाह चुकाना पड़ता है ?

(2) सन् 1961 में कुल कितने आई. ए. एस. के समान अधिकारी थे और उनको

(श्री मूलचन्द डागा)

तनख्वाह के रूप में एक मास में कितना पगार चुकाना पड़ता था ?

(3) क्या यह सत्य है कि अधिकारियों की संख्या और उन पर खर्चा बढ़ने पर भी राज्य सरकार पूर्णरूप से लाभान्वित नहीं होती ? और यदि नहीं, तो कैसे, और हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1-1-1970 को राजस्थान में आई. ए. एस. की केडर पोस्ट की कुल संख्या 139 थी जिसमें से 37 आई. ए. एस. अधिकारी भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर थे। अतः राज्य बजट से कुल 102 आई. ए. एस. अधिकारियों को अनुमानतः 1,43,640) रुपये वेतन के रूप में प्रतिमाह दिया गया जिसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं है।

(2) 1-1-1961 को राजस्थान में आई. ए. एस. की केडर पोस्ट की कुल सं. 116 थी जिसमें से 22 आई. ए. एस. अधिकारी भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर थे। अतः राज्य बजट से कुल 94 आई. ए. एस. अधिकारियों को अनुमानतः 91800) रुपये वेतन के रूप में प्रतिमाह दिया गया जिसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं है।

(3) जी नहीं। स्थिति ठीक इसके विपरीत है सन् 1961 से सन् 1970 तक आई. ए. एस. केडर पोस्ट में केवल 23 पदों की वृद्धि हुई जबकि वास्तव में 8 आई. ए. एस. अधिकारियों के वेतन का अधिक बोझ पड़ा जो राजस्थान की विभिन्न विकास योजनाओं को देखते हुए अधिक नहीं है। राज्य सरकार इन आई. ए. एस. अधिकारियों की सेवाओं से पूर्णतः लाभान्वित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एस. डी. ओ., सांभर के विरुद्ध जांच

245. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तारीख 14-8-68 को जिलाधीश, जयपुर ने एस. डी. ओ. सांभर श्री सी. एल. कंवरिया को ग्राम हिरनोदा में वार्ड नं. 3 में स्थित श्री छीतरमल आनन्दीलाल की जमीन व कुए के बाबत जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया था ?

(2) एस. डी. एम. की जांच का क्या नतीजा रहा और जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन व कुए की बाबत श्री आनन्दीलाल के पिता श्री छीतरमल के हक में सिविल जज, सांभर से ता. 8-5-69 को डिक्री हुई व एडीशनल कलेक्टर जयपुर के यहां से 18-3-68 को फैसला हुआ कि श्री कंवरिया के आदेश से पुलिस थाना फुलेरा से जनवरी सन् 68 में जांच होकर फैसला हुआ और सभी मुकद्दमों में श्री छीतरमल आनन्दीलाल को यह जमीन व कुआ मिल्कियत मकबूजा मानली गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि श्री आनन्दीलाल से द्वेष होने के कारण उनको नुकसान पहुंचाने के लिये श्री कंवरिया ने कानून एवं आर्डरशीट के विरुद्ध मुकद्दमा नं. 36/19

(श्री रूपसिंह)

68/334 सी. आर. पी. सी. का तारीख 28-8-68 को दर्ज कर आदेश जारी किए और दिनांक 29-8-68 को उनकी इस जमीन पर खड़ी फसल बाजरा, बगीचा, बाड़ डोली नष्ट करवा दी तथा पट्टियां, खाद, चारपाई आदि सब पुलिस की मदद से जानबूझ कर लुटवादी ?

(5) क्या यह सही है कि इस डकैती की रिपोर्ट थाना फुलेरा में दिनांक 30-8-68 को श्री आनन्दीलाल ने करदी ? यदि हां, तो क्या पुलिस ने इसकी जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही की और डकैती का क्या माल बरामद किया और कितने मुलजिम पकड़े ?

(6) क्या यह सही है कि श्री कंवरिया के विरुद्ध उक्त नाजायज कार्यवाही रंजिश व द्वेष से करने तथा ऐसे नाजायज कार्यवाही करने के लिये भारी रकम निश्चित कर लेने ऑर्डर-शीट में फोर्जरी व इन्टरपोलेशन्स करके मिसल नं. 36/1968 से कागजात गायब करने एवं गांव में पूर्णरूप से शान्ति भंग करवाने व गुण्डों को प्रोत्साहन देने की शिकायत राज्य सरकार को कर रखी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही क्या कर रही है और उसे सस्पेन्ड क्यों नहीं कर रही है ?

(7) क्या यह सही है कि श्री आनन्दी लाल ने डबल फीस पर ता. 29-8-58 को श्री कंवरिया को उनके तारीख 28-8-68 के आदेश की नकल देने की दरख्वास्त दी और नकलें 16-9-68 तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो नकल की दरख्वास्त कहां है ?

(8) क्या यह सही है कि ग्राम हिरनोदा में अब गुण्डों का आतंक है श्री आनन्दी लाल की फेमिली का जन-जीवन खतरे में है और पुलिस इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां

दिनांक 18-8-68 को हिरनोदा ग्रामवासियों की ओर से श्री छितरमल के विरुद्ध आबादी में सार्वजनिक पनघट चौक व माताजी के मन्दिर व रास्ते में कांटे की बाड़ लगाकर लोगों के आवागमन को बन्द करने व कुए से पानी भरने में रुकावट डालने के सम्बन्ध में जो शिकायत प्राप्त हुई थी वह एस० डी० एम० सांभर को जांच के लिये भेजी थी।

(2) एस०डी० एम० सांभर ने मौके पर ग्रामवासियों की दरख्वास्त को प्रथम दृष्टि पर सही होना मानकर धारा 133 दफा के तहत सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर से कांटों की लगाई गई बाड़ को हटाने का Conditional order दिया था क्योंकि लोगों का पनघट रास्ता आने व चौक पर बाड़ लगा देने से उनका घरों से बाहर निकलना व पानी भरना भी बन्द हो गया था इसलिये दफा 142 (1) जा० फौ० बाड़ को तुरन्त हटाने के लिये आदेश भी जारी किया गया था।

एस० डी० एम० सांभर की उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें जिला कार्यालय से आदेश दिया गया था कि अग्रिम की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

(3) चूंकि इस भूमि एवं कुए से सम्बन्धित एक विवाद सब डिविजन मजिस्ट्रेट जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इस समय इस सम्बन्ध में कुछ भी उत्तर देना न्याय के हित में उचित नहीं होगा।

(मुख्य मंत्री)

(4) जी नहीं श्री कंवरिया द्वारा जो कार्यवाही अन्तर्गत धारा 133 जा०फो० की गई वह मौके एवं परिस्थितियों के अनुसार दुरुस्त जाब्ता किया जाना प्रगट होता है।

(5) दिनांक 30-8-68 को श्री आनन्दीलाल ने उपरोक्त कानूनी कार्यवाही को डकैती का रूप देकर रिपोर्ट थाना फुलेरा में पेश की परन्तु वास्तव में उसके साथ कोई जुर्म नहीं हुआ था अतः पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई माल तथा मुलाजिमों को बरामदगी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) श्री आनन्दीलाल की ओर से जो दरख्वास्त राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई उसकी जांच भूतपूर्व जिलाधीश ने मौके पर पहुंच कर दिनांक 30-11-68 को की। दरख्वास्त में जो आरोप श्री कंवरिया के विरुद्ध लगाये गये वे प्रमाणित नहीं पाये गये।

(7) यह तो सही है किन्तु देरी का कारण एस.डी.एम. सांभर का जोबनेर कृषि कालेज हड़ताल के सिलसिले में मौके पर चले जाने तथा श्री आनन्दीलाल श्री छीतरमल द्वारा नकल प्राप्त करने के लिये न जाने के कारण हुई है। नकल की दरख्वास्त अदालत के रिकार्ड में मौजूद है।

(8) यह सही नहीं है इसलिये पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विभाग को समर्पित किये गये भवन

246. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा विभाग में कितने भवन दानदाताओं अथवा सार्वजनिक चन्दे से बना कर समर्पित किये गये हैं? दाता के नाम और लागत मूल्य दर्शाते हुए प्राप्ति के दिनांक सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भवनों में से ऐसे कितने भवन हैं जो अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किये हैं जिससे उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है तथा ऐसे कौन कौन से भवन हैं तथा कब से और क्यों सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किये गये हैं?

(स्थगित किया गया)

जैसलमेर का अस्पताल

247. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर नगर स्थित अस्पताल में जगह होते हुए भी उसको उच्च श्रेणी में परिवर्तित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस अस्पताल में 1949-50 में सी० एम० ओ० की पोस्ट थी? अगर हां, तो अब नहीं रखने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि जच्चाखाना का भवन बना पड़ा है और मन्त्रीजी ने उद्घाटन भी कर दिया है परन्तु स्टाफ व कोई बजट नहीं है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में कब तक नियमित रूप से सब व्यवस्था हो जावेगी?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(3) सांकड़ा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है ? भवन निर्माण नहीं हो रहा है इसके क्या कारण हैं जबकि जनता द्वारा दस हजार की राशि भी जमा हो चुकी है ?

(4) पोकरण नगर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को अस्पताल में परिवर्तित नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि नगरपालिका है हजारों की संख्या में मिलिट्री व पुलिस वहां रहती है भवन भी पर्याप्त है ? भविष्य में राज्य सरकार कब तक इस पर निर्णय लेगी ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन द्वारा भवन-निर्माण के लिये केन्द्रों पर भवन-निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है ? अगर हां, तो जैसलमेर जिले के रामगढ़, खुडी, झिझनियाली आदि में भवन निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा ?

(6) क्या यह सही है कि मोहनगढ़ में केन्द्र स्वीकृत है परन्तु स्टाफ नहीं है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(7) जैसलमेर नगर अस्पताल का वर्ष बजट व दवाइयों का क्या है और कितना स्टाफ का है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर स्थित अस्पताल को राज्य सरकार के निर्णयानुसार विकास मद में स्वीकृत किया जा चुका है। विभागीय सूचना के अनुसार डी. एम. एण्ड एच. ओ. की पोस्ट थी। किन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(20) इन्ट/52/ दि० 17-7-52 द्वारा विभागीय पदों के पुनर्गठन के समय समाप्त कर दी गई।

(2) जी हां। इस प्रसूति गृह को स्टाफ दिये जाने की कार्यवाही चालू है।

(3) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण (जैसलमेर) को 25 शैय्या वाले अस्पताल में परिवर्तित करने का मामला विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मोहनगढ़ के लिये एक सब सेन्टर है और वहां एक परिवार नियोजन-स्वास्थ्य सहायक कार्य कर रहा है ए. एन. एम. के अभाव में एक पद रिक्त है।

(6) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

मन्दिर की भूमि

248. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में एक मन्दिर राधारमणजी के नाम से है। यदि हां, तो उस पर कितनी जमीन सरकार द्वारा दी गई है और कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि इस मन्दिर में मकान आदि जो हैं उन्हें किराये से दिया हुआ है ? यदि हां, तो किस किस को कितने कितने किराये पर ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) मन्दिर की जायदाद गैरमनकूला व मनकूला कितनी कितनी हैं वह कौन कौन-सी और कीमत क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) मन्दिर की व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जाती है ? बजट कौन पास करता है ? देख रेख क्या राज्य सरकार की है ? हर वर्ष आमदनी व खर्चा कितना कितना है ? सन् 1968-69 व 69-70 में कितनी कितनी आमदनी हुई और कितना कितना खर्चा हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) मन्दिर पर कितने व्यक्ति नौकर हैं ? कौन कौन, किस किस जगह पर कितना कितना वेतन दिया जाता है और कहां से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) इतने बड़े मन्दिर का कोई ट्रस्ट है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ? ट्रस्ट कब बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि झालावाड़ नगर में राधारमणजी का मन्दिर है। पटवार रेकार्ड के अनुसार 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि झालावाड़ में इस मन्दिर के नाम पर है।

(2) यह सही है कि मन्दिर के मकान आदि किराये से दे रखे हैं। किस किस को कितने कितने किराये पर दे रखे हैं इसका रिकार्ड देवस्थान विभाग में नहीं हैं क्योंकि ये देवस्थान से प्रबन्धित नहीं है।

(3) मन्दिर का प्रबन्ध देवस्थान के अधीन नहीं होने से जायदाद सम्बन्धी कोई रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) इस मन्दिर की व्यवस्था श्री शंकर लाल पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी झालावाड़ द्वारा चलाई जाती है। यह मन्दिर सहायता प्राप्त है इसलिए बजट आदि का नियंत्रण देवस्थान विभाग का नहीं है।

(5) इसकी जानकारी देवस्थान विभाग को नहीं है।

(6) इस मन्दिर का ट्रस्ट नहीं बना है सहायक आयुक्त झालावाड़ ने दिनांक 29-1-70 को नोटिस दिया है। राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी निर्णय हो सकेगा।

गृह निर्माण सहकारी समितियां

219. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कहां कहां और कब कब से गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन समितियों का पंजीयन कब कब हुआ ? इन समितियों को कहां कहां से कितनी-कितनी किस प्रकार की भूमि प्राप्त हुई है और इस भूमि में अब तक किन किन को कितने कितने क्षेत्रफल के किस किस मूल्य पर भू-खण्डों का आंवटन हुआ है ? कृपया नाम, पता और विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(श्री भैरोंसिंह)

(3) इन समितियों के गठन तथा संचालन की क्या नियमावली है ? इस नियमावली के अनुसार किन किन समितियों के हिसाब का ऑडिट या निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के चुनाव की कार्यवाही हुई है और इस कार्य के कारण किन-किन समितियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(स्थगित किया गया)

सहकारी संस्थाओं को अनुदान

250. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा गत वर्ष में सहकारी संस्थाओं को अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो पांच हजार या इससे ऊपर की राशि किन किन सहकारी संस्थाओं को अनुदान के रूप में कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

(2) उपरोक्त अनुदान किस किस कार्य के लिए दिया गया और उनका उपयोग कबर करना था और कब कब किया गया ?

(3) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस कार्य के लिए उक्त संस्था को अनुदान दिया था उस कार्य के अलावा किन्हीं दूसरे कार्यों में उक्त रकम खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं में कब कब किस किस कार्य में ?

उत्तर

(1) जी हां। पांच हजार या इससे ऊपर की राशि जिन जिन सहकारी समितियों को वर्ष 1969-70 में अनुदान के रूप में दी गई है, की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) यह अनुदान जिस जिस कार्य के लिए दिया गया व उनका उपयोग जब जब करना था वह किया गया की सूचना सूची परिशिष्ट 'क' के कॉलम संख्या 4-5 एवं 6 में दी गई है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई मामला विभाग के नोटिस में अभी तक नहीं आया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ऊन उद्योग का विकास

251. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या काफी अधिक है ? अगर हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी भेड़ों की संख्या है ? भेड़ों की किस्मों के विकास के लिए एवं उनके चरने के स्थानों के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? भविष्य में इस बारे में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भेड़ व ऊन महकमें के बजट में बहुत कमी करदी है ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में ऊन काफी होती है ? अगर हां, तो उस उद्योग के विकास के लिए एवं भेड़ पालकों

Page No 38

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की भलाई के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ? यह योजना कब तक बनकर तैयार हो जावेगी और इससे भेड़ पालकों को कब तक फायदा मिल सकेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालौर में भेड़ व ऊन का बड़ा भारी स्कोप है ? अगर हां, तो इस उद्योग के विकास के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाए गये ? भविष्य में इसके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, भेड़ों की जिलेवार संख्या की तालिका संलग्न है । राज्य में कुल आठ प्रकार की नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं । भेड़ों के विकास एवं सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र तथा कुछ फार्म स्थापित किये गये हैं ऐसे केन्द्रों/फार्मों की सूची संलग्न कर दी गई है । इन केन्द्रों/फार्मों पर अच्छी नस्ल के मेंढे तैयार करने का काम किया जा रहा है साथ ही विदेशी भेड़ों से स्थानीय नस्लों की उन्नति करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है ।

राज्य में 124 प्रसार केन्द्र हैं जिनके माध्यम से भेड़ पालकों को अच्छी नस्ल की भेड़ें पालना उनकी देख रेख में नये उपाय काम में लेना इत्यादि की जानकारी दी जाती है ।

फार्म से उत्तम किस्म के मेंढे भी भेड़ पालकों को दिये जाते हैं ।

इन क्षेत्रों एवं फार्मों के बाहर भेड़ों के लिये चराई का प्रबन्ध करने का विभाग का कोई कार्य-क्रम नहीं है ।

इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

(2) राजस्थान सरकार ने सन् 1969-70 में जो 15% सामान्य कटौती समस्त राजकीय विभागों में की है वही इस विभाग पर भी लागू हुई है अन्यथा और कोई कटौती नहीं की गई है । इससे पहले की गई कटौतियों का विवरण अ० ता० प्र० संख्या 26 के उत्तर में (इन्हीं सदस्य को) मार्च 1969 में दिया जा चुका है (अवतरण संलग्न है)

(3) सरकार भेड़ों की नस्ल उन्नत करने के अनेक उपाय कर रही है जिसमें विदेशी भेड़ें मंगाने का काम भी सम्मिलित है । इसके साथ हो ऊन का उत्पादन बढ़े और भेड़ पालकों को ऊन के अच्छे दाम मिलें, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है । मशीन से ऊन कतरने का कार्यक्रम चल रहा है । राज्य में तीन ऊन ग्रेडिंग केन्द्र चल रहे हैं। भेड़ पालकों से सरकार सीधे ऊन खरीदती है और ग्रेडिंग कर नीलामी द्वारा बेच देती है इससे भेड़ पालक को ऊन का पूरा मूल्य मिल जाता है ।

(4) संलग्न तालिका से मालूम होगा कि जिले में भेड़ों की संख्या काफी है । जालौर में जिला भेड़ व ऊन अधिकारी का कार्यालय है और छः प्रसार केन्द्र हैं । भेड़ ऊन के विकास के लिये पूर्व वर्णित कार्यवाही जालौर जिले में भी की जा रही हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम सरदार गढ़ में भूमि पर कब्जा

252. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के ग्राम सरदार गढ़ के निकट के रायसिखों को जिन्होंने भूमि पर अनियमित रूप से अधिकार कर लिया था, ऐसी भूमि से बेदखल किए जाने की कार्यवाही पर राज्य सरकार द्वारा स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) जारी किया गया था ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले थे और उसमें कितनी भूमि आती थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब यह स्थगन आदेश हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों किसके द्वारा और कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न है।

(3) प्रत्येक मामले की सूचना सूची में दे दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अंगूर की खेती

253. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में अंगूरों की खेती कितने बीघा जमीन पर होती है और कहां कहां पर कितने-कितने बीघा में ?

(2) क्या यह सही है कि अंगूर की खेती के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज भी दिया है ? यदि हां, तो कुल कितना कर्ज किस किस को व कब दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में अंगूरों की खेती के अन्तर्गत 369 एकड़ क्षेत्र है। मुख्य जिले जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बूंदी और कोटा हैं।

(2) जी हां, । तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम मनोहर थाना में भूमि पर अतिक्रमण

254. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम मनोहर थाना में सूरजपोल दरवाजे के बाहर किसी को आइल मिल्स, काटन जिनिंग मिल्स आदि हैं और फैक्ट्री मालिक ने राजकीय रेवेन्यू विभाग की भूमि का पी. डब्ल्यू. डी. की भूमि का तथा पंचायत की भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त रेवेन्यू भूमि पर फैक्ट्री लगाने के पूर्व कोई स्वीकृति नहीं ली ? यदि ली, तो फैक्ट्री कब लगाई गई एवं स्वीकृति कब किस से ली गई ?

Page No 40

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सत्य है कि फैक्ट्री के मालिक ने एक अनुसूचित जाति (चमार) की जमीन भी खरीद की थी और वह जमीन भी उसी फैक्ट्री एरिया में शामिल है ?

(4) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति (चमार) की जमीन कोई सवर्ण नहीं खरीद सकता है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अनुसूचित जाति (चमार) की जमीन को खरीदने के उपरांत सेटलमेंट ऑफिस से उस अनुसूचित जाति (चमार) का नाम काटकर फैक्ट्री मालिक के नाम का पट्टा बना दिया गया है ?

(6) क्या उक्त अवैध अनुचित कार्यवाही के लिये ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को इसकी जांच के बाबत शिकायतें की हैं ?

उत्तर

(1) श्री ओमप्रकाश शंकरलाल पि० कन्हैया लाल महाजन की आयल मिल फैक्ट्री है। राजकीय रेवेन्यू विभाग की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. की 2 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण है।

(2) फैक्ट्री लगाने से पूर्व स्वीकृति ली गई थी। सन् 55 में जिलाधीश कार्यालय से स्वीकृति दी गई है। इसके बाद ही फैक्ट्री लगाई गई है।

(3) भू अभिलेख रेकार्ड में इस प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ है न कोई बैनामा ही पंजीयन हेतु पेश हुआ है। अपितु सेटलमेंट से जो रेकार्ड हाल ही में प्राप्त हुआ है। उसमें भूमि राध्या प्रभु चर्मकार की फैक्ट्री के मालिक के नाम दर्ज हो रही है।

(4) जी हां। नहीं खरीद सकता।

(5) जी हां। यह सत्य है कि खसरा नम्बर सेटलमेंट हाल 922 व साबिक नम्बर 513 की।) भूमि राध्या प्रभु चर्मकार से श्री ओमप्रकाश शंकरलाल महाजन के नाम पर पट्टा सेटलमेंट द्वारा बना दिया गया है।

(6) जी हां। यह भी सत्य है कि इस बारे में ग्राम पंचायत की ओर से सेटलमेंट विभाग राजस्थान जयपुर में कार्यवाही जेरकार है।

ग्राम धुमान्दा में भूमि पर नाजायज कब्जे

255. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धुमान्दा तहसील रतनगढ़, जिला चूरू में खसरा नं० 70 में श्री खरताराम नामक व्यक्ति ने तीन स्थानों पर बाड़े बनाकर नाजायज कब्जे किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन बाड़ों में से दो बाड़े नायब तहसीलदार रतनगढ़ ने मौके पर जाकर हटवा दिये थे ? यदि हां, तो कब और किसके हुक्म से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों स्थानों पर उक्त श्री खरताराम ने पुन: बाड़े बनाकर नाजायज कब्जे कर लिये हैं ? यदि हां, तो सरकार उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, दिनांक 29-7-69 को स्वयम् के आदेश से।

(3) जी हां, श्री खरताराम द्वारा नायब तहसीलदार रतनगढ़ के आदेश की अपील किये जाने पर दिनांक 15-9-69 को स्थगन आदेश प्राप्त होने एवम् किसान संघर्ष समिति के आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये लिखित आश्वासन के अनुसार बाड़े, कुण्ड एवम् आबादी के अवैध कब्जों के चल रहे केसेज में बेदखली आदेश में कार्यवाही स्टे रखे जाने के कारण, अब तक कार्यवाही स्थगित है।

गांधी शताब्दी वर्ष में भूमि का आवंटन

256. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़ गढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि गांधी शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वालों को भूमि देने का निर्णय किया था? यदि हां, तो इस घोषणा की पालना में चित्तौड़ गढ़ जिले में किस तहसील में कितनी कितनी भूमि आवन्टित की गई ?

(2) उक्त आवन्टित भूमि पर किस किस तहसील में कितने कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वालों को अभी तक कब्जे नहीं दिये गए हैं? और इसका कारण क्या रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में गांधीशताब्दी वर्ष में 11813 भूमि-हीन व्यक्तियों को 29174 एकड़ भूमि आवन्टित की गई। तहसील वाइज सूची संलग्न है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकांश व्यक्तियों को आवन्टित भूमि का कब्जा दिया चुका है तथापि वांछित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जगर बांध के कमान्ड एरिया की भूमि

257. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि हिन्डौन तहसील में जगर बांध को कमांड एरिया में काफी जमीन काबिले काश्त पड़ी हुई है? यदि हां, तो कितनी जमीन किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में है सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सच है कि जगर बांध की चारागाह भी कमान्ड एरिया में आने के कारण एलॉटमेंट करने के योग्य है?

(3) यदि हां, तो अब तक भूमिहीनों को उसको एलॉट क्यों नहीं किया गया और अब उसको एलॉटमेंट करने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(2) अभी यह मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

Page No 42

पान की खेती

258. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि लाखेरी में पान की काश्त वर्षों से की जाती रही है और उसका आवंटन आरजी तौर पर हुआ करता था ?

(2) क्या यह सत्य है कि हाल ही में कुछ व्यक्तियों को सहकारी आधार पर पान की काश्त के लिए जो जमीन खातेदारी पर आवन्टित की गई है ? यदि हां, तो किस नाम से दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि जो जमीन पान की काश्त के लिये दी गई थी उसमें अब ज्वार, तिल्ली और साग-सब्जी काश्त की जा रही है ?

(4) क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति वर्षों से पान की खेती करके अपने परिवारों का पालन किया करते थे वे अब उस जमीन से वंचित हो गये हैं ?

(5) क्या सरकार अब उन्हें वह भूमि वापस देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लाखेरी जिला बून्दी में पानों की खेती अस्थाई रूप से लम्बे अरसे से होती रही है।

(2) यह भूमि खातेदारी पर आवंटित नहीं की गई है बल्कि राज्य सरकार की आज्ञा सं० एफ 9 (143) राज/ख/67 दि० 28-11-67 के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटित की गई है। आवंटितियों की सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के आदेश में इस प्रकार का कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि भूमि केवल पान की खेती के लिये ही आवंटित की गई है और न राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 में ही इस प्रकार का प्रावधान है कि किसी विशेष प्रकार की खेती के लिये भूमि का आवंटन किया जाये। यह सत्य है कि आवंटित भूमि में ज्वार, तिल्ली और साग सब्जी की काश्त की जा रही है।

(4) यह सत्य नहीं है कि जो व्यक्ति वर्षों से पान की खेती करके अपने परिवारों का पालन किया करते थे वे अब उस जमीन से वंचित हो गये हैं क्योंकि भूमि प्रायः उन व्यक्तियों को ही आवंटित की गई है जो पूर्व में उस पर पान की खेती किया करते थे।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

कृषि कार्य हेतु भूमि का आवंटन

259. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि चालू वर्ष में सब-डिविजनल अधिकारी, डीडवाना ने कृषि कार्य हेतु भूमिहीनों को भूमि एलॉट की है? यदि हां, तो कब कब किन किन व्यक्तियों को

Page No 43

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कौन कौन सी भूमि कितनी कितनी दी गई? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त भूमि को एलाट करने के लिये सलाहकार समिति की बैठकें कब कब कहां कहां पर की गई ?

(3) भूमि को एलाट करने के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये थे उस भूमि का पूर्ण विवरण खसरा नम्बर रकबा किस्म जमीन लगान की सूची में ग्रामवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) जिन जिन व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्ति के लिए दिया था उन व्यक्तियों की सूची पंचायतवार प्रार्थना-पत्र देने की तारीख सहित व जिस भूमि के लिए प्रार्थना की गई थी पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त भूमि एलाट करने के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये उनसे पूर्व सारी कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) इस सम्बन्ध में बनाये गये नियम व प्रसारित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह भी सत्य है कि उक्त एलाटमेंट के सम्बन्ध में कई शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब कौन कौन सी शिकायतें और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(8) क्या उपरोक्त शिकायतों में से किसी की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) क्या उपरोक्त एलाटमेंट के समय सार्वजनिक उपयोग के लिये किन्हीं भूमियों को सुरक्षित किया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इसकी सूची काफी लम्बी है, जिसे विभाग में देखी जा सकती है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची काफी लंबी है, जिसे विभाग में देखी जा सकती है।

(4) सूची काफी लंबी है, जिसे विभाग में देखा जा सकता है।

(5) भूमि आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

(6) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 के तहत पूर्व में कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन किया जाता था। अब हाल ही में इस सम्बन्ध में नये नियम राज्य सरकार ने बना दिये हैं जो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 कहलाते हैं, जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण राजपत्र के भाग 4 (ग) में दिनांक 24-7-70 को प्रकाशित हो चुके हैं।

(राजस्व मन्त्री)

(7) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(8) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(9) जी हां, सार्वजनिक उपयोग के लिये जो भूमि सुरक्षित रखी गई है, जिसका विवरण भी उपरोक्त लम्बी सूची में ही दिया हुआ है, जिसे विभाग में देखा जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

दी रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस एक्ट

260. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलजाये गये और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कब से लागू है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? नियमानुसार क्या व्यवस्था अपेक्षित थी ?

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मार्च, 70 तक 18083 मामले निर्णित किये गये और 17714 परिवारों को लाभ हुआ है, कानून 15-5-58 से लागू है।

(2) ऐसे कर्जदारों की गणना सम्भव नहीं है।

(3) विभिन्न स्तर के 132 न्यायालयों को इस एक्ट के अन्तर्गत सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। नियमानुसार यही सम्भव है।

(4) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

भू-राजस्व से आमदनी

261. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की भू-राजस्व से जिलेवार कितनी आमदनी है ?

(2) भू-राजस्व विभाग पर कुल कितना खर्च होता है ? कृपया अलग अलग मद का ब्योरा सदन में रखें।

(3) राज्य में सरचार्ज से कुल कितनी आमदनी होती है ?

उत्तर

(1) राज्य को भू-राजस्व से होने वाली आय की राशि 853-90 लाख रुपये है। जिलेवार सूची (परिशिष्ठ-क) संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) वित्तीय वर्ष 69-70 में भू-राजस्व विभाग के मद 9 भू-राजस्व के प्रत्येक मद के व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट (ख) में दिया हुआ है। इसके अनुसार कुल व्यय की राशि 3,16,95,385) है।

(3) राज्य को सरचार्ज से होने वाली आय (मांग) रु० 78-07 लाख होती है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सीलिंग कानून और भूमि का वेचान

262. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में भूमि पर सीलिंग कानून बनने के बाद भूमि का बेचना बड़ी तादाद में हुआ है ? यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि का वेचान हुआ और उस वेची हुई भूमि की कुल कितनी कीमत है और सरकारी फीस कितनी जमा हुई है ?

(2) क्या सीलिंग कानून पास होने के बाद जो भूमि का बेचान हुआ है, वह सब रद्द किया जावेगा ? यदि हां, तो उसका असर कुल कितने काश्तकारों पर पड़ेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस वेचान से सरकार को कितनी रजिस्ट्रियों से कितनी आय हुई है ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

मौजा वूडसू में भूमि का आवंटन

263. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अपील नं० 10/62 जीवणराम वगैरह बनाम धनाराम वगैरह के दो फैसले दिनांक 14-7-65 व दिनांक 12-7-67 को कलैक्टर, नागौर ने जारी किये हैं ?

(2) जो भूमियां दिनांक 3-7-62 को मौजा वूडसू तहसील परबतसर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा जूसरिया की अलॉट की गई थी, वे भूमियां किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमियां किस किस खसरा नम्बर की अलॉट की गई थी एवं अब वे भूमियां किस किस व्यक्ति के कब्जा काश्त में किस किस कारण से है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जो भूमि दिनांक 3-7-62 को मौजा वूडसू तहसील परवतसर के केम्प पर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा जूसरिया को अलाट को गई थी उसकी सूची—(क) संलग्न है। अब ये भूमि जिस जिस व्यक्ति के कब्जे में है व किस किस कारण से हैं उसकी सूची (ख) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री सतीशचन्द्र

(श्री अध्यक्ष)

अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

(1) सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिका की पैरवी करने के सम्बन्ध में।

(2) सेलेक्शन ग्रेड आर० ए० एस० की पदोन्नति की जाकर आइ. ए. एस कोटा में लेने के सम्बन्ध में।

(3) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुई है।

इन स्थगन प्रस्तावों को विचाराधीन रखा गया है। इन पर यथाशीघ्र निर्णय लिये जाकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें भी प्राप्त हुई हैं। यह इस प्रकार हैं:—

(1) श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में भूमि एलाटमेण्ट में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री मनोहरसिंह मेहता ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के खटवाड़ा, सुरास गेंदलिया, बड़ा सवाईपुर आदि पंचायतों के हैडक्वार्टर्स पर दवाई व यातायात की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री मेगराज पंवार, श्री हीराभाई, श्री नत्थीसिंह ने राज्य में आये दिन कत्ल होजाने के समाचार मिलने, गुंडागर्दी बढ़ जाने तथा पुलिस के भ्रष्ट एवं निष्क्रिय हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अलावा कुछ विचाराधीन स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये हैं। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

(1) स्वर्गीय श्री विजयसिंह रावत की धर्म पत्नी को श्री रावत द्वारा समाज कल्याण विभाग की बैठक में भाग लेने के कारण किराया भत्ता आदि के भुगतान न करने के सम्बन्ध में श्री विजयसिंह मकराना द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत केराप रिजनल वाटर सप्लाई स्कीम में आने वाले गांवों के लोगों से रुपया वसूल कर उक्त राशि के गबन के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क व श्रीराम चन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) राजस्थान नहर की निरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी से रामपुरा माईनर की टेल

(श्री अध्यक्ष)

तक पानी नहीं जाने से काश्तकारों की 1200 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीराम चन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) ओल्ड एज पेन्शन के लिए नियमानुसार फार्म आदि भरने के सम्बन्ध में जिलाधीश अजमेर द्वारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करने के सम्बन्ध में श्री भगवानदास शास्त्री सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) भूतपूर्व केप्टीन श्री गोपाल शर्मा ग्राम सांगानेर एवं श्री सूबेदार रोहूराम ग्राम गणेशपुरा तहसील चाकसू की आवंटित भूमि को गोचर घोषित करने के सम्बन्ध में श्री मदन सिंह,सदस्य,विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(6) ग्राम पालड़ी पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में जल प्रदाय योजना के उद्घाटन के समय टंकी फट जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिघवीं, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य भी नहीं हैं जिनसे कि इनको अविलम्बनीय लोक महत्व का माना जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, लगभग पांच दिन हो गए। उस समय उस पर व्यवस्था दी गई थी कि अध्यक्ष महोदय इसके ऊपर विचार करके अपना निर्णय देंगे। उस स्थगन प्रस्ताव का संबंध था भीलवाड़ा के इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो अकाल राहत कार्य के काम सौंपे गये उनमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। उस सम्बन्ध में कलेक्टर ने जांच करके डवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट दी है और उस में पन्द्रह बीस लाख रुपये के दुरुपयोग के प्रमाण सहित उदाहरण दिये हैं। राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी और यह केस सीधे पुलिस को हैंड ओवर करने चाहिए थे। राज्य सरकार द्वारा वास्तव में ईमानदारी से इस मामले पर निर्णय करना है तो राज्य सरकार इस मामले को सी. बी. आई. की जांच करने के लिए सुपुर्द करती ताकि इस मामले का निराकरण हो जाता। इस सम्बन्ध में आपका कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दो विभागों से संबधित तथ्य हैं। इनमें से एक विभाग से तथ्य आ चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक ही विभाग है।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्ध उसका फेमिन से भी है, सिंचाई से भी है।

श्री भैरोंसिंह : एक का है।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था का सवाल नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी नियुक्त की गई है उसके विरोध में है……

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं······

श्री भैरोंसिंह : इसके विरोध में है। यह जो कमेटी नियुक्त की है यह कलेक्टर की रिपोर्ट को वाश आउट करने की गरज से की गई है वरना जो कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है वह निर्णय लेने के लिए इतनी पर्याप्त है···

श्री अध्यक्ष : मैं कल इस पर व्यवस्था दे दूंगा। इस स्थगन प्रस्ताव पर कल व्यवस्था दे दूंगा।

याचिका का उपस्थापन।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : रिजेक्टेड, जो अस्वीकार किये गये हैं स्थगन प्रस्ताव उन पर भाषण नहीं होगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उस पर नहीं है मैंने एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव नौ तारीख को दिया है फील्ड फायरिंग रेंज।

श्री अध्यक्ष : उस पर कल निर्णय दे दूंगा। फायरिंग का है। कल मैं उस पर निर्णय दे दूंगा। निर्णय कल जब आ रहा है तो प्रश्न कहां पैदा होता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : निर्णय लेने से पहले मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ··

श्री अध्यक्ष : ध्यान अभी आकर्षित नहीं करिये। जो कुछ भी है उसमें है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण ·····

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य !

श्री बालसिंह सोढ़ा : विषय है। राज्य सरकार····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह परम्परा नहीं है, न नियम है। और जब कल व्यवस्था दे रहा हूं तो ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न कहां आता है? कल होगा ध्यान आकर्षण।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय कल मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो वक्तव्य हुआ था और उस पर सदन के अन्दर जो वाद-विवाद हुआ था उसके अनुसार सदन की एक समिति बनाने का सवाल खड़ा हुआ था, औरांई कमाण्ड एरिया की जमीन के एलाटमेंट के सम्बन्ध में चर्चा के समय। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि यह केवल औरांई कमाण्ड एरिया की जमीन का गलत आवंटन ही नहीं, बल्कि पूरे कोलोनाइजेशन क्षेत्र के भूमि आवंटन की जांच करने का प्रश्न है। केवल मात्र यह औरांई एरिया का ही प्रश्न नहीं है। उस पर सदन की एक जांच समिति बनाने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना दे दूं। कल जैसा मैंने निवेदन किया था माननीय सदस्यों से कि आज पांच बजे माननीय सदस्यों में से, प्रमुख गुट, प्रमुख दलों के नेताओं को आमंत्रित करके इस समस्या के सम्बन्ध में विचार कर लिया जायगा। इस सम्बंध में सभी माननीय सदस्य पांच बजे मिलेंगे। मैं, जो कुछ हुआ है, उसकी सूचना इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को दे दूंगा। कल मीटिंग हो चुकी है, विचार हो चुका है।

Page No 49

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं उससे सम्बन्धित था, मुझे नहीं बुलाया गया।

श्री अध्यक्ष : फिर देख लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मैं मुख्य रूप से उससे सम्बन्धित था, मुझे सलाह मशविरे में शामिल नहीं किया गया। इस पर मुझे आपत्ति है। क्या निर्णय लिया गया ··

श्री अध्यक्ष : यह आपत्ति उसके बाद कर दीजिये। जो कुछ हुआ है उसका पहले स्पष्टीकरण करने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आठ दस रोज पहले का है श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा द्वारा बावड़ी पर नाजायज कब्जा करने के सम्बंध का। कल चेअर से यह रूलिंग दी गई थी कि आज निर्णय दे दिया जायगा। अब केवल एक दिन बाकी रह गया है। मैं आपकी स्थिति को बहुत एप्रीशियेट करता हूं। काफी कठिन निर्णय है करने के लिये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी स्पिरिट की प्रशंसा करता हूं। आपके लिये बहुत दुरूह कर्त्तव्य है, इसको आप निभा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो अपना कर्त्तव्य निभाया है।

श्री अध्यक्ष : मैं कल निभा दूंगा अपना कर्त्तव्य।

श्री विजयसिंह : यह निभा दीजियेगा, माननीय सदस्य को रोज बावड़ी याद आती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक स्थगन प्रस्ताव है, राजस्थान में जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई है····

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप ताज्जुब करेंगे, राजस्थान में नो सो कत्ल हुए हैं और उन में से एक तिहाई मुकद्दमों में सरकार की हार हुई है। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है···

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान में इस प्रकार से हर जिले में बड़ी तादाद में, खास तौर से गंगानगर जिले में एक साल में 99 कत्ल हुए और नो सो कत्ल गत वर्ष हुए, एक साल के अन्दर कत्लों की संख्या दुगुनी हो गई···

श्री अध्यक्ष : आर्य साहब !

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार से जो स्थिति राजस्थान में पैदा हो रही है, इसको आप अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं मानते····

श्री अध्यक्ष : नहीं माना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमें जनता महसूस करने लगी है कि आज लोगों की जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है···

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : इसे अस्वीकार किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसे अस्वीकार तो किया गया है लेकिन इसके तथ्यों की जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्य साहब !

श्री रामचन्द्र आर्य : और आयन्दा के लिए इस बात का आश्वासन दिया जाय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर चर्चा नहीं होगी इसको अस्वीकार किया गया है।

श्री विजयसिंह : जनता के आग्रह पर बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप किस पर चर्चा कराना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में बता दूंगा, जिस विषय पर होगी चर्चा वह।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह विषय बहुत गम्भीर है। आपने इस प्रश्न को टालने के लिए रिजेक्ट किया है। मैं इसको समझता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा आज लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : आये दिन लोगों का कत्ल किया जाय ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह नई व्यवस्था है ? माइक बन्द हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है, यह अंकित नहीं हो।

याचिका का उपस्थापन।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है, माइक बार बार बन्द हो जाय ...

श्री अध्यक्ष : कभी हो जाता होगा, गलत है।

श्री विजयसिंह : माइक बन्द हो जायगा तो हम भी कांच फोड़ देंगे दो मिनिट में कांच फूटते हैं ..

श्री अध्यक्ष : कांच तोड़ते हुए ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ ? अब हुआ है ब्रीच आफ प्रिविलेज। स्थान ग्रहण करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है, इस पर एक्शन लिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : (ट्रेजरी बैंचेज से) खयाल रखें। करोगे ? बैठे बैठे बोल गये। क्या करोगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन का संचालन करने का और इसको निर्देशन देने का, माननीय सदस्यों

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को बोलने या न बोलने देने का अधिकार आसन को है, आपको है। किसी सदस्य को अगर आप बोलने न दें, बैठायें या इन यंत्रों को काम न करने दें—इसका आदेश आपको देने का अधिकार है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पष्ट निर्देश हुए बिना बीच में यन्त्र बन्द कर दिया गया। जो ओथोरिटी आपमें निहित है, वह ओथोरिटी दूर किसी में निहित होती लगती है......

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर व्यवस्था हो जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे देता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वहां भी एक स्वीच है, उससे बन्द करवाते हैं। मैंने सवाल कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि जब अपरोर हो सदन में, इतना हल्ला गुल्ला जिसका कोई अर्थ नहीं, उस वक्त आसन का क्या कर्त्तव्य होता है....

श्री मदनसिंह : बटन दबाना।

श्री अध्यक्ष : एक कर्त्तव्य होता है, निवेदन कर दूं, बार बार निवेदन कर दूं उस पर भी अगर हल्ला बन्द नहीं हो तो आप स्वयं इसको सोच लीजिये। कहां नियन्त्रण करने का प्रश्न आयेगा। फिर भी मैं यह आदेश नहीं देना चाहता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप निर्देश देकर बन्द करा दें तो उसमें एतराज नहीं है।

श्री विजयसिंह : फिर कल को गला घोंट देंगे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न है, माननीय सदस्य निवेदन करने पर भी नियम के विरुद्ध बोलते हुए चले जायं। देखिये, मैं सहयोग की आकांक्षा करते हुए इतना झुकता चला हूं, इतना झुकता चला हूं कि अब कमर टेढ़ी हो गई है। इस स्थिति में.....

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : जबान घिस गई है।

श्री अध्यक्ष : क्या कर्त्तव्य है मेरा, क्या तरीका है मेरे पास...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : लाठी ठेलें। लाठी हम दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं मानते। मैं कहूं। अंकित नहीं किया जाय– माइक तो मैं चलने दूंगा, यह कहूंगा रुक जाइये, कृपया रुक जाइये, यह कहता रहूं, माननीय सदस्य बोलते रहें। सहयोग टू टायर सिस्टम है। दोनों टायर के सहयोग पर आधारित है। आप स्वयं समझिये।

श्री दौलतराम सारण : श्री टायर है, एक टायर खराब हो गया है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मान लीजिये। मैं कभी ज्यादा दखलअन्दाजी नहीं करता हूं...

श्री रामचन्द्र आर्य : आप माइक को बंद करवा दें तो भी भगवान की कृपा से मेरी आवाज बुलंद है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्याम सुन्दरजी वृन्दावन के संधारण एवं व्यवस्था सम्बन्धी विषय पर 4 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री आईदानसिंह : एक स्टेटमेंट आने वाला था मलेरिया के बारे में।

श्री पृथ्वीसिंह : वह सूचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सूचना देने के लिए कहा था ?

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है। पंचायत मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 19 तारीख को पंचायतों के चुनाव के बारे में वह घोषणा करेंगे लेकिन 19 के बजाय आज 20 हो गई है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया है। उनका उत्तर दिलाया जाय और मुख्य मंत्री विराजमान हैं, उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जैसा निवेदन किया जा चुका है, पंचायत विधेयक कल लिया जा रहा है क्योंकि बिजनेस में इसे ले रहे हैं तो विधेयक के साथ ही यह प्रश्न जुड़ा हुआ है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : विधेयक की बात अलग है, चुनाव की बात अलग है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कल ले लिया जायगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री आईदानसिंह : मंत्री महोदय, सूचना देने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : मलेरिया का प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जायगी, तो वह आज होगी या कल ?

श्री अध्यक्ष : मुझे पता नहीं है।

मलेरिया के फैलाव के सबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया की स्थिति को लेकर सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने जैसलमेर और बाड़मेर की स्थिति को लेकर...

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय के बोलने से पहले मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि आप बाहर गए हुए थे और आपके पोर्टफोलियोज एक नोटिफिकेशन के द्वारा मुख्य मंत्री को सुपुर्द किए गए थे। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसके द्वारा आपको इस विभाग का काम फिर सुपुर्द किया गया हो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी एबसेंस में यह किया था, वह खत्म हो गई।

श्री भैरोंसिंह : अब इश्यू होगा ? लीगल पोजीशन के अनुसार नोटीफिकेशन इश्यू हुआ या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ही इज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मंत्री कोई भी जवाब दे सकता है।

श्री भैरोंसिंह : या तो कहिए ही इज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोल्यो, फिर जबाब दें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विजयसिंह : आपकी तो इस सत्र तक छुट्टी मानली थी। फिर वापस प्रजेन्ट कैसे हो गए?

श्री भैरोंसिंह : अब मेडीकल मिनिस्टर की हैसियत से या मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोल्यो की हैसियत से बोल रहे हैं? हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे खयाल से नोटीफिकेशन में है कि टिल ही रिटर्न्स।

श्री अध्यक्ष : इन दी एबसेंस लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : लिखा है कि ये बाहर जा रहे हैं और बाहर रहने के समय मुख्य मंत्री चार्ज लेंगे।

श्री अध्यक्ष : वापस अन्दर आ गए हैं।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

आर्डर प्लीज। "बाई इम्पलीकेशन" आप जा रहे हैं। अब उपस्थित हो गए।

श्री भैरोंसिंह : हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि एज मेडिकल मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं या मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोल्यो जवाब दे रहे हैं? स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष (मुख्य मंत्री से): वापस नोमीनेट कर दें। वापस लिए गये है।

श्री भैरोंसिंह : मजाक की बात नहीं है। सीरियस बात है। मंत्री को अपनी हैसियत का पता नहीं कि मेडीकल मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोल्यो। बता दें क्या हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुख्य मंत्री बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं बता सकते?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास सूचना नहीं है कि मेरे बजाय किसको काम करने के लिए दिया गया था।

श्री भैरों सिंह : इनको यह भी मालूम नहीं कि मुख्य मंत्री ने इनको जाने के बाद हटा दिया या नहीं?

श्री अध्यक्ष : आज के लिए काफी हो गया।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेडीकल मिनिस्टर की हैसियत से?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पोर्टफोलियो वापस दे दिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी विभाग इनके पास थे वह वापस दिए गए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया की स्थिति को लेकर माननीय सदस्यों ने बाड़मेर और जैसलमेर की स्थिति

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के बारे में यह सवाल उठाया था लेकिन मैं आपकी अनुमति से यह सारी जो जिलेवार स्थिति है, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। जहां तक राजस्थान में मलेरिया के प्रकोप का ताल्लुक है, सारी स्थिति माननीय सदस्यों के सामने आ सके, भारत सरकार के सामने आ सके और इसमें क्योंकि कम्युनिकेबुल डिजीज का मामला है और गुजरात और मध्य प्रदेश में सारी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें सारी स्थिति का हम डट कर मुकाबला कर सकें और जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सके वह करें। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि राजस्थान की स्थिति के बारे में कैसे बीमारी की शुरुआत हुई, कैसे बन्द हुई थी और वापस कैसे चालू हो गई है और आगे किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या आवश्यक कदम हैं, उनके बारे में सदन के सामने मैं प्रकाश डालूं।

राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन का कार्य सन् 1959 से प्रारम्भ हुआ। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 17 इकाईयों में बांटा गया। सन् 1965 तक कार्य सुचारु रूप से चलता रहा एवं मलेरिया के रोगियों की संख्या में निरन्तर कमी आती रही जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:—

1961	8986
1962	3312
1963	3837
1964	3164
1965	2836

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में वर्ष में एक या दो बार आवश्यकतानुसार डी० डी० टी० छिड़काव करने का प्रावधान था। साथ ही समस्त ज्वर पीड़ित व्यक्तियों की जांच व उनमें पाये गये मलेरिया के रोगियों का विशिष्ट उपचार करने की व्यवस्था थी। किन्तु शहरी क्षेत्रों में एव प्रोजेक्ट्स वाले क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था काफी नहीं थी और इस योजना के अन्तर्गत मच्छरों के अण्डों को नष्ट करने का आर्थिक प्रावधान नहीं किया गया था। यह कार्य नगरपालिकाओं पर छोड़ दिया गया था। डी० डी० टी० एवं मलेरिया की दवाइयों आदि के लिये भी भारत सरकार पर पूर्ण रूप से निर्भर करना पड़ता था और अधिकतर इन दोनों ही वस्तुओं की सप्लाई राज्य के स्वास्थ्य विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं होती थी। इसके अलावा राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में आगमन के साधनों की कठिनाई के कारण प्रत्येक ज्वर पीड़ित व्यक्ति का पूर्ण उपचार समय समय पर पूरे प्रयत्नों के बावजूद संभव नहीं था।

उक्त कारणों से राज्य के शहरी एवं प्रोजेक्ट वाले क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप सन् 1966 से पुनः बढ़ गया। सन् 1967 में यह प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप सन् 1966 व सन् 1967 में मलेरिया रोगियों की संख्या क्रमशः 9680 एवं 24484 हो गई। राज्य सरकार के साथ ही साथ भारत सरकार ने भी स्थिति के पुनरावलोकन के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया। उक्त दल ने राज्य के चिकित्सा विभाग के प्रतिरोध के बावजूद भी, आर्थिक साधनों के सीमित होने का बहाना लेकर, यह निर्णय लिया कि राज्य

Page No 55

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के अधिकतर क्षेत्रों में डी०डी०टी का नियमित छिड़काव पुनः शुरू कर दिया जावे तथा बुखार के रोगियों का पता लगाने एवं उपचार करने के लिये नियुक्त कर्मचारियों में कमी कर दी जावे। चूंकि आर्थिक साधनों के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करना पड़ता, यह फैसला विवश होकर स्वीकार करना पड़ा एवं निम्न तालिका के अनुसार कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी। इससे 8 जिलों में सर्वेलेंस कार्य चालू रहा। बाकी मेन्टीनेन्स सैल में ले लिये गये।

कार्यकर्त्ता जो 1969 से पहले थे 2185, कटौती की गई 548 और कटौती के बाद 1601 रहते हैं। निरीक्षक 373 में से 111 की कटौती की गई, 262 रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप सन् 1969 में अधिकतर क्षेत्र में रोगियों का न तो समय पर पता ही लगाया जा सका और न उनके विशिष्ट उपचार की कोई व्यवस्था हो सकी। दूसरी ओर दुर्भाग्यवश गत दो वर्षों में राज्य को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा, अत: पानी की कमी के कारण योजनानुसार डी.डी.टी. का छिड़काव अधिकांश क्षेत्रों में पूरा नहीं हो पाया। खासतौर से जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में तो डी. डी. टी. का छिड़काव नगण्य ही रहा। अकाल के समय काफी संख्या में लोग राज्य के आस-पास के क्षेत्रों में जीविका उपार्जन एवं पशुओं की चराई आदि के लिये चले गये। सौभाग्यवश इस वर्ष वर्षा ठीक मात्रा में हो जाने के कारण अधिकतर लोग वापिस अपने क्षेत्रों में लौट आये। अकाल के बाद अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मलेरिया आदि रोग महामारी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। राजस्थान के अधिकांश जिलों में भी इस वर्ष अकाल के बाद अच्छी वर्षा के कारण मलेरिया की बीमारी में वृद्धि हुई है। इसीलिये भारत सरकार ने भी सिद्धान्त रूप में कटौती किये गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने का निर्णय एवं आर्थिक प्रावधान कर दिया है। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने दिनांक 21-10-70 से आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त कर्मचारी एक माह के अन्दर अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर 10 हजार आबादी के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध हो जावेंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5 से 7 हजार आबादी तक भी एक कार्यकर्ता उपलब्ध करने का प्रावधान कर दिया गया है।

कर्मचारियों के अभाव में रोग फैलाव आदि को रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से मलेरिया के रोगियों का विशिष्ट उपचार करने का प्रबन्ध किया हुआ है। सन् 1967 से सन् 1969 के अगस्त तक मलेरिया पीड़ितों की संख्या में कमी हुई थी। मगर गत साल अगस्त के बाद कार्यकर्ताओं में कमी होने से यह विस्फोटक स्थिति पैदा हुई है।

इस वर्ष मलेरिया बीमारी का प्रकोप पिछले कई वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक हुआ है। इस बीमारी का विशेष प्रभाव निम्नलिखित जिलों पर पड़ा....

जोधपुर, जालोर, (सांचोर तहसील खास तौर पर) बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा कोटा।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अब तक पूरे राजस्थान में करीब 15 लाख व्यक्तियों के, जो ज्वर से पीड़ित थे, रक्त की जांच की जा चुकी है। जिसके परिणामस्वरूप करीब 42 हजार लोग मलेरिया बीमारी से पीड़ित पाये गये हैं। कल तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिलों में स्थिति, इस विभाग की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित है:—

जिले का नाम	मलेरिया रोगियों की संख्या
1. जोधपुर	15,000 (अधिकांश शहरी क्षेत्रों में)
2. बाड़मेर	900
3. जैसलमेर	600
4. जालोर	1,364 (सांचोर 1329)
5. पाली	4,000
6. उदयपुर	3,000
7. चित्तौड़	3,000
8. बांसवाड़ा	1,800
9. डूंगरपुर	2,500
10. भीलवाड़ा	1,000
11. कोटा	777 (अधिकांश शहरी क्षेत्रों में)
12. गंगानगर	2,900

इन जिलों में दवाइयां पूरी उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख गोलियां जरूरत के मुताबिक जिलों में वितरित की गई है। 30,000 गोलियां और मिलने के आदेश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह भी स्वीकार कर लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य को दो सर्वाधिक मलेरिया ग्रसित शहरों में मच्छरों के अंडों को नष्ट करने के लिये कदम उठाये जाये जिसके लिये वित्तीय प्रावधान कर दिया जायेगा। इससे यह स्पष्ट है कि विभाग इस बीमारी के प्रकोप के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है व इसके रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि इस सारी स्थिति पर पूर्ण रूप से जल्दी ही नियंत्रण पा लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): गांवों में आम लोगों को बुखार चढ़ रहा है। मलेरिया की शिकायत है। उसके लिए पूरा बन्दोबस्त होना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आपने 20 लाख गोलियां बांटना बताया। मेरी जानकारी के अनुसार सप्ताह भर में तो गोलियां अभी कोई जालौर में भेजी नहीं। गोलियां के अभाव में हजारों की संख्या में लोग पीड़ित हैं और उपचार नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: क्या यह सही है?

श्री रघुनाथ विश्नोई: और भी बातें हैं। तहसील सांचोर में लूणी नदी में पानी आने की वजह से भयंकर तौर से लोग पीड़ित हैं डी० डी० टी० के लिये बताया कि वरकर्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए युनिट्स काम नहीं कर रहीं हैं। आपने जानकारी मंगायी- सबसे ज्यादा पीड़ित वहां से आये हैं। सक्रिय रूप से काम करें। काम धन्धा ठप्प हैं।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : कोटा जिले की ओर ध्यान दिलाऊँ । आप कहते हैं कि 20 लाख गोलियां दीं । छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू और बारां इन चार जगहों पर एक भी गोली अस्पताल में नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात् एक माननीय सदस्य ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि अकाल के बाद मलेरिया का प्रभाव आवश्यक रूप से होता है । आपको यह मालूम होना चाहिये कि दो वर्ष से अकाल का प्रकोप है तो मलेरिया आवश्यक रूप से आवेगा तो आपने पहले से ही प्रिवेन्टिव मेजर्स काम में क्यों नहीं लिये ? उसके बाद 21-10-70 से मलेरिया स्टाफ की नियुक्ति की बात कही । इतनी देर से क्यों की गई ? दूसरा, अस्पताल में बीमार अधिक थे, चाहे मलेरिया से पीड़ित थे, उनको यह कहा जाता था कि फ्लू हो गया, सर्दी लग गई और वैसा ही उपचार किया जाता था । डॉक्टरों को कहा कि मलेरिया का ट्रीटमेंट दीजिये फ्लू का नहीं । तो उन्होंने कहा कि मलेरिया को तो कन्ट्रोल कर दिया और यह घोषणा हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : आ ही नहीं सकता ।

श्री पृथ्वीसिंह : पहले जो डाक्टर प्रेक्टिस करते थे उनको जाकर कहा कि इनको मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जाय । उनको मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया और वह ठीक हो गये । 106 डिग्री बुखार था वः भी ठीक हो गया ।

श्री अध्यक्ष : आपका डाइग्नोसिस गलत होता तो मरीज तो चला जाता ।

श्री पृथ्वीसिंह : मेरा डाइग्नोसिस नहीं था । वर्षा हुई और पहले अकाल था इसलिए पुराने डाक्टरों को उसका ट्रीटमेन्ट मालूम है कि फ्लू का नहीं मलेरिया होता है और उसका ट्रीटमेन्ट दिया जाय । बीमार ठीक हो गये । होस्पिटल्स में दवाइयां कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हैं । इन्जेक्शन की शीशी की कीमत एक रुपया लगती है, दस रुपया ब्लैक में मिलता है । अपना शनाप ब्लैक चल रहा है उस पर विचार करना चाहिए और मलेरिया इन्जेक्शन अधिक से अधिक उपलब्ध कराना चाहिये ।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय बाहर विदेशों में होकर आये तो हैं लेकिन क्या कोई मलेरिया के लिये उपचार सीख कर आये हैं ?

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा के लिये बताया कि 1800 आदमियों को मलेरिया हुआ है । दानपुर पंचायत, जहां का मैं रहने वाला हूं, गोलियां बांटी कभी कभी । 436 की संख्या बतायी । सभी पंचायतों में मलेरिया के वर्क होते तो काफी केसेज ठीक होते । जहां थे भी तो वहां बराबर काम नहीं किया । आदमी काफी अलग अलग बिखरे हुए, काफी मर चुके हैं । अभी भी गोलियों की व्यवस्था की जाय । स्टाफ बढ़ाया जाय ताकि बीमारी से न मरे । न डिस्पेन्सरी है और न कुछ ।

Page No 58

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने करीब दो महीने पहले माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया रोग शुरु हो रहा है इसलिये इसकी रोकथाम के लिये पहले से प्रीकाशन लिये जायें। अब तक भी जैसी मुझे जानकारी है, अभी वहां न कोई डी० डी० टी० की व्यवस्था की गई है और न रोग के रोकथाम की ही व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने न तो सर्वेलेन्स वर्कर्स की व्यवस्था की है और न मलेरिया इन्स्पेक्टरों की व्यवस्था की है। दो महीने की डिले कर देने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और इसी कारण ज्यादा मलेरिया फैला है और इसी कारण बहुत सी डेथ्स हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग का यह प्रोपेगेण्डा कि हमने मलेरिया को बिल्कुल कन्ट्रोल कर दिया यह बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। इस प्रकार की यदि किसी ऐक्सपर्ट ने रिपोर्ट भी दी है तो वह गलत दी है इस बारे में जांच होनी चाहिये। इस प्रकार से जो एक्सपर्ट्स गलत इनफॉर्मेशन देते हैं इससे सरकार की पोजीशन ठीक नहीं रहती। मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिये और मलेरिया की रोकथाम के लिये पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार यह घोषणा की गई थी कि हमने मलेरिया को कन्ट्रोल कर दिया है पिछली साल इसका कन्ट्रोल हो गया था। माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इसके प्रीवेंशन के लिये डी. डी. टी. का इन्तजाम किया गया लेकिन सेन्ट्रल ऐड नहीं मिलने की वजह से यह स्कीम बन्द कर दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वह ऐड नहीं मिली तो क्या फिर इस स्कीम को चालू करने के लिये तैयार हैं? मलेरिया इरेडीकेशन की स्कीम आप लागू करना चाहते हैं?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं इस संबन्ध में दो ही शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मेरे दक्षिणी क्षेत्र के अन्दर मलेरिया एक आम चीज है। मैं सरकार को क्या निवेदन करूं सरकार स्वयं भी अनुभव करती है प्रीवेन्शन इज बेटर देन क्योर। प्रीवेन्टिव मेजर्स अपनाये जा रहे हैं वे नाकाफी हैं। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगा मेरे क्षेत्र में आदिवासियों की बस्तियां हैं। अपोष्टिक खाद्य पदार्थ मिलने के कारण उनका पावर रेसिस्टेन्स कम हो गया है। इस तरह शरीर निर्बल हो जाने के कारण मलेरिया एकदम पकड़ लेता है। इससे उनको पावर ऑफ रेसिस्टेन्स की कमी के कारण काफी तकलीफें भोगनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां दवाइयों की व्यवस्था ठीक नहीं है। यह जनहित का प्रश्न है इन्जेक्शन मिलते नहीं इनके अन्दर कालाबाजारी है। यह जो आरोप लगाया गया है सही है मैं व्यक्तिगत तौर पर भी यह जानता हूं कि एक रुपये के इन्जेक्शन के दस बारह रुपये लिये जाते हैं। डी. डी. टी. की अपर्याप्त व्यवस्था है यह तो माननीय मंत्री महोदय भी अनुभव करेंगे। आज जिस प्रकार की ह्यूमन फीलिंग चल रही है देश के अन्दर सेन्स ऑफ पेट्रोटिज्म की रेस्पोन्सिबिलिटी धीरे धीरे समाप्त होती सी नजर आ रही है, आज दुर्भाग्यवश स्वार्थपरता

(श्री लक्ष्मणसिंह)

की पराकाष्ठा हो रही है मैं आपको उदाहरण दूं मुझे भी सरकारी डाक्टर से बातचीत के दौरान अनुभव हुआ डॉक्टर यह मानते हुए भी कि यह मलेरिया का केस है लेकिन वे उसको मलेरिया कहते नहीं हैं वे इसलिये कहना नहीं चाहते कि मलेरिया का इरेडिकेशन हो गया है। इसका मतलब वे यह लेते हैं कि मलेरिया हमेशा के लिये समाप्त हो गया है। यह कैसे संभव है वे अपनी असफलता को मानना नहीं चाहते। जब उसी रोगी को प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के पास ले जाते हैं और मलेरिया की चिकित्सा करवाते हैं तो वह ठीक हो जाता है। सरकार ने जो दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है वह सन्तोषप्रद नहीं है, जो व्यवस्था है खेदजनक है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): माननीय मंत्री महोदय ने मलेरिया रोकथाम के लिये जो स्कीम्स बतायी है उसके बारे में स्पष्ट जानना चाहता हूं अभी तक डी. डी. टी. छिड़कने की दृष्टि से म्युनिसिपल एरिया जो नेग्लेक्टेड था उसके लिये कोई स्कीम बनायी है क्या ?

आपने जो फिगर्स बताये हैं वे किस आधार पर लिये गये हैं क्या डिस्पेन्सरीज में जो केसेज आये उसके आधार पर या इस बारे में सर्वे किया गया है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कोटा के अन्दर कोई भी आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसके अन्दर कोई न कोई व्यक्ति इससे पीड़ित न हो। डॉक्टरों का डाइगनोसिस होता कुछ है लेकिन वास्तव में वह मलेरिया होता है।

इसके अलावा आपका डी. डी. टी. मोस्ट इनइफेक्टिव हो गया है क्या उसकी जगह कोई अन्य पावर फुल स्प्रे आपने सब्स्टीट्यूट किया है ? इसके लिये म्युनिसिपल एरिया के लिये कितना प्रोवीजन किया है ?

जहां तक गोलियों का सवाल है उसका प्रबन्ध तो आपने किया है उससे अधिक आवश्यकता है इस रोग के रोकथाम की। सर्दी के मौसम के साथ साथ यह मलेरिया बढ़ता जा रहा है। इसके लिये जहां टेब्लेट्स गरीबों को मुफ्त में या नाम मात्र की कीमत पर मिल सके इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये और डी. डी. टी. के छिड़काव का प्रबन्ध कर इसको रोकथाम कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में मलेरिया का प्रकोप काफी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। जिन जगहों के नाम मंत्रीजी ने बताये हैं उन्हीं जगहों पर ही नहीं विशेष तौर पर राजस्थान के उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां पर अकाल से लोग पीड़ित थे। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा देहाती क्षेत्रों में यह अधिक है। ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में आपको सूचना तक नहीं वहां यह महामारी भयंकर है वहां न कोई डॉक्टर्स जाते हैं और न वहां जाने की स्थिति में है। वहां पर लोग इस मलेरिया से बड़ी संख्या में मरे हैं और मर रहे हैं।

(एक माननीय सदस्य द्वारा गर्दन हिलाने पर)

आपके गर्दन हिला देने से प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो सही स्थिति है वह कभी

Page No 60

(श्री दौलतराम सारण)

गलत नहीं हो सकती वहां पर फटाफट लोग मलेरिया से मरते हैं। वे आपकी लिस्ट में नहीं हो सकते लेकिन सही स्थिति यह है कि गांवों में इस मलेरिया से काफी लोग मरे हैं।

दूसरी बात डी० डी० टी० की कही है जैसा कि मेडिकल विभाग वाले कहते हैं कि मलेरिया के मच्छर मरते नहीं हैं। वे इसके अभ्यस्त हो गये हैं। मच्छर अभ्यस्त हो गये हैं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे पास जो एम० एल० ए० क्वार्टर है बी-1 उसमें विधान सभा होने से पूर्व दो बार डी० डी० टी० का स्प्रे किया गया है। उसके बाद इतने अधिक मच्छर हो गये हैं कि उतने पहले भी नहीं थे। पहले से बीस तीस गुना मच्छर हो गये हैं। सिवाय अन्धेरा रखकर उसमें बैठने के और कोई उपाय नहीं है मैं जब वहां शाम को जाता हूं अपने अंगोछे से मच्छरों को बाहर निकालता हूं इस तरह से डी. डी. टी० छिड़कने के बाद बहुतायत से मच्छर पैदा होने के क्या कारण हैं ?

इसलिये आप इस मामले में मालूम करें। एक्सपर्ट्स से मालूम करिये और इसकी जांच करवाइये कि यह वास्तव में डी० डी० टी० है या चूने का घोल है। इससे मच्छर मरते नहीं हैं ज्यादा पैदा हो जाते हैं। यह हकीकत सही है। आपको भरोसा नहीं है तो एम० एल० ए० क्वार्टर में चलकर मेरे साथ देख लीजिये। मैं बता सकता हूं। यह मेरा ही अनुभव नहीं है सभी माननीय सदस्यों का है।

श्री विरदाराम (जालौर-सु०) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा 30 लाख गोलियां भेजी गई हैं लेकिन आज तक पहुंची नहीं है। मैं अर्ज कर दूं अध्यक्ष जी देहात में दो साल से अकाल था, अकाल की वजह से इस साल तो भगवान ने कृपा की फसल पर तो अकाल में ज्यादा बीमार पड़ने से क्योंकि मजदूर नहीं मिलते हैं। आपने इन्सपेक्टर मलेरिया के भेजे हैं लेकिन मैं तो एक भी इन्सपेक्टर को किसी काश्तकार के यहां और देहात में नहीं घूमते देखता। मेरा निवेदन है कि गरीब आदमी दूसरी जगह इलाज नहीं करवा सकता है। कोई आपकी गोली गांवों में दिखाई नहीं देती है। गरीबों के लिये अस्पताल का इलाज महंगा है। गांव वाले इलाज नहीं करवा सकते हैं, गरीब को इलाज मिलता नहीं है, गरीब बहुत दुखी है सरकार को बन्दोबस्त करना चाहिये। इसको सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाकर करें।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है राज्य सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है और वह स्टेटमेंट इस सबजेक्ट के ऊपर जहां तक है उससे मैं सहमत हूं। बहुत कम स्टेटमेंट ऐसे हुये हैं जिसमें इतना ज्यादा प्रकाश डाला हो। इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा आपने जो कुछ किया है, वह तो ठीक है लेकिन खास तौर से मेरा निवेदन है कि प्रिवेन्टिव मेजर्स जो आप लेना चाहते हैं उसके कदम पहले उठायें ताकि आगे बढ़ने से यह रुक जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सोढ़ा।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैने पहले एक पत्र दिया था, उसकी तरफ

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि जैसलमेर और बाड़मेर में मलेरिया व्यापक रूप से फैल रहा है। माननीय मंत्री महोदय माने या न माने परन्तु उस पत्र की प्रतिलिपि मैंने पत्रकारों को भी दी थी। उन्होंने प्रकाशित कराया होगा। हजारों की तादाद में लोग जैसलमेर और पोकरन जिले में मलेरिया से प्रभावित हुये हैं। अस्पताल में एक गोली भी मलेरिया की उपलब्ध नहीं है। सैकड़ों की संख्या में इस मलेरिया से मृत्यु हुई हैं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

बिरदीचन्दजी कह रहे हैं। 9 मरे हैं इनके पास आंकडे हैं हो सकता है इनके पास सरकार के दिये हुये आंकड़े हों किन्तु मेरा मानना यह है कि अधिक संख्या में मृत्यु हुई है। अगर कोई चेलेन्ज करता है तो जांच करवाले। मलेरिया से खेती में नुकसान हुआ है। सरकार स्टेटमेंट देकर सफाई पेश करना चाहती है परन्तु राज्य सरकार की गलत नीति के कारण हजारों लोग प्रभावित हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा, माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढा : इसलिये राज्य सरकार को जो प्रिवेन्टिव मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिये। मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जैसलमेर और बाड़मेर के लिए एक विशेष योजना तैयार कर रहे हैं परन्तु उस स्टेटमेंट से अभी तक कोई योजना नहीं आ रही है। जो आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुर, जोधपुर) **:** अभी माननीय पृथ्वीसिंहजी ने कहा था डॉक्टर लोगों को ...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न ही पूछियेगा, आपके इलाके के जो प्रश्न हैं वह पूछ लें।

श्री ओमदत्त भाटी: मेरा निवेदन करना यह है कि डाक्टर का मलेरिया डाइग्नोसिस खून का SRDE देखे बगैर पर्याप्त नहीं होता है। मैंने तो यह कहा था कि जहां मच्छर नहीं हैं वहां मलेरिया नहीं है। सब जगह मलेरिया हो, ऐसी बात नहीं है। मलेरिया तो एनोफिलीज मच्छर से होता है। जहां गन्दगी है, म्युनिसिपेलिटीज सफाई नहीं करती है, कहीं गन्दी नालियां होती हैं तो कहीं गटर का पानी बहता रहता है इस कारण ...

श्री अध्यक्ष: वह मच्छर कैसे पहिचाना जा सकता है ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री ओमदत्त भाटी : मच्छर पैदा होने व मलेरिया ज्यादा होने की वजह से मौतें हुई हैं। अकाल की वजह से लोग कमजोर हो गये और इस कारण उन पर मलेरिया का जल्दी प्रभाव हो जाता है। शहरों में पानी ज्यादा होने के कारण गटरों में, नालियों में और गन्दी जगहों में जहां पानी रुकता है वहां जल्दी से जल्दी गंदा पानी हटाने का इन्तजाम किया जाना चाहिए और प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये जाने चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : सब माननीय सदस्यों ने कहा है।

श्री ओमदत्त भाटी : डी० डी० टी० छिड़का देना चाहिये। मैंने मेरे मकान में कभी देखा नहीं म्युनिसिपैलिटी ने डी.डी.टी. छिड़का हो। सबसे पहले गन्दगी को दूर करना जरूरी है। दूसरी बात, मलेरिया के लिये क्लोरोकुइन, कमाक्विन, नेवाक्विन, रिसोचिन की गोलियां बराबर देते रहना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव था डाक्टर नहीं रखें लेकिन कम्पाउन्डर जगह जगह लगा दें। वे गोलियां खूब देवें-इसके साथ ऐस्प्रीरिन, एन्ट्रोवायाफार्म इत्यादि भी रखें। गोलियां पर्याप्त मात्रा में दें। क्लोरो-कुइन पहले दिन चार गोली, दूसरे दिन चार गोली ऐसा करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह अनुभव करता हूं। मैं गत वर्ष भी अनुभव करता था। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूं नेशनल कौन्सिल आफ हैल्थ की मीटिंग थी और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना में राजस्थान के 30 लाख रुपये काट दिये थे यह समझकर कि यह मलेरिया का प्रकोप समाप्त हो गया है। ज्योंही कटौती की उससे ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है इसलिए यह जरूरी है कि हम इनके वेतनों को कम नहीं करें लेकिन उस वक्त भारत सरकार की दृष्टि यही रही। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स की राय हो लेकिन मैं इस राय से सहमत नहीं था। मलेरिया उन्मूलन के लिये प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं और वे गांवों में काम करते थे। शहरों में मेजर स्टेप्स नहीं लिये गये। काफी खर्चा किया गया और डी. डी. टी. पर खर्च किया।

इस कारण से और जैसा मैंने कहा कि वर्कर्स की कमी हो जाने की वजह से जितने मेजर्स लिये जाने चाहिये थे उतने नहीं लिये जा सके और यह महसूस किया जाता था कि मलेरिया बहुत कम हो चुका है लेकिन स्थिति जैसा माननीय सदस्य महसूस करते हैं वैसे ही मैं भी महसूस करता हूं वह स्थिति सामने आई और इसलिए भारत सरकार को यह मन्जूर करना पड़ा कि वास्तव में स्थिति गम्भीर हो जायेगी इसलिए हमको उन्होंने फिर सारा का सारा स्टाफ मन्जूर किया, दवाइयां भी उसी कदर मन्जूर की हैं और जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि म्युनिसिपैलिटी की गंदगी की वजह से मलेरिया हुआ है तो इस बारे में कोटा और जोधपुर दोनों जगहों के लिए एन्टी-मलेरिया स्टेप लेने की मन्जूरी देदी है। यह चूंकि नेशनल प्रोग्राम है इसलिए जितना भी खर्चा होता है वह भारत सरकार ने पहले जितने वर्कर्स थे और जो-जो उपक्रम थे वह सारे के सारे हमको वापिस स्वीकृत किये हैं और उसके आधार पर सब जगह मलेरिया के वर्कर्स को स्थापित किया जायेगा और उसके मुताबिक दस हजार की आबादी के ऊपर एक वर्कर होगा। लेकिन मौजूदा सूरत में गोलियां नहीं पहुंची ऐसा बताया है। मेरे पास सूचना है कि प्रथम सप्ताह में गोलियां भेजीं ....

श्री रघुनाथ विश्नोई: असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ले गये। जोधपुर में वितरण कब की यह बता दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे जैसी सूचना दी गई है a team of 13 persons with one lakh tablets has been sent to Jalore.

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो खतम हो गयीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अधिक की जरूरत है तो मैं खुद कल तक विधान सभा समाप्त हो रही है उसके बाद जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी कुछ पता नहीं। आप प्रारम्भ रखिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसी सत्र के बाद मैं खुद दौरा करके इस बात का प्रयत्न करूंगा कि हम खुद घूमकर सब जगह चैक अप करें और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह पायेगी और गोलियों का वितरण किया जायेगा। डी. डी. टी. के छिड़काव के लिए हमारे पास प्रश्न आया। अभी काश्तकारी का पीरियड होने की वजह से काश्तकार अपने कामों में लगे हुए हैं, आदमियों की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो रही है इसलिए थोड़ी व्यवस्था में कमी है। जहां आदमी मिले हैं वहां कर रहे हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहां काश्तकारी का पीरियड नहीं है...

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में भी कह रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां तुरन्त उनको एम्प्लाय करके फिर डी० डी० टी० का स्प्रे करा दिया जायेगा।

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से हम कम्पलीटली इस महीने के अन्दर कर पायेंगे और आगे मलेरिया किसी तरह से नहीं बढ़े, इसका प्रकोप आगे नहीं बढ़े क्योंकि इसको तो सारा राष्ट्र मान चुका है कि मलेरिया से कितनी हानि होती है।

(1-15 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

तो यह जरूरी है माननीय चेयरमैन महोदय कि इसको गम्भीरता से अनुभव करके काम करे और मेरे भी नोटिस में आया है कि डाक्टरों ने कह दिया है कि यहां मलेरिया नहीं है और एक्चुअली बात यह थी कि नेवाक्वीन के इन्जेक्शन्स हमारे पास नहीं थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहा कि आदमी नहीं मिलते तो कन्हैयालालजी और ऐसे फालतू उप-मंत्री बना रखे हैं इनको लगा दो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप तो बैठ जायें। आप इस बात को भी गम्भीरता से नहीं लेते।

श्री रामचन्द्र आर्य : गम्भीरता से तो लेते हैं लेकिन यहां करना कराना क्या है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी हालत तो उस तरह से है कि आप तो आंखें रहते हुए भी अंधे रहते हो, मदहोश रहते हो।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी हम कार्यवाही करेंगे और मैं फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर चाहे कितना भी कहें कि मलेरिया पूरी तरह से इरेडिकेट हो जायेगा आज भी यह हालत है दौलतराम जी ने कहा कि डी० डी० टी० प्रूफ हो गये हैं और वह मरते नहीं हैं इसलिए यह जरूरी है कि बड़े पैमाने पर जहां इस प्रकार की स्थिति हो वहां पर अंडों को ही खत्म कर दिया जाये और जोधपुर में जो स्थिति पैदा हुई है मेरे सामने कल आया कि सूरसागर में और अन्य खानें हैं वहां कैसे डी० डी० टी० छिड़कवा सकते हैं तो उसके लिए भारत सरकार सोच रही है कि एरोप्लेन के जरिये जैसे दूसरी दवाओं का छिड़काव खेती के लिए होता है तो जहां इतना सारा पानी इकट्ठा होने के स्थान हैं उनका भी प्रयोग करके इसको खत्म करने की बात है।

श्री हीराभाई : दस हजार की आबादी वाली बात कही है और देहात के लिए कुछ भी नहीं कहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : देहात में एक वर्कर मिलता है। पहले भी एक ही था। तो एक पंचायत समिति में अपने पास आठ-नौ वर्कर्स हो जायेंगे मलेरिया वर्कर हो जायेगा, बेसिक हैल्थ वर्कर भी हो जायेगा, प्राईमरी हैल्थ सेन्टर के भी प्राईमरी हैल्थ इन्सपेक्टर होंगे तो हम कोप-अप कर लेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन लोगों को इस काम पर से पहले हटाया गया है उनको वापिस रखा जायेगा इसके बारे में क्या कहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनकी लिस्ट इकट्ठी करके और तलाश करके जिनको निकाला गया है इसलिए पहले उनको ही स्थान दिया जाये अगर वह नहीं आते हैं तो दूसरों को स्थान दिया जाये।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 45 व 26 पर निम्नांकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) :

मांग सं० 45

1. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल के प्रति गलत नीतियों के बारे में नीति का अनुमोदन)।

2. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक था राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि० में मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के कारण व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

3. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा लिए हुए ऋण के खर्चे की नीति का अनुमोदन)।

मांग सं० 26

4. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

मांग सं० 45

5. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था राज्य/संघी क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शुगर मिलों को दिये जाने वाले अग्रिम के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

6. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुजरात राज्य से प्राप्त किये जाने वाले मुआवजे में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल में जमा मिट्टी को हटाने में हुए धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद रावी, व्यास व सतलज नदियों के पानी का उचित मात्रा में प्राप्त नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

मांग संख्या 45

9. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि० में नई व पुरानी मशीनों की खरीद में अधिक भुगतान के बारे में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि० द्वारा वर्ष 69-70 में गन्ने की खरीद में घोटाला व भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि० में नियुक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):

12. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कम कर दिया जाय (पंचायत समिति शाहपुरा में हुए खर्चे में अव्यवस्था हुई है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 26

13. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा किये जा रहे सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में संतोष नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

मांग सं० 45

14. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांग में उल्लिखित संस्थाओं को दिये गये ऋणों की समय पर वसूली नहीं होने व ऋणों का संस्थाओं द्वारा सदुपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांग में उल्लिखित संस्थाओं को ऋण देने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 26

16. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल में जमा मिट्टी को हटाकर इस समस्या का स्थायी हल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कड़ाणा बांध की स्कीम को बनाते समय इसकी ऊंचाई के सम्बन्ध में सही तथ्य सामने नहीं रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावी, व्यास एवं सतलज नदियों में मिलने वाला राज्य के हिस्से का पूरा पानी नहीं ले सकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 45

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

19. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स में धन का खुला दुरुपयोग भ्रष्टाचार, प्रशासन में फैल रही धांधली आदि पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर सुधार न्यास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीति, राजनैतिक आधार पर अध्यक्ष

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की नियम विरुद्ध नियुक्ति व चल रही धांधली आदि पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा पंचायत समिति में चल रहे भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग एवं कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई गलत नीति आदि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

22. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में कार्य कर रहे अधीक्षक अभियन्ताओं द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार; पक्षपात व कर्त्तव्यहीन कार्यवाहियों तथा अनावश्यक नियुक्तियों पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बांध के निर्माण स्वरूप डूब में आने वाली भूमि व सम्पत्ति का गुजरात राज्य से मुआवजा प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बरती जा रही धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल क्षेत्र में अनाधिकृत फसलों को काटने व बेचने के सम्बन्ध में हो रहा भ्रष्टाचार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग कैनाल विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यवाही के साथ बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

26. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शेखावटी में भी राजस्थान कैनाल का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

27. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले तक पहुंचाने की योजना क्रियान्वित न करने से उक्त क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर को पूर्ण करने में उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

29. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री हंसराज आर्य)

(क्योंकि भाखरा और गंग कैनाल की नहरों में पानी का बंटवारा पक्षपात-पूर्ण है तथा प्रोजेक्टों की नहरों की मिट्टी निकालने तथा लाईनिंग के लिए स्वीकृत राशियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

30. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हिस्से का पानी 1 अप्रेल 1970 से पाकिस्तान में जाने व अपने हिस्से का पानी लेने में राजस्थान सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच के पक्का नहीं किये जाने तथा मिट्टी साफ नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ब्रांचों की टेल तक पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचलन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल के फालतू पानी को लिफ्ट करके नहर के दक्षिण की तरफ निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाणा बांध की डूब में आने वाले काश्तकारों को गुजरात सरकार से भूमि दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की 116 RD से खेदासरी माइनर निकालने की योजना को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावतसर ब्रांच से तहसील नोहर में एक लिफ्ट योजना का निर्माण कार्य आज तक चालू नहीं हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के टेलों तक पानी नहीं पहुंचता, इस पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल की लालगढ़ व समेजा शाखा को बारहमासी करने की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी लेकिन आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है इस पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक सदस्यीय कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

39. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल में गत वर्ष कपास में 80% खराब हो जाने पर भी आज तक काश्तकारों को छूट व हरजाना नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल से पंजाब में रतनगर के पास मुख्य नहर में कट करने से काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर):

41. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर निर्माण कार्य में विलम्ब व भ्रष्टाचार के सम्बन्धों में चर्चा के लिये)।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चितौड़गढ़):

42. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में नये निर्माणवृत कार्यालय स्थापित किये जाने के उपरान्त भी ओराई बांध केनाल की मरम्मत करने तथा बोरदा तूमडिया बांध के पानी की सप्लाई उचित न होवे पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

43. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांग में उल्लिखित बांध व नहरों से नहरी पानी वितरण में विभाग द्वारा समाजवादी कार्यवाहियां न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 45 पर विचार

श्री सभापति: श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक था/संघीय क्षेत्र में सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम रकम देने के सिलसिले में है।

सरकार ने इसके जरिये केशोरायपाटन सहकारी समिति के लिए 5 लाख रुपये की मांग की है और 3।। लाख की मांग की हैं आई० एफ० सी० के ब्याज को चुकाने के लिए। जो 5 लाख की मांग की गई है वह जो गन्ना उत्पादन करने वाले काश्तकार हैं उनको अग्रिम राशि देने के सिलसिले में है।

सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों को पैसा फैक्टरी द्वारा अग्रिम रुपया दिया जा चुका है और जिन्होंने गन्ना पैदा किया, फैक्ट्री खराब हो जाने के कारण, ठप्प हो जाने के कारण वह गन्ना बरबाद हो गया और उस गन्ने को काश्तकारों को कम कीमत में खाण्डसारी फैक्टरी को बेचना पड़ा इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो रुपये की

(श्री केसरी सिंह हाडा)

मांग की है यह इनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह इसके योग्य नहीं हैं कि जो रकम इनको दी जा रही है उसको सुचारू रूप से यह खर्च कर सकें।

सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो सहकारी शक्कर फैक्टरी बूंदी में 1968 में स्थापित की गई उसकी क्षमता 1250 टन रोज पिलाई करने की थी और 29 फरवरी, 1970 को श्री चाव्हान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

सहकारी फैक्टरी का पूंजीकरण 15-11-65 को हुआ और उसका काम सन् 1968 में हुआ। इसके दो तीन साल बाद उसका काम शुरू हुआ। इसमें भी बड़ा रहस्य है। इसका राजनैतिक कारण हो सकता है जिसके कारण इस काम को देरी से शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त इस फैक्टरी के शेयर होल्डर, गन्ना उत्पादक 5068 काश्तकार मेम्बर हैं। इसके फलस्वरूप 16 लाख 34 हजार रुपया इकट्ठा किया गया। और राज्य सरकार ने 35 लाख रुपये के शेयर खरीदे।

सभापति महोदय आप आश्चर्य करेंगे जिन काश्तकारों ने इतनी रकम इसमें डाल दी उन्होंने यह सोचा था कि यह शुगर फैक्टरी चलाये जाने से उनके गन्ने की खपत भी होगी और उनको फायदा मिलेगा। फायदा होना तो दूर रहा, उनको रकम का ब्याज भी नहीं मिला। फैक्टरी ने जो गन्ना लिया उसकी रकम भी न चुक सकी। इसका यह राजनैतिक रहस्य है कि बूंदी में जो सहकारी बैंक थी, उसमें श्री गिरिराज किशोर दत्ता थे। वह पहले कांग्रेस में थे। उसके बाद 65 में वह कांग्रेस से हट गये। इससे उनको वहां से भी हटा दिया गया। दूसरे श्री रंगराज अग्रवाल जो सहकारी बैंक के मैनेजर चुने गये। वह किसी प्रकार सहकारी समिति के मेम्बर बनाये गये। वह विचित्र कहानी है वह अग्रवाल हैं जाति से महाजन हैं। उनको जबरदस्ती किसी प्रकार चुनकर सहकारी समिति का मेम्बर बनाकर उनको बैंक का मेम्बर बनाया गया।

सभापति महोदय, जी० के० दत्ता को रखा गया उसके बाद ब्रह्मदत्त शर्मा को रखा गया। हमारे यहां के बृजसुन्दर शर्मा मन्त्री महोदय और प्रमुख जिला परिषद् टेलीफोन पर नियुक्तियां करते हैं। यह सारी नियुक्तियां अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से की गईं। ऐसी ऐसी नियुक्तियाँ की गईं जिनके कारण उसके अन्दर मनमुटाव हो गया और उसके कारण यह फैक्टरी ठप्प पड़ी है। आज भी यह ठप्प पड़ी है। और मैं समझ नहीं सकता, यह 5 लाख रुपये का ऋण लिया गया, गन्ने में लगाया गया और सारी रकम को बरबाद कर दिया गया। आखिर जो रकम ली जायेगी वह काश्तकारों को चुकायेंगे। वह काश्तकार किस प्रकार से गन्ने को खपायेगा। इसीलिए मैं निवेदन करूं सहकारी समितियों में जितने घोटाले हुये हैं, वह आपको विदित हैं और सदन को मालूम है। यही निगम में हुआ है। किशनगढ़ में कई घोटाले हुये हैं। वह सदन को मालूम है। यह सहकारी फैक्टरी राजस्थान में सबसे पहले बनी है। और इसके अन्दर भी काफी घोटाले हैं। इसलिये मैं चाहता हूं यह रकम

(श्री केसरी सिंह हाडा)

किसी भी प्रकार उनको नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, जो ऋण दिया जाता है, वह विभिन्न ग्रामों में वितरित किया जाता है। सभापति महोदय, मेरा यह अनुभव है कि काश्तकारों को पूरा ऋण नहीं मिलता है। कितनी किश्तें होंगी, कितना दिया जाना चाहिए, यह पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हजारों काश्तकार बरबाद होते हैं और वसूली में दिक्कत होती है। पिछले दो तीन सालों से अकाल के कारण जो सहकारी ऋण और दूसरी वसूली है वह ज्यादा हो गई है। तो वसूली भी ज्यादा आती है और दिक्कत मालूम पड़ती है। वहां के राज्य कर्मचारी वहां के लोगों को मिलकर फर्जी कार्यवाही करके दूसरों को दिला देते हैं। जब वसूली आती है तो लोगों को जानकारी होती है। तब पता चलता है कि वास्तव में उनको ऋण नहीं दिया गया है। भविष्य में ठीक तरह से ऋण दिया जाये। उनको यह मालूम नहीं है कि यह ऋण दिया जाता है या अनुदान है। 500 रुपया देते हैं। 50 रु० उनको देने पड़ते हैं। ऐसी हालत में जितना भी ऋण लोगों को दिया जाये, वह किश्त में वसूल करना है इसका ध्यान रखें ताकि वसूली में कोई दिक्कत नहीं आये। इसी साल में भी वसूली की जायेगी तो दिक्कतें पैदा होंगी। इसके अलावा सभापति महोदय, बैलों की तकाबी के लिए ऋण नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि बैलों के लिए काश्तकारों को ऋण देने की परम्परा बन्द कर दी गई है। उनको फिर ऋण बैलों के लिए दिया जाना चाहिए ताकि वह बैल खरीद कर खेती कर सकें। सभापति महोदय, दूसरी जो मांग है।

एक माननीय सदस्य : अभी मूव नहीं हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसके बारे में गम्भीरता से विचार करे।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, केशोराय सहकारी शुगर मिल को लेकर मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है। सर्व प्रथम मैं वित्त मन्त्री जी को और सहकारिता मन्त्री जी को दोनों को ही निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता का आन्दोलन शिथिल न हो।

सहकारिता का आंदोलन फैल न हो, सहकारिता में लोगों का विश्वास उत्पन्न हो, इसलिए आवश्यक है कि सहकारिता के आधार पर जो भी हम उद्योग लें वे एफिशियेन्टली वर्क करें। उनमें से किसी प्रकार से भ्रष्टाचार या कुनबापरस्ती की बू न आये। जनसंघ के आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे दल के प्रति भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं। हमारा दल कभी भी सहकारिता आन्दोलन के विरुद्ध नहीं है बल्कि हमेशा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसका हामी रहा है। यह जरूर है कि हमने सहकारिता खेती का विरोध किया है और आज भी हम सहकारी खेती के विरोधी हैं। लेकिन जहां तक सर्विस को-आपरेटिव्स सहकारिता के आधार पर देश के अन्दर चलाना यह आज की विषम परिस्थितियों के अन्दर बहुत ही आवश्यक है।

मैं सर्वप्रथम जो राज्य सरकार ने अपनी सप्लीमेंट्री डिमान्ड के अन्दर यह दो राशियां रखी हैं उन पर निवेदन करना चाहूंगा। एक राशि 3,50,000) रु० है जो केवल इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन को ब्याज के चुकाना है। दूसरी राशि 5,00,000) रु० की है जो कि अग्रिम के रूप में गन्ना उत्पादकों को देना चाहते हैं। मैं दोनों के बारे में यह कहना चाहूंगा कि यह जो राशि 3,50,000) रु० की है यह 1 करोड़ 20 लाख रुपये का जो आपने फाइनेन्स कार्पोरेशन से लोन लिया था और जिसके अगेन्सट में मशीनें परचेज की जा चुकी हैं, जिनके बारे में मैं आगे कहने वाला हूं, उसका यह केवल ब्याज है। दूसरी राशि 5,00,000) रु० की है जिसको आप एडवान्स काश्तकारों को बता रहे हैं इसके बारे में जहां तक मेरी जानकारी है यह गत वर्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो इस मिल ने रुपया लिया था 5 लाख लोन गन्ना उत्पादकों को एडवान्स देने के लिए और उसमें से केवल सवा-लाख की रिकवरी हुई है, बाकी सारा रुपया डूबा हुआ है, तो मैं सोचता हूं कि यह राशि भी जो पांच लाख की है यह केवल पुराने लोगों की बकाया थी उसको एडजस्ट करने की दृष्टि से है। यह राशि भी किस प्रकार से आप फ्रेश एडवान्स कर सकेंगे ?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति में गन्ना उत्पादकों को एडवान्स देने का समय जा चुका है। गन्ना आज खेतों में तैयार खड़ा है, और खेतों में तैयार खड़ा होकर वह इन्तजार कर रहा है केवल इस बात का कि किस रोज आपकी मिल चालू हो और मिल चालू होते ही गन्ना ले जाना प्रारम्भ कर दें। यह परिस्थिति हो सकती है कि इस फैक्ट्री की असमर्थता के कारण, इस फैक्ट्री के अन्दर टूटफूट हो जाने के कारण, टरबाइन बेकार हो जाने के कारण आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशियेन्सी होने के कारण गत वर्ष में गन्ना-उत्पादकों में अनुभव हुआ कि उनका गन्ना खेतों में सूख गया और मिल ने गन्ने की खरीद करने से इन्कार कर दिया, इस कारण गन्ना-उत्पादक मायूस हो गये हों-गतवर्ष की मुझे जानकारी है कि इस सीजन में गत वर्ष गन्ना देने के लिए 9 हजार बीघे गन्ने का उत्पादन था और इस वर्ष गत वर्ष के अनुभव के आधार पर किसानों ने मायूस होकर या बरबाद हो जाने के भय से इस साल केवल 3 हजार बीघा के आस-पास गन्ने का उत्पादन किया। तीन हजार बीघे से कम में उत्पादन है। यह ठीक है कि आप प्रोत्साहन दें लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं जो बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की थी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरी मांग है कि और भी दिया जाय। आज आप जो रुपया दिला रहे हैं क्या इस रुपये के आधार पर केवल 3।। लाख और 5 लाख जिसका कि मैंने मोटा ब्यौरा दिया है उस फैक्ट्री को चला पायेंगे ? आज, सभापतिजी, उस फैक्ट्री की हालत यह है कि उसका मिल टरबाइन बेकार पड़ा है, लगभग

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

पौने दो लाख की लागत का मिल टरबाइन बेकार हो चुका है। मिल टरबाइन को खड़ा कर वापिस लाने वाले हैं उस प्रश्न पर भी मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा भी आप सेफ्टी प्लान्ट लाने वाले हैं। उस सेफ्टी प्लान्ट में डेढ़ लाख रुपया लग जायगा। तीसरा मेन टराइबन है, वह बेकार पड़ा है। उसकी मरम्मत आपको करानी है। तो मशीनरी ठीक कराकर वापिस लाने के लिए, सेफ्टी प्लान्ट वापिस जमाने के लिए यह रुपया कोई कीमत नहीं रखता है। जैसी कि मेरी जानकारी है आपके मैनेजिंग डाइरेक्टर ने 50 लाख रुपये की डिमाण्ड की है। वह ज्यादा हो सकती है लेकिन इस तरह से जानते हुए, इसकी सूचना लेते हुए कितना रुपया अलग से मिनिमम उस फेक्ट्री को चलाने के लिए, मशीनरी और दूसरे प्लान्ड ठीक हो जायं और मशीनरी फन्क्शन करना शुरू कर दें, इसके लिए आवश्यक है, और कितना रुपया अलग से गन्ना उत्पादकों को एट्रेक्ट करने के लिए, एडवान्स देने के लिए जरूरी है? इस आधार पर कम से कम 15.20 लाख रुपयों का जब तक प्रबन्ध नहीं करेंगे यह फेक्ट्री जो कि सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर चलाई जा रही है, यह नहीं चल पायेगी।

सभापतिजी, इस फेक्ट्री का इतिहास एक अजीब रहा है। 22 फरवरी 1970 को इस फेक्ट्री ने काम प्रारम्भ किया है और 14 अप्रेल 1970 तक इस फेक्ट्री ने जैसे कि आंकड़े बताये जा रहे हैं उसके अनुसार चीनी का उत्पादन किया। इस फेक्ट्री के ऊपर 2 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। इन दो करोड़ पचहत्तर लाख रुपयों में से एक करोड़ पैंतीस लाख रुपया केवल एक कम्पनी को जिसने मशीनें वहां पर सप्लाई की हैं, उस कम्पनी का नाम बकाऊ उल्फ न्यू इंडिया इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, पूना है, दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से कि क्या इस बकाऊ इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को वहां पर मशीनें सप्लाई करने के लिए, वहां पर मशीनें लगाने के लिए एग्रीमेंट के अनुसार एक करोड़ बीस लाख का ठेका हुआ था? इन एक करोड़ बीस लाख के ठेके के अगेन्स्ट में इस बकाऊ इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन को यह एक करोड़ पैंतीस लाख का पेमेन्ट किस प्रकार से हो गया? यह 15 लाख का एक्सेस पेमेन्ट क्यों हुआ? आज तक यह दिया जाता है कि यह 15 लाख टैक्सेज वगैरह के कारण दिये हैं। मैं जानना चाहूंगा मंत्रीजी क्या एग्रीमेंट के अन्दर कोई प्रावधान था? क्या एग्रीमेंट के अन्दर इस प्रकार की स्थिति बताई गई है कि टैक्सेज एक्स्ट्रा देंगे। एक करोड़ बीस लाख का एग्रीमेंट हुआ उसके अगेन्स्ट में आप केवल एक कम्पनी बकाऊ उल्फ न्यू इंडिया इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन को एक करोड़ पैंतीस लाख का पेमेन्ट किया गया है। 15 लाख का एक्सेस पेमेंट कर दिया तो उसको आज तक वापिस लेने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, या जिन लोगों ने एग्रीमेंट को डिफेक्टिव रखा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई? लेकिन आज तक रिकवरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सभापतिजी प्रश्न केवल इतना होता है कि एक करोड़ बीस लाख के बजाय 1 करोड़ पैंतीस लाख रुपया दे कर सब्र कर लेते हैं, लेकिन मैं जानकारी करना चाहता हूं कि जो टरबाइन के अन्दर टूट-फूट हुई है

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चाहे वर्क मिल टरबाइन हो, चाहे मेन टरबाइन हो जिनको कि उसने सप्लाई किया क्या उसके अगेन्स्ट में आपने एग्रीमेंट में कोई मिनिमम गारन्टी ली थी ? कोई गारन्टी थी क्या कि वह फन्क्शन करके काम करना शुरू कर देंगे और कम से कम इतने समय तक काम करते रहेंगे ? क्या मेन्टीनेन्स और रिपेयरिंग की गारन्टी थी ? यदि थी तो मशीनें बेकार पड़ी हैं-मिल टरबाइन जिसकी पौने दो लाख की कीमत है तो आज उसके रिपेयरिंग चार्जेज कौन देगा ? प्रश्न यह पैदा होता है कि रिपेयरिंग के चार्जेज यह कम्पनी बकाऊ न्यू इंडिया इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन देगी तो इसको सब्स्टीट्यूट क्यों नहीं करेगी । जो मशीनें बेकार हुई हैं उसके कारण कम से कम गारन्टी होना चाहिए थी-वह सब्स्टीट्यूट फ्री आफ कास्ट फेक्ट्री को सप्लाई क्यों न करें ? आज सभापतिजी, मिल टरबाइन बेकार पड़ी हुई है, मेन टरबाइन जिसकी कीमत 11 लाख की है वह आज भी बेकार पड़ी हुई है, उसका शिफ्ट मर गया है, उसकी कारबन रील खत्म हो गयी है, उसके बियरिंग समाप्त होगये हैं, और जैसी कि मेरी जानकारी है कम से कम दो लाख रुपये इसकी मरम्मत के अन्दर खर्च होंगे । तो पहला प्रश्न इन मशीनों के बारे में यह खड़ा होता है कि क्या एग्रीमेंट में टैक्सेज एक्स्ट्रा थे, और अगर टैक्सेज एक्स्ट्रा नहीं थे तो यह 15 लाख का एक्स्ट्रा पेमेन्ट कम्पनी को क्यों किया गया ? दूसरा यह है कि क्या कोई मिनिमम गारन्टी इस कम्पनी से ली गई थी ? अगर नहीं ली गई थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ?

और यह जो लाख रुपया खर्च होने वाला है- इस खर्च के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी ? यह मिल टरबाइन और मेन टरबाइन कितने रुपये की मरम्मत के बाद ठीक होकर आ सकेंगे ? इसका पेमेंट कौन करने वाला है ? कब तक आकर वापिस लग जायेंगे ? सभापतिजी, मैं फिर आज चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, यह जितनी मशीन सप्लाई हुई है ए टू जेड, यह सारी की सारी सैकिण्ड हैंड मशीन सप्लाई की गई है । आप मौके पर जाकर चैकिंग करें । कोई मशीन ऐसी नहीं है, चाहे चेन्स हो (समय समाप्ति सूचक घन्टी) मैं शोर्ट में कह रहा हूं । यह जितनी मशीनें हैं सारी सैकिंड हैंड मशीन हैं, सब टूटी हुई हैं, हरएक मशीन वेल्डेड है । चाहे चेन हो चाहे दूसरी मशीन हो, सब वेल्ड कर दी गई, उसके बाद उन पर पालिश कर दी गई या रंग लगा दिया गया । इससे असलियत छिपा कर सैकिण्ड हैंड सारी की सारी मशीन सप्लाई की गई । आप इसके लिए हाई पावर कमेटी अपाइन्ट कीजिए, उस कमेटी में किसी टैक्निकल एक्सपर्ट को, किसी बाहर के टैक्निकल एक्सपर्ट को रखिये और पता लगाइये मशीन की सप्लाई की कार्यवाही का । यह जरूर है कि सैकिण्ड हैंड मशीन सप्लाई क्यों हुई है, इसका पता चलायें । मैंने एक मशीन देखी है, छोटी सी, इलेक्ट्रिक सायरन है, 1942 की, उस पर लिखा हुआ है मेड इन 1942 । सन् 1942 का माल 1968-69 के अन्दर सप्लाई हो किसी फेक्ट्री के अन्दर तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन मशीनों की पर्चेजेज के अन्दर कितनी बगलिंग की गई है । लूट कर खाया है लोगों ने । उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रह्मदत्त, जिनके बारे में यहां इस सदन में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कहा गया। दूसरे चीफ कैमिस्ट हैं, गाडगिल इन दोनों ने मिल कर चाहे मशीन का सवाल हो, चाहें पर्चेजेज का सवाल हो–लूट कर पैसे को खाया है। इसकी जांच की आवश्यकता है।

एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। गत वर्ष यह जो टर्बाइन खराब हुई, इसका मूल कारण, सभापतिजी, यह नहीं है कि वहां सेफ्टी प्लान्ट नहीं लगाया गया। जो पानी सप्लाई किया जाता है बोयलर के अन्दर स्टीम तैयार करने को, उसमें नहर का पानी आता है, या कुए का, जो वहां बनाया है, पानी आता है। मेरी जानकारी है कि इस पानी के अन्दर पन्द्रह पर्सेंट, सोलह पर्सेंट इम्प्योरिटी है और हारनेस है, जिसके कारण जो पानी बोयलर में सप्लाई किया जाता है उसका परिणाम हमें देखने को मिला। चीफ केमिस्ट की नियुक्ति इस फैक्ट्री के स्टार्ट में दो साल पूर्व की गई, उसने वाटर का एनेलेसिस क्यों नहीं किया, परीक्षण क्यों नहीं किया? वह पानी बोयलर में देने लायक है या नहीं– इसका परीक्षण क्यों नहीं किया? क्या आपने जानकारी की है? आप कह सकते हैं कि चीफ कैमिस्ट को हटा दिया गया है। करोड़ों रुपयों का नुकसान होने के बाद और किसानों को नुकसान देने के बाद कह दें कि उसे हटा दिया गया है तो हटा देना पर्याप्त नहीं है। इन सारे मामलों में इसलिए, चाहे पर्चेजेज का मामला हो, चाहे मशीन का मामला हो, आवश्यकता इस बात की है कि एक हाई पावर कमेटी नियुक्त की जाय जो कि आरम्भ से लेकर अन्त तक, चाहे शुगरकेन की पर्चेज का मामला हो, चाहे मशीन की पर्चेज का मामला हो– उसकी इन्क्वायरी करें। मैं सबकी साथ इन्क्वायरी कराने की मांग कर रहा हूं।

अब इस फैक्ट्री को चलाने का प्रश्न है, इसके लिए आठ लाख रुपया देकर चलाना चाहते हैं! मेरा निवेदन है, इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम पन्द्रह बीस लाख देंगे तो यह फैक्ट्री चालू हो सकेगी। सभापतिजी, आज प्रश्न यही पैदा नहीं होते हैं, आज इस प्रकार के प्रश्न भी पैदा होते हैं कि आपने जो डाइरेक्टर नामीनेट किये हैं इस फैक्ट्री के अन्दर, पूरे राजस्थान और कोटा डिवीजन के अन्दर आपको दूसरे डायरेक्टर नहीं मिलते हैं। आपने सारे डाइरेक्टर भाई–भतीजों और शरणार्थियों में से लाकर भर दिये। उनमें से कोई चुनाव में हार कर बैठा है, या कोई प्रधान है। इसके कारण यह हुआ है कि उसमें जो एम्प्लायमेंट किया गया है, जिन्हें नौकरी दी है उनमें एक एक आदमी के चार चार आदमी रखे गये हैं, कोई बेटा है, कोई दामाद है, कोई भाई है। मैं आपको नाम निवेदन करना चाहता हूं, कन्हैयालाल चूतिया, यह कौन है, कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष महोदय, मंडल कांग्रेस के, रामचन्द्र प्रधान मूलचन्द, भंवरलाल शर्मा, एक्स एम० एल०ए०, जो हार चुके हैं, भेरोंलाल माथुर, जो हारे हुए सदस्य हैं। कल्याणमल, कांग्रेस के, रामप्रसाद प्रधान कांग्रेस के, रंगलाल, बून्दी के रहने वाले हैं, जो चेयरमैन हैं कांग्रेस के। यह सारे के सारे लोग नामीनेटेड हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? आज तक बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? चुनाव क्यों नहीं किये गये? जो नामीनेटेड व्यक्ति 11 लगाये हैं, वह कुनबा परस्ती करके, आग लगा रहे हैं,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लूट रहे हैं और नाम आप देखिये, केशव धूतिया, आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, यह कन्हैयालाल धूतिया के भतीजे हैं। रमेशचन्द्र फील्ड में हैं, यह धूतिया के भानजे हैं, एस०पी० शर्मा जो गन्ना प्रसार अधिकारी हैं वह धूतिया के दामाद हैं। सुरेन्द्रकुमार, यह रंगलाल के लड़के थे, जिसे असिस्टेन्ट अकाउन्टेन्ट के पद पर लगाया था। इस प्रकार सारी नियुक्तियों के अन्दर इस प्रकार जानकारी मिलेगी। जो डिप्टी केन मैनेजर बनाया, कैलाश पुरी, वह बृजसुन्दर शर्मा के मित्र का लड़का है, जिसको इन्क्वायरी में काफी समय तक संस्पेन्ड रहना पड़ा। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्या एक्सपीरियेन्स है? किस योग्यता के आधार पर उसकी नियुक्ति की? आज डिप्टी केन मैनेजर, सभापतिजी, लूट कर खा रहा है। जितने एडवान्सेज किए हैं गन्ने के बारे में, आप अनुमान लगाइये, जिन लोगों को एडवान्सेज किए, उनमें से असली किसान कौन है? जिन किसानों ने गन्ना पैदा किया अपने खेत में? आधे से लगभग ज्यादा इनमें ऐसे हैं जिन्होंने गन्ना पैदा नहीं किया लेकिन उनको एडवान्सेज दे दिये गये, एडवांसेज बांटे गये। रमेश पुरी, कैलाश पुरी, आप हिसाब लगायें, इन्होंने लोन लिया, इन्होंने एडवान्सेज लिये, इनकी माता ने एडवान्सेज लिये, इनके पिता ने एडवान्सेज लिये, इनको बीबी ने एडवान्सेज लिये। एक व्यक्ति ने चार चार व्यक्ति के नाम एडवान्सेज ले लिया। इसके कारण पांच लाख, सवा पांच लाख इस प्रकार बेकार कर दिये हैं।

अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपने इसमें रिटायर हैंड भर रखे हैं और जो एम.ए., बी.ए. आते हैं, उनका रिट्रेन्चमेन्ट कर दिया है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विस से रिटायर्ड हैं उन सब को इसमें भर रखा है, जे. पी. भटनागर, जगन्नाथ प्रसाद, घनश्याम सिंह – जितने रिटायर्ड हैं वह इस कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, और नये नौजवान जो एम. ए., बी. ए. पास कर के आते हैं उनको रिट्रेन्च किया जाता है।

एक प्रश्न और पूछ रहा हूं जिसका उत्तर आप दे दीजिये। आपने इस फैक्ट्री के अंदर कुल गन्ना खरीदा था, जैसी मेरी सूचना है उससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाइस सौ टन गन्ना गत वर्ष खरीदा, फार्मूला के अनुसार इस बाइस हजार टन गन्ने से सुगर का उत्पादन कम से कम बाइस हजार बोरी का होना चाहिए। एक बोरी एक क्विन्टल की, दस क्विन्टल का एक टन। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। यह बाइस हजार टन गन्ना खरीदा, इससे शक्कर का उत्पादन देखिए, जो रिकवरी गन्ने की कम से कम दस पर्सेंट थी, किसी सेन्टर पर नहीं कह सकते इससे ज्यादा कि गन्ना बड़ी अच्छी किस्म का था, रस से परिपूर्ण, तो दस पन्द्रह पर्सेन्ट रिकवरी थी, मानना है तो दस पर्सेन्ट मान लीजिये। तो इस बाइस हजार टन गन्ने के अन्दर कम से कम बाइस हजार क्विन्टल शक्कर होनी चाहिये थी, इतनी ही बोरी होनी चाहिये थी। यह बारह हजार पांच सौ बोरी कैसे रह गई? दस हजार बोरी कहां गई? इतना गन्ना कहां गया? क्या आज तक आपने इसकी जांच की? गन्ने से शक्कर का उत्पादन कम हुआ, क्या इसकी जांच की गई? आपने जांच आज तक नहीं की है। लेकिन यह जो दस हजार बोरी की कमी है इसका कारण आप के यह मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, समय समय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर सूचना करते रहे कि अठारह अप्रैल से फैक्ट्री में मशीन खराब पड़ी है, टर्बाइन काम नहीं कर रहा है, गन्ना खरीदना बन्द करिये, शक्कर का उत्पादन बन्द करिये। लेकिन क्योंकि यहां पर विधान सभा का सत्र चल रहा था, इस कारण यहां कहा जा रहा था कि फैक्ट्री बन्द है। लेकिन मन्त्री जी कह रहे थे, चालू है। उधर कहा कैसे हो चालू रखो। नतीजा यह हुआ, चौबीस तारीख आप फर्मा रहे हैं, मेरी सूचना है कि 28 तारीख तक पर्चेजेज की गई। ऐसा होता कि छोटे किसानों से गन्ना खरीदा होता तो भी कोई बात नहीं थी। लेकिन यह गन्ना खरीदा गया है, डाइरेक्टर से खरीदा गया है, अधिकारियों के फार्म से खरीदा गया है, कैलाश पुरी से खरीदा गया है, प्रधान के गन्ने को खरीदा गया है। इस प्रकार लगभग तीन हजार, चार हजार टन गन्ना चौबीस तारीख के बाद खरीदा गया। यह सारा गन्ना जलाया गया, या गाड़ दिया गया, या सुखाया गया। आप जाकर फैक्ट्री के अन्दर देख लें। वहां गन्ना फैला पड़ा है, उसे सुखाया गया है, जला दिया गया है। यह तो सारे का सारा चार हजार टन गन्ना है, यह गन्ना चौबीस तारीख के बाद में पर्चेज किया गया है। इसके कारण से यह बरबाद हुआ है। आप इसकी जांच करिये, बीस तारीख के बाद गन्ना क्यों खरीदा गया ? इसके बाद भी जब चौबीस तारीख को सूचना हो गई कि गन्ना न खरीदा जाय, तो इसके बाद भी चार लाख टन गन्ना खरीदा गया। पांच हजार टन गन्ना ऐसा है, जो फैक्ट्री में आया नहीं, एक गन्ना तक नहीं आया, यानि एक चौथाई के लगभग और उस गन्ने की फर्जी पर्चियां काट कर उसका पेमेन्ट किया गया। तो पांच हजार टन गन्ना ऐसा है जो फैक्ट्री के मैदान में नहीं आया और लोगों को फर्जी पर्चियां बनाई गई और डिप्टी केन मैनेजर हैं उनके द्वारा इसका पेमेन्ट कर दिया गया। यह जो पांच हजार टन गन्ने का पेमेन्ट किया गया, यह गलत है। कभी गन्ना मैदान में नहीं आया। 75 हजार रुपये का रस है। वह टर्बाइन खराब होने की वजह से जो लीवर होता है जिसके अन्दर स्टाक जाकर इकट्ठा होता है यह रस सड़ जाने के कारण चीफ केमिस्ट की लापरवाही के कारण उस के अन्दर केमिकल न मिलने के कारण 75 हजार रुपये की कीमत के गन्ने का रस फैंकना पड़ा। क्या आपने जांच करवाई ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं अन्त में यही कहता हूं कि आप सहकारिता के क्षेत्र में गन्ने की फैक्ट्री चलायें जो पैसा उनको दिया है उससे अधिक दें, मुझे आपत्ति नहीं। गन्ने के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है कि फैक्ट्री चले। गन्ना खड़ा है, तैयार है केवल आपकी फैक्ट्री बन्द पड़ी है इस कारण गन्ना फैक्ट्री पर नहीं आ रहा है। वरना गन्ना खड़ा है, आप रुपये अधिक दें लेकिन हाई पॉवर कमेटी बनायें जो मशीन परचेज के सवाल को लेकर अधिकारियों की गलती को लेकर मैनेजिंग डाइरेक्टर की कुनबापरस्ती के कारण खरीदा उसकी वह कमेटी जांच रिपोर्ट तैयार करे। जिनकी लापरवाही व बेईमानी के कारण लाखों रुपये इस फैक्ट्री में उलझ गए हैं, इसकी जांच कराई जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, मैं केवल दो तीन मिनट बोलूंगा। मेरा संक्षेप में निवेदन है कि सहकारिता के क्षेत्र में अगर काम ठीक ढंग से नहीं होता है तो बड़ी बदनामी होती है, और जिस सहकारी आन्दोलन को बहुत ही बल पकड़ना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। सहकारिता के क्षेत्र में मिल लगी और वहां पर भी त्याग की भावना से काम न करें, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊंचे न उठे तो बदनाम होती है। इसलिए सचमुच सहकारिता को पनपाना है, गांव गांव में सहकारिता को उतारना है तो कृपा करके कठोर बन कर, बलिदान की भावना से काम करें तो होगा, बाकी नहीं। कौन कहता है कि पंचायत अच्छा काम नहीं है, कौन कहता है सहकारिता अच्छा काम नहीं है, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें :

पंचायत सहकारिता दोनों मन्त्र महान्,
किन्तु चले फूंक कर बता, बिना त्याग बलिदान।

इसलिए जो सहकारिता चला रहे हैं वह डूब रही है। सहकारिता तो अच्छा क्षेत्र है।

पुरखा की सहकारिता कितनी सुन्दर आज।
किन्तु चले फूंक कर बता बिना त्याग बलिदान॥

इस राज्य में सहकारिता चली नहीं। इस सबसिडी ने इसको मिट्टी में मिला दिया है। हरएक पूछने लगा कि सबसिडी कितनी मिलेगी, इनिशिएटिव सारा मारा गया। अगर इस क्षेत्र में गांव गांव में सहकारिता फैलानी है तो पक्षपात, भाई भतीजावाद जो तीन ग्रह हैं राहू, केतु और शनि याने व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिवाद और पार्टीबाजी, ये तीनों सहकारिता को डस रहे हैं, इससे यह क्षेत्र ऊंचा नहीं उठेगा, केवल इसका नाम ही रहेगा।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)।

श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने केशराव पाटन सहकारी सूगर मिल के निमित्त दो मुद्दों के अन्दर गन्ना उत्पादकों को अग्रिम धनराशि देने हेतु 5 लाख रुपये और दूसरा इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को ब्याज के रूप में 3.50 लाख दिये जाने की मांग की है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उक्त मिल ने जो करीब 1.30 करोड़ की मशीनें खरीदीं और जिस कम्पनी से इन्होंने खरीदी, यह ऑर्डर किस तारीख को दिया गया और इनको एडवांस में यह रुपया किस तारीख को दिया गया, ये मशीनें कब आईं ? मेरी जानकारी के अनुसार बिना टेण्डर को आमन्त्रित किये बिना किसी कोआपरेटिव फार्मिंग या कोआपरेटिव सोसायटी या ऐसी संस्था जो सहकारिता के आधार पर मशीनों का निर्माण करती है या जो मशीनें सप्लाई करती है किसी कोआपरेटिव सोसायटी से जो मशीनें सप्लाई करती हैं उनको इन्होंने आर्डर जारी नहीं किया। इन्होंने व्यक्तिविशेष को जो प्राइवेट कन्सर्न हैं उनको आदेश जारी किया और एक मुश्त उस समय किसी अधिकारी ने रुपया दिया और उस समय दिया जबकि सूगर मिल फैक्ट्री के भवन का निर्माण नहीं हुआ। तो क्या आवश्यकता थी कि उस कम्पनी को इन्होंने एक मुश्त रुपया दिया ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो एडवांस रुपया दिया उसमें ब्याज चार्ज किया। किन टर्म्स एण्ड कन्डीशनस पर आपने एडवांस का रुपया दिया और कितने महीने बाद मशीनें सप्लाई करेंगे, इसके क्या टर्म्स और कन्डीशन्स थीं ? मेरी जानकारी के अनुसार उक्त मिल के मैनेजमेंट ने इस सम्बंध में कम्पनी से कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया और उस कम्पनी के पास उक्त मिल का लाखों रुपये एक महीना नही, दो महीना नहीं काफी महीनों तक, एक वर्ष से अधिक तक उनके पास पड़ा रहा और उसका जो ब्याज हमने 1.30 करोड़ दिया जो उस समय 1967-68 में इन्डीस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया जिसका हमारे पास ऋण 1967-68 के अन्दर 1.20 करोड़ था, आज उसका ब्याज हमको 3.50 लाख देना पड़ रहा है। हमने क्यों इतनी धनराशि दी जबकि उक्त मिल के अंदर भवन ही नहीं बना हुआ था ? मशीन कहां फिट करें, इस की भी जानकारी नहीं थी ?

इतना ही नहीं बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं और सहकारिता मंत्री आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय ये मशीनें आईं थीं उन पर मिल को कितना डेमरेज देना पड़ा ? सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि ये मशीनें आगई और रेलवे यार्ड पर पड़ी रहीं और मिल को 3 लाख रुपये से अधिक डेमरेज देना पड़ा। यह किसकी गलती है ? कभी आपने जांच करवाई ? इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं किसकी लापरवाही से यह देना पड़ा ? आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। एक तरफ डेमरेज लगा दूसरी तरफ एडवांस में जो रुपया दिया उसके ब्याज की मार आज हम पर पड़ी है, उसका कारण क्या है ?

इतना ही नहीं, जिस समय इसका पंजीकरण हुआ उसके बाद जो सदस्यों की हिस्सा पूंजी 10,53,000) है, राज्य सरकार ने 1967-68 में मिल के 25 लाख के हिस्से खरीदे और उसके बाद इसी राज्य सरकार ने 1968-69 में 10 लाख के हिस्से और खरीदे और इसके बाद 120 लाख रुपया इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ऋण लिया। 20 लाख राजस्थान वित्त निगम से लिया और इसके साथ साथ जब राज्य सरकार ने उक्त मिल के लिए बैंक और दूसरे साधनों से दो करोड़ की गारन्टी इस मिल के लिये राज्य सरकार ने ली। 175.53 लाख 66-67 के अन्दर लिया। 2 करोड़ की गारन्टी दी फिर भी यह मिल चल नहीं पा रही है।

सभापति महोदय, जिस समय गन्ने की खरीद की गई और हिस्सा पूंजी सदस्यों को देते, उस बूंदी जिले के ग्राम देवपुरा, सीतापुर आदि गांवों के किसानों को जाकर पूछें कि क्या हिस्से खरीदे हैं, बांड खरीदे हैं ? हिस्सा पूंजी का उनको पता नहीं, आज तक उनको दिया नहीं गया।

मिल के मैनेजमेंट ने राज्य सरकार को कितने अन्धेरे में रखा। गन्ने की अग्रिम धनराशि के लिये एडवांस लिया गया, किसानों के हिस्से की रकम में से रकम काट ली गयी। शेयर के प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये। फर्जी दस्तखत कराये गए, हिस्से के बांड्स को खा गये। लाखों रुपयों का घाटा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हैं। राज्य सरकार का लाखों रुपया लगा हुआ है लेकिन कुछ अंकुश नहीं। मिल की कार खरीदी गई, हजारों रुपयों में खरीदी गई। डाइरेक्टर्स की मिटिंग बुलाकर खरीद की गई। केशोराय पाटन में रहनी चाहिए लेकिन वहां नहीं रही। 69 तक तीन साल तक उस कार का उपयोग यहां सहकारी विभाग में होता रहा। ड्राइवर का पैसा लगता रहा।

अधिक समय न लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से मशीनें खरीदी गई टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये, अग्रिम राशि दे दी गई, उसके ब्याज का कौन जिम्मेदार है? 3.50 लाख इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन को देना पड़ रहा है। वह पूंजी बैंक में पड़ी रहती तो उसका ब्याज मिलता और विश्वास रहता। उस कंपनी से क्या वसूल किया? मशीनें पुरानी आई। पूर्ववक्ता माननीय गोयल साहब ने पूरा विवरण सदन के सामने रखा है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मेरा एक कटौती प्रस्ताव और है नगर सुधार न्यास कोटा के सम्बन्ध में। आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि नगर सुधार न्यास कोटा के लिए 1 लाख की मांग की तीन चार महीने पहले ...

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : जनरल जवाब में दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि कोटा नगर के अन्दर तीन चार महीने पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की और उसका अध्यक्ष नाथूलाल जी जैन को नियुक्त किया। 800) वेतन देते हैं। आपकी जानकारी में होगा कि ये महानुभाव भाषा आयोग के भी सदस्य हैं और दिल्ली में बैठ कर दो हजार का वेतन लेते हैं। एक व्यक्ति जिसको दो हजार का वेतन मिले भाषा विभाग से उसको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनायें, इसलिये बनाये कि कांग्रेस सरकार की यह नीति रही है कि कांग्रेस का कोई मंत्री उपमंत्री, नेता चुनाव में हार जाय, जनता के सामने पराजित होजाय और लोकतन्त्र की दृष्टि से तिरस्कृत हो जाय, सुखाड़ियाजी कहते है कि राजस्थान की जनता ने तिरस्कृत किया है लेकिन मैंने नहीं किया है, मेरा उस पर वरदहस्त है, जिस प्रकार राजस्थान में यतीमखाने खुले हुए हैं, उसी प्रकार नाथू लाल जी जैन को हाई कोर्ट में एक हजार रुपया देकर प्रतिदिन का केसेज में नियुक्त किया, भाषा आयोग में नियुक्त कराया दो हजार रुपये महीना दिलाया, अभी भी तृष्णा पूरी नहीं हुई, भावी नक्शे की तैयारी के लिये गरीब जनता पर टैक्स लगाकर उस पैसे को किस प्रकार से लुटाया जाय। नाथूलाल जी जैन को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। तीन चार महीने पहले कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया, कोई सीमा निश्चित नहीं की। कार्य, क्षेत्र निश्चित नहीं किया। पैसा नहीं दिया आपने ट्रस्ट को। कार्य, सीमा और क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया, पैसा एक नहीं। आपको क्या आवश्यकता पड़ गयी कि उनको चार महीने अध्यक्ष बनाया जाय? नाथूलाल जी जैन के पास एक पैसा नहीं ट्रस्ट का और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इम्प्रूवमेंट के नाम पर एक कार खरीद ली और उसमें हजारों रुपयों का खर्चा बताया। सभापति महोदय, आप किस प्रकार से राजशाही के पद चिन्हों पर चल रहे हैं ? अपने चहेते का उन्होंने मकान ले लिया किराये पर और 800) महीना किराये का। मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास पैसे आने का रास्ता नहीं, मैं निश्चित रूप से और दावे के साथ कहता हूं कि कोटा के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमेन ने अपने ट्रस्ट की आय बढ़ाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय सुखाड़ियाजी कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का उद्घाटन करने गये, लोगों ने मांग रखी तो आप कहने लगे कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को स्वयम् को आय के स्त्रोत ढूंढने पड़ेंगे। आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि आज भी कोटा में कोटा मंडी कमेटी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। इन दोनों के बीच में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। गरीब तबका पिसता जा रहा है। नाथूलालजी जैन द्वारा भाई भतीजों को प्लॉट दिये जा रहे हैं गरीबों की झोपड़ियों में जाकर जिस प्रकार से उदयपुर में चुनाव के दिनों में हरिजनों को पट्टे देने के नाम पर उनके वोट लेकर उनको गुमराह किया आज ठीक उसी प्रकार से नाथूलाल जैन को राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये कोटा नगर न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। वे गरीब हरिजन मजदूर वर्ग को चकमा दे रहे हैं वे फर्जी कार्यवाही करके जमीन हड़पते जा रहे हैं जो जमीन देने के नाम पर कार्यवाही की जा रही है वह सारी की सारी जमीन बहुमूल्य है जो हजारों रुपयों में बिकेगी। नाम मात्र के मूल्य पर अपने सगे सम्बन्धियों को जमीनें दी जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एक लाख रुपया कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, जवाब दीजिये कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो बनाया है उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं ? कौन कौन उसके सदस्य हैं। सदस्यों की नियुक्ति आपने पूरी कर दी है। आप चेयरमेन को नोमीनेट करते हैं आप इसी तरह से लोक तन्त्र में विश्वास करते हैं ? जनता द्वारा क्यों नहीं कराते हैं। आपने कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जिस प्रकार से अध्यक्ष की नियुक्ति की है उसके लिये मेरा निवेदन है कि आप इसको भंग करिये और ट्रस्ट के सारे अधिकार निर्वाचित नगरपालिका को दीजिये। आपने इस तरह से नॉमीनेट करके जनतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिये वह आप नहीं करना चाहते हैं वास्तव मे लोकतन्त्र में आपकी किस प्रकार से अवस्था है यह बताना है ? आपको ट्रस्ट के सभी अधिकार नगरपालिका को दे देने चाहिये। इस तरह से न करके आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगरपालिका में संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं इन दोनों की सीमा निर्धारित नहीं होगी तो आपस में संघर्ष पैदा होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं नगर विकास का पूरा अधिकार इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया गया है वह अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित नगरपालिकाओं को वास्तव में दिया जाना चाहिये। एक ही शहर में दो दो बॉडीज एक तो निर्वाचित और दूसरी नोमीनेटेड नहीं होनी चाहिये। इस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं वे छीने जा रहे हैं। यह भी सरकार द्वारा कहा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गया है कि कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये आप एक लाख रुपया दे रहे हैं उन्होंने तीस हजार रुपये का भवन लिया है जिसका किराया 800) रुपया दिया जा रहा है। कार के लिये अलग रुपया लिया गया है, खूब सैर करते हैं। कार इसलिये खरीदी है कि एक दो महीने के बाद इनके लड़के की शादी है आज से ही कार का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है तो इस प्रकार से कार के लिये पैसा देने की क्या आवश्यकता है ? अगर उनको आवागमन के लिये ही कार की आवश्यकता थी तो कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट पूल में जो जीपें हैं उनका उपयोग कर सकते थे। कार्यालय के लिये मकान लेने की क्या आवश्यकता थी ? सरकारी कार्यालय खाली पड़े हैं वहां दफ्तर रख सकते थे। कार में जो पैसा खर्च किया गया है वह व्यर्थ का खर्चा है। चेयरमैन ने व्यक्तिगत कार्य के लिये इस कार को खरीदा हैं। जो चुनाव में हार गये हैं उनको इस प्रकार से राजनैतिक आधार पर किसी को अध्यक्ष बनाना सर्वथा अनुचित हैं। यह सरकार की गलत नीति है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, इस मांग को लेकर चार पांच माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे खास तौर पर केशोरायपाटन को-आपरेटिव शुगर मिल्स के सिलसिले में बात कही गई है।

केशोरायपाटन को० ऑ० शुगर मिल राज्य की पहली को-ऑपरेटिव शुगर मिल है। इसकी कामयाबी हमारे यहां पर सहकारी आन्दोलन की कामयाबी समझी जायगी राजस्थान सरकार ने इसको कायम करते वक्त जिस प्रकार की नीति अपनाई थी उस समय सहकारिता विभाग मेरे पास था। इस मिल के बारे में जो कुछ कार्यवाही हुई, उसमें मेरा सहयोग था।

कोटा जिले में चम्बल योजना के कामयाब होने से वहां जो हरित क्रान्ति आयी वहां पर गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो यह अहम प्रश्न बन गया कि गन्ने को काम में लेने के लिये शुगर मिल कायम की जाय। राजस्थान सरकार के सामने दो तीन बातें थीं या तो यह मिल प्राइवेट सेक्टर में लगावे या गंगानगर शुगर मिल का एक्सटेन्शन किया जावे, तीसरा को-आपरेटिव शुगर मिल की स्थापना की जावे। भारत सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन की गति में तेजी लाने के दृष्टिकोण से वहां के चुने हुए नुमायन्दों के सहयोग से हम लोगों ने इस बात का फैसला किया और वहां पर को-ओपरेटिव शुगर मिल कायम की गई है। उस मिल ने काम करना आरम्भ किया गन्ना पेलने का काम शुरू कर दिया। शुरूआत में हम सब बात को मानते हैं कि हमने यह ध्यान रखा पहला उद्योग हम को-ओपरेटिव सेक्टर में चला रहे हैं उसको पूरी तरह से कामयाब होना चाहिये। इसके परिणाम अच्छे आने चाहिये। इसका क्रिटिसिज्म केवल कोमर्शियल पॉइण्ट आफ व्यू से ही नहीं उत्पादन गिरता है तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं आनी चाहियें। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं हमने जिस दृष्टिकोण से इसको आरम्भ किया था उसमें घाटा नहीं। विचारधारा के लिहाज से सब पार्टियां, जब सहकारी आन्दोलन की समर्थक हैं तो मैं समझता हूं हमारा यह

(श्री मथुरादास माथुर)

परीक्षण था इसमें हम काफी मात्रा में सफल रहे हैं। ऐसे कार्यों के बारे में जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सहकारी आन्दोलन अच्छा है अगर हम इसको कामयाबी के साथ नहीं चला पायें तो इसमें बदनामी होती है। इसको हमने बराबर ख्याल में रखा है। शुरुआत में इसका टरबाइन खराब होगया था, टूट गया या इससे शुरूआत में हमें कुछ कठिनाई हुई है। इनफेन्सी के अन्दर कोई फैक्टरी चलाते हैं इस प्रकार की कठिनाई का आना संभव है। इस प्रकार की कठिनाई को ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है। जिस कम्पनी से मशीनरी खरीदी गई उस वक्त हमें जो टेकनिकल एक्सपर्ट्स अवेलेवल थे, नेशनल फेडरेशन के पास अवेलेबल थे इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन के पास जो एक्सपर्ट्स अवेलेवल थे उन सब की राय से यह मशीन खरीदी गई। इसलिये यह सोचना कि टेकनिकल अनुभव नहीं था, यह गलत है। इन सब की सलाह से कॉन्फरेन्स से जो एग्रीमेंट कम्पनी के साथ में हुआ उसी आधार पर हमने मशीनें इस फैक्टरी से खरीदी हैं और उसके लिए एग्रीमेंट में जितना पैसा देने का था, उतना ही दिया उससे अधिक नहीं दिया ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुराना एग्रीमेंट था या नया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सही है कि उन मशीनों का पेमेन्ट एग्रीमेंट के आधार पर किया गया, ज्यादा नहीं किया गया।

दूसरी बात यह कही गई कि मशीनें जो हमें उपलब्ध कराई गई थीं, वह पुरानी थी मैं यह निवेदन कर दूं मैंने वह मशीनें नहीं देखी हैं और न मिल ही देख पाया हूं इस दृष्टिकोण से नहीं देख पाया हूं। जो कुछ सूचना मिली है उसी आधार पर कह सकता हूं कि मशीनें नयी हैं, पुरानी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप वहां जाकर देखें मशीनें अपने आप बोलती हैं, इसकी खरीद में कितना भ्रष्टाचार हुआ यह मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन सुनिये ......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक करोड़ 20 लाख का एग्रीमेंट है उसके अगेन्स्ट में एक करोड़ 35 लाख का पेमेन्ट किया है।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात गलत है। आपके कहने के बाद सहकारिता विभाग के अफसरों से पूछा है— यह बात क्यों है ? लेकिन उन्होंने बताया है यह बात नहीं है जो एग्रीमेंट की धनराशि थी उससे ज्यादा नहीं दी गई है— यह बात वह कह रहे हैं ..

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आप तैयार हैं उस एग्रीमेंट की प्रतिलिपि को यहां रखने के लिये ?

श्री मथुरादास माथुर : मशीन पुरानी थी या नहीं ? मशीन पुरानी नहीं थी। आप कह रहे है नई नहीं है। इधर तो मेरे अफसर कहते हैं ये मशीन नई है, पुरानी नहीं है। इधर माननीय सदस्य कहते हैं पुरानी है। अब मैंने तो देखी नहीं है... अगर आपने देखी है तो ......

श्री कृष्णकुमार गोयल : देखी है। मशीन देखी है। इस प्रकार वैल्डिंग करके उसको तैयार की गई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। खुद माननीय सदस्य देखकर आते हैं तो यह कहना कि यह बिल्कुल गलत है, निराधार है। सवाल इतना ही है कि आप देखकर इस नतीजे पर पहुंचे हो कि मशीन पुरानी है। हमारे अफसर कहते हैं मशीन नई है, पुरानी नहीं है। इसके लिये मैं एक बात कह सकता हूं मैं खुद सहकारिता मंत्री जी को साथ लेकर और अगर सम्भव हुआ तो भारत सरकार के एक्सपर्ट को लेकर या हमारी गंगानगर शुगर फैक्टरी के जो एक्सपर्ट हैं उनको साथ लेकर ही मौके पर जाऊंगा और आपको भी सूचना दूंगा। न मैं छिपाना चाहता हूं और न सहकारिता मंत्री जी। अगर मशीन पुरानी पाई गई तो हम न केवल एन्क्वायरी ही करायेंगे बल्कि 420 का केस भी करेंगे। आखिर एक करोड़ 20 लाख का धोखा हम कैसे खा सकते हैं हमारे अफसर मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं इसलिए हम जायेंगे और 8-10 दिन के अन्दर अन्दर जायेंगे और आपको भी सूचना देंगे। सहकारिता मंत्रीजी को साथ ले जाऊंगा और जो गंगानगर शुगर फैक्टरी के एक्सपर्ट हैं उनको भी बुला लूंगा और अगर पुरानी है तो कार्यवाही करेंगे और नई है तो मिसल को दफ्तर दाखिल करेंगे।

और बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। मेरी कभी भी इच्छा यह नहीं रही है कि यह फैक्टरी बन्द हो...

श्री कृष्णकुमार गोयल : न हम भी चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : और न आप ही चाहते है कि यह फैक्टरी बन्द हो। मैंने सोचा है और आप दूसरे नतीजे पर पहुंचेगे खासतौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य भी मिल को चलाना चाहते है-ज्यादा खर्चा हुआ हो, उसकी जाँच करेंगे, मिल चलानी चाहिये इसलिए मैं चाहूंगा मिल वालों ने ज्यादा रुपया मांगा हैं"

श्री कृष्णकुमार गोयल : वित्त मंत्री जो एक प्रश्न रह गया मशीन के अलावा लगभग 22 हजार टन गन्ना"

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूं उस बात पर जो केपिटल है, शेयर होल्डर्स हैं वह मिल जाने चाहिये थे वह नहीं मिली। बहुत सारी हिस्सा पूंजी का रुपया नहीं मिला है इस कारण फाइनेन्स हो गया है और वीक होने के कारण भारत सरकार से बार बार राज्य सरकार मांगती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सारी फर्जी कार्यवाही है। हिस्सा नहीं मिला है...

श्री मथुरादास माथुर : मैं आ रहा हूं उस बात पर भी आ रहा हूं सभापति महोदय अब वह रुपया नहीं मिले तो लोगों ने यह कहा गन्ना खरीद लें। यह यहाँ पर नहीं कई जगह पर होता है। हमारे केपिटल का हिस्सा है उसमें इन्स्टालमेंट बेसिस पर आप काट लिया करें इसलिए यह काटा गया लेकिन वह कम हुआ फिर गड़बड़ी रही और अगर यह नहीं होता तो यह कट मोशन क्यों आते इसलिये यह चिन्तन का प्रश्न बन गया। इसमें 22 हजार खर्च नहीं किये गये, करीब 18 हजार खर्च हुये हैं और एक्चुअली तो 16534 टन खरीदा है। क्योंकि उम्मीद थी आगे तक चलने की

(श्री मथुरादास माथुर)

लेकिन बीच में ही बन्द करना पड़ा। आप कहते है गन्ना सूख गया और बाकी 16534 टन गन्ना वहां पर क्रश हुआ है। अब जो शुगर निकली है वह 1128 टन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल 16 हजार टन निकाली जानी चाहिये थी।

श्री मथुरादास माथुर : 13 हजार टन निकली करीब। कितना परसेन्ट अवव है 9 परसेन्ट है और आप कह रहे हैं 10 और 15 के बीच आनी थी। गंगानगर शुगर फैक्टरी, यह स्टेट एन्टरप्राईज का विभाग मेरे पास रहा है, मुझे इसका अनुभव है 9 परसेन्ट और 10 परसेन्ट के बीच ऐवरेज आया है। कभी 11 परसेन्ट तक भी बढ़ गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो छोटी छोटी खण्डसारी है उनका कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : खण्डसारी ज्यादा निकाल सकती है लेकिन मैं मिल का कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि तीन परसेन्ट कम है और यह परसेन्ट शुगर केन का दो परसेन्ट है। इसकी वजह यह हुई कि टरबाईन मशीनों में गैलोलाइन की कमी होकर यह कमी होगई। वैसे यह 10 परसेन्ट तक निकल सकता है। मैं 10 परसेन्ट से ऊपर भी निकालने का सोचता हूं ......

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने इसके अलावा कारण दिये हैं। परचेजेज 25 के बाद बन्द कर दिये गये। 18 अप्रेल के बाद क्योंकि टरबाइन मशीन बन्द पड़ी है। 24 तारीख तक परचेजेज हुई है, उसके बाद 28 को परचेजेज की गई। उसकी एन्क्वायरी कर रहे हैं। यह पता नहीं आपके सरकारी अधिकारियों ने क्या जवाब दिया है लेकिन जिले के प्रधान, उप प्रधान आदि की एन्क्वायरी चल रही है। लगभग चार हजार के करीब है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक पाइन्ट को डील कर रहा हूं। पहला पाइन्ट मशीन नई है या पुरानी है उस पर आया दूसरा पाईन्ट पेमेन्ट के बारे में उसके लिये मैंने उत्तर दे दिया तीसरी बात शुगर केन के बारे में, परचेजेज के बारे में। आपने बताया 10 हजार बोरी गायब हो गई। मैं इस नतीजे पर आया हूं कि बोरियों के गायब होने का सवाल नहीं है, कम हुआ है-10 परसेन्ट निकलता है। और कम निकला है यह एक इम्पार्टेंट फेक्टर हो सकता है। तीन पाइन्ट तो ये आपको बता दिये अब चौथे पाइन्ट में 20 तारीख को नोटिस दिया गया है कि बन्द करने के लिए कदम उठायेंगे। हमने सोचा था कि हम 30 तारीख तक चला पायेंगे लेकिन 30 तारीख तक नहीं चला पाये और बीच में ही 24 तारीख को मिल बन्द हो गई। अब उसके बाद किसी को साई-ऐडवान्स दे दिया गया, अग्रिम दे दिया गया तो उससे वसूल करने का मामला रह जाता है। हजारों रु० की साई का मामला है।

श्री रामकिशन : आप भाषण कर रहे हैं या कत्थक नृत्य कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप जो समझ लें।

श्री रामकिशन : मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कत्थक नृत्य कर रहे हो।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, अगर आप कत्थक नृत्य से ही मोहित हो जाते है तो और भी ज्यादा अच्छा है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था शुगर परचेजेज की बात आवजेक्शनेबिल है । यह बात कह देते हैं । इसलिये जब मिल बन्द हो गई 24 तारीख को और उसके बाद 24 और 30 के बाद 500 रु० एडवान्स दे दिये गये तो अब उनको खाली तो कराना पड़ता है ।

उसके अलावा अगर बहुत बड़ी परचेजेज हुई हों तो इन्क्वायरी करायेंगे यह आपको सहकारी मंत्री जी कह रहे हैं कि इसकी जांच कर लेंगे । सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि सभी मुद्दे जो उठाये गये थे उनका मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह बता दें टाडलीवर खराब होने के कारण जो जिसमें ज्यूस इकट्ठा होता है टरबाइन खराब....

श्री मथुरादास माथुर : इस टरबाइन को करा रहे है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो टाडलीवर था जिसमें गन्ने का रस इकट्ठा होता है उसमें केमिकल मिलाया जाता है और कुछ समय तक रहता है और फिर बाद में शुगर बनती है तो क्या आपको इसकी जानकारी है कि उसमें भी लगभग 75 हजार रुपये की कीमत का रस खराब हो जाने के कारण उसको फेंकना पड़ा । यह तो एडमीटेड है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उसके बारे में आफ हैंड नहीं कह सकता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने कहा था कि लगभग 75 हजार रुपये की कीमत का गन्ना का रस फेंका गया ।

श्री मथुरादास माथुर : अगर मशीनरी फेल हो गयी और क्रिस्टल नहीं बन पाये तो बाहर ही फेंकना पड़ेगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : शराब क्यों नही बनाई ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए एक्साइज लाइसेन्स नहीं है और आप बना नहीं सकेंगे अगर दे दें तो भी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह डेमरेज किन कारणों से लगा और कितना लगा ?

श्री सभापति : यह न तो बहस में उठाया और न ही आपने कहा था । यह तो क्वेश्चन में पूछ लें तो अच्छी बात है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो छोटी सी बात है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इसको छोटी बात बता रहे हैं कितना ही डेमरेज लगा है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री जगन्नाथ : सभापति महोदय, आप तो पगड़ीबंध को इजाजत नहीं देते लेकिन आप तो इजाजत देंगे । जो माननीय सदस्य नंगे सर आते हैं और घूघू की तरह बैठे रहते हैं उनको तो आप इजाजत दे देते हैं और पगड़ी वालों को चाहे कोई जनहित की बात हो तो उसके लिए इजाजत नहीं देते ।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जगन्नाथ : मैं यह कहना चाहता हूं कि मशीनरी के अन्दर कोई मंत्री डाक्टर नहीं है कि वह डाक्टरी करके लायेगा।

(अश्रव्य)

मंत्री का तो यह है कि जो मशीनरी आई है वह ठीक पैसे लगे या नहीं। माननीय सदस्य बारां से आने वाले हैं वह मशीनरी को जानते हैं या नहीं।

(अश्रव्य)

सभापति महोदय, इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और जब से यह विधान सभा आरम्भ हुई सन् 52 से पहले भी मैं देखने आता था तब से आये हुए माननीय सदस्य हैं वह ऐसा नहीं बोलते थे जैसा कि माननीय गाड़िया साहब बोलते हैं।

(अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय वित्त मंत्री जी एक और बतादें कि वाटर ट्रीटमेन्ट जो प्लान्ट अब लगाया जा रहा है क्या गत वर्ष में जो चीफ केमिस्ट था उन्होंने पिछली बार वाटर की एनेलेसिस करके रिपोर्ट की थी? अब लगाया जा रहा है, यदि यही गत वर्ष लगाया जाता तो अच्छा होता।

श्री मथुरादास माथुर : अब लगाया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने का फैसला लिया है और अब लगाया जा रहा है क्योंकि पहले मशीनरी को खराब करता था....

श्री कृष्णकुमार गोयल : चीफ केमिस्ट दो साल पहले से था....

श्री मथुरादास माथुर : अब वह है कि नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यही कहेंगे कि हटा दिया।

श्री मथुरादास माथुर : कोई फांसी तो लगाने से रहे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अच्छा आप तो यह बतायें कि फैक्टरी कब चालू कर देंगे?

श्री मथुरादास माथुर : हम तो इसी सीजन में कोशिश करेंगे कि चालू हो जाये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप डेट तो बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : जनवरी के फर्स्ट वीक में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कम्पनी को मशीनरी के लिए कब एडवान्स किया और मशीनरी कब आई?

श्री मथुरादास माथुर : यह सब पूछना चाहते हैं तो आप इधर आकर पूछलें तारीख और मिति सब बता दूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था-राज्य / संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 16,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 26 पर विचार

श्री सभापति : मांग संख्या 26-सिंचाई मन्त्री, श्री राम प्रसाद लढ्ढा प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (सिंचाई मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक :-

43 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

44 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44 सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : सभापति महोदय, यह मांग सं० 26 मुख्य शीर्षक 43 में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। मैंने इस आशय से कटौती का प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि इस राजस्थान में एक ऐसा भी क्षेत्र है जो कि शेखावाटी के नाम से कहलाया जाता है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में चूरू झुंझुनूं और सीकर इन तीन जिलों का भाग आता है। हम चारों तरफ राजस्थान का नक्शा देखें तो कहीं न कहीं मेजर प्रोजेक्ट्स मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं और माइनर प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन इन तीन क्षेत्रों के लिए कोई भी सिंचाई का प्रोजेक्ट आज तक सरकार ने नहीं बनाया है और न आज तक हमारी सरकार ने कोई स्कीम ही बनाई है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसकी कि काफी अच्छी जमीन है और वहां के किसान बहुत मेहनती हैं लेकिन वहां कोई पानी की सुविधा नहीं है। इसलिए वे अपने आपको गरीब समझते हैं। जिस रफ्तार से राजस्थान बढ़ रहा है हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दस पंद्रह सालों में यहां का जनजीवन अस्तव्यस्त हो जायेगा क्योंकि सिंचाई के साधन जो कि नहरों से हो रहे हैं और जितनी कास्ट आफ प्राडक्शन आती है यहां का काश्तकार अपने आपको दूसरे काश्तकारों के मुकाबले में खड़ा नहीं रख सकेगा। इस लिए मेरी मांग है और मैं जानता हूं कि राज्य सरकार का जवाब क्या होगा। राज्य सरकार यही कहेगी कि इस समय सम्भव नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि आस पास में क्या हालत है और आपके पड़ोसी राज्य और आपके राज्य की प्रगति इसके लिए बाध्य कर रही है कि इसको आप सम्भव बनाओ। आपके पास हरियाणा राज्य है, आपसे छोटा राज्य है लेकिन उन्होंने एक जुही केनाल बनाई है वह एक करोड़ की लागत से बन कर 50-60 मील में बनी है और आसपास में पानी की जो समस्या थी पीने की वह

(श्री शिवनाथसिंह)

हल हो गयी और उसी से 80 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रावधान रखा गया है। आपने और योजनायें बनाई हैं अजमेर के लिये 3 करोड़ की योजना बनाई है जिससे कि सिर्फ अजमेर शहर को पानी पिलाया जायेगा। इसी तरह से जयपुर के लिए योजना बनाई है और दूसरे शहरों के लिए भी बन रही है मेरी मान्यता है कि आप इन शहरों के पानी के कष्ट का निवारण करो लेकिन जो देहात के कस्बे हैं, इन क्षेत्रों के अन्दर भी जो लोग बसते हैं वे भी राजस्थान के अंग हैं, राजस्थान के भागीदार हैं, राजस्थान के भले और बुरे के हिस्सेदार हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दें। इन जिलों—चूरू, सीकर, झुंझुनूं के पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पीने के पानी की समस्या है। वहां पर खारा पानी हैं, ऐसा पानी हैं जिस को मनुष्य या ढोर पी लेता है तो मर जाता हैं। वहां पर पीने की पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या हैं, उनका हल नहीं किया गया है। क्योंकि उनके पास में हरियाणा पड़ता है। उसकी प्रगति को देखते हैं तो उनके मन में टीस उठती है और यह आम भावना पैदा होती है कि अच्छा हो कि राजस्थान के बजाय हम हरियाणा में चले जायें। इस भावना को कोई रोक नहीं सकता और वह भावना इस लिए हो रही है कि वे इलाके उपेक्षित हैं। उनका भी सम्पूर्ण विकास होना चाहिए जैसा कि राज्य के दूसरे हिस्सों का हुआ है। उस हिसाब से उनका विकास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि यहां जमीन ऊंची है, लेकिन कोई भी योजना लिफ्ट इरिगेशन की बनाये जैसी कि आपने लूणकरनसर की लिफ्ट इरिगेशन बनाई है, अर्थात केनाल हरियाणा की वह एक लिफ्ट केनाल है उसी तरह से आप गुड़गांवा से ला सकते हैं, राजस्थान नहर से पानी ला सकते हैं। आपके पास में पानी बहुत है। आपके पास में समुद्र है उसमें से क्षेत्र का पानी मिलना चाहिए। लिफ्ट के द्वारा इस क्षेत्र में लाया जा सकता हैं पानी। लुहारू झुंझुनूं के बिल्कुल ही समीप स्थित हैं वहां तक नहर आती है उससे ज्यादा दूर झुंझनूं जिला नहीं है। इसलिए राज्य सरकार का जो यह नोशन बना हुआ है कि यहां पर सिंचाई की योजना सफल नहीं हो सकती है, हम पानी नहीं ला सकते हैं, उस नोशन को चेन्ज करना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा खर्चा हो सकता है, लेकिन कितने अर्से तक फायदा होगा और कुल कितनी आमदनी होने वाली है, उसको देखते हुए खर्चा नगण्य है। राज्य सरकार एक्सपेरीमेंट के तौर पर ही देख लें और खर्चा करें 5-4 करोड़ का और कोई स्कीम यहां पर रख लें। उसमें इस क्षेत्र मे उसको सफलता मिलती है तो उसको आगे बढ़ावें और अगर नहीं मिलती हैं तो संतोष तो दिला सकते हैं और हम लोगों को कह तो सकते हैं कि राज्य सरकार ने भरसक प्रयत्न किया लेकिन वह सम्भव ही नहीं हैं। इसके बाद न हम ज्यादा जोर देंगे और न लोग कहेंगे। आम लोगों की भावना बनी हुई हैं कि आस पास के इलाकों में हो सकता हैं, जैसलमेर में राजस्थान नहर का पानी जा सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं आ सकता हैं, वह भावना दूर होगी। जैसलमेर में राजस्थान नहर का पानी जायगा, उनका पानी का कष्ट निवारण होगा, वहां की जमीन को पानी मिलेगा, जैसलमेर को पानी मिलना चाहिए और इस क्षेत्र में जोकि चूरू,

(श्री शिवनाथसिंह)

सीकर और झुंझुनूं का क्षेत्र है उसमें यदि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिले तो, पीने के लिए पानी नहीं मिले तो लोगों में यह भावना उठती है और वह वाजिब भी है। इसलिये संक्षेप में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर दिमाग बनायें, कोई प्लान बनायें, कोई स्कीम बनायें और यदि वह सफल नहीं हो और आप हमें यदि यह संतोष करा दें कि आप जो कहते हैं वह सही है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने कहा है कि यह सम्भव नहीं है तो हम उस बात को मान जायेंगे और लोगों से कहेंगे कि आपने प्रयत्न किया उसके बावजूद भी सफल नहीं हो सके हैं, लेकिन आप प्रयत्न नहीं करें और उसके बावजूद यह कहें कि सम्भव नहीं हो सकता है तो मैं तो मान भी जाऊं कि यह सम्भव नहीं हो सकता है, लेकिन आम आदमी मानने को तैयार नहीं है। उसको जब तक सन्तोष नहीं दिलायेंगे तब तक उनको एजीशन करने का अधिकार है और वे एजीशन करते रहेंगे और राज्य सरकार का जब तक यह नोशन रहेगा कि सम्भव नहीं है तब तक एजीशन करेंगे हम।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मेरी मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 44 पर दो कटौती प्रस्ताव हैं। मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सीमावर्ती क्षेत्रों की राज्य सरकार ने हमेशा उपेक्षा की है, और इसके बारे में मैं बार बार सदन में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। राजस्थान नहर के बारे में मैं इस समय कुछ कहना चाहता हूं। राजस्थान नहर के लिये जो राज्य सरकार का प्रयास है उस प्रयास को या अगर जिस रफ्तार से कार्य किया जा रहा है उसको देखते हैं तो राजस्थान नहर का कम्प्लीशन 20 वर्षों से कम नहीं लेगा। परन्तु जबकि हम यह चाहते है कि जैसलमेर जिले का विकास हो, जब हम यह चाहते हैं कि बाड़मेर जिले का विकास हो, और उन क्षेत्रों का, रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास जब तक सिंचाई के साधन उपलब्ध न हो तब तक उन क्षेत्रों का विकास हो नहीं सकता। राजस्थान नहर के बारे में जो चीफ इन्जीनियर कंवरसेन ने योजना बनाई थी और उस योजना से हमें एक आशा का प्रकाश मिला था और एक ऐसी आशा बन्धी थी कि हमारे बाड़मेर जिले में यह नहर आयेगी, और हमारा क्षेत्र भी सिंचित होगा, परन्तु वह भी निराशा के रूप में परिणित हो गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजना बनाई जैसे लूणकरणसर की योजना जो कि लिफ्ट योजना है जो कि उस योजना के अन्दर पहले नहीं थी, इस प्रकार की और भी लिफ्ट योजनायें बना कर ऐसी स्थिति पेश की गई कि राजस्थान नहर किसी भी सूरत में बाड़मेर जिले में पहुंच ही नहीं सकती, और वहां पर पानी पहुंच ही नहीं सकता, मैं यह चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको रिएक्जामिन करें और रिएक्जामिन करा कर यह राजस्थान नहर की योजना बाड़मेर जिले में से होकर जो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली थी उस योजना को क्रियान्वित करें। उस योजना के क्रियान्वित करने से बाड़मेर का जिला भी कवर हो सकता है। बाड़मेर जिले के लिए तो राजस्थान नहर का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जो चम्बल (नर्मदा) के बारे में बात कही जाती है, तो चम्बल (नर्मदा) का अभी तक प्रश्न राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में चल रहा है। आर्बिट्रेशन के बारे में अभी तक कोई भी प्रयास मुझे नहीं दिखता है। चम्बल (नर्मदा) की योजना भी कब क्रियान्वित होगी इसकी भी हमें कुछ आशा नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से बाड़मेर जिले जब तक में चम्बल (नर्मदा) के बारे में कुछ आर्बिट्रेसन होकर कोई निर्णय नहीं होता है या उसका कार्य आगे नहीं बढ़ सके तब तक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का भविष्य उज्ज्वल नहीं मालूम होता है, और यह सीमावर्ती क्षेत्र सुनसान क्षेत्र रह जाता है। मुझे विशेष तौर से कहना है गवर्नमेंट से कि उसको एक्जामिन करा कर कोशिश करना चाहिये कि किसी तरीके से चाहे चम्बल (नर्मदा) परियोजना का कार्य विस्तृत होकर बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में यह पहुंचे या जैसलमेर से राजस्थान नहर कुछ आगे बढ़ा कर बाड़मेर जिले तक पहुंचाएं। दोनों ही मांगों के बारे में मैंने विस्तृत तौर से पहिले भी उल्लेख किया है, परन्तु राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान नहर का कार्य फेज़िन में तो द्रुत गति से बढ़ा था लेकिन अब यह कार्य ठप्प हो गया है और कार्य बिल्कुल धीमा है, कोई कार्य चल नहीं रहा है। उस कार्य में देरी होती है, टेन्डर्स होते हैं उनकी स्वीकृति में बहुत समय लग जाता है। कोई अर्थ वर्क है कोई इंटों का काम है ये जितने भी कार्य हैं उनके टेन्डर्स की स्वीकृति में इतना समय लग जाता है, और बोर्ड में वह मामला आता है उसमें इतना समय लग जाता है कि जिससे काम आगे नहीं बढ़ पाता है। चीफ इन्जीनियर को टेन्डर स्वीकृति के पावर्स दे दिये जायं और इस प्रकार से इस कार्य को गति दी जाय।

इसलिये मैं विशेष तौर से इस आशा से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर जो कि एक सीमावर्ती नहर है- इससे सीमा और प्रान्त की सुरक्षा भी हो सकती है, देश की सुरक्षा भी हो सकेगी, और साथ साथ में यह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है यह भी विकसित हो सकेगा। गवर्नमेंट कि यह कोशिश हो कि इसके कार्य की गति को बढ़ाया जाय, और मैं यह भी चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट यदि इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकती है तो सेन्टर इस योजना को अपने हाथ में ले, और राजस्थान गवर्नमेंट को यह कोशिश करना चाहिये कि यदि यह उसकी शक्ति से बाहर की बात हो और वह इस योजना को सफलीभूत नहीं कर सकती हो, और आगे नहीं बढ़ा सकती हो तो इस योजना को केन्द्रीय योजना बना कर सेन्टर को अपने हाथ में लेने के लिये पूर्णतया प्रयत्न करें और इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करावें और इस चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसको क्रियान्वित करें तब जाकर यह क्षेत्र विकसित हो सकेगा।

और मैं यह भी इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि यह लूनी नदी पर बांध बनाया जा रहा है, मोतीराम समिति जांच कर रही है। यह जो बांध बांधा जा रहा है, सिवाना है, घोटा है, उसमें लूनी नदी का ....

श्री सभापति : आप का कटौती प्रस्ताव राजस्थान केनाल के लिए है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसके बारे में भी थोड़ा सा कह दूं।

अच्छी बरसात नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम पानी आया है। इसलिए इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट आजायेगी तो गवर्नमेंट निर्णय ले, ऐसा नहीं हो कि यह क्षेत्र ऐसा ही पड़ा रहे। इस क्षेत्र में कोई भी सिचाई योजना नहीं है। यह स्थिति पैदा न हो। इन सब बातों को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार कदम उठाये।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, जब किसी जवान आदमी को मौत हो जाती है, लोग मरघट में जाते हैं तो उनको वैराग्य हो जाता है इस जिन्दगी का क्या भरोसा। कहा तो यह जाता है कि राजस्थान में पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जानी चाहिए। तो मैं यह कहूंगा कि यह मरघट वाला वैराग्य न हो जाय। भीलवाड़ा जिले के जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, 10 नदियां वहां बहती हैं। कुछ कार्य वहां के लिए स्वीकृत तो हुए हैं लेकिन अभी शुरु नहीं हुये हैं। वहां जल्दी बांध शुरू करें। कोठारी नदी का पानी योंही चला जाता है मैंने यह निवेदन किया था कि उसको जल्दी रोकिये। इसी तरह से ओराई डैम नहर अभी वहां तक नहीं पहुंची है। इस काम को कृपा करके जल्दी शुरू करवाइये। वहां देवलिया खाल है, माताजी की खोड़ है, वहां पर तालाब है। वहां पर रिलीफ का काम हुआ था। डूंडियाखाल है, वहां बन्ध हो जायगा तो कुवों में सेजा हो जाएगा। बूंदरखोड़ और रानी खेड़ा बांध है, उसमें थोड़ा सा रुपया और लग जाये तो काफी पानी आजाएगा। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ क्षेत्र ही ऐसा है जहां अकाल नहीं आया है। अगर यह योजना ले ली जाय तो अकेला मांडलगढ़ क्षेत्र ही सारे राजस्थान को अनाज दे सकता है। आप को पानी रोकना है तो आप को इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। कुछ और निवेदन कर दूं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पानी के बड़े बड़े दह भरे हुए हैं। अगर आप लिफ्ट इर्रीगेशन लगा दें तो कई गांव ऐसे हैं जिनमें लिफ्ट इर्रीगेशन से ही पानी पहुंच सकता है। उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह राजस्थान के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इन 10 नदियों का पानी कैसे रोका जाय ? पूरी शक्ति भीलवाड़ा जिले में लगायें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा): सभापति महोदय, भाखड़ा और ओराई के सम्बन्ध में प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। भाखरा नहरों में पानी के बटवारे में पक्षपात होता रहा है। उसकी सीमा होनी चाहिए। मैं थोड़ा में निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान कैनाल और भाखरा में, भाखरा में पानी का कोटा 62% निर्धारित है। जबकि करणीसिंह, सादुल शहर, और घग्घर की नहरों में तो पानी 62% से उपर चलता है। और जसाना अमरसिंह ब्रांचों में 28 व 35% क्यों चलाया जाता है। हमारे पास माननीय मन्त्री के उत्तर हैं। इसमें निम्न प्रकार से पानी चलाया जाता है :—

(1) करणीसिंह ब्रांच – 68%

(2) खारा ब्रांच – 79%

(श्री हंसराज आर्य)

(3) सादुल ब्रांच - 68%

(4) उत्तर घग्गर ब्रांच- 79%

(5) जसाना ब्रांच - 28%(नोहर में)

(6) अमरसिंह ब्रांच - 35%(भादरा में)

इस प्रकार, सभापति महोदय, पानी के बटवारे के साथ पक्षपात है। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, नहरों में जो मिट्टी भर गई है, उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है। उसके लिए कुल धनराशि 3100420रु० स्वीकार किया गया है। इस रुपये का बटवारा किया गया है। उसमें कितना पक्षपात है। हनुमानगढ़ लाइन में पानी आता है। वहां 75% पानी दे रहे हैं। इस नहर के लिए 575600 रु० स्वीकार किया गया है। पीलीबंगा में 75-76% पानी चलता है, वहां के लिए 795000रु० दिया गया है। नोहर और भादरा दोनों के लिए 225036 रु० दिये गये हैं। यह मैं समझता हूं, इससे अधिक पक्षपात की कोई सीमा नहीं हो सकती। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अमरसिंह जसाड़ के बारे में आपका कोई प्लान है या नहीं है ? यदि पानी नहीं दे सकते तो मेरा यह निवेदन है कि उस क्षेत्र को आप अनकमांड घोषित कर दें ताकि किसान टैक्स से तो कम से कम बच जाय। सभापतिजी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, 1954 में नहर जब आई तो बासठ प्रतिशत पानी देने का प्रश्न था, लेकिन आठ साल के बाद में सिंचाई विभाग ने एलान किया कि चाहे हमारे इंजीनियर्स की कमी हो, चाहे हमारे पास पानी की कमी हो लेकिन नोहर और भादरा-इन दो तहसील में अमरसिंह और जसाड़ बांध के नीचे सैंतीस हजार एकड़ जमीन को नौ साल के बाद में कमांड से अनकमांड किया गया, जो आज भी अनकमांड है सरकार ने आश्वासन दिया था कि कमांड को जल्दी से जल्दी अनकमांड करेंगे या जिन किसानों के पास पचास बीघा से अधिक भूमि थी उसमें से लगभग पचास बीघा कमांड देने की बात की थी, कमांड नहीं है तो वह दे देंगे। यह दोनों आश्वासन दिये थे। किसान यह आशा लगाये हुए हैं कि सैंतीस हजार बीघा कब कमांड होगी ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल पहले बजट सेशन में यह आश्वासन दिया था कि सैंतीस हजार बीघा अनकमांड में से 18 हजार बीघा कमांड कर देंगे। लेकिन दो साल का समय बीत चुका है, आज भी इस स्थिति में नहीं हैं कि पानी मिल सकेगा। हमें खुशी हुई थी जब सरकार ने पानी के बंटवारे को नियमित रूप से चलाने के लिये राज्य अधिकारी एस. ई. को चण्डीगढ़ भेजा था। वह चण्डीगढ़ में बैठे हैं और वहां तनख्वाह पा रहे हैं लेकिन पानी की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। हरियाणा और पंजाब जब चाहे तीन सौ चला दें, जब चाहें दो सौ चला दें, और जब चाहें सौ चला दे, चाहें तो बिल्कुल बन्द कर दें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि पंजाब और हरियाणा नहीं मानते हैं तो भारत सरकार को बीच में डाल कर राज्य सरकार के पानी का बंटवारे का फैसला कराना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था है, इसमें पक्षपात है और टैक्स हमारे से वही लिया जाता है। सभापतिजी, मैं

(श्री हंसराज आर्य)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंदोलन चला था, उसमें नोहर और भादरा के किसानों में से अधिकांश किसान पानी की समस्या को लेकर जेल में गये थे। 62 प्रतिशत देने का विश्वास दिलाया था, इस कारण पैसा उतना लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है लेकिन पानी 62 के बजाय एवरेज रूप में पैंतीस, अट्ठाइस पर्सेन्ट आता है और कुछ जगह तो 28 पर्सेन्ट 11 पर्सेन्ट और छ: पर्सेन्ट है। सरकार के द्वारा जो सूचना मुझे मिली है उसमें यह है। इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है?

श्री दौलतराम सारण : धोखा। ज्यादती नहीं धोखा है। ज्यादती नहीं धोखा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जरा रुकिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बोलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसे राजनैतिक बेईमानी कह सकते हैं।

श्री हंसराज आर्य : मैं निवेदन करूंगा कि यह पानी के मामले में पक्षपात है। सरकार कह सकती है, हरियाणा नहीं मानता है, नहर कच्ची है इसलिए जब चाहे कट कर लेता है। लेकिन पैसे के बटवारे में भी पक्षपात किया गया है। इक्कीस हजार दिया गया है, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सादुल शहर आदि के लिये और नोहर में पानी 62 के बजाय पैंतीस पर्सेन्ट दिया गया है, भादरा है जहां 22 पर्सेंट चलता है। इन दो तहसीलों में सवा दो लाख दिया गया है मैं समझता हूं कि यह सरकार का पक्षपात है ही। और हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंनेभी जनता के साथ पक्षपात किया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है।

श्री रामकिशन : यह बैठ क्यों गये। डर की वजह से बैठ गये।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामकिशन : मंत्री का नाम लिया इसलिए डर की वजह से बैठ गये।

श्री हंसराज आर्य : डरते नहीं है। डरना सीखा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : नाम वृद्धिचन्द्रजी ने लिया दिया इसलिए तुरन्त बैठ गये।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि साढ़े तीन बजे मुख बन्द हो जायगा, इसलिए आप भाषण सीमा में करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने चौदह कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। मैं इन प्रस्तावों पर ...

श्री नत्थीसिंह : चौदह प्रस्ताव दिये हैं, पांच पांच मिनिट तो हर पर बोलेंगे।

श्री रामकिशन : मुख बन्द का नम्बर भी आपका आया है, यह पक्षपात है। मुख बन्द करना है तो हंसराज आर्य के नम्बर पर करते।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): सभापति आपको तो सुखाड़ियाजी की जगह बना दिया जाय मुख्य मंत्री तो ठीक रहेगा। वह

Page No 95

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बराबर यह कहते हैं कि मैंने राजस्थान की बहबूदी के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहा हूं लेकिन अर्थाभाव के कारण मैं कर नहीं सकता। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के हिस्से का पानी आज भी पाकिस्तान में जा रहा है, यह कांग्रेस के अन्दर रहने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वह भी कहते हैं कि राजस्थान केनाल का पानी झुंझुनूं तक लायें क्योंकि हरियाणा की सरकार बहुत काम कर रही है। राजस्थान की सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में जाने वाला पानी है, राजस्थान सरकार उस पानी को लेने का यदि पूरा इन्तजाम कर लें तो चार पांच जिलों की जो कठिनाई है वह दूर हो सकती है। लेकिन आज तक राजस्थान सरकार ने उस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। बजट अधिवेशन में भी यह कहा गया कि पाकिस्तान में पानी का हमारा हिस्सा नहीं जायेगा, हम नहीं जाने देंगे। बार बार यह घोषणा की लेकिन आज भी पानी पाकिस्तान में जा रहा है। इसके साथ ही 1973 में पौंग बांध तैयार हो जायगा तब राजस्थान का हिस्सा अठारह लाख क्यूसेक पानी मिलेगा, वह लेने के लिए भी कोई इन्तजाम नहीं है, न नहर निकाल रहें हैं। वह पानी दूसरे प्रान्तों के लोग ले जायेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के लोग उस पानी से वंचित रहेंगे। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। हमारे यहां के सदन के अन्दर बैठनेवाले जो माननीय सदस्य हैं, उधर ट्रेजरी बैंचेज की तरफ बैठे हैं, उनको यह सोचना चाहिए, यदि यह पानी दूसरे प्रान्तों में चला गया और पाकिस्तान से पानी लेने का इन्तजाम नहीं किया गया तो राजस्थान की जनता को हमेशा के लिए भूखों मरना पड़ेगा। यह सरकार तो चली जायगी लेकिन यह पानी भी साथ में लेकर चली जायगी...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहां ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कहना चाहता हूं उस पानी को लेने के लिये जल्दी से जल्दी इन्तजाम किया जाय या फिर कुर्सी को खाली कर दो। जो नई सरकार आयेगी वह अपने आप काम करेगी। जो इस तरह राजस्थान के लोगों के साथ गद्दारी करें उन्हें कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपको यह नहीं करना चाहिए। आपके सामने जो भी कठिनाई है, लेकिन आप अकाल पर भी सौ करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो फिर पचास करोड़ रुपया इस पर खर्च करें और इस पानी को लेने का इन्तजाम करें। भारत सरकार को कहें और फिर इस प्रकार की योजना जल्दी से जल्दी बनायें।

इसके साथ ही किसान आन्दोलन की मांगों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी, मोतीराम एक सदस्य कमेटी हमने अपाइन्ट की है। वह रिपोर्ट दे देगी उसके अनुसार हम सिंचाई की व्यवस्था शुरू कर देंगे। यह मोतीराम रिटायर्ड चीफ इन्जिनियर हैं, इनको ढूंढ़ रखा है। हर काम में उनको सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। उस रिपोर्ट को आज तक इस सदन की मेज पर नहीं रखा है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, मोतीराम समिति की जो रिपोर्ट है, वह इस सदन के सामने आनी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि उनकी क्या क्या रिपोर्ट है ? क्या सुझाव दिये हैं ? उन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सुझावों पर सरकार कब तक अमल करने वाली है। वह रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए। उसके बाद में इस ओर भी राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, खास तौर से मुख्य मंत्रीजी का कि पंजाब में गंग केनाल को तोड़ा गया रूपनगर के पास में जब कि यहां की आपकी नहर श्रीमान् मनफूलसिंह, राज्य मंत्री के रिश्तेदार ने तोड़ी, उस नहर तोड़ने वाले आदमी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या इस तरह हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में तोड़ कर ले जाय और लाखों काश्तकारों की फसल बरबाद हो जाय और यहां की सरकार कोई इन्तजाम नहीं करे ? इससे बढ़कर बदइन्तजामी क्या हो सकती है। इस राज्य में आपा धापी, भाई भतीजा वाद है और रिश्तेदारों को प्रोत्साहन देने की ज्यादा बात है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस आदमी पर आप मुकद्दमा चलायें जिसके कारण काश्तकारों का नुकसान हुआ है और उसका हरजाना सरकार को देना चाहिए या पंजाब सरकार को देना चाहिए, या जिस आदमी ने तोड़ी है उससे लेना चाहिए। वह भी बहुत बड़ा लेंड लार्ड है।

इसके अलावा पांच 6 मुद्दों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मादरा में आर के मोगे बोगस बने हुए हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं, हंसराजजी कह रहे हैं कि उस इलाके में बड़ी तकलीफ है। उस पर भी आप सुखाड़ियाजी का समर्थन करते हैं। इससे आपको सुख मिलना कैसा, दुख मिलने वाला है। इससे आप उस इलाके को बरबाद कर रहे हैं। भाखरा से आये हुए कितने साल हो गये, उनको उखाड़ा जा रहा है, इतने लोगों की एप्लीकेशन्स मेरे पास आई है। इसके अन्दर गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। आप चाहें तो पढ़कर सुना दूं नहीं तो सदन की मेज पर रख देना चाहूंगा। इस पर गम्भीरता से जांच करवाई जाय और दोषी अधिकारियों को सजा दी जाय। ओवरसियर और पी० डब्ल्यू०डी० वाले मिलकर गरीबों को उखाड़ देते हैं। आप पढ़कर देखिये।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय को दें तो अच्छा होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मन्त्री को किस लिए दें ? वह कौनसी चिड़िया है ? मंत्रीजी को कई बार लिखा है, वह उत्तर भी नहीं देते हैं। सबका हिस्सा बन्धा हुआ है ऊपर से नीचे तक इसलिए मैं सदन की मेज पर रखूंगा। इसमें आवश्यक कार्यवाही कराई जाय।

5–6 मुद्दों की तरफ ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 105 आर० डी० राजस्थान केनाल से बरसात के मौसम में करीब दो हजार क्यूसेक्स पानी फालतू चला जाता है, वह पानी फसल बरबाद करता है और आप महसूस करेंगे कि 2 हजार क्यूसेक्स पानी कितना ज्यादा पानी बेकार में जाता है और जब नहरों में फ़ालतू पानी आता है तो फसल डूब जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां नहरों के द्वारा फालतू पानी को लिफ्ट करके नहर से दक्षिण की तरफ निकाला जाय। इससे काफी मीलों तक–50 मीलों तक--लोगों को पानी मिल सकता है और सिंचाई के लिए भी उस पानी से व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार की स्कीम 1968 में बनाई गई थी लेकिन

Page No 97

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उसको लागू नहीं कर रहे हैं और वह फालतू पानी लोगों को बर्बाद कर रहा है। इससे बढ़कर सरकार की हठधर्मी क्या हो सकती है ? एक तरफ लोग प्यासे मरें, अकाल से पीड़ित रहें, राजस्थान केनाल क्षेत्र को इस तरह ठुकराना, पानी न मिले और दो हजार क्यूसेक्स पानी बरसात के मौसम में ऐसे ही जाता है। जब चाहते हैं फाटक खोल देते हैं और फसल बरबाद हो जाती है, सिंचाई मन्त्री को ध्यान देना चाहिए और 1968 में जो स्कीम बनी है, उसको लागू करना चाहिये, पानी का उपयोग होना चाहिये।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है। 116-आर.डी. राजस्थान केनाल पर खेदासरी गांव को पानी देने के लिए मोरी है, वहां 7 हजार बीघा पानी लग सकता है लेकिन 116-आर०डी० से निकली हुई मोरी, काश्तकार 4–5 मील तक खोदकर पानी ले जाता है लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। इस संबंध में भी जो काश्तकारों ने एप्लीकेशन्स भेजी हैं वह इस सदन की मेज पर रखता हूं। और सिंचाई मन्त्री विशेष ध्यान देकर खेदासरी माइनर निकलो की जनता को पूर्ण करवायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आप घन्टी न बजायें क्योंकि मेरे प्रस्ताव बहुत ज्यादा हैं। मैं विस्तार से कह देना चाहता हूं ···

श्री सभापति : मुखबन्द का समय आ रहा है। आपके कटौती प्रस्ताव मन्त्री महोदय ने पढ़ लिये हैं और 15 मिनट का समय आपने ले लिया है। जवाब देने के लिए ··

श्री रामचन्द्र आर्य : सारे के सारे यदि स्वीकार कराने का वचन दिलायें तो मैं बैठ जाऊंगा। जो एप्लीकेशन्स हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

इसके बाद मैंने प्रस्ताव रखा कडाणा बांध के विस्थापितों के लिए। जिस तरह से पोंग बांध वालों को राजस्थान केनाल पर जमीन दी गई, इस तरह से गुजरात सरकार से विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन मांगनी चाहिये कि इतना इलाके पर बांध बना रहे हैं और उस बांध के नीचे आने वाली जमीन के बदले जमीन चाहिए। मुआवजा नहीं चाहिये। काश्तकार को जमीन प्यारी होती है उसके बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए निवेदन है कि राज्य सरकार ने जैसे पोंग के विस्थापितों को जमीन दी है, गुजरात सरकार से जमीन लेना चाहिये।

दूसरा प्रस्ताव है रावतसर ब्रांच में। रामपुरा माइनर के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यह कोई अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है लेकिन आज मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1200 एकड़ जमीन इस साल बगैर पानी के फसल के रह गई। आप जाकर देखें। काश्तकारों ने 20,000) खर्च किया था, इस नहर को खोदा था जिसको 6 साल हो गये और आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा। अब जाकर बेलदार लगाए हैं। इस तरह से हमको सरकार की उदासीनता देखने को मिली। दूसरी तरफ राजस्थान केनाल का पानी घग्घर बांध में छोड़ा था 4 हजार क्यूसेक्स पानी फालतू जंगलों में फिरता है और काश्तकार नहरें खोदते हैं, बून्द बून्द के पानी के लिये

Page No 98

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तरसते हैं। इससे बढ़ कर लज्जा की बात क्या हो सकती है? उस इलाके में जमीन रेतीली है साटों से एक दो घन्टे में जमीन नहीं भीगती है। फालतू पानी है। बरसात में कम से कम उसका उपयोग किसान खेतों में करेंगे लेकिन लाखों रुपये लोगों को आमदनी और आप लोगों को आमदनी होती है, यह चार्ज में लगाता हूं। जो पैसा देते हैं साख निकाली जाती है और जो नहीं देते हैं उनकी साख नहीं रहती है और फालतू पानी दूसरी तरफ डालते हैं।

उस इलाके की जमीन पक्की कैसे होगी?

श्री सभापति: स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: उसको पक्का करना जरूरी है। आपको डबल पानी देना चाहिए। आप मानें या न मानें। अगर फालतू पानी राजस्थान केनाल के क्षेत्र में के काश्तकारों को दें ...

श्री सभापति: स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: मेरे और प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति: फिर आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य: राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच को पक्का करने की स्कीम थी। उस ब्रांच को पक्का किया जाय। तमाम जो माईनर साखें है उनको पक्का किया जाय और रावतसर लिफ्ट योजना बनी हुई है, आपके पास पानी बहुत है लेकिन नोहर तहसील में 23 हजार एकड़ की 1966 में स्कीम मन्जूर हुई थी उस योजना को आप चालू करें और 23 हजार एकड़ जमीन लोगों को सिंचाई के लिए लिफ्ट से पानी दें। योजना बनी हुई है उस बारे में कई बार मैंने मामला उठाया लेकिन राज्य सरकार नहीं सुनती। आप गम्भीरता से इस पर विचार करें।

(घन्टी)

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि गंग केनाल की लालगढ़ व सपेजा शाखा को बारह मासी किया जाय। राज्य सरकार ने कहा था कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट आने पर इसको 12 मासी कर दिया जायगा। इस पर गौर करें।

इसके अलावा जो भी प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखे हैं उन पर भी विचार करें। एक एक बात को मैंने गम्भीरता से रखा है और सोचता हूं कि आप विचार करेंगे क्योंकि आपके पास पानी की कमी नहीं है। यदि पैसे की कमी हो तो भारत सरकार से लें। नहीं मिलता तो कुर्सी छोड़ दें।

इस प्रकार कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री सिंचाई मंत्रीजी बहस का उत्तर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मेरा भी प्रस्ताव है।

(2.21 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी कटौती प्रस्ताव है और उसको नहीं लिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसको भी लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : 3½ बजे मुखबन्द होकर मांगे रखी जावेंगी। इसलिये अब सिंचाई मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री बालसिंह सोढा : एक प्रश्न पूछ लूं।

इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसको यूज करने के लिये पायलेट चैनल अलांग दी राजस्थान कैनाल का सर्वे करायेंगे और उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पायलेट चैनल की न कोई सर्वे हुई, नयी लिफ्ट योजना ली जा रही है, नैचरल फाल है, सस्ती होने के बावजूद भी नहीं ली जा रही है। छत्तरगढ़ से रामगढ़ पहुंचने के लिये सर्वे का क्या हुआ और प्रोविजन नहीं रखा तो इसका क्या कारण है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि कडाणा बांध के सर्वेक्षण के लिये 4.80 हजार की मांग है। 419 के बजाय 410 करेंगे तो उसको गुजरात गवर्नमेंट मानेगी या नहीं और नहीं मानेंगी तो कैसे सर्वेक्षण करायेंगे ? आपने 410 का सर्वेक्षण करा लिया और गुजरात सरकार ने नहीं माना तो क्या दुबारा सर्वेक्षण करायेंगे ? उसकी रिपोर्ट कब आयेगी ?

यह जो आपने राजस्थान केनाल के ऊपर फसल वगैरा को कटाने के लिये 1 लाख रुपये का प्रोविजन किया है। 20.22 हजार एकड़ में है यह कहा गया। माननीय कृषि मंत्रीजी ने कहा कि कुर्क करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोग हाईकोर्ट में चले गये और रिट ले आये, उनकी फसलों को आप कुर्क नहीं करवा सकेंगे। 1 लाख को किस प्रकार कार्यान्वित कर सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : केवल पांच मिनिट शेष है और आप फिर उत्तर प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

केवल संक्षेप में मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल बजट में प्रावधान नहीं होने की वजह से, कुछ आकस्मिक खर्चे की वजह से कुछ रकम की ओर मांग की गयी है। इसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, गंग केनाल में मिट्टी निकालना आदि के विषय में एडीशनल खर्चे की मांग की गई है उस पर। माननीय सदस्य श्री शिवनाथसिंहजी ने कहा कि झुंझुनूं जिला एक सूखा जिला है। झुंझुनूं चूरू, सीकर ये शेखावाटी के इलाके सूखे इलाके हैं इसलिये राजस्थान केनाल में पानी है तो झुंझुनूं सीकर और चूरू इलाके में लाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रेडियन्ट्स हैं, स्लोप्स हैं उसके आधार पर राजस्थान केनाल का पानी झुंझुनूं जिले में नहीं आ सकता है लेकिन एक नदी का पानी उस इलाके में आ सकता है। वह जमुना नदी है। हथनीकुंड डेम के कार्यान्वित होने पर इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

इलाके की सिंचाई हो सकती है। इलाऊ डेम बना है राजस्थान सरकार भी हिस्सेदार है। यदि उसकी स्वीकृति हो जावेगी तो उसका लाभ इस इलाके को मिल सकेगा और यह इलाका भी उससे लाभान्वित होगा।

एक माननीय सदस्य : कितनी लागत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : सौ करोड़ दो सौ करोड़ से ऊपर की है। तीन चार स्टेट इसकी हिस्सेदार है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यू. पी.। इसके लिये अन्तिम रूप से ही विचार किया जा सकता है।

श्री रामानारायण चौधरी : कब से सोच रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : तहकीक प से तो नहीं कह सकता कि कब से सोच रहे हैं और कब अन्तिम रूप से यह होगी। योजना को अभी प्रारम्भिक कार्यवाही हो रही है। डिटेल्ड सर्वे हो जावेगा।

श्री हंसराज आर्य : कौनसे प्रान्त में पड़ती है यह नदी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : हिमाचल प्रदेश में। स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी योजना कम्पलीट बन कर मंजूरी की स्टेज पर नहीं आयी है।

श्री नत्थीसिंह : किस किस जिले में पानी का उपयोग करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : राजस्थान, यू. पी., हरियाणा और दिल्ली ये चार हिस्सेदार हैं। गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया ने यह बनायी है। हमने, दस लाख एकड़ सिंचाई हो सके उसके लिये पानी मांगा है।

श्री नत्थीसिंह : कौनसे इलाके में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : भरतपुर और झुंझुनूं।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान नहर से लिफ्ट योजनायें सर्वे हुईं। चुरू और बाकी जिलों को सींचने वाले थे नोहर फीडर का क्या हुआ ?

श्री नत्थीसिंह : दूसरे पक्ष से अपने पक्ष में प्रश्न पूछ सकते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लडढा : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा है कि राजस्थान केनाल बन रही है। पुरानी एक योजना थी कि बाड़मेर से होकर कांडला पोर्ट तक जिससे नेवीगेशन और सिंचाई होती थी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में इस प्रकार की कोई डिटेल्ड योजना नहीं बनी थी। कंवरसेनजी के वक्त में सोचा था कि एक नेवीगेशन स्कीम बना कर इसको कांडला पोर्ट से जोड़ दिया जाय। 70 करोड़ रुपया तो केनाल खर्च का रखा। उस लिंक को कांडला तक ले जायं तो 140 करोड़ वह लें और यों मिलाकर 210 करोड़ तो उन तारीखों में लग सकते थे। यह फिजीबल नहीं हो पायी इसलिये अब यह कार्यान्वित नहीं होने वाली है। बाड़मेर और जालौर में पानी कैसे आये और सिंचाई की सुविधा कैसे मिले यह विचार राजस्थान सरकार के समक्ष हमेशा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अनुपूरक अनुदानों की शेष मांगों का पारण

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मुख बन्द का प्रयोग कर सभी मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत की जाती हैं

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक था राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 43 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)

41. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)

44. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 22,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11 गाड़ियों पर कर के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,81,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19, सामान्य प्रशासन के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,000 रुपये की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42 बहु प्रयोजन नदी योजनायें के संबन्ध में

(श्री उपाध्यक्ष)

31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71 विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,00,000 रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्पाल महोदय को 20,31,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 124 सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा पारण

श्री बी.एन. जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के किये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बी० एन० जोशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 4) 1970 जो सदन में विचारार्थ पेश हुआ है, उस विधेयक द्वारा सरकार सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स द्वारा अनुपूरक मांगें और एप्रोप्रियेशन दोनों मिलाकर 115.45 लाख रुपया खर्च करने की स्वीकृति चाहती है । इस राशि का ब्रेक अप निम्न प्रकार है :

नल कूप निर्माण मशीनें और सर्वे स्टॉफ पर 28.34, भाखरा गंग केनाल आदि में जो मिट्टी जमा हो गई है उसको हटाने के लिये क्षतिपूर्ति में 26.30 लाख, राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर अनधिकृत फसलों के काटने और बेचने पर 1 लाख, काण्डला बान्ध के निर्माण से डूब में आने वाली भूमि का सर्वेक्षण करने हेतु 4.80 लाख, हाउसिंग बोर्ड के प्रशासनिक खर्च के लिये 3 लाख गंगानगर सूगर मिल्स के शेयर्स के 20.31 लाख (बीड कम केन रिफ्यूजल प्लांट) । कुछ म्युनिसिपल बोर्ड को निर्माण कार्य के लिये 1.45 लाख, कुछ पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वेतन चुकाने के लिये 8लाख, यातायात विभाग भ्रमणशील मजिस्ट्रेट के अपोइण्टमेण्ट के लिये उसके लिये जीप खरीदने के लिये 1.81 ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट की स्वीकृत धन राशि थी उसके अलावा यह खर्च किया गया है इसके लिये हाउस की स्वीकृति के लिये यह मांगें सदन के समक्ष आई हैं । जो बजट मार्च में पास हुआ है उसके द्वारा इस सदन ने राज्य सरकार को 234.44 करोड़ रुपये

(श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यय करने का अधिकार दिया था। अब यह विनियोग विधेयक लाया गया इसके अनुसार 115.14 लाख खर्च करने हेतु स्वीकृति सदन से प्रदान की जावे।

श्रीमन, मैं यह समझता हूं कि सिवाय दो-तीन आइटम्स के दूसरे जो खर्चे इस सम्बन्ध में बताये गये हैं और जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार मांगना चाहती है वह न तो आवश्यक है और न मैं अनुभव करता हूं और न उचित ही है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए खर्चे पर नियंत्रण करने के लिये सरकार क्या कुछ कर रही है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मितव्ययता इस सरकार से मैं समझता हूं सौ कोस परे मालूम होती है। सरकार इस ओर थगर सतर्क होती तो मेरे ख्याल में आज इस राज्य की वित्तीय स्थिति जो वर्तमान संकटापन्न अवस्था में गुजर रही है वह नहीं गुजरती। मनमाने तौर पर खर्च करना, आज यही इस सरकार का प्रथम कर्त्तव्य रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मितव्ययता आवे कहां से? जनलेखा समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति के ऊपर जो अध्यक्ष इस सरकार ने स्थापित किया है वह एक दल बदलू महानुभाव हैं। वे दल बदलने के पश्चात इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अध्यक्ष बना दिये जायं तो उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं सिवाय इसके कि सरकार के समक्ष घुटने टेक कर जैसी सरकार कहे उसकी दब्बू नीति अपनाये। अगर सरकार की स्थिति निष्पक्षरूप से सदन के समक्ष आये, सरकार के समक्ष आये तो केवल-मात्र एक ही इनके पास तरीका है। जनतन्त्र के आधार पर स्वस्थ परम्परा के अनुसार कोई भी विरोधी पक्ष का अगर सम्मानीय सदस्य इस महत्वपूर्ण समिति का सदस्य सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कायम किया जाता, नियुक्त किया जाता तो मैं समझता यह निष्पक्ष व्यवस्था हो सकती है। मुझे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है लेकिन मैं परम्परा के द्वारा सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा और खासकर मुख्य मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा जिनकी नीति केवल अवसरवादिता के ऊपर इस सरकार को चलाने की है। आज इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन किये बिना नहीं रह सकता जो सदन के सदस्यों की संख्या 184 है उसमें 35 और 36 मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में यह सरकार नियुक्त करके शासन चलायें खासतौर से राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रदेश के अन्दर जहां गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है और संकटापन्न स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ यह भी बिना कहे नहीं रह सकता हूं जो मंत्री का बतीरा है वह जनता से सौ कोस परे दिखाई देता है। उनकी फिजूल खर्ची, उनके ऐश-आराम, उनके एन्टी सोशियल तरीके से विलायत से एम्पाला मोटर कार लाये, अमेरिका से शान शौकत की गाड़ियां मंगवाये और उनमें सैर सपाटे रहे। अलमस्त उन विदेशी मोटरों में बैठकर घूमते फिरें। उस मोटर की क्षति हो जाना और कोई दाद-फरियाद न होना।

एम्पाला जसी मोटर भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे पूंजीपतियों के पास यह एम्पाला गाड़ी नहीं है। ऐसे वाहनों द्वारा मंत्री महोदय लोग जनता से सम्पर्क करना चाहें तो कौनसी ईक्वालिटि

(श्री लक्ष्मणसिंह)

या बराबरी का प्रश्न है । इसको समाजवाद तो नहीं कहूंगा लेकिन क्या व्यवस्था है इस सम्बन्ध में स्वयं सरकार विचार करे। इसके साथ साथ आज मंत्रियों की क्या दशा है मंत्री घिरे हुये रहते हैं पुलिस से । पहले पुलिस केवल विदेशी जो गवर्नर रहते थे, उनके साथ ही रहा करती थी या कोई वाइस राय होता था उसके साथ पुलिस का इन्तजाम होता था और मैं कहूंगा उनके लिये भी पुलिस की इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी जितनी आज मंत्रियों के लिये । यह क्या जनतन्त्र भ्रष्ट अधिनायकवादी व्यवस्था है ? आप बहुत सारे राजा-महाराजाओं को भला बुरा कहेंगे । मैं स्वयं भी एक मोटर के अन्दर गांवों में घूमता था । मुझे कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं थी, कोई हथियार भी नहीं रहता था । मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन जो सरकार जनतन्त्र की सरकार कहलाने का दावा करती है और खास कर मुख्य मंत्रीजी जो खासकर इस सरकार के मंच नायक और भ्रष्टाचार के सर्वोपरि नेता हैं । हम विधान सभा के अन्दर ····

श्री बी० एन० जोशी : उपाध्यक्ष महो. इसे रेकार्ड से·······

(अश्रव्य)

एक मा० सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय खुद विराजमान है ·······

श्री नत्थीसिंह : क्या कहा आपने समझ में नहीं आया ···

एक माननीय सदस्य : उनके कहने का मतलब यह है कि ·······

श्री बी० एन० जोशी : यह ठीक नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आज तक की पार्लियामेंट में गाली गलोच का·······

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मैं अनपार्लियामेन्ट्री बोला हूं तो आसन को अधिकार है जो व्यवस्था देंगे, उसे मैं स्वीकार करूंगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार के नेता हैं । आपने यह कहा यह अनपार्लियामेन्टरी तो नहीं लेकिन यह भाषा बड़ी आवजेक्शनेबिल है । यह मुख्य मंत्री जी पर आरोप है । जो व्यक्ति इस प्रकार के आरोप लगाये उसको पहले·······

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जांच करवायें । मुख्य मंत्री काल में जितने घोटाले हुये हैं उतने कभी नहीं हुये हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी :
श्री रामचन्द्र आर्य : } दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे।

(अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : बुगला भक्तों के नेता हैं ।

श्री दौलतराम सारण : उनकी जांच करवायें, कमीशन बैठायें । भ्रष्टाचार के सर-

(श्री दौलतराम सारण)

दार हम कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार के सरदार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम सब कह सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप हमें कहते हैं तो हमारी एन्क्वायरी करवाऊं और नहीं तो उनकी एन्क्वायरी करवाओ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (अश्रव्य) (शोरगुल)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री आर्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कमीशन बैठाकर जांच कराये नहीं तो फालतू में चिलम पोसी करने से क्या फायदा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बड़ी आपत्ति उठाई गई है, इस प्रकार के आरोप लगा दिये गये तो। मैं एक जानकारी चाहता हूं क्या छोटी सादड़ी के सोना कान्ड की जांच उनकी नहीं चल रही है, और क्या उसमें भयंकर घोटाला नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जांच नहीं चल रही है उनकी, मैं पूछना चाहता हूं। कई बार यह प्रश्न ‥ –

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर लीज।

श्री विजयसिंह : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दबा रखी है उसको।

श्री बालसिंह सोढा : भ्रष्टाचार को लेकर क्या नहीं किया गया?

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे व्यक्तिगत उनसे कोई ……

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय को ऐसे शब्द काम में नहीं लाने चाहिये। इस तरह से नहीं कहना चाहिये। यह उनके लिये शोभा की बात नहीं है कि हल्के शब्दों का प्रयोग करें।

श्री दौलतराम सारण : यह तथ्य है, हल्के शब्द नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : हाई कोर्ट के जजमेंट में जस्टिस श्री जगतनारायणजी ने जो जजमेंट दिया है उसका इन्टरप्रिटेशन करें आपको भी मालूम हो जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय राज्य वित्त मंत्रीजी को संकेत दे रहा हूं कि इस तरह बीच बीच में उछले नहीं मेंढक की तरह।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इसलिए।

श्री विजयसिंह : तो उनका प्रमोशन नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं तो नेता महोदय को इतना कह रहा हूं कि कहीं ऐसा मत करना कि राज्य मंत्री के जमीन के मामलों को उठायें।

श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेंढ़क की उपमा दी गई हैं वह उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह : जैसे चार को कहते हैं चार चांद वैसे ही हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चौदवीं के चांद हैं ये।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ श्री मोहनलालजी सुखाड़िया के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उनको इज्जत की निगाह से देखता हूं। बहुत कुछ अंशों में वे मेरे मित्र के सदृश्य हैं लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के आचरण के संबंध में अगर मैं कुछ कहूं और संतुलित मात्रा में कहूं और जो भी मैं कहता हूं उसको उपयुक्त समझकर के कहूं, पार्लियामेन्टरी रूप से कहूं तो आपको उदारतापूर्वक सहृदयतापूर्वक सुनना चाहिए वर्ना आप जनतंत्र के हामी हैं तो सुनिये नहीं तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रखते हैं तो मत सुनिये ......

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मुख्य मंत्रीजी दल के नेता हैं और उस दल में मैं भी हूं। न हमारे में भ्रष्टाचार है और न कमी है ....

श्री नत्थीसिंह : इसमें शक नहीं कि आप सर्वगुण सम्पन्न हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री रामचन्द्र आर्य : अपने आपको निर्दोष मानते हैं तो मेम्बरों से पूछ लो कि वहां पर खाना कितना गन्दा मिलता है इसमें भ्रष्टाचार नहीं है क्या ?

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायणजी ने कहा मैं समझता हूं कि अगर आप उस संज्ञा में नहीं आते हैं तो क्यों नाराज होते हैं जिनका होगा उनका होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनको उम्मीद है कि आखिरी वक्त तक मंत्री बना दें लेकिन बनाने वाले नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी एक जिम्मेदार और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर काल में क्या क्या नहीं कहा गया है ? अकाल के संबंध में और घोटालों के संबंध में क्या क्या नहीं कहा गया ......

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरे चाहे कुछ भी कहें लेकिन आपको यह कहना शोभा नहीं देता।

श्री बी० एन० जोशी : This is no logic, Sir. Two wrongs never make one right.

श्री रामनारायण चौधरी : विरोधी पक्ष के नेता इस प्रकार की बात कहें तो वह समझ में आने वाली नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके कांग्रेस दल के सदस्यों ने कई बार आरोप लगाये हैं कि अकाल में घोटाले हुए हैं और किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है वह आप जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में और नहीं जाया जाये।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मुझे उस तरफ के मित्र कुछ बातों में उलझायेंगे तो मेरा भी कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उत्तर दूं। अभी कल ही एक प्रश्न था औराई के बांध का। अब वह औराई के बांध में क्या क्या नहीं हुआ उसके बारे में सरकार की कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, बाबा और यहां पर सर्वसम्मति से मांग की जाती है कि निष्पक्ष जांच की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष जांच और यह सरकार, जनता की गुनहगार सरकार यह क्या करेगी ? मुझे कोई आशा नहीं है।

तो मैं विषयान्तर हो गया क्षमा चाहता हूं।

श्री रामकिशन : रामनारायणजी की मन्शा तो यह थी कि आप विस्तार में कुछ कहें। वह चुप लगा गये, अब आप कह सकते हैं ....

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे गुस्सा दिलाते हैं तो मैं कहता हूं नहीं तो मैं सीधे रास्ते चलने वाला आदमी हूं। अगर आपत्तिजनक कोई समस्यायें उत्पन्न करें तो उपाध्यक्ष महोदय कीड़ी भी हाथी के सूंड के अन्दर चेंटती है।

श्री रामनारायण चौधरी : गुस्से में तो आपको आना ही नहीं चाहिए। अगर आप ही गुस्से में आ गये तो रामचन्द्रजी क्या करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायणजी ने कहा कि रामचन्द्र फिर क्या करेगा तो एक माननीय सदस्य को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कहा कि रामचन्द्र जी फिर क्या करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : यह उनकी सभ्यता का परिचायक है।

श्री मदनसिंह : रामचन्द्रजी कह दिया तो जोकार लग गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की स्थिति और देश की स्थिति सबसे पहले अगर वित्तीय अवस्था को देखें तो मेरा कहना है कि निष्पक्ष रूप से सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो वह आवश्यकता की वस्तुओं के संबंध में है। आज आवश्यकता की वस्तुओं के भाव निरन्तर 16-17 सालों से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बार बार केन्द्रीय वित्त मंत्री और राजस्थान सरकार भी इसी बात की चेष्टा में लगे रहे कि यह भाव नहीं बढ़े लेकिन अब तो धीरे धीरे यह स्थिति हो गयी है कि महंगवाई और वेतनमान की घुड़दौड़ सी हो गयी है। अगर सरकार इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं कर सकती तो यह स्थिति धीरे धीरे काबू के बाहर हो जायेगी और देश की स्थिति संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बद से बद्तर होती जा रही है। यह सरकार को भी विदित है, हम सब जानते है, समाचारपत्रों में रोजाना देखते है- कहीं गोली, कहीं लाठी, कहीं अश्रुगैस, कहीं नक्सलाईट एक्टीवीटीज हो रही है। इस सब का जिम्मेदार कौन है सरकार है ? उसकी योजनायें हैं, आपकी योजनायें खर्चीली अत्यधिक, महत्वाकांक्षी और अवास्तविक योजनायें हैं। मैं समझता हूं कि यह बैड प्लानिंग है। आपका प्लान ले देकर एक सिद्धान्त पर आधारित है और वह सिद्धान्त

(श्री लक्ष्मणसिंह)

येन केन प्रकारेण आपकी कुर्सी कायम रहे- इसी से ही आपके प्लान का सरोकार है और देश का हित, जनता का हित आपके लिए गौण प्रश्न हो गया है। तो मैं समझता हूं कि प्राईज कन्ट्रोल, प्राडक्शन और पापुलेशन कन्ट्रोल जब तक इन तीन वस्तुओं को आप प्राथमिकता देकर सरकार की व्यवस्था को नहीं संचालित कर सकते तो यह स्थिति कन्ट्रोल से बाहर हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, करभार प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर राजस्थान के अन्दर 35-74 रु० है जबकि उत्तर प्रदेश में 26-32, उड़ीसा में 26-67, बिहार में 26-10, मध्य प्रदेश में 32-52 है। इससे साफ सिद्ध होता है कि यह विस्तृत और बड़े राज्य होते हुए भी इन राज्यों की जनता पर करभार नहीं लादा है जितना कि हमारी इस राजस्थान सरकार ने लादा है।

इसके साथ-साथ प्रति व्यक्ति राजस्थान में आय 419 है उसके मुकाबले में महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति 696 है। खैर, महाराष्ट्र एक सुव्यवस्थित और समृद्ध राज्य है। उसका उदाहरण मैं यहां पर प्रस्तुत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तामिलनाडू में 543 प्रति व्यक्ति आये हैं और आसाम में 556, मैसूर में 500, और पश्चिमी बंगाल 547— यह उसी पश्चिमी बंगाल में है जो कि आज तोड़फोड़ और नक्सैलाइट एक्टीविटीज का घर बना हुआ है वह भी राजस्थान से आगे है। हमारा सन्निकट पड़ौसी राज्य मध्यप्रदेश है वहां पर प्रति व्यक्ति आय 473 है। ये आंकड़े जो मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गत सितम्बर सत्र में माननीय प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में प्रस्तुत किये थे।

इसके साथ साथ जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र हैं वहां तो 27 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय है। तो यह भुखमरी का द्योतक नहीं है तो और क्या है? और यह आपकी योजना की अव्यवस्था की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है?

साथ ही साथ प्रति व्यक्ति खर्च के संबंध में कहता हूं कि राजस्थान का खर्चा 96-26 रु०, आसाम में 212-61, और बिहार में 118-55 और हरियाणा में 114-78, जम्मू काश्मीर में 222-19 और महाराष्ट्र 124-75 और पंजाब का 132-68 रुपया है। इससे साफ सिद्ध होता है कि करभार राजस्थान में बहुत ज्यादा है आय और व्यय अन्य राज्यों से कम है। यह द्योतक आपकी अन्धाधुन्ध धान्धली का नहीं तो और क्या? यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती, उत्पादन में वृद्धि होगी तो मैं यह कहता कि आप कितना भी जो खर्चा कर रहे हैं वह अनुचित खर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कर्जा भी आप कर रहे हैं वह भी अनुचित एक हद तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्जा भी आप अन्धाधुन्ध रूप से करें और उसके सम्बन्ध में फिर कोई वापिस देने की व्यवस्था नहीं करें, आप टैक्स बढ़ाते चले जायं तो यह मेरे खयाल से चतुर सरकार की रचना नहीं है। आपका प्लानिंग फार प्रास्पेरिटी होना चाहिए प्लानिंग फार पावर्टी नहीं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, ये राज्य मन्त्रीजी सरकारी कागज जेब में क्यों रख रहे हैं?

श्री नत्थीसिंह : ये बांदाकुई से कोई चिट्ठी आई है उसको पढ़ रहे हैं या भाषण सुन रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इट इज नाट डिजर्व टू बी टेकन नोटिस आफ।

श्री नत्थीसिंह : क्या विरोधी पक्ष के नेता के भाषण का नोटिस नहीं ले रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह जो आप फर्मा रहे हैं वह। यह जो आप बीच बीच में इन्टरप्शन कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वह काबिले नोटिस नहीं है। आप माननीय नेता को इन्टरप्ट कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप बीच बीच में बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, और बहुत सारी नगरपालिकाएं स्वावलम्बी संस्थाएं हैं। वहां पर आपने आपके प्रशासकों को बिठाया। 2-3 साल तक आपने चुनाव तो नहीं कराये, लेकिन यह तो आपका राजनैतिक कारण होगा, लेकिन आपने अभी तक प्रशासकों के द्वारा इतना नगरपालिकाओं के अन्दर खर्चा कराया और इतना रुपया आपके नेता लोग सफेदपोश, बगुलाभगत खा गये और अभी तक आपने कर्जा ले लिया और उसकी वजह से आपकी सरकार दिवालिया बनी हुई है उसी तरह से नगरपालिकाओं को दिवालिया बनाकर आप यहां पर मांग लाये हैं कि आठ लाख रुपया अतिरिक्त वेतन के रूप से दिया जाय। तो क्या यह एक चतुर सरकार, एक जिम्मेदार सरकार का कर्त्तव्य है ?

नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में इस सदन में बारबार चर्चाएं हो चुकी हैं कि इन संस्थाओं में ऐसे आपके पिट्ठुओं को, चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों को आप स्थान देते हैं और आप प्रश्रय देते हैं। अगर इस तरह का आप प्रश्रय देते हैं जिस तरह का आपने जनलेखा समिति के अध्यक्ष को प्रश्रय देकर जो अंकुश सरकार के ऊपर हाउस का लगता है उस अंकुश को निकाल दें तो सब जगह निरंकुश शासन हो जायगा तो राजस्थान...

श्री रामनारायण चौधरी : जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाना माननीय अध्यक्ष के अधिकार में है।

श्री लक्ष्मणसिंह : उसके अन्दर नोमीनेटेड है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कहां है अध्यक्ष को अधिकार ?

श्री लक्ष्मणसिंह : उदयपुर नगर निगम में नियुक्ति...

श्री रामचन्द्र आर्य : ईमानदार अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके जो दल के नेता हैं मुख्य मंत्री ने मुकर्रर किया है उसका परिणाम रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस तरह के खर्चों के लिए वित्तीय स्थिति को देखते हुए अगर आप एप्रोप्रियेशन बिल इस सदन के समक्ष लाते हैं तो मैं इसको सर्वथा अनुचित मानता हूं। वित्तीय स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस राज्य की देखी जाय तो 500 करोड़

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रुपये का कर्जा हो चुका है, और साथ-साथ राज्य की आमदनी 15 गुनी बढ़ चुकी है। कर्जा बढ़ रहा है यह चिन्ता का विषय है। गत वर्ष ही उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने केन्द्र के द्वारा 147.16 करोड़ रुपया लिया। अन्य संस्थाओं के द्वारा 1 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और उसके रिपेमेन्ट के रूप में भुगतान 39-16 करोड़ आपने चुकाये। केवल गत वर्ष ही 108-72 करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान के ऊपर चढ़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान लिया जाय कि 50 से 55 करोड़ रुपया आपने दुष्काल के अन्दर भी खर्च किया तो दुष्काल के ऊपर 50-55 करोड़ रुपया खर्च कर देने के अतिरिक्त आपने 60 करोड़ रुपये का कर्जा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हर साल राजस्थान के ऊपर 50 करोड़ रुपये कर्जे के बढ़ते हुए चले गये तो यह राज्य दिवालिया तो हो ही गया है लेकिन बिल्कुल अराजकता की स्थिति में पहुंचा दिया जायगा। यह जानबूझ कर जनता— जनार्दन के बारे में गद्दारी कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आता है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता इस तरह का महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न कर रहे हैं और माननीय राज्य मन्त्रीजी ही यहां पर बैठे हुए हैं और वित्त मन्त्रीजी नहीं हैं। और राज्य मन्त्रीजी को इतना भी अनुभव नहीं है कि बजट में डेफिसिट कितना है, कितना हमारे पर कर्जा हो गया है। उनको तो यह भी मालूम नहीं है कि बजट किसको कहते हैं। अगर बता दें तो मान लेंगे? कुल बजट कितना है, कुल कितना खर्चा हुआ है, यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य। इनका उत्तर सुनने के बाद में मालूम करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है लेकिन मंत्रि-मंडल का सदस्य तो होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी आगये हैं।

श्री श्रवणलाल : राज्य मन्त्रीजी ऐसे रखे हैं कि बजट का कुल एमाउन्ट कितना है वह भी उनको मालूम नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं आपसे चैलेन्ज करके कहता हूं कि सारे अपोजिशन में से कोई बजट शब्द के मायने भी बता दें। I challenge every Member of the Opposition benches to give me the meaning of the word 'budget',

श्री विजय सिंह : I accept your challenge. Your budget means deficit budget of Rajasthan.

श्री विशम्भर नाथ जोशी : अगर यह बता दें तो मान जाऊंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

श्री मदनसिंह : You have challenged every Member, mind you.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय नियत कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी, जरा इनसे बजट का मतलब तो पूछ लें।

श्री लादूराम सुलानियां: आपको अपने विभाग का पता ही नहीं है। सारे राजस्थान को चेलेंज करते है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप की समझ के बाहर है।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं चेलेंज करता हूं, जो जोशीजी यह बता दें कि बजट क्यों बनाते हैं? उसका मकसद क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : बजट का मकसद बता दें।

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य मंत्रीजी से स्वयं से उत्तर दिलाया जाये।

श्री मदनसिंह : यह बजट के बारे में अभी सीखें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप की समझ के बाहर है।

श्री मदनसिंह : आपने पूजा की है। मालाएँ फेरी हैं। आप कितनी मालायें जप कर सकते हैं?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : (शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : (मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) हां माथुर साहब की मान सकता हूं। इनकी क्षमता भी है और जाति भी वही है। (हंसी)

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मन्त्रीजी कहें बजट का क्या अर्थ है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, सामान्य मनुष्य हूं उसके नाते मैं कह सकता हूं कि बजट वह चीज है जिसमें राज्य के लेखा जोखा का विवरण हो। लेकिन शायद मन्त्रीजी यह समझते हैं कि आपाधापी करके रुपये लेना, जनता जनार्दन को भूखों मारना, यह बजट का अर्थ है। या कोई दूसरी बात हो तो मैं कह नहीं सकता।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आन ए प्वाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप रहने दीजिये।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री जी ......

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। तो किसी कानों के डाक्टर की व्यवस्था की जाये। माननीय राज्य वित्त मन्त्री हैं वह माइक पर इस तरह से बोलते हैं कि हमारे कानों को धक्का लगता है। अगर किसी मेम्बर के कानों का परदा फट गया तो भारी हानि हो जायेगी। ये सारी व्यवस्था बिगड़ जायेगी।

(लगातार शोरगुल, व्यवधान)

श्री विजयसिंह : यह मुंह में डालकर बोलते हैं।

(लगातार शोरगुल, व्यवधान)

श्री मदनसिंह : इन्होंने हमेशा भजन किया है। यह क्या उत्तर देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री को लास्ट में बोलना चाहिए। आप बीच में बोलते ही क्यों है ?

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इस सदन के 22 साल हो गये हैं। बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। पश्चिम के विस्तृत क्षेत्र में घोटाले पर घोटाले तो हुए लेकिन जो काम हुआ है, वह अब तक नगण्य रहा है। इस सदन में यह भी कहा गया है कि इजरायल का उदाहरण लिया जाये। मैं नहीं कहता हूं कि आप मित्रता करें लेकिन उदाहरण में लें। इजराइल ने जो खुशहाली की है, उससे हम कोई उदाहरण प्राप्त करें। हम पश्चिमी क्षेत्र का विकास बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। मिश्र आप का मित्र बना रहे लेकिन आप को यह याद रहना चाहिए, पाकिस्तान का जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ, तो मिश्र ने हमारे पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा है। इजराइल ने अपने देश की खुशहाली के लिए जो किया है, उसका हम अनुसरण कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी आप की आपाधापी के सम्बन्ध में मैं सदन में नहीं लाऊंगा। काफी आपाधापी हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, तस्करी लोगों को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है। जैसा कि डूंगरपुर में हुआ है। तो वहां के कांग्रेस के लोग तुरन्त उसको दबाया करते हैं। यह सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी उसके पिट्ठू और गुलाम बने रहें। अगर कांग्रेस नेता और उनके पिट्ठू आकर कहते हैं, वह नहीं मानता है तो उसका खामियाजा उस कर्मचारी को भुगतना पड़ता है। आज सारे राजस्थान में नंगा चित्र देखते हैं। तस्करी लोग और उनके कामों को हम देख रहे हैं। यहां मोटे अनाज की चर्चा हुई। अहमदाबाद में ट्रकों के ट्रक भर कर ले जाते हैं। बराबर हमने ऐसे मसले रखे हैं। रंगे हाथों पकड़े गये हैं। एक भी गुनाहगार आदमी को सजा नहीं दी गई। चुनाव के समय में डूंगरपुर के अन्दर जहां नशाबन्दी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घड़ों दारू लाकर वोटर्स को पिलाते हैं। पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं तो कोई सजा देने की व्यवस्था नहीं है। दिनों दिन देख रहा हूं इतने डिमोरेलाइज हो चुके हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : यह, डूंगरपुर में घड़ों शराब पिलाई, यह नहीं हुआ है। हमने चुनाव लड़ा, आपने भी चुनाव लड़ा है। यह बात है। गलत बात है।

श्री मदनसिंह : हमारे नेता महोदय ने कहा है, वह ठीक है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : यह घड़ों शराब की कहते हैं। शराब घड़ों में भरी जाती है। वहां नशाबन्दी नहीं है। यहXXX बात है। यह विरोधी दल के नेता हैं, इनको इतनीXXXबात नहीं कहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : XXXशब्द कार्यवाही से हटाया जाये।

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 114

श्री आईदानसिंह : यह सारा राजस्थान जानता है, यह कहने की बात नहीं है।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : (अश्रव्य)

श्री दिग्विजय सिंह : (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

(लगातार शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रतनलाल रोत : आप XXX बात कैसे कहते हैं।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री आईदानसिंह : गलत बात नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रतनलाल रोत : हम XXX बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप भी यहां XXX बात नहीं कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह : ऐसा मान लीजिये कि उस एरिया में दारू नहीं पिलाई गई। तो क्या राजस्थान सरकार द्वारा दारू नहीं पिलाई जा रही है, राजस्थान सरकार द्वारा ठेके नहीं दिये जा रहे हैं ? यह दारू फिर कौन पिला रहा है ?

श्री रतनलाल रोत : यह उदयपुर की बात कही जा रही है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतन लाल ! (शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य) विरोधी दल के नेता महोदय, को अपना भाषण समाप्त करने दें।

(शोरगुल : व्यवधान : अश्रव्य)

आपस में बात नहीं हो।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो बीच में शब्द यूज किया है XXX शब्द। उसको एक्सपंज कराया जाय। XXX शब्द कार्यवाही से निकला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं, तीन दफा एक्सपंज कराया है।

श्री रतनलाल रोत : XXX बोलते हैं, वहां मदिरा नहीं पिलाई गई।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एलीगेशन, काउन्टर एलीगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। माननीय सदस्य मेरे आरोप को निराधार कहते हैं तो उनको कहने का अधिकार है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अधिकार है कहने का। आखिर जिस चीज को सैकड़ों आदमियों ने देखा, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने देखा, घड़ा पकड़ा भी गया····

श्री रतन लाल रोत : पुलिस सुपरिंटेंडेंट की बात कहते हैं तो आप इसकी जांच करा लीजिये। वहां घड़ा नहीं पकड़ा गया। यह बिल्कुल XXX बात है। हम कहते हैं, इसकी जांच कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, XXX शब्द अनपार्लियामेंट्री है। इसका आप बार बार उपयोग करते चले आ रहे हैं, यह

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

उचित नहीं है । शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री रतनलाल रोत : यह असत्य बात है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : XXX यह बात है, आप कहते हैं कि XXX है...

श्री रतनलाल रोत : और असत्य में क्या फर्क है ।

एक माननीय सदस्य : एक ही बात है, असत्य है ।

श्री मदनसिंह : यह मान लीजिये कि ड्रिंक कराया था, अगर यह डिनाई करते हैं कि शराब नहीं पिलाई ।

श्री शंकर लाल : शराब पर तो मनोहर सिंहजो बोलेंगे । आप विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं विशेष समय नहीं लूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि कि जनतंत्र की परम्परा है कि जनता के नियंत्रण के बिना जनतंत्र सफल नहीं हो सकता । जनतंत्र एक कोमल फूल है, और वह कोमल फूल इस सरकार के दुरुपयोग और सरकार की अयोग्यता के फलस्वरूप धीरे धीरे कुम्हलाता जा रहा है । आज जो कुछ भी हम देश के अन्दर स्थिति देख रहे हैं...

श्री शंकरलाल : कमल का फूल है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह स्थिति थोड़े दिन और रहेगी तो यह जनतंत्र, यह विधान सभा, यह लोक सभा-यह सब खत्म होकर एक अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप हो जायेगी । इसके सम्बन्ध में मैं आपको चेतावनी देता हूं । समय रहते हुए आप चेतिये वरना आपकी दुर्दशा जो कुछ होने वाली है वह होगी लेकिन देश भी डूबेगा । बस यही मेरा निवेदन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश नहीं डूबेगा । इनके साथ देश बंधा हुआ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामानन्द ! यह वित्त विधेयक है, इसको समय सीमा में पारित करना है इसलिए इसके लिए पांच बजे का समय नियत किया जाता है, पांच बजे के पहले चर्चा समाप्त हो जायेगी, उससे अधिक नहीं होगी और उस समय तक सारे आवश्यक प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय रामनारायणजी । पांच पांच मिनिट या सात सात मिनिट से अधिक नहीं ।

श्री शंकरलाल : समय सीमा निर्धारित की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : पांच से सात मिनट !

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि राजस्थान के आम बजट के बाद में जो सप्लीमेन्ट्री बजट आयेगा उसमें झुंझुनूं जिले का भी कुछ उल्लेख होगा । मुझे यह सप्लीमेन्ट्री बजट देख कर अत्यन्त दुःख हुआ । झुंझुनूं जिला राजस्थान में सबसे

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपेक्षित जिलों में से प्रथम नम्बर का जिला है, जिसके अन्दर न सिचाई की व्यवस्था है, जिसके अन्दर न सड़कों की व्यवस्था है, जिसमें न सरकारी कॉलेज है। मुझे उम्मीद थी, मैं आशा करता था, हमारे वित्त मंत्री महोदय सप्लीमेन्ट्री बजट के अन्दर इन चीजों का झुंझुनूं जिले के लिए कोई उल्लेख करेंगे। सिचाई के लिए जब लोहारू में हरियाणा वाले नहर ला सकते हैं तो मुझे सिचाई मंत्री जी का वक्तव्य सुन कर बड़ा निराशा हुई कि झुंझुनूं सीकर में नहर की व्यवस्था नहीं हो सकती जब कि लोहारू झुंझुनूं जिले के बोर्डर पर है, वहां पर लिफ्ट इरिगेशन से पानी लाया जा सकता है तो कोई वजह दिखाई नहीं देती है कि क्यों झुंझुनूं सीकर में पानी नहीं लाया जा सकता है। 1965 के अन्दर मुख्य मंत्री जी झुंझुनूं गये थे, उस वक्त उन्होंने सिचाई की योजना, जिसका जिक्र हमारे सिचाई मंत्री जी ने किसाउ डेम के नाम से किया था, का जिक्र किया था। उसके बाद में छः वर्ष का अर्सा बीत गया है। आज सिचाई मंत्री जी ने बताया उसमें उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं की। मैं सोचता था कि फोर्थ प्लान के अन्दर झुंझुनूं जिले को सिचाई का पानी उपलब्ध करने की कार्यवाही वह करेंगे लेकिन मुझे यह देख कर बड़ी परेशानी हुई। आपने सप्लीमेन्ट्री बजट में सड़कों का जिक्र किया है। मैं निवेदन करूं कि झुंझुनूं जिले के अन्दर एक भी सड़क नहीं है जो मोटरेबल हो, कोई ऐसा आवागमन का साधन नहीं है जिस पर यात्रा मोटर गाड़ियों से हो सकती हो। सब सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन उनके लिए इस सप्लीमेन्ट्री बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सप्लीमेन्ट्री बजट में यू.आई.टी. चेअरमैन के खर्चे और गाड़ियों के खर्चे को देख कर हैरानी हुई। क्या जरूरत है, यू.आई.टी. पर खर्च करने की। उस पैसे को आपको राजस्थान के विकास पर लगाना चाहिए। आज यू.आई.टी. की कोई जरूरत नहीं है, जब कि आपकी इलेक्टेड म्यूनीसिपल कमेटी और परिषद् बैठी हुई है। इसके उपरान्त भी यू.आई.टी. कायम की जाय और उनके खर्च का भार राजस्थान की जनता पर डाला जाय तो जनता पर काफी भार बढ़ जायगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यू.आई.टी. को तोड़ देना चाहिए और यू. आई. टी. के अधिकार नगरपालिका और नगर परिषद् को देना चाहिए। इनमें अगर और सुधार की आवश्यकता है, तो वह किया जा सकता है। इनको और मजबूत बनाया जा सकता है, इसके लिए सरकारी रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें बढ़ाये जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग से व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले के अन्दर एक भी सरकारी कालेज नहीं है, जब कि सब जिला हैड क्वार्टर पर सरकारी कॉलेज हैं ·

श्री रामकिशन : ऐडेड कितने हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : एडेड हैं उसमें क्या है। वह वहां के लोगों के हैं।

श्री रामकिशन : हमारा कुछ नहीं है। वह वहां के लोगों के हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके यहां भरतपुर में तो कई कॉलेज हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां 90 प्रतिशत करोड़पति हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां कोई नहीं है। सब बम्बई और कलकत्ता में हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब वापिस आने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई मंत्री जी जमुना जी का पानी लाया जा सकता है और इस योजना से झुंझुनूं, सीकर. भरतपुर आदि जिलों को पानी मिल सकेगा। लेकिन सिंचाई मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि वह योजना बन रही है या नहीं? इसके सम्बन्ध में प्रिलिमिनरी सर्वे हुई है या नहीं? इस योजना को कब तक कार्य रूप में परिणित कर दिया जायगा? यह उन्होंने नहीं बताया। सन् 1952 में पंडित जवाहर लाल नेहरू, तत्कालीन प्रधान मन्त्री पिलानी आये थे, उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि झुंझुनूं जिले को जमुना जी का पानी मिल सकता है, उसकी कोई योजना बनानी चाहिये। राजस्थान सरकार को चाहिये कि इसकी योजना बनायें और भारत सरकार की सिंचाई मिनिस्ट्री से बात करके इसको मूर्तरूप दें। लेकिन अठारह साल बीतने के बाद भी इस सिंचाई योजना के सिलसिले में कुछ नहीं किया गया है। इस साल उदयपुरवाटी, खेतड़ी तहसील के कुछ गांवों में छोटे मोटे काम हुए हैं। यह छोटे मोटे बांध हैं, इनसे सिंचाई का पानी नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक झुंझुनूं सीकर जिले को जमुना जी का पानी नहीं मिलेगा तब तक इन जिलों का, दोनों जिलों का, विकास नहीं हो सकता है और इस कारण यह पिछड़े रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में जमुना जी का पानी लाने के लिये कोई योजना बनाई जाय और जो योजना सिंचाई मन्त्री जी ने बताई है उसको मूर्त्त रूप देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई!

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्ट्री बजट पास करने जा रहे हैं वह तो पास होगा ही सही लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। यह बजट तो पिछले तेइस साल से पास होते आ रहे हैं, विधान सभा से और इसके अनुसार गवर्नमेंट द्वारा पैसा खर्च किया जाता रहा है। वैसे पैसा खर्च इसलिये किया जाता है कि प्रान्त में किसानों के खेत हरे भरे हों, किसानों के खेतों को पानी मिले, बिजली मिले और जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि मिले और दूसरे कामों में पैसा खर्च किया जाता है लेकिन खासतौर से ये तीन बातें मैंने कहीं। इसमें सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना था लेकिन सरकार 23 साल के बाद भी मैं कहूंगा कि सफल नहीं हुई है। यह सही है कि कुछ इलाके में इनेगिने काम हुए हैं। बांध बांधते होंगे, तालाब बनाए होंगे लेकिन सरकार असफल रही है। जो पैसा खर्च हुआ वह सही तौर से नहीं हुआ है। यह तो सरकार भी जानती है और सब माननीय सदस्य जानते हैं और यह हवा सारे राजस्थान में है कि भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला ऐसा हिस्सा है जहां 80 प्रतिशत आदिवासी बसे हुए हैं। काश्तकार हैं। न उनका कोई कदीमी कारखाना है? न कोई

(श्री विट्टल भाई)

दूसरा धन्धा है। यह जरूर है कि वह इलाका पहाड़ी इलाका है और उस कारण हो सकता है कि वहां अकाल हर साल पड़ता है और उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की ? बांसवाड़ा जिले में 8-10 नदियां बहती हैं और कई तरह के तालाब बन सकते हैं और छोटे बांध बन सकते हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। इने गिने कुछ बांध बान्धे हैं, कुछ गांवों में पानी मिलता भी हो लेकिन बाकी सारा इलाका सूखा पड़ा है। इसका क्या कारण है ? मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किसकी नीति से उस जिले को ऐसा वंचित रखा ? एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि आदिवासी और हरिजनों को ऊंचा उठा रहे हैं और उस क्षेत्र में 80 प्रतिशत आदिवासियों को आपने पीछे दबा रखा है ? इसका क्या कारण है ?

राजनीति तो सारे हिन्दुस्तान में चलती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बांसवाड़ा जिले में राजनीति चली और राजनैतिक आधार पर वहां के आदिवासियों को दबोच रखा। माननीय सदस्य कहेंगे कि वहां पर ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन जांच समिति बिठाई जाय वह पता लगाये कि वहां पर आज 23 साल में कितना काम होना चाहिये था, और क्या हुआ। मैं स्तीफा दे दूंगा अगर झूठ बोलता हूं तो। हमारा ऐसा क्षेत्र है कि न कोई तालाब है न बान्ध है न बिजली का निशान है। क्या कारण है ? ये सब राजनैतिक हथकंडे हरिदेव जोशी के हैं (श्री बी० एन० जोशी से) आप से नहीं कह रहा हूं, बड़े जोशीजी के लिए कहता हूं। विधान सभा में कह चुका हूं, इस तरह से राजनैतिक हथकण्डे नहीं अपनाने चाहिए और आदिवासियों का भला चाहते हैं और सही समाजवाद लाना चाहते हैं तो उस इलाके के लिए छोटे छोटे नालों को बनायें, तालाब बनायें और आदिवासियों के लिए पानी तो दूर, हरसाल अकाल पड़ता है। गत वर्ष भी हमने कहा था कि अकाल है, आपने नहीं माना। करोड़ों रुपये खर्च हुए, तालाब बने किसी पर 50 हजार खर्च हुआ किसी पर 40 हजार, यह सरकार के रेकार्ड में है लेकिन हमारे यहां एक भी तालाब नहीं जो एक गांव को पानी दे सके। उसका क्या कारण है ? कहां पैसा गया ? आपके अधिकारियों व इन्जिनियरों ने क्या किया ? मन्त्रियों ने क्या किया ? वहां इतना पैसा खर्च होते हुए भी एक इलाके में पैसा नहीं दे सकते, एक गांव को भी पानी नहीं दे सकते। यह क्यों ?

(4.32 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

एक तो आपकी देख रेख नहीं, आपकी नीतियां खराब। आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का भला करें। बार बार मैंने विधान सभा में कहा कि हमारा इलाका पहाड़ी है, जंगल 50 प्रतिशत है 50 प्रतिशत रेवेन्यू की जमीन है। जो जमीन काबिल काश्त है उस पर सारा कब्जा वन विभाग ने कर रखा है। आदिवासियों के पास जो जमीन 20 साल पहले थी वही जमीन है। उनको जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एक आदमी के 10 लड़के होंगे तो 5 बीघा जमीन भी नहीं। भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है हर साल।

माननीय हीराभाई ने सवाल पूछा था। सरकारी रेकार्ड के अनुसार आपने भूमिहीनों

(श्री विट्ठल भाई)

की संख्या बताई है 18420। लेकिन यह तो मामूली तौर से बताई है......... ....

कई माननीय सदस्य : 420।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : जिनको जमीन न देने के कारण जो किसान भूख मर रहे हैं, जब उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे ? अपने पेट भरने के लिए चाहें जंगली एरिया हो, चाहे रेवेन्यू एरिया हो जमीन खेड़ने जायेंगे। बांसवाड़ा में 30051 केसेज आदिवासियों के चल रहे हैं। उनको जमीनों से बेदखल किया जाय और 10-20 गुना जो पेनल्टी है वह वसूल की जायगी। हमने बार बार सरकार से कहा कि आप उन लोगों को जंगली एरिया है उसमें से जितनी काबिलकाश्त जमीन है, रेवेन्यू से निकालें और भूमिहीन किसानों को दें लेकिन सरकार ने यह नीति नहीं अपनाई इसलिए कि आदिवासी लोग भूखे मरें और वे भूखे मरेंगे, अकाल पड़ता रहेगा और थोड़ी सी राहत देंगे। नेता वहां जायेंगे और कहेंगे कि देखो अगर आपको अपना भला करना हो तो टोपी पहन लो, कांग्रेस को वोट दो तो सड़क का काम भी होगा, तालाब का काम भी चालू होगा। आदिवासियों को आप मजदूर ही रखना चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते। अगर आपको उनका भला करना है तो उनके लिए जहां जंगल की जमीन है, वह रेवेन्यू में निकालें।

इस साल आंदोलन चला। जब भूमिहीन लोग बिलकुल समझ गए कि सरकार जमीन नहीं देने वाली है तो सत्याग्रह चला।

(घंटी)

श्री रामकिशन : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 28 प्रतिशत रिजर्वेशन है।

श्री विट्ठलभाई : बांसवाड़ा जिले में आंदोलन हुआ। जहां जमीनें थीं, जंगल के एरिया की जमीनें थीं, उनको जाकर हमने खेड़ा। बांसवाड़ा के राजा की जमीन भी खेड़ी। लेकिन जो वन विभाग की जमीन हमने खेड़ी उसके लिए धारा 160 151 व 17 के तहत उन पर 5—5 महीने की सजा और 200-200-300—300 का जुर्माना हुआ। आज पेशियां हो रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम जमीनें दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि आदिवासियों को आगे ला रहे हैं, दूसरी तरफ हल लेकर जमीन खेड़ने जाते हैं तो गिरफ्तार किया जाता है। सजा दी जाती है, जुर्माना किया जाता है। तो आपकी नीति क्या है ? एक तरफ आप कहते हैं कि आदिवासियों को आगे लाना चाहते हैं। जहां 80 प्रतिशत आदिवासियों की बस्ती है उनके लिए आपने 23 साल में क्या किया ? क्यों नहीं जमीन दी ? आपने तालाब व बांध क्यों नहीं बनाये बिजली क्यों नहीं दी, जब सब इलाकों में दी ? बहुत सी जगह आपने तालाब बनाये बांध बनाये तो फिर आदिवासियों ने क्या गुनाह किया ?

क्या इन लोगों ने कोई टैक्स नहीं दिया था, लगान नहीं दिया था, इन लोगों का कोई हक नहीं था क्या ? उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है ? उन लोगों पर बहुत केसेज हुए हैं। भूखे मरते हुए लोगों को जमीन खेड़ने न दी जाय और आप उन पर केस बनायें, उन पर जुर्माना करें और उनको बेदखल कर यह ठीक नहीं है। सरकार को चाहिये

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री विट्ठल भाई)

कि जितने केसेज आदिवासियों पर चले रहे हैं उनको वापिस ले और जो जमीन खड़ी है उसको निर्धारित किया जाय। यह नहीं करेंगे तो इस सरकार की नीति ही भ्रष्ट नीति है। महारावल साहब ने ठीक ही कहा है कि भ्रष्ट सरकार है सुखाड़ियाजी की। पक्षपात का व्यवहार किया जाता है सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये।

श्री शंकरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामचन्द्र आर्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान सरकार फिजूल खर्ची के लिए स्वीकृति ले रही है। सरकार अपने लिये करोड़ों रुपया बरबाद कर रही है। इनके कमरों में जाकर देखिये कितनी सजावट हैं। एक तरफ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। सरकार की इस प्रकार की पक्षपात पूर्ण नीति हैं। विट्ठल भाई ने कहा वह ठीक कहां और सही है। यह है नमूना सरकार का कृषि का ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको (झाड़ो को सदन में प्रदर्शित किया गया) सदन में इस प्रकार की चीज नहीं लानी चाहिये। यह वर्जित है।

श्री शंकरलाल : दिस इज पाइंट आफ डिस्आर्डर।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के लिये 8 लाख की राशि रखी है उसके लिये धन्यवाद प्रकृति की दृष्टि से अजमेर जिला ऊंचाई पर है। पहाड़ी एरिया होने के कारण लघु सिंचाई योजनाओं से वह इलाका वंचित है। सप्लीमेंटरी बजट में जीपें हैं। जीपों का स्वार्थ लोगों को अधिक आ गया है इसलिये उसको कम कर दिया जाय और सिंचाई के कामों में अधिक लगाया जाय जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तालाबों के साधन होंगे तो अकाल भी कम होंगे। अजमेर जिले में तो पांच साल में से एक साल ही सुकाल होता है बाकी अकाल चार साल तक। इसको जरा धीरज से सोचें तो अच्छा हैं। अजमेर जिले की इस स्थिति को ध्यान में रख कर प्रावधान रखना चाहिए।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता आदि चिल्ला रहे थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : चिल्ला रहे थे, गम्भीर आरोप लगा रहे थे।

श्री शंकरसिंह रावत : उधर पूछ लीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप तो भ्रष्टाचार के साक्षात मूर्ति हैं।

श्री शंकरसिंह : आप इस पर धीरज से सोचें तो काफी अच्छा होगा। 80 प्रतिशत लोग काश्तकारी का धन्धा करते हैं। उदयपुर में जिस प्रकार से तालाबों की आब से जोड़ा गया है उसी प्रकार अजमेर जिले को भी जोड़ा जाय। 12 परसेन्ट सिंचाई की व्यवस्था तो करें ही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुलानिया। पांच मिनिट।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी. सु.) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहना है कि बजट में धनराशि रखी है उसके छः महीने के बाद ही

(श्री लादूराम सुलानिया)

मंत्रीजी और धनराशि मांग रहे हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति का यह नमूना हमारे सामने हैं। हमने यह कभी नहीं कहा कि इतना बजट पास नहीं करेंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि खर्चा करने की जो यहां नीति है वह सौतेली है। यदि व्यवस्था ठीक ढंग से की जाय तो राजस्थान की जनता को फायदा मिल सकता है। सप्लीमेन्टरी बजट को हमने देखा कि क्या हालत है। जयपुर के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये भारी रकम प्राप्त की है। खर्च के लिए सप्लीमेंटरी डिमान्ड में एक पैसा भी ग्रान्ट का नहीं स्वीकार किया है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील चाकसू में टेकड़ी बांधी है। पिछले साल पचास हजार रुपये मंजूर करके काम करने की स्वीकृति दे दी। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय सारा का सारा बजट पता नहीं कहां ले जाकर खर्च कर दिया और वहां एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उनके इस व्यवहार से हम असंतुष्ट हैं और जनता के साथ इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार काम नहीं कराने के बारे में, इस सरकार के द्वारा होते हैं।

सड़कों के लिए जयपुर जिले में एक पैसा भी नहीं रखा। चाकसू और दूदू तक जाने वाली सड़क पर डामर के ढोल गिरवाये लेकिन डामर हुआ नहीं। मैं यह बताना चाहूंगा कि डामर के ढोल और मिट्टी तो सड़क के एक तरफ डाल दी और अब डामर के ढोलों को कहां उठा उठा कर ले जा रहे हैं और किसी इलाके में ले जाकर डालेंगे और जयपुर जिले का नाम लगायेंगे मन्त्री महोदय चाहें तो विधान सभा के खत्म होते ही आदि साथ चलें और उनको बताऊंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० के लोग डामर के ढोलों को कहां ले जा रहे हैं। यह बड़ा अन्याय है सड़कों की हालत को देखें तो आपको महसूस होगा कि आदमी पैदल नहीं चल सकते हैं। गाड़ी साईकल चलाना आदि मैरे तो दुश्वार रहा। सड़क के नीचे नीचे चलते हैं। सड़क की ऐसी हालत है कि जंगल में नयी सड़क बनाई हो और उसको बाद में ठीक न करें। सांभर तक चलने वाली रोड है आगे और लालसोट तक जाती है। डेढ़ सो मील की सड़क है उसकी यह दुर्दशा कर रखी है। इस ओर कोई ध्यान नहीं। इस बात का ध्यान लगाते हैं कि चाकसू नगर में 8 मेम्बर हैं, इसलिये जीत जायेंगे। आपका उम्मीदवार जीता या नहीं ?

डी० डी० शर्मा के कारनामे क्या आपने देखे हैं ?

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पांच मिनट चाहे थे वे अभी हुए नहीं। उससे पहले ही आप घंटी बजाने लग गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं घड़ी देख रहा हूं आपके पांच मिनट हो गये।

श्री लादूराम सुलानिया : बी. डी. शर्मा के मार्फत आपको पैसा जाता है। आपने इसलिये बी. डी. शर्मा को समाज कल्याण विभाग में नियुक्त किया है। बी. डी. शर्मा रिश्वत खाते हैं और वह पैसा आप तक पहुंचता है। आप जांच कराइये मैं सबूत देने के लिये तैयार हूं। बी. डी. शर्मा के कारण इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है••

श्री बी. एन. जोशी : आप ये बातें बाहर तो फर्मा कर देखिये आपको पता चल जाय। विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है इस तरह से इरिलेवेण्ट बोलते हैं। आपने जो चार्ज लगाया है वह वेग हैं। मैं आपको चेलेंज करता हूं।

(दोनों पक्ष के माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे अश्रव्य, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुलानिया आप स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय आप भी स्थान ग्रहण करें।

समय समाप्त हो रहा है पांच बजे तक इसको पारित करना है।

श्री मदनसिंह : मैं सिर्फ दो ही मिनट कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय इस विधेयक के पारित किये जाने तक बढ़ाया जाता है सदन की अनुमति से।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं एक ही मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है इसके बाद एक विधेयक छोटा सा और है वह भी लेना है।

श्री दौलतराम सारण : आसानी से पास नहीं होने देंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने मुझे पांच मिनट बकसाये थे वे पूरे नहीं हुए जोशीजी बीच में ही खड़े होगये और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। जोशीजी आपको जो यह समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है आपने उसका पैसा भी खर्च नहीं किया आप में कुछ करने का माद्दा होता तो इस विभाग के लिये भी आप सप्लीमेण्टरी मांग लेकर आते। यह सिद्ध करता है कि आपमें योग्यता नहीं है। आपको जो साल भर के लिये पैसा दिया जाता है वह भी लैप्स होता है आपमें यह योग्यता है। किसी में कमाने की योग्यता होती है आपने तो जो पैसा आपके विभाग के लिये दिया गया है वह भी खर्च नहीं कर पाते। हरिजन छात्रावासों के लिये जो अनुदान मिलता है, जो कपड़ा वहां के बच्चों के लिये मिलता है उनकी खोलियां आपके यहां बनकर जाती हैं और आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, इससे ज्यादा बढ़कर बेईमानी और क्या हो सकती है।

श्री बी. एन. जोशी : This is irrelevant, it should be taken out of the record.

श्री लादूराम सुलानियां : आप भीख में मांगे हुए कपड़ों को छात्रों को पहिनाते हो शर्म नहीं आती। जो कपड़ा छात्रों के लिये दिया जाता है उनकी गद्दीयां बनी हुई हैं आपके घर में।

(शोरगुल, अश्रव्य, व्यवधान, शोरगुल)

श्री बी. एन. जोशी : This is irrelevant nonsense and it must be expunged.

श्री लादूराम सुलानियां : आप में दम हो तो चलिये मेरे साथ चैक करवाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

(श्री शंकरलाल)

क्या सुझाव देना है उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं इसके अन्दर एक करोड़ 75 लाख 71 हजार जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट है इसके विवाद में न जाकर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इसके अन्तर्गत अजमेर क्षेत्र की राजस्व सम्बन्धी कठिनाइयों के लिये 6 लाख, भूमि अनधिकृत कामों के लिये दो लाख रुपये इस प्रकार 8 लाख रुपया राजस्व सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये है। भूमि के अनैतिक मामलों के लिये ट्रेस पासर्स हैं उनके लिये दो लाख रुपया लगाया है उपाध्यक्ष महोदय हमें यह देखना है 6 लाख के तहत जो एडीशनल बात है वह यह है कि राजस्व विभाग में आर.ए.एस. अधिकारी 5, तहसीलदार 8, कर्मचारी वर्ग 15, एक्जीक्यूटिव स्टाफ 112 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 18 तथा भूमि पर अनधिकृत कब्जों को हटाने तथा इस पर खड़ी फसल को काटने, उसकी निगरानी रखने, ढोहने व बेचने आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में 2लाख रुपये अपेक्षित हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा राजस्व विभाग के अन्तर्गत इतना स्टाफ लगाने के पश्चात् आज राज्य सरकार यह कहे कि हमारे पास जो सीलिंग का कानून है उसके लिये उचित स्टाफ नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उसको भी आपको सप्लीमेंटरी बजट में लाना चाहिये था और नहीं तो जो स्टाफ लगाया है उसका उपयोग नहीं करते। दो लाख ट्रेस पासर्स के लिये लगाये हैं। जो सरकारी जमीनों पर अनधिकृत मामले होंगे उनके लिये दो लाख बताये हैं लेकिन आज भी हजारों मुकद्दमे इन ट्रेस पासर्स के पड़े हुए हैं। आपके तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार मौकों पर जाकर निपटारा नहीं करते हैं इसलिये जो यह स्टाफ लगाया है और जो धनराशि सप्लीमेंटरी बजट में रखी है उसके अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं सीलिंग कानून को इम्पलीमेंट करने के लिये हैं इसके अन्दर यह संकेत करना चाहिये था। राजस्व मंत्री महोदय ने कहा आवश्यकतायें होंगी तो लगाया जायगा केवल भूमि के अतिरिक्त मामलों के लिये किया है। मैं कहना चाहता हूं इसके लिए भी करना चाहिये था। दूसरे कडाणा बाँध है उसका मुआवजा प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण किये जाने हेतु 4 लाख 80 हजार बताया। एक तरफ तो सिंचाई मंत्री जी ने कहा इसका मुआवजा गुजरात राज्य द्वारा दिया जायगा। मैं कहता हूं क्या राजस्थान सरकार ने गुजरात सरकार से मांग की है? यह बजट भार 4 लाख 80 हजार का राजस्थान पर क्यों पड़े। जब कडाणा बांध बनता है, गुजरात सरकार को इसका लाभ मिलेगा, राजस्थान की जमीन डूब में आई है और फिर उसके सर्वेक्षण के लिये राज्य सरकार खर्चा करे यह बिलकुल ठीक नहीं है। आपको यह खर्चा गुजरात राज्य से लेना चाहिये। मैं समझता हूं सिंचाई मंत्रीजी इसको गम्भीरता से नहीं सुन रहे हैं। चार लाख जो रखा है वह गुजरात राज्य से क्यों नहीं लिया जाय?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): गुजरात से ही लेंगे, अपना खर्चा नहीं है। मगर अभी तो अपने को करना है इसलिये इसमें बताया है। अपने को खर्च नहीं करना।

श्री शंकरलाल: यह स्पष्टीकरण करना चाहिये। इसके आगे मैं निवेदन करना

(श्री भैरोंसिंह)

की सीट से जवाब देने के लिये आकर बैठ जाते हैं। वैसे नियमों के अनुसार एक सदस्य जहां जहां बैठता है वहीं उसको बैठना चाहिये माननीय मंत्री महोदय वैसे अपनी कुर्सी से जवाब दें तो भी राज्य मंत्री रहेंगे और जहां आकर बैठते हैं वहां भी राज्य मंत्री ही रहेंगे इसलिये ज्यादा अच्छा यह है कि वे अपनी कुर्सी से ही जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : अपने नियमों में प्रावधान है, अपना जो नियत स्थान है, उसी से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सप्लीमेंटरी बजट कई दफा यहां आया है और पास भी हुआ है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमारे डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने यह कहा डेफिसिट बजट क्या है ? इसको आप जानते भी नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने पद के लिए तो ऐसा किया और बैठे कहां हैं, इसलिये ऐसी बात नहीं है। हम भी समझते हैं बजट क्या है ? समाज से लेकर, अपने प्रांत से लेकर राष्ट्र की व्यवस्था किस प्रकार चले उसका नाम है बजट। न सीखा हो तो सीखे और आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 साल बाद राजस्थान गवर्नमेंट को यह मालूम नहीं पड़ा कितना खर्चा होता है। हमें सप्लीमेंटरी बजट क्यों लाना पड़ता है ? आज 20 वर्ष तक यह अध्ययन किया तो मैं मानने को तैयार हूं कि कोई इस बजट को समझने वाला है ? मालूम है इसमें डेफिसियेन्सी आती है तो यह पहले से ही क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है। आज नई गवर्नमेंट होती तो यह मानने की बात हो सकती थी कि उनको अभी पता नहीं है। उनका तो एक नया अनुभव होता लेकिन आपको तो सारी चीजों का पता है 20 वर्ष में जिन जिन चीजों से आय होती है-इरिगेशन में, केनाल में, मूल में अगर इस बजट को नहीं पहचान सकते हैं तो सप्लीमेंटरी बजट लाना बेकार है। आप बजट बनाते हैं और उस पर ज्यादा खर्च कर देते हैं। बजट को समझने वाला होता तो मैं समझता सप्लीमेंटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तक राजस्थान को खींचकर ले आये तो मैं मानता हूं सप्लीमेंटरी बजट का अधिकार है लेकिन फिजूल खर्ची हो जाती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं और फिर सप्लीमेंटरी बजट लाकर हाय हाय मचाते हैं और इस विधान सभा में हमारे हाथों से अन्याय करवाते हैं। बजट के टाइम पर थाप कर टैक्स लगायें हमने बजट की स्वीकृति दी है। मेरा निवेदन है माननीय स्टेट राज्य मंत्री जी बजट को जानते तो सप्लीमेंटरी बजट के लिए आगे की सीट पर आकर नहीं बैठते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के विषय में कोई अनुपूरक बजट लाया जाय वह राज्य को आवश्यकताओं और स्थितियों पर निर्भर करता है इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं किसी सन्तुलित बजट के अन्दर विनियोग विधेयक नहीं लाना चाहिये क्योंकि जनतन्त्र राज्य में राज्य की आवश्यकताएं समय समय पर बढ़ती और बदलती रहती हैं। हमें देखना यह है कि सप्लीमेंटरी बजट लाया गया है वह वास्तव में कहां तक उचित है और हमें

(श्री शंकरलाल)

has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation in to the matter for the purpose of a reply."

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय समाप्त हो रहा है बढ़ाने की इजाजत ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही बढ़ा दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : चीफ व्हिप को इतना सा भी ध्यान नहीं रहता।

श्री नत्थीसिंह : 1200 रुपये इसी बात के दिये जाते हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है: "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

श्री शंकरलाल : यहां चलता तो कुछ भी है लेकिन चलना कुछ भी नहीं चाहिये। कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री पर आरोप लगाये, आरोप लगावें लेकिन प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम के तहत —

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया। मन्त्री महोदय और सुलानियाजी भी इस नियम का ध्यान रखें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो संयम का ध्यान रखते हैं। मंत्री महोदय को कहें।

श्री उपाध्यक्ष : कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं रखते हैं। अब इस बात को यहीं समाप्त कीजिये।

श्री लादूराम सुलानियां : हम तो उपाध्यक्ष महोदय इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं लेकिन जो गरीब हरीजन हैं, पिछड़े हुए और गिरे हुए लोग हैं उनका विभाग राज्य सरकार ने जोशी जी को दिया है। हम जोशीजी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो हमारा काम करते हैं, जनता में जाते हैं आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चेलेंज की बात है, आप चेलेंज में तो हार गये हैं। चाकसू में आप हार गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चुन्नीलालजी ने जो प्रश्न उठाया वह प्रिविलेज का था। मैं इस प्रसंग में निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाय। अधिकतर यह देखने में आता है डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर जवाब देने के लिये आगे आकर बैठ जाते हैं। मैं समझता हूं इस कन्वेन्शन को तोड़ने में राज्य वित्त मंत्री जी सबसे ज्यादा हाथ बंटाते हैं। ये हमेशा आगे आकर बैठ जाते हैं जहां सदा बैठते हैं वहां नहीं बैठते हैं और आगे

श्री बी. एन. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मै सबमिट करना चाहता हूं गैर जिम्मेवाराना एलीगेशन्स लगाये जा रहे हैं इनकी एतराज काबिल लेंग्वेज है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : जोशी जी मैं कोई अन पार्लियामेंटरी शब्द नहीं बोल रहा हूं। आपके विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी विभाग में नहीं है आप सदन में भ्रष्टाचार की मूर्ति बनकर विराजमान हुए हैं।

श्री बी. एन. जोशी : आप बाहर तो चलकर इस प्रकार की बातें कहिये फिर आपको पता चले।

श्री नत्थीसिंह : आप माननीय सदस्य को धमकी देते हैं आपको धमकी देने का कोई हक नहीं है। आप माननीय सदस्य को कैसे धमकी देते हो ?

श्री लादूराम सुलानियां : आप मुझे धमकी देते हैं मैं इससे डरने वाला नहीं। आप मेरे बोलने पर बन्दिश लगाना चाहते हैं। आप कितने काबिल हैं यह मैंने बताया है। यह चीज तो कार्यवाही में रहेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य बार बार असत्य बातें कह रहे हैं इनको कार्यवाही से निकलवाया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : मै जो कहता हूं सही कहता हूं बी० डी० शर्मा के मार्फत आपको रिश्वत मिलती है...

श्री बी० एन० जोशी : बाहर निकल कर आइये और कहिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : पोइण्ट आफ आर्डर है मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री ने एक हरिजन विधायक को धमकी दी है कि बाहर चलो मैं देख लूंगा। यह खेद का विषय है। इनसे कहा जाय कि वे ये शब्द वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके पीछे कोई खराब इरादा नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं मैं यहां पर जो कहता हूं वह बाहर भी कह सकता हूं आप भी जलेबी चौक में चलिये मैं भी चेलेंज करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : राज्य मंत्री द्वारा शब्द वापिस लिये जाने चाहिये। राज्य मंत्री अपनी पोस्ट के काबिल नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने सदन में जिस प्रकार से अपने व्यवहार का प्रदर्शन किया है उससे उनका डाक्टरी परीक्षण कराया जाय।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैं पोइण्ट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 273 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है:—

"273. Procedure regarding allegation against a person. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member

(श्री शंकरलाल)

चाहूंगा इस सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के अन्दर हमने यह देखा म्युनिसिपल बोर्ड के लिये और पंचायत समितियों के लिये जगह जगह आपने किसी को 25 हजार, किसी को 30 हजार यह देने की बात लिखी है। डीडवाना म्युनिसिपल बोर्ड कार्यालय भवन हेतु 25 हजार रुपये, नाथद्वारा म्युनिसिपल बोर्ड सब्जी मण्डी हेतु 25 हजार रुपया, सोजत म्युनिसिपल बोर्ड के लिये 25 हजार रुपये, सागवाड़ा म्युनिसिपल के लिये 75 हजार रुपया; डूंगरपुर म्युनिसिपल बोर्ड के लिए 25 हजार रुपया बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये 30 हजार रुपया।

(5-11 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार से पंचायत समितियों में तनख्वाह चुकाने के लिए सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर आपने मांग की है। आपने बताया है कि उनकी तनख्वाह चुकाने के लिए आपको सप्लीमेन्टरी बजट में से पैसा देना पड़ेगा। पंचायत समिति जैसलमेर को कर्मचारियों को वेतन देने हेतु 1 लाख 50 हजार रुपया; पंचायत समिति शाहपुरा को 5 लाख रुपया और इसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड चूरू को 50 हजार रुपया देने के लिए सप्लीमेंटरी बजट में प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायत समितियां स्वायत्त शासन संस्थायें हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्तमन्त्री जी से कि हम राजस्थान के अन्दर स्वायत्त शासन संस्थाओं को, पंचायतों को और नगरपालिकाओं को एक तरफ यह कहते हैं कि यह सैल्फ सपोर्टिंग बाडीज बनें, यह स्वायत्त शासन संस्थायें अपने आप अपना शासन चलायें लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप इनको कब तक अनुदान देते रहेंगे, कब तक इनको ऋण देते रहेंगे? कभी आपने पूछा है कि कानून के तहत जो उनको टैक्स लगाना चाहिए वह उन्होंने लगाया है? जिन नगरपालिकाओं को, जिन पंचायतों और पंचायत समितियों को जो कानून के तहत टैक्स लगाने चाहिए और उन्होंने वह टैक्स नहीं लगाये हैं तो उनको बार बार राज्य सरकार से ऋण मत दो और अनुदान मत दो और राज्य के ऊपर बोझा मत डालो। इस तरह से तो आप स्वायत्त शासन संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है कि हम सरकार से पैसा ले लेंगे। अगर आप उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो लगाने दीजिए उनको टैक्स। पंचायत समितियों में कई टैक्स लगने होते हैं लेकिन वह नहीं लगाते हैं। ह कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं

(5-14 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमको तो डर लगता है। तो क्या हम चुने हुए आदमी नहीं हैं? यह जो हम अनुदान देते हैं यह भी तो राज्य सरकार के ऊपर बोझा पड़ेगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को आपको सचमुच स्वायत्त शासन संस्था बनानी चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए जब इसमें कई रकमों की मांग की गयी है मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान के अन्दर

(श्री शंकरलाल)

जिन बांधों से और नहरों से पानी दिया जाता है काश्तकारों को उसके लिए आपने कोई समाजवादी नीति नहीं अपनाई है। आप कहते थे कि आप छोटे काश्तकारों को पानी देंगें, गरीबों को पानी देंगे लेकिन आज भी उदाहरण है पाली जिले की रायपुर बांध का और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज रायपुर बांध से जो पानी दिया जाता है वह उन बड़े बड़े आदमियों को दिया जाता है जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। पास में छोटे छोटे काश्तकार आये हुए हैं वह कहते हैं कि पानी दो लेकिन विभाग वाले कहते हैं कि माइनर इरिगेशन केनाल नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन रही है? आप बना सकते हैं रायपुर में लेकिन आप कहते हैं कि नहीं बन पाई और इसलिए नहीं बन पाई है कि आपको छोटे काश्तकारों को पानी देना पड़ता है। आप निश्चित कीजिए कि 10 एकड़ तक जो भी काश्तकार हैं उनको आपके द्वारा पूरा पानी दिया जायेगा। आज रायपुर का बांध हमने आवाज लगाकर उसको बंधवाने की कोशिश की लेकिन जब काश्तकार चिल्लाते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा होता बांध ही नहीं बनता। हम चाहते थे कि छोटे काश्तकारों को पानी मिले लेकिन माईनर इरिगेशन की केनाल नहीं बन सकती।

(5-15 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इसके साथ ही साथ सिंचाई के साधनों से राजस्थान में फसल करना चाहते हैं तो जो सिंचाई के बांध हैं, जो जागीरदारों के पास हैं उन्होंने अपनी पर्सनल प्रापर्टी बना रखी है। क्यों नहीं इनको लेते हैं? राजस्थान के अन्दर तो स्थिति तब सुधरेगी जबकि आप निश्चित नीति अपनायेंगे। एक तो नीति यह है कि नहरों से किस प्रकार पानी दिया जाये जिससे कि गरीब और छोटे काश्तकारों को पानी दिया जाये। जो नहरों से पानी दिया जाता है उसकी कमेटी है उसमें एम० एल० ए० नहीं है मेम्बर। कलेक्टर और पंच मिलकर कमेटी बनाई हुई है। हमने पूछा तो कहते हैं कि हमने तो पानी का बंटवारा किया, गलत किया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने कुछ नीतियां घोषित की थी। मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था लेकिन उस नीति का पालन नहीं हो रहा है। दूसरे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्तिगत बांध हैं चाहे वह उदयपुर में हों या पाली जिले में हों आप बांधों को व्यक्तिगत पूंजी रखना चाहते हैं। एक तरफ अर्बन प्रोपर्टी पर सीलिंग की बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ तालाबों और बांधों को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति रखना चाहते हैं, क्यों नहीं आप इसके लिए कानून लाते हैं? किसी के पास बांध हो और वह भी व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाये तो लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? इसी तरह से बड़े बड़े कुए हैं उनको लोगों ने व्यक्तिगत रूप से रख रखा है। जागीरदारी किसके लिए समाप्त की थी? आज बिचोलिये हैं पानी के मामले में और वह हजारों बीघा जमीन को पानी पिलाते हैं और लाटा लेते हैं। आप इसमें समाजवादी नीतियों को अपनायें तब जाकर राजस्थान का भला कर सकेंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन

(श्री शंकरलाल)

करना चाहता था कि नीति स्पष्ट करके उसी के अनुसार हमारी ग्रान्ट को हम पास करें। लेकिन हमारी नीति और भी आगे समाजवादी हो और उसके अनुरूप ही हम अपने बजट को वापिस लायें, यही मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि इस एप्रोप्रियेशन बिल के संबंध में मैं जानकारी के रूप में माननीय वित्त मन्त्री जी से चाहूंगा कि आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में कुछ सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड रखी है और इसलिए मेरे बोलने का एक प्रकार का थोड़ा सा स्कोप है उसकी दृष्टि से मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज के दो वर्ष पहले बजट अधिवेशन में आपने इसी सदन में सदस्यों की मांग के ऊपर इस सदन में यह घोषणा की थी राजस्व मण्डल का पुनर्गठन किया जायेगा।

(5–17 म॰ प॰)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और उसमें आपने बताया था कि रेवेन्यू सर्विसेस में सेशन्स जज की हैसियत का होगा उसको रखा जायेगा और बार एसोसियेशन के मेम्बर को रखा जायेगा और इसी प्रकार से पुनर्गठन होगा। दो वर्ष के बाद कई बार इस मसले को विधान सभा में उठाया गया लेकिन राजस्व मण्डल का पुनर्गठन नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है राज्य सरकार ने इस संबंध में नियम बनाये हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वह नियम एप्रूव हो चुके हैं, उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट में चला गया और लॉ डिपार्टमेंट से वह नियम एप्रूव हो चुके हैं और उसके बाद में केवल केबिनेट की सील लगनी है। केबिनेट को और मामलों के लिए तो फुरसत मिल जाती लेकिन इस के लिए फुरसत नहीं मिलती। तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह नियम कब तक एप्रूव हो जायेंगे? कब तक राजस्व मण्डल का पुनर्गठन हो जायेगा? यह मानकर चलें कि जिस प्रकार के मामले चल रहे हैं उन विवादों में न्यायाधिकरण के संबंध लोगों को ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा हो इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व मण्डल का पुनर्गठन किया जाये और और इसी प्रश्न को लेकर मैंने जो बात कही है मैं आशा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वैसे बहस का उत्तर तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देंगे....

कुछ माननीय सदस्य : आप ही दीजिए।

एक माननीय सदस्य : क्यों फंसाते हो गरीब को।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भैरोंसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में राज्य सरकार की नीति और राज्य सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है वह भैरोंसिंह जी खुद भी जानते हैं...

एक माननीय सदस्य : ये मंत्री मण्डल के सदस्य हैं क्या?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सदन में कह चुका हूं पहले और उसके बाद

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके सिलसिले में राज्य सरकार की जो इच्छा है कि रेवेन्यू बोर्ड को री-आर्गेनाइज किया जाये इसके अन्दर जुडीशियल कन्टेन्ट्स इन्ट्रोड्यूज किया जाये यह मैं पहले भाषण में कह चुका हूं। उसके बाद में उसको लाने के लिए जो रेवेन्यू एक्ट में संशोधन की जरूरत है उसके बारे में सब कार्यवाही करीब करीब अब पूरी हो चुकी है और अब उसको फाइनल शेप देकर इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र, मैं तारीख तो नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : दो वर्ष निकल गये।

श्री मथुरादास माथुर : तो ऐसा है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्सोनल के बारे में रुका हुआ है। पर्सोनल के बारे में आगे कब होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : वह हाई कोर्ट से मांग लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्सोनल के अनुसार रूल बनाये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : रेवेन्यू बोर्ड के स्थान पर हाई कोर्ट कर दें तो क्या एतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अपने आप में अलग प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : वह अलग प्रश्न है। उसमें काफी समय लग जायगा समझाने में। मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रिन्सीपल को एप्रूव कर दिया है कि रेवेन्यू बोर्ड का रिआर्गेनाइजेशन किया जाय और उसके अन्दर जुडिशियल कन्टेन्ट्स को इन्ट्रोड्यूस किया जाय। उसके बारे में लेजिस्लेशन लायेंगे और रूल्स की जरूरत है वह सब हो चुका है। वह फाइनल स्टेज पर है और वह जल्दी ही हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : हम उम्मीद करें कि इस वर्ष हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इस वर्ष तो होना ही चाहिये मेरे ख्याल से।

श्री रामकिशन : अभी तो यह कह रहे हैं कि होना ही चाहिये। भगवान सब का कल्याण करेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो.......

श्री अचलाल : माननीय उपाध्यक्ष, अभी तो इस पर कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और राज्य मंत्री जी को आपका आदेश नहीं मिला है कि वे उसका जवाब देने के लिये तैयार हों।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है मेरे ख्याल से।

श्री मदनसिंह : यू कान्ट टेक असेम्बली लॉज इन युअर हैण्डस।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी कन्सेन्ट थी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बिल और रह गया है...

श्री नत्थीसिंह : पहले इसको तो होने दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक वह बिल पास न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री मदनसिंह : रूल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : कौन से रूल में आपको प्रस्ताव रखने का अधिकार है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हाउस के रूल में ।

श्री नत्थीसिंह : कौन सी धारा है ?

श्री शंकरलाल : समय बढ़ाने के लिए ।

श्री मथुरादास माथुर : जिस कानून के तहत आपको विरोध करने का अधिकार है उसी कानून में उनको अधिकार है ।

श्री भैरोंसिंह : चीफ व्हिप किताब ढूंढ रहे हैं, रूल नहीं मिल रहा है ।

श्री नत्थीसिंह : यह लड्ढा साहब से पूछ लें ।

श्री मदनसिंह : आपकी तरफ से चेयर को रूल बता देना । आपने यह फर्माया है कि एक बिल और है तो उसको हम चाहते हैं कि टाईम बढ़ाया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : कोई स्पेशल रूल नहीं था । उनको मालूम नहीं है । प्रस्ताव रखने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पहले प्रस्ताव आ गया है । मैं समझता हूं कि नियमों का हवाला देने की जरूरत नहीं है । इस पर चर्चा करेंगे तो और समय चला जायगा ।

श्री नत्थीसिंह : वह ढूंढ नहीं पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि एक छोटा सा बिल है उसके पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि वह बिल ऐसा है कि हमें बोलना है । हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है । अगर बैठना पड़े तो हम कल सवेरे तक बैठने को तैयार हैं ।

सरकारी पक्ष : हम भी तैयार हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उसको इतना छोटा मानते हैं कि आधा घण्टे में पास हो जाय तो नहीं हो सकता है । उसके साथ में नये पूर्ण तरीके से विचार होना चाहिए इसलिये इसको कल ले लिया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेक युअर ओन टाईम ।

श्री नत्थीसिंह: उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है । उस वक्त जब यह विचार के लिये प्रस्तुत किया गया था तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने एक वैधानिक आपत्ति उठाई थी और उस आपत्ति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था नहीं देते हुए यह फर्माया था कि यह जो सारी स्थिति है राज्य सरकार उस पर पुनर्विचार करे और उसके बाद में व्यवस्था दी जायगी । वह व्यवस्था वहीं

(श्री नत्थीसिंह)

दी गई है। व्यवस्था के पहले उसपर पुनर्विचार किया गया है वह हमें सूचित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पुनर्विचार यही है कि इसको दुबारा प्रस्तुत किया है।

श्री नत्थीसिंह : यह जल्दी में नहीं हो पायेगा। व्यवस्था सब ठीक है, वे गाड़ियों में चल रहे हैं, रेलों में चल रहे हैं, उनके आराम में कोई कमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले समय के प्रस्ताव पर क्या निर्णय है वह ले लूं। सदन की अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित करने के लिए समय बढ़ाया जाय।

विरोधी पक्ष : नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं क्यों, आपने कह दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही रुक रुक कर बोला हूं। उसके बाद आपकी मन्शा यह लगी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी मन्शा यह नहीं है। खाली एक बिल ही पास करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री विश्वभरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सीधे खड़े हो जाय। आवाज माइक में आ जायेगी।

एक माननीय सदस्य : आपने वित्त मंत्रीजी का बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री जी का बोल दिया है दुबारा।

श्री रामकिशन : (माननीय मंत्री के माइक पर झुकने पर) इसको सीधा करलें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री की परिभाषा में राज्य मंत्री, उपमंत्री और सब सम्मिलित हैं; इसलिए आपका जो एतराज है वह कोई खास मायने नहीं रखता है इसलिए मुझे आपकी इजाजत है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट सर्वेन्ट की परिभाषा में मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री, उपमंत्री भी आते हैं और चपरासी भी आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह पब्लिक सर्वेन्ट में आते हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मदनसिंह : लक्षण तो इस प्रकार के हैं कि लाउड स्पीकर पर भी बोलना ही नहीं आता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसमें एतराज इस बात पर उठाया है कि यदि राज्य सरकार दूरन्देशी से काम लेती तो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स लेकर उसको आना नहीं पड़ता ....

एक माननीय सदस्य : आप सीधे खड़े होकर बोलें ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सप्लीमेंट्री डिमाण्ड की आम तौर पर हर राज्य को जरूरत हो जाती है । कोई भी वित्त मंत्री कितनी ही सूझबूझ से काम करे लेकिन वह इस बात को लेकर नहीं चल सकता है कि जलफोरसीन केलेमिटिज क्या आजायेगी इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है । मिसाल के तौर पर (कुछ माननीय सदस्यों के व्यंग पर) माननीय सदस्य मेरे साथ में सब्र रखें तो कृपा होगी और सदन के अपने उत्तरदायित्व को निभायेंगे ।

मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो भी खर्चा किया जा रहा है यह राज्य की आमदनी में इजाफा करने के लिए उपस्थित किया गया है । कुछ हमारी रेवेन्यू में लीकेजेज हो रहे थे उनको प्रिवेन्ट करने के लिए जरूरी था माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मोबाइल मजिस्ट्रेट, उनकी जीप गाड़ी, आदि के लिए 1,81,000 रु० की व्यवस्था की गई है । वह इसलिए करना जरूरी था कि आज बहुत सी गाड़ियां बिना टैक्स दिये चल रही है और चूंकि उनका चैकिंग नहीं हो पाता है और वह साधारण श्रेणी के कर्मचारियों से चैकिंग होता है तो उनका सुपरविजन जो होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा था इसलिए एक मोबाइल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई जिनके पास में गाड़ी आदि की सुविधा हो ताकि वे राजस्थान के विभिन्न भागों में घूम घूम कर दौरा करके सरप्राइज चैकिंग करलें ।

श्री नत्थीसिंह : मोबाइल मजिस्ट्रेट की आमदनी कितनी बढ़ी है यह आपने जानकारी दी है जो कि आप यह कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं थी केवल भरतपुर जिले का ही कह दें कि उसमें मोबाइल मजिस्ट्रेट की कितनी आमदनी हैं । 25, 25 रुपये जगह जगह से बिना रसीद दिये लेते हैं और जेब में रखते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय राज्य मंत्रीजी••••••

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री ने यह कहा था कि यदि कोई घटना हो जाय तो यह तो कोई घटना नहीं है । यह तो उनके पहले ही मालूम था ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी: घटना नहीं तो क्या है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह सूचना एक दे दें कि राजस्थान के अन्दर कुल कितने मोबाइल मजिस्ट्रेटस हैं ?

श्री विजयसिंह : और आगे आप कहां तक बढ़ा रहे हैं !

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : यह कयास नहीं लगाया जा सकता था कि राज्य में कितने भयंकर आंधी और तूफान आयेंगे और कितनी मात्रा में नहर में आकर मिट्टी डिपाजिट हो जायगी जिसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिन योजनाओं में हम करोड़ो रुपया खर्च करते हैं नहर वगैरह बनाई हैं उनमें जमा हुई मिट्टी को साफ न करें तो मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट बेकार हो जायगा ।

श्री मदनसिंह : यह नई चीज नहीं है कि नहर में मिट्टी जमा हुई हो ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: किस एक्स-पेन्डीचर को किस क्वान्टिटी तक किस स्थान पर आवश्यकता पड़ेगी यह फोरसीन करके नहीं चला जा सकता है। यह सरकार के खर्चे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया: क्या माननीय राज्य मंत्रीजी ने मिट्टी का एस्टीमेट लगाया है कितने हजार फुट मिट्टी निकालनी है और उसके लिये बजट बनाया है और बजट बनाते टेम आप शामिल थे या नहीं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी: देखिये कि जो प्रशासनिक विभाग होता है वह एस्टीमेट तैयार करता है और जितने भी खर्चे की आवश्यकता होती है उसकी मांग भेजता है।

श्री लादूराम सुलानिया: कितनी मिट्टी है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: इसके लिए अलग सवाल पूछ लें।

श्री लादूराम सुलानिया: मैं आप से पूछ रहा हूं कि मिट्टी कितनी है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रश्न बाद में पूछें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: पांच करोड़ का एस्टीमेंट नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गाड़िया, इसके उपरान्त प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायगा मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद। जो भी मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना हो वे आसन के माध्यम से पूछे जाय। उनसे सीधा उत्तर नहीं मिलेगा। (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी से) आप भी मेरी तरफ देखते रहें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि उनके घर का बजट कितना है? कितने बच्चे पैदा किये हैं?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: हमको 28034 रु० व्यय करना पड़ा। उसके लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। यह राज्य के लिए किये जाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए बजट की प्रतीक्षा करते, यह उचित नहीं था। यह आवश्यक खर्चा है जो तत्काल हमको करना पड़ा है। एक पंचायत समिति को 5000 रु० देना पड़ा। 1000 रु० जैसलमेर को देना पड़ा। वहां मास्टरों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पंचायत राज के बारे में माननीय सदस्य हमेशा ही बहुत चिन्ता व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिले उसके लिए यह एडवांस देना पड़ता है।

श्री लादूराम सुलानिया: एग्रीकल्चर विभाग में लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वह बजट रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

आप अपना उत्तर जारी रखें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: इन कार्यों के तहत 1 लाख 45 हजार का जो प्रावधान है, उसमें कई छोटे छोटे कार्य थे। कहीं नाला, कहीं नगर पालिका का भवन बनाने की आवश्यकता थी। स्वायत्त शासन संस्थाओं को उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की नीति रही है। अभी मा० उपाध्यक्ष जी, विरोधी दल के माननीय नेता ने एक बात

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कही है। उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े दिये हैं, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी जो दूसरों की अपेक्षा उसमें अभी अभिवृद्धि नहीं हुई है। राजस्थान की आमदनी में अभिवृद्धि होनी चाहिए वह नहीं हुई है। बार बार यह आंकड़े दिये गये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप बताइये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजस्थान राज्य का निर्माण 22-23 साल से हुआ है इस 23 साल के शासन में प्रतिव्यक्ति की आय बढ़ी है या नहीं, इसका जजमेंट मैं माननीय सदस्यों की इस बात पर छोड़ता हूं कि राजस्थान बनने से पहले जिन कर्मचारियों को 8 रु० मिलता था, उनको राजस्थान बनने के बाद आज 150 रु० दे रहे हैं।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री विजय सिंह : (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : उस समय रुपये की कीमत क्या थी ?

(लगातार शोरगुल, व्यवधान)

श्री मदनसिंह : यह राज्य कर्मचारियों का बता रहे हैं या जनता का ? उस वक्त एक रुपये का मन भर अनाज आता था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राज्य कर्मचारी क्या जनता में नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री मदनसिंह : कर्मचारी जनता में होते तो कल आप कानून नहीं लगाते।

श्री लादूराम सुलानिया : पहले आप 250 रु० में काम करते थे, अब 1200 रु० ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजस्थान की आमदनी के मुकाबिले, हां, महाराष्ट्र आदि से अच्छी नहीं कही जा सकती है। हमको पुराने रजवाड़ों के रूप में सब जीर्ण-शीर्ण मिला है।

श्री मदनसिंह : करोड़ों रुपया मिला है।

श्री रामकिशन : गलत बयानी न करें। हमारी प्रतिव्यक्ति आमदनी उत्तर-प्रदेश से ज्यादा है। यह भी बतादें।

एक माननीय सदस्य : आप कृपा कर के तुलना न करें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : जैसा कि नेता महोदय ने यह कहा कि राज्य पर अनापशनाप कर्जा हो गया है। वह चुकाया नहीं है। राज्य सरकार ने ऋण की किश्त को ब्याज को रेग्युलर चुकाया है। हमेशा किया है। मुझे यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना पड़ता है। इसके विपरीत वह जानकारी रखते हैं तो वह बता दें।

श्री देवीदत्त गाढ़िया : आप उधर क्यों देखते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बहस के द्वारा····

एक माननीय सदस्य : भैंस नहीं, बहस कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर को समाप्त करें। उधर देखते ही क्यों है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने बताया है कि बार बार यह बहस हो रही है। सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड पर सप्लीमेण्टरी बजट की तैयारी की है। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा, यह सप्लीमेण्टरी बजट नहीं था। यह सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स हैं। यह सप्लीमेन्टरी बजट में नहीं आता है, न यह परम्परा है। अब रहा बजट के अर्थ के बारे में, आक्सफोर्ड डिक्शनरी में बजट की परिभाषा दी हुई है, "Annual financial estimate of revenue and expenditure"

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट की स्पेलिंग तो बोल दें।

श्री विजयसिंह : Who is the writer of Oxford Dictionary? Is it written by somebody or complied by somebody?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा, माननीय मित्र गलत नहीं समझ लें, माननीय मित्रों ने मुझे यह चुनौती दी है कि आप बजट की जानकारी नहीं रखते हैं।

बजट के मामले में मैं निवेदन करूंगा क्योंकि वह बजट के बारे में मेरी नॉलिज टेस्ट कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया है, बजट शब्द के शाब्दिक माने क्या हैं? मुझे अफसोस है कि किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं बताया है।

श्री विजयसिंह : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : लिटरल मीनिंग, शाब्दिक मायने क्या हैं....

श्री देवीदत्त गाड़िया : पाइन्ट ऑफ आर्डर!

श्री विजयसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री देवीदत्त गाड़िया : फिर वही पाइन्ट आफ आर्डर है...

आपने कहा कि आपकी ओर देखें। लेकिन यह बराबर इधर उधर देख रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I am sorry.

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ठीक है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं माननीय सदस्य की ओर सदन के सब माननीय सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए बता दूं, बजट आम इस्तेमाल का शब्द है, आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं इसका शाब्दिक, एकोलोजिकल मीनिंग क्या है, उससे वाकिफ हो जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा में यह शब्द फ्रेन्च भाषा से आया है। "bougette" जिससे यह अंग्रेजी में आया है, बजट शब्द फ्रेन्च से आया है। रोमन लैंग्वेज में "Bulgh" है, इसका मतलब है पर्स, थैली...

श्री मदनसिंह : ठीक कह रहे हैं, You are right

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं हो।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, Hon. Minister is right. I totally agree with you.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तो यह मेरा अभिप्राय था....

श्री मदनसिंह : I totally agree with you. थैले का नाम लिया, तो थैले में फंसे नहीं, थैले में रहें।

श्री विजयसिंह: बजट का प्रारम्भिक अक्षर वी है, इसका अर्थ है बोगस।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसका असलियत में पर्स मतलब है फिर to say that the Finance Minister was placing the budget of the Government on the table of the House means he was putting purse of the Government on the table of the House.

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लास ली जा रही है या विधान सभा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दूसरा निवेदन मैं कर रहा था.......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पाइन्ट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : फ्रेंच का है इसलिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन, बजट की जो व्याख्या राज्य मंत्री ने की है, उससे वित्त मंत्री जी सेंट प्रसेंट सहमत हैं ?

श्री रामकिशन : यह भाषा का सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): जो राज्य मंत्री जी ने मायने बताये, उससे सेन्ट पर्सेन्ट ही नहीं हण्ड्रेड वन पर्सेन्ट सहमत हूं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : आप चाहें तो आक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लें।

श्री नाथीसिंह : सेन्ट पर्सेन्ट नहीं, हण्ड्रेड वन पर्सेन्ट हैं।

श्री मदनसिंह : हम एग्री कर रहे हैं, आप आगे चल क्यों नहीं रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : आक्सफोर्ड डिक्शनरी से यह अंग्रेजी शब्द लिया गया है, यह रामायण में नहीं है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : यह शब्द अंग्रेजी का है उससे....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह लेडी पर्स है या जेन्ट्स ?

श्री लादूराम सुलानिया : भूल गये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने कहा....

श्री मथुरादास माथुर : कामन जण्डर है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : बांसवाड़ा के अन्दर आदिवासी क्षेत्र के अन्दर विकास नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के अन्दर अठारह टोटल डवलपमेंट ब्लाक्स चल रहे हैं और इन्टेन्सिव विकास के ऊपर करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च की है, नार्मल एक्सपेंडीचर से ज्यादा खर्च की जा रही है। माइनर इर्रीगेशन के लिए आपने फर्माया, उसके लिए सिंचाई मंत्रीजी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : समाज कल्याण का पटरा बैठेगा जब तक यह विभाग आपके पास है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तुम्हारा नहीं पटरा बैठेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, तुम्हारा नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तुम्हारा नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यों बोलें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : माननीय शंकर लाल जी ने फर्माया···

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में यू का····

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी देर पहले व्यवस्था दी है। आप अपने स्थान से बोलें।

श्री मदनसिंह : यू का मतलब तुम है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : माननीय शंकरलालजी ने फर्माया कि गुजरात सरकार देगी 4 लाख 80 हजार। हम क्यों खर्च कर रहे हैं। जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया 4 लाख 80 हजार गुजरात सरकार से प्राप्त होंगे किन्तु आरम्भ में खर्च नहीं करें तो क्लेम किस आधार पर करेंगे कि इतना चुकारा किया···

श्री लादूराम सुलानिया : ब्याज भी लेंगे कि नहीं ?

श्री नाथूराम : दस साल से चल रहा है तो दस साल पहले लेना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : इनको क्या मालूम है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनको तो जितना लिख कर दे दिया है वह बोलेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सारे लोग और क्षेत्र जो डूब में आवेंगे उनके बारे में निर्णय करेंगे। इसको काज आफ एक्शन कहते हैं—···

श्री विट्ठल भाई : नाथू भाई और भीखा भाई डूब जायेंगे तब बांट देंगे।

श्री नाथूराम : तुम डूबोगे बांध में जाकर।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि जो विभिन्न राशि खर्च करने की अनुमति इस सदन से चाहते हैं, कन्सोलिडेटेड फण्ड ऑफ राजस्थान से, इनको लेने के लिए, जो खर्च की गई है, यह अत्यन्त आवश्यक था, राजस्थान राज्य के हित में था, इसमें थोड़ा रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए आवश्यक था और राजस्थान के भावी विकास को जारी रखने के लिए आवश्यक था। इसलिए यह सदन इस विनियोग विधेयक को पारित करे।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं तीन जानकारी चाहता हूं। एक तो यह बता दें, यह जो बताया कि डूब का चार लाख रुपया गुजरात देगा, तो क्या इस चार लाख का ब्याज लेंगे या नहीं ? दूसरी बात यह कि इसे कब तक वसूल कर लेंगे ? तीसरी बात यह है जितने कर्मचारी हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार आदि इनसे सर्वे क्यों नहीं कराई है, अलग से खर्च क्यों किया है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह है मसला जो आपने उठाया। माफ कीजियेगा, इस बांध के नीचे जमीन आयेगी उसमें मुआवजा गुजरात गवर्नमेंट से क्लेम करना पड़ेगा। मुआवजा क्लेम करने के लिए, कितने मकानात डूब में जायेंगे, इसका सर्वे, एक इन्टेन्सिव काम करना पड़ेगा। जो पटवारी हैं वह अपना नार्मल काम करते हैं, हम जल्दी से जिस सूटेबल तरीके से काम कराना चाहते हैं वह इनसे नहीं हो सकता। गुजरात गवर्नमेंट से चर्चा करने के बाद क्लेम पेश करने के लिए यह स्टाफ सैंक्शन किया है। और जो मुआवजा तय किया है वह मुआवजा मिलेगा उसमें यह चार लाख और कुछ हजार जुड़ जायेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : रेगुलर बजट में यह हो सकता था, सप्लीमेन्ट्री बजट में क्यों लाये ?

श्री मथुरादास माथुर : यह काम बाद में शुरू हुआ। गुजरात गवर्नमेंट से बाद में बातचीत हुई, कान्फ्रेंस में तय किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं। श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, लादूराम सुलानिया ने अपने भाषण में जो तथ्य सदन के सामने रखा था कि समाज कल्याण का बजट हर साल लेप्स होता है-उसका कारण क्या है ? आपके राज्य मंत्री, इस विभाग के मंत्री होने के नाते भी जिस प्रकार सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट दूसरे विभाग लेते हैं, वैसे क्यों नहीं लेते और इस विभाग में हर साल बजट लेप्स होता है इसका कारण क्या है, क्या यह भी जो पैसा बजट में रखा जाता है उसका उपयोग करते हुए सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है-इनको यह समझना है कि यह सप्लीमेंट्री बजट नहीं है। हर साल, हमारा जो फाइनेंसियल ईअर होता है, वह 31 मार्च तक का होता है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : हर साल के लिए कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : 31 मार्च के दौरान कन्टिन्जेन्सी से ऐसा एक्सपेन्डीचर, जिसका बजट में प्रावधान नहीं है, खर्च करते हैं जिसकी लिमिट एक करोड़ रुपये तक है, उससे आगे खर्च नहीं कर सकते। इस सूरत में जो खर्च हो गया है, उसके लिए कहा है। वैसे अभी किसी भी डिपार्टमेंट का पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह कहा था हमने, हमारा समाज कल्याण विभाग अपने बजट का रुपया खर्च करके और पैसा ले। सरकार से हम चाहते हैं, आप ज्यादा खर्च करें और रुपया लें समाज कल्याण के लिए। हमने यह कहा था कि यह वह भी खर्च नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या इनकी अयोग्यता है ?

Page No 140

श्री मथुरादास माथुर : इसमें निवेदन करूं कि समाज कल्याण के लिए जितना रुपया रखा जाता है, आपको मैं तीन चार साल का एवरेज देकर कह सकता हूं कि बजट में जो प्रावधान रखे हैं उसमें लेप्सेज नार्मल हुए है....

श्री लादूराम सुलानिया : बहुत लेप्स हुआ है—हमें जानकारी है।

श्री मथुरादास माथुर : पूरे बजट में दो लाख, चार लाख लेप्स हो, यह आसान बात है, इसे अधिक नहीं जा सकता। वरना हम कोशिश करते हैं, मैं निवेदन करूं, मार्च के महीने में इस विभाग में खासतौर से रुपया खर्च होकर मन्त्री और मांगते हैं तो डेबिट करने को कोशिश करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह सवाल है कि वह खर्च नहीं कर पाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : खर्च करना नहीं चाहते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : खर्च करने की मन्शा है आपको।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भीखा भाई और अमृतलाल यादव तो और मांग करते हैं यह क्यों नहीं करते ?

श्री मथुरादास माथुर : मांग करने का सवाल नही है। जो खर्च किया जा चुका है वह है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि झुंझुनू जिले में सिंचाई के लिए पानी जब राजगढ़ तक लिफ्ट इर्रीगेशन से आ सकता है तो क्या कारण है कि झुंझुनू और सीकर में राजस्थान कैनाल से सिंचाई नहीं हो सकती ?

दूसरी बात जमुना वाटर से कसाऊ डैम बना रहे हैं उसमें राजस्थान को हिस्सा मिलने वाला है, उसमें से इन दो जिलों को कितना हिस्सा मिलेगा। क्या प्रिलिमिनरी सर्वे कराकर जानकारी प्राप्त कर ली है भारत सरकार से कि इन दो जिलों को कितना हिस्सा मिलेगा और उसमें कितना समय लगेगा और इन दो जिलों में कितनी जमीन की सिंचाई के लिए पानी दे सकेंगे ? जब राजगढ़ आ रहा है तो झुंझुनू और सीकर क्यों नहीं आ सकता ?

श्री मथुरादास माथुर : ये दोनों प्रश्न अपने आप में गंभीर हैं और दूसरे माननीय सदस्य जो इस सदन में नहीं हैं, वह भी दिलचस्पी रखते हैं। जहां तक कसाऊ डैम का सवाल है यह अभी कन्साव्ड है बोर्न नहीं है ?

श्री नत्थीसिंह : मृगतृष्णा है।

श्री मथुरादास माथुर : Conceived but not born लिखा पढ़ी कर रहे हैं। इस में धैर्य की आवश्यकता है।

दूसरी बात, आप कहते हैं कि राजस्थान कैनाल से राजगढ़ तक लिफ्ट इर्रीगेशन से पानी ले जा रहे हैं, यह आपका अपना मत है। राज्य सरकार के पास में इस तरह की स्कीम नहीं है। राजगढ़ को लेने का प्रश्न न हमारे सामने है और न आएगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो पाकिस्तान को पानी जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक राजस्थान कैनाल की पहली स्टेज करीब २ चल रही है। उसके पूरा होने के बाद में जैसलमेर में जो प्लान है जितना वाटर पोटेन्शल अवेलबल है उसको रामगढ़ तक लाने का सवाल है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था आज कि लिफ्ट से दूसरों को दे रहे हैं और अनइकोनामिक होगा और हमारे यहां नैचरल फ्लो से पानी आ सकता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों प्रश्नों को रख कर सरकार विचार करती है। अभी तक जो सैंक्शन किया जा चुका है वह उतना ही है लेकिन राज्य सरकार के सामने दूसरे लिफ्ट इर्रीगेशन करने का प्रश्न नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दे उठाए थे उनमें से सिवाय कडाणा बांध के किसी मुद्दे का राज्य मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया। स्वायत्त शासन संस्थाओं को आप अनुदान व ऋण देना चाहते हैं और पैरों पर खड़ा कर के टैक्स लगाने की बात नहीं करना चाहते हैं।

दूसरी बात सिंचाई के अंदर समाजवाद की नीति अपना कर छोटे किसानों को पानी देना। कितने बीघा तक पानी दें, और दूसरों को नहीं दें।

तीसरी बात राजस्व से जो 8 लाख रुपए एडीशनल स्टाफ के लिए खर्च कर रहे हैं उसमें से सीलिंग का इम्पलीमेंटेशन के लिए स्टाफ लगाया ? ये तीन चार बातें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने पूछा कि कुछ नगरपालिकाओं को अनुदान या ऋण पंचायत समितियों को दिया गया। राज्य सरकार की नीति देने की नहीं है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। मगर किसी नगरपालिका में राजस्थान में इतनी नगरपालिकायें होने के बावजूद 2-4 नगरपालिकाओं को........

श्री देवीदत्त गाड़िया : जहां मंत्रियों की सिफारिश होती है।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तनख्वाह नहीं मिलती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : डीडवाना को 25 हजार किस लिए दिए ?

श्री मथुरादास माथुर : मकान बनाने के लिए, आप भी ले सकते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : एक जगह तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, दूसरी जगह मकानों के लिए पैसा देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप पूछ लें मैं जवाब देता रहूंगा। लेकिन इन्टरप्ट न करें। हमने नीति बता दी। नीति नहीं देने की है। हम मुसीबत में होते हैं तो भारत सरकार से लेते हैं हालांकि ओटोनोमस हैं। सदन जानता है। इसी तरह से अगर किसी नगरपालिका का काम ठप्प है तो राज्य सरकार का फर्ज है कि वह उसको ठप्प न होने दे। इसलिए सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आपके पास आती हैं।

सिंचाई के बारे में आपने कहा हमारी नीति बराबर की है। जवाई और दूसरी जगह 5 बीघा वालों को सेंट पर्सेन्ट, 10

(श्री मथुरादास माथुर)

बीघा वालों को 50 प्रतिशत, जो ज्यादा वाले हैं उनको 13 से 15 प्रतिशत, यह समाजवाद की रूपरेखा नहीं है तो क्या है? हो सकता है कोई छोटा मोटा बांध रह गया हो तो मुझ से मिल लें। छोटे तालाबों या बांधों से क्या समाजवाद आएगा...

श्री उपाध्यक्ष : छोटे लोगों को सहायता देने में समाजवाद है। छोटे बांध बनाने से समाजवाद नहीं है। कसाऊ डैम के लिए माननीय सदस्य ने कहा है, अच्छा सुझाव है, विचार करें।

श्री रतनलाल रोत (चोरासी सु.) : इस समय हरिजनों को जो मकान के लिए बजट दिया जाता है लेकिन आदिवासियों के लिए तीसरी योजना बीत गई और आदिवासियों को मकान बनाने के लिए प्रावधान था लेकिन इस वर्ष से आदिवासियों के लिए भवन बनाने के लिए अनुदान बंद कर दिया गया है, ऐसा क्यों?

श्री मथुरादास माथुर : अनुदान बन्द करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मैंने बजट भाषण में कहा था कि कोओपरेटिव फेडरेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बनाना चाहते हैं। सहकारी विभाग रूल्स बना चुका है, रिजर्व बैंक से रुपया मिल जायगा, अलग अलग जगह सोसायटीज बन जायगी, रुपया बहुत ज्यादा दिया तो मिल जायेगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऐसा है कि जब अनुपूरक मांगें हों तो उनसे सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायें। दूसरी बात जो वादविवाद हुआ हो, उसमें स्पष्टीकरण मांगा हो, उस बारे में राज्य सरकार की किस किस सम्बन्ध में क्या नीति है, सब प्रश्न इस समय पूछे जायें तो मन्त्री महोदय के लिए ऐसा सम्भव नहीं होगा कि सबका उत्तर इस समय दे सकें क्योंकि इनका सम्बन्ध अलग अलग विभागों से होता है। इसलिए जो चर्चा हुई है उसमें कई विषय छूट गए हैं या स्पष्टीकरण नहीं हुआ है तो उस सम्बन्ध में न पूछें।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे वित्त मन्त्री कुशल हैं, सब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है, वह उस हद तक सीमित रखें जहां तक दूसरे माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा में बात आई थी तो वह प्रस्तुत करें।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खेरथल) : अभी माननीय लादूरामजी ने प्रश्न रखा था और भी माननीय सदस्यों ने रखा था। मैं उसमें पूर्णतः सहमत हूं और मैं मानता हूं कि चाहे वित्त मन्त्रीजी कुछ भी कहें लेकिन हमें उनके जवाब से सन्तोष इसलिए नहीं है कि जो पैसा आपने अभी सप्लीमेंटरी बजट में लिए है और हर साल लेते हैं और अकाल पड़ने पर सरकार खर्च करती रही है और बजट बनाती रही है तो मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरिजनों की हमेशा मांग रही है कि उनको स्टाइपेंड्स के लिए पैसा कम दिया जाता है। कभी सरकार ने नहीं सोचा कि उनका और बढ़ाया जाय। दूसरी बात, अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, उस सिलसिले में

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

बारबार मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अकाल में दोनों तरफ बरबादी होती है। उस समय भी स्टाइपेंड्स दिये जाएं विद्यार्थियों को तो लाभ होगा। सारी योजनायें पड़ी रह जाती हैं, कोई पैसा सरकार खर्च नहीं करती है और दूसरे कामों में फालतू खर्च होता है। आवश्यक कामों के लिए जितना पैसा सरकार ने रखा है उसी पर खर्च करें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं मंत्री महोदय से कि हरियाणा से लोहारू तक केनाल आ सकती है लिफ्ट ईरीगेशन से तो सीकर जिले में राजस्थान केनाल से लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से पानी क्यों नहीं ले जा सकते हैं ? यदि पैसे की कमी है तो रिजर्व बैंक से या दूसरे बैंक से लोन लेकर के पानी दिया जाय । इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अभी पूछ लिया गया था उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया इसलिये उसको दोहराना उचित नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : वह दूसरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न रामनारायण जी ने अभी पूछा था।

श्री मोहनलाल मोदी : राजस्थान केनाल के बारे में नहीं पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान केनाल का भी नाम लिया था।

श्री शिवनाथसिंह : प्रश्न पूछ लिया गया लेकिन उत्तर नहीं मिला। कसाऊ बांध का कन्सेप्शन था। इस बात को मानते हैं या नहीं कि पानी उस इलाके में लाया जायगा ? पानी लाने की स्कीम है या नहीं ? कन्सेप्शन है तो डिलिवरी होगी ही।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक पूरा सर्वे होकर डिटेल्ड प्लान न बनें मेरा इस समय कोई कमिटमेन्ट नहीं है। इसको ध्यान में रखा जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं। मैं यह जानकारी चाहता हूं जैसा वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि जो सप्लीमेन्टरी मांग होती है वे आ ही जाती हैं और समाज कल्याण विभाग की जितनी रकम है और उससे ज्यादा मांगे तो दिया जा सकता है। राज्य मंत्रीजी जब इस प्रकार की बहस होती है तो कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये मैं बहुत जागरुक हूं और जब से डिपार्टमेन्ट हाथ में आया है तब से काफी काम किया है। सरकार जब पैसा देने के लिये तैयार है तो मंत्रीजी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं करते। शिड्यूल्ड कास्ट्स की रकम लेप्स हो जाती है उसका क्या कारण हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओन ए पोइन्ट ओफ एक्स्प्लेनेशन, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, आप एक साथ सब जवाब दे दीजिये।

Page No 144

श्री विट्ठल भाई : भीखाभाई उस तरफ हैं, वे तो बोल नहीं सकते हैं। उनके इलाके में क्या व्यवस्था की है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : म्युनिसिपेलिटी और नगरपालिका की मांग रखी गयी है। सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोई प्रक्रिया हो। रूल्स होने चाहिये। वरना जिसको चाहें उसको दें और जिसको न चाहें उसको न दें। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि लाडनूं के लिये घोषित किया है। न तो काम हुआ है....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। काफी समय हो गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : जोशीजी यह बता दें....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपको दो दफा अवसर दे दिया। अब बार बार नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : एक मिनिट ही चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : अब एक मिनिट भी नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : उत्तर तो नहीं दे सकते हैं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे अयोग्य मंत्री को बरखास्त कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : सवाल का जवाब न दे सकें ऐसे अयोग्य मंत्री मंत्रिमंडल में न रहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन पर मैंने अच्छी तरह से सारे सदन के सामने अपने भाषण में प्रकाश डाला है लेकिन मुझे उनका उत्तर नहीं मिला है। जो प्रस्ताव हैं उन पर सब पर मैं बोला हूं। सिंचाई मंत्रीजी से उत्तर नहीं मिला है। मुझे पूरा उत्तर दिलवायें। या तो वित्त मंत्रीजी उत्तर दें या सिंचायी मंत्रीजी।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त गुलोटीन लग चुका था इसलिये उत्तर न दे सके।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में उत्तर भिजवा देंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : जोशीजी से प्रश्न पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर दे दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : प्रश्न पूछा और यह इम्प्रेस करने की कोशिश की कि डिपार्टमेन्ट में गड़बड़ है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछला जो वित्तीय वर्ष था सारे बेकवर्ड और सोशियल वेलफेयर सैक्टर में $1\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट से ज्यादा लेप्सेज नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : इसीलिये तो जोशीजी को मंत्रिमंडल से बरखास्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात सही है कि इस विभाग के यदि भीखाभाई या अमृतलालजी मंत्री होते तो एक पैसा भी लेप्स नहीं होता और ज्यादा रुपया सरकार से मांगा जाता।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1970 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1970 को पारित किया गया।

(विराम)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन विधेयक), 1970।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 1970 पर प्रस्तुत संकल्प पर विचार)

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी नहीं।

कई माननीय सदस्य : कल।

श्री रामचन्द्र : आज नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आज भी उठा रहे हैं, जब से यह सदन चला है तब से उठा रहे हैं। मंत्रियों को विशेष सुविधा तो मिल गयी। पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में उसकी क्या घोषणा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप शायद देर से आये। कल उत्तर देंगे।

श्री नत्थीसिंह : चलो छुट्टी।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : 6½ बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन दिनांक…

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा पोइण्ट आफ आर्डर रेज किया गया था उस पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग डेफर की थी अगर आप उस सम्बन्ध में रूलिंग दे रहे हैं तो ठीक है….

Page No 146

श्री उपाध्यक्ष : वह मुख्यतः प्रश्न सदस्य की परिभाषा पर निर्भर करता है आया यह प्रश्न उठता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्त्रिगण इन ओहदों पर जाने के बाद सदस्य नहीं रहते हैं या सदस्य रहते भी हैं।

दूसरा अनुच्छेद जिसमें पदाधिकारियों और मन्त्रियों को अन्य वेतन लाभ दिया गया है अलग प्रश्न है बड़ा प्रश्न है जो निर्णय के लिये रखा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइण्ट आफ आर्डर पर निर्णय के अभाव में इसको रखा नहीं जा सकता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अगर कोई मंत्री छः महीने के लिए ही नियुक्त किया जाता है तो क्या उसको सदस्य माना जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रियों के लाभ के लिये और सदस्यों के लाभ के लिये है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : वह सदस्य नहीं होता है फिर भी छः महीने के लिये मन्त्री नियुक्त हो जाता है। तो क्या उसको भी सदस्यों के लाभ हैं वे मिलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : वह सदस्य नहीं होता है। उसको मन्त्रियों का ही लाभ मिलेगा।

श्री विजयसिंह : सदस्य के लिये तो बिल पास हो चुका है।

श्री रूपसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्य नहीं है और मन्त्री नियुक्त हो जाता है वह सदस्य की डेफीनिशन में आता है ? स्पीकर साहब ने तय किया था कि चूंकि रूलिंग नहीं है, इसलिये इस पर आगे विचार नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पीठासीन अधिकारी जिस समय वह आसन पर होता है रूलिंग दे सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर किसी पोइन्ट पर डेफर कर दिया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं कि सदन की आगे की कार्यवाही रोक दी जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है :—"यह सदन दिनांक 11 जून, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश,1970 (अध्यादेश सं० 5 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।" यह जिस प्रकार से अध्यादेश लाया गया है हिन्दुस्तान में अपनी तरह का एक ही अध्यादेश है।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 213 इसलिये बनाई गई थी अगर कोई इमर्जेन्सी हो विधान सभा का अधिवेशन बुलाना संभव नहीं हो और जरूरी काम हो जिसके बगैर राजसत्ता का काम चलना मुश्किल हो जाय उसके बारे में अध्यादेश जारी हो सकता है। वित्त मन्त्री महोदय चले गये हैं अन्य मन्त्री गण बैठे हैं उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस काम के लिये 213 वीं धारा का उपयोग करना राज्यपाल द्वारा मन्त्रिमण्डल द्वारा इस काम के लिये सलाह देना कि अध्यादेश निकाला जाय कहां तक उचित है ? इस पर सभी माननीय सदस्य विचार करें। यह मैं कह सकता हूं कि संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं उसका मजाक है। सरकार के सामने कोई गम्भीर प्रश्न होता, कोई अकाल

(श्री रामकिशन)

का मामला होता राष्ट्र की या राज्य की सुरक्षा का प्रश्न होता और इस प्रकार का कोई काम होता जिसमें राज्य संचालन में मुश्किल हो रही हो तो राज्यपाल द्वारा इस धारा के अन्तर्गत अपने अधिकारों का उपयोग सही माना जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि मन्त्री की परिभाषा सदस्य की परिभाषा के लिये इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग हो। वे 1250 मील यात्रा फ्री पास द्वारा कर सकें उसके लिये अध्यादेश लाया गया है, यह हिन्दुस्तान की कांग्रेस सरकार का आचरण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अध्यादेश निकालने की शक्ति का दुरुपयोग किया गया है मैं जानना चाहता हूं इस प्रकार का अध्यादेश किसी भी राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है? केवल राजस्थान ही मिसाल है।

(6.5 म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

विधान सभा बुलाई नहीं गई और मन्त्रियों को जाना है। राजस्थान में तो घूमने के लिए सरकारी कार है, सारे राज्य में घूमने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर कोई प्रतिबन्ध लगाया भी जाता है तो उसको मानते नहीं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य बिना इस प्रकार का कानून पास किये ही आज तक घूमते रहे हैं घूमते हैं और घूमते रहेंगे। फिर कौनसी जरूरत आ पड़ी इस प्रकार का अध्यादेश लाने की। इस तरह की मन्त्रिमण्डल ने जो सिफारिश की है उससे मन्त्रिमण्डल ने अपने हल्केपन का ही परिचय दिया है विशालता का नहीं। इस तरह से राजस्थान के मन्त्रिमण्डल ने मन्त्री पद की जो गरिमा है उसको घटाया है इस का हमें भारी दुख है। आज इस अध्यादेश निकालने की शक्ति का मजाक बनाया जा रहा है राजस्थान की जनता इससे यह समझेगी कि मन्त्रियों को हर बात के लिये हर जगह जाने के लिये यात्रा करने का हक है चाहे वहां कोई भी सरकारी काम न हो। इस तरह के कार्य के लिये अध्यादेश का प्रयोग करना मजाक है। भारतीय संविधान के साथ मजाक है।

सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि इस प्रकार के काम के लिये इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर यह बता दिया है कि मन्त्रियों में विवेक नहीं है, उन्होंने विवेक खो दिया है अगर वास्तव में यही बात है तो मुझे और कुछ कहना नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब है इस सदन में इस विधेयक के बारे में विचार डेफर करके मुझे यह आभास मिला था कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, वे कम से कम इसको वापिस लेंगे। आज सवाल इस बात का नहीं कि सदस्य जाते हैं तो मन्त्रि मण्डल के सदस्य क्यों नहीं? इससे दस पन्द्रह हजार का खर्च बढ़ भी जाय तो कोई आपत्ति नहीं। इस तरह के कार्य करके हमें यह आभास मिलता है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। लेकिन कल तो जब कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबन्दी लगाने का अध्यादेश आया था उस पर बोलते हुये मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं कि हम कर्मचारियों को राहत दे सकें। हम तो दान मांगते हैं कर्ज लेते हैं और अपना राज्य का खर्चा चलाते हैं। यह जो बिल है, इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा।

(श्री रामकिशन)

यह तो सरकार की मन्शा का सवाल है इस से साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार भोग वाली सरकार है । अब मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री लोग आखिरकार इस प्रकार का फायदा लेकर जाना कहां चाहेंगे ? राजस्थान के बाहर कहां जायेंगे ? क्या केवल इनको 1200 किलोमीटर का पैसा ही मिलना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : ये बैठे तो यहीं रहेंगे और 1200 किलोमीटर का यात्रा भत्ता ले लेंगे झूठे टी० ए० डी० ए० बिल बना कर ।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि राजस्थान से बाहर कहां जायेंगे ? ज्यादातर मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली जाते हैं । वहां पर सरकार द्वारा सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, वे वहां पर परिवार सहित जाते हैं । आम तौर पर हम देखते है हिन्दुस्तान के हर कोने में सम्मेलन होते हैं उसमें किसी न किसी मंत्री को जाना ही पड़ता है उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि भी जाते रहते हैं । और जो सम्मेलन हिन्दुस्तान से बाहर होते हैं उनमें भी हिस्सा लेने जाते हैं । यह मैं मानता हूं लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सम्मेलन और कान्फ्रेन्स हुआ करती है । कभी कोई सम्मेलन दिल्ली में होता है, कभी अन्य प्रदेशों की राजधानी में होता है, वहां जाने के लिये सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन इसके बावजूद मुझे एक बात कही गई है कि मंत्री लोग अपने दल के सम्मेलनों में जाते हैं यह मैं मानता हूं जो मंत्री होते हैं वे किसी न किसी दल के सदस्य है और दल के सम्मेलन हुआ करते हैं तो ऐसी हालत में जब मेम्बरों की सुविधायें हैं वे मंत्रियों को भी क्यों न मिलें इस तरह से वे अपनी बात रखना चाहते हैं ।

सभापति महोदय, सरकारी काम के लिए घूमना और दौरे करने का सवाल है उसमें हमें कोई एतराज नहीं है । राजस्थान मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य बैठे हैं वे हिन्दुस्तान के सभी हल्कों में घूम आये हैं । हिन्दुस्तान के बाहर घूमने जाते हैं तो वह बात अलग है । मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में यह कह सकता हूं कि कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है जो राजस्थान के सभी जिलों में न घूमा हो लेकिन कई मंत्री ऐसे भी हैं जो राजस्थान के तमाम जिलों के नाम भी नहीं जानते हैं । सुमित्रा जी और अन्य राज्य मंत्री भी ऐसे हैं जो 26 जिलों के नाम नहीं बता सकते । रामचरणजी को तो यह पता ही नहीं कि उनके क्षेत्र के अलावा और कोई जिले भी हैं ...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप चुनौती दे रहे हैं रामचरणजी को ।

श्री रामकिशन : कन्हैयालाल जी ही बता दें ।

आप कहां जाना चाहते हैं । माननीय सुमित्राजी मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं आप हिन्दुस्तान घूमने जाना चाहें तो आप हिन्दुस्तान के राज्यों के नाम बता दें, जहां जहां जाना चाहती हैं वहां जाती हैं लेकिन इनको अभी तक हिन्दुस्तान के राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मंत्रिमंडल के कई सदस्य ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान के राज्यों के नाम नहीं जानते हैं । भीमसेनजी हिन्दुस्तान में कितने राज्य हैं, आप बता दें ।

(श्री रामकिशन)

जरा मुझे नाम गिना दें तो मैं जान सकता हूं कि हमारे भीमसेनजी कुछ जानकारी हिन्दुस्तान के बारे में रखते हैं और मेरा यह दावा है कि अगर वह बता दें तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देदूंगा। यह तो हाल है हमारे उप मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का। इन्हें जाना है कलकत्ता, बम्बई तो इनको बता दिया जाता है और व्यवस्था कर दी जाती है उधर से बेचारे चले जाते हैं। किन्तु इनसे पूछा जाय कि मेघालय की राजधानी कौनसी है तो यह नहीं बता सकेंगे। नागालैन्ड के मुख्यमंत्री कौन हैं तो इसके बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं है

श्री भैरोंसिंह : मेघालय की राजधानी पूछने से पहले यह बता दें कि मेघालय है क्या ?

श्री रामकिशन : मुझे हंसी आती है अपनी गरिमा खुद गिरा रहे हैं। मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री आज विराजमान हैं। मैं तो चाहता हूं मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बनी रहे। किन्तु मुझे अफसोस है राजस्थान का मंत्रिमंडल इसकी मजाक बना रहा हैं। हमें सुविधाएं मिलनी चाहिये। अब यह एक सिद्धांत की बात है मंत्री लोग अपने सम्मेलनों में जायेंगे तो इस सुविधा का उपयोग करेंगे। मेरी भी मान्यता है विधान सभा के सदस्यों को जो सुविधायें हैं वह मिलनी चाहिए लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं इसका नतीजा क्या यह नहीं होगा कि दूसरी जो सुविधायें मंत्रियों को हैं वे सदस्यों को भी मिलें। कल इसकी भी मांग आयेगी और अगर यह होड़ चली तो मैं समझता हूं विधान सभा का सारा बजट ये खुद मिलकर खा जायेंगे, दूसरों को तो कुछ नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट के मेम्बर कई मिनिस्टर हो गये। कितने मिनिस्टर हों, इसकी जानकारी है आपको- शायद एक दो को होगी। चीन में मिनिस्टरों की क्या संख्या है इसकी तो मैं समझता हूं अधिकांश को नहीं है। वहां हरएक मिनिस्टर है और सब मिनिस्टरों की सुविधाओं का उपभोग करेंगे। इस राजस्थान में कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको केवल अपने पद का मालूम है, किसी की ओर इनका कुछ भी ध्यान नहीं गया है। इसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान की भूखी जनता जिसको पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, विकास की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, उन सब बातों से महरूम रह जायगी और विधान सभा के सदस्यों पर बजट का अधिकांश भाग खत्म हो जायगा। यह कोई 10-20 हजार की बात नहीं है इसके जो परिणाम निकलेंगे वे बड़े भयंकर होंगे। आमतौर से जब सदन में बोलेंगे तो ये यही कहेंगे कि मंत्रियों को जब यह सुविधा-मंत्रियों को पानी फ्री मंत्रियों को बिजली फ्री, तो मेम्बर्स को क्यों नहीं? जब हमने कहा मंत्रियों को टेलिफोन तो विधान सभा के विभिन्न नेताओं को भी टेलीफोन की सुविधा दी जाय तो वह दे दी गई है। जो यहां 184 सदस्य हैं वे सब यह मांग कर रहे हैं। कल यह प्रश्न अवश्य खड़ा होगा इसलिये मैं कहना चाहता हूं कम से कम आप थोड़ा लोभ कम करें, काफी लोभ कर लिया है आपने। भीखाभाई ने हिन्दुस्तान देखा है और जिन देशों में यह गये हैं उनके नाम भी इनको याद नहीं रहे हैं लेकिन देख आये हैं। अब अगर इन्हीं से पूछा जाय कि दूसरे देशों में विकास की क्या गति है तो अभी ये घबरा जायेंगे। अभी जोशी ने जोश ही जोश

(श्री रामकिशन)

में होश खो दिया, यह तो इन मंत्रियों का हाल है। उत्तर प्रदेश में आमदनी कम है वे क्या प्लानिंग कर रहे हैं यह हम जानते हैं, आप बोल गये और आप को पूरा पता ही नहीं हैं। आप लखनऊ की बोल रहे हैं या यू. पी. की बोल रहे हैं— आपको मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : लखनऊ चलें तो इनकी नौकरी ·· (अश्रव्य)

श्री रामकिशन : यू. पी. में लखनऊ पड़ेगा या लखनऊ में यू. पी. पड़ेगा इन्हें यह भी मालूम नहीं है। यू. पी. का पिछड़ापन क्यों है ? यह मैं मानता हूं और यह इसलिए है कि जो सुविधायें राज्य की कांग्रेस पार्टी को मिले दुनियां में किसी पार्टी को नहीं मिले लेकिन उनके सदस्यों का जो ज्ञान है, व्यवहार है वह आप में नहीं है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के माननीय सदस्य इस पर विचार करें। उनको मंत्रियों द्वारा क्या सूचना मिलती है, वह क्या सूचना विदेशों से लाते हैं इसकी उनको चिन्ता नहीं है।

इस सदन के तीन मंत्री विदेश गये हैं। एक तो हमारे मथुरादास जी माथुर है वह आस्ट्रेलिया होकर आये हैं। उनसे पूछे आस्ट्रेलिया की सम्पदा का क्या कारण है तो वह बतायेंगे वहां की कम आबादी ही वहां को सम्पदा का कारण है। यह तो बहुत सीधी बात है। इसको हरएक जानता है। यह कोई उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई, बतायें भी क्या जब कोई वहां का अध्ययन किया हो तब बतायें। मैं पूछता हूं जहां घनी आबादी है वहां सम्पन्नता नहीं है क्या? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरे माननीय बृजसुन्दरजी अभी विदेश होकर आये हैं इनसे कोई बात पूछें तो इन्हें पता नहीं है। मैंने इनसे पूछा हालांकि मैंने अभी डिटेल में बात नही की है दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति क्या है तो बताया मेरी जो थाईलैंड में गाइड थी वह लड़की थी। ये लड़के लड़कियों के तो हमने बहुत खेल देख लिये, देखते देखते सारी उम्र निकल गई (हंसी) आप हंसी मत करें उनसे पूछने की बात है। मैं समझता हूं उनके पास कोई उत्तर नहीं है। किसी मेडीकल कान्फ्रेंस में ये कम्बोज गये तो बतायें कम्बोज की स्थिति क्या है। इन्हें तो किसी स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। ये विदेश हो आये हैं, इस बात का ज्ञान इन्हें जरुर हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी बंबई गये थे।

श्री रामकिशन : बृजसुन्दर जी यह बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में -थाईलैंड, इन्डोनेशिया में भारत के बारे में विचार क्या है, भारतीय संस्कृति के बारे में उन लोगों के क्या विचार हैं। इन्हें पता नहीं भारत के प्रति उनके क्या विचार हैं। वहां के विकास की गति क्या है, यह भी इन्हें मालूम नहीं है। न तो इन्हें यह मालूम थाईलैंड से कहां कहां गये – बतायेंगे थाईलैंड से 50 मील गये लेकिन नाम का पता नहीं है। इन्डोनेशिया राज्य कहां है और वहां से कहां गये तो बता देंगे वहां पर एक हिल स्टेशन पर गये। उन्हें यह मालूम नहीं कहां कहां गये ? जहां इनको ले जाया गया वहीं चले गये नाम वाम का इनको पता नहीं है। इनको तो सिर्फ यह मालूम है कि आस्ट्रेलिया में कम आबादी ही वहां का विकास है।

श्री भैरोंसिंह : बृजसुन्दरजी के साथ तो एक घटना और घटी है वह शायद आपको नहीं बताई। इनसे वहां पूछा गया आप कौन से मिनिस्टर हैं तो इन्होंने बताया मैं देवस्थान का भी मिनिस्टर हूं। यह देवस्थान क्या बला है ? तो बताया गया हिन्दुस्तान, पाकिस्तान है वैसे ही एक देवस्थान भी है····

श्री रामकिशन : जो बात मैंने कही है वह बिल्कुल सत्य है, कोई झूठ नहीं कहा है इसको और माननीय सदस्यों ने भी सुना है। माथुर साहब की बात थी वह भी आपको बताई गई। अभी सहकारिता के सिलसिले से हमारे माननीय नत्थीसिंहजी भी विदेश गये हैं। इनके साथ नारायण चतुर्वेदीजी भी साथ थे। इन्होंने बताया दुनियां की क्या स्थिति है ? वहां इनको नग्न चित्रों की जानकारी दी गई। अब यह कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने जो सूचना ली है वह बता रहा हूं। दूसरे प्रदेशों में घूम जरूर आते हैं वहां का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। माननीय भीमसेनजी नागालैन्ड के बारे में क्या समझेंगे ? इनके बस की बात भी नहीं है। एश्योरेन्स कमेटी के माननीय चेयरमैन अभी नागालैन्ड से आये हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया खैर, मैं जल्दी में भी था क्योंकि मेरी पत्नी बीमार थी, मैं चला गया लेकिन वहां की स्थिति के बारे में ये कुछ नहीं बता पाये। नेशनल विकास की गति क्या होने जा रही है, इनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं। यू. पी. और राजस्थान में क्या हो रहा है, इसकी इनको जानकारी नहीं। जाते ये कई बार होंगे। लेकिन इनको पता नहीं है। ये केवल तफरी के लिये जाते हैं। तफरी करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास फाइल नहीं जाती है तो ये मंत्री तफरी ही करते रहेंगे और क्या करेंगे ? यह पता नहीं हिन्दुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं ?

(श्री मोहनलाल मोदी के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

······आप बता दें पान्डीचेरी में कहां होकर जायेंगे। असल में ज्ञान तो है नहीं और इसका उपयोग करना नहीं चाहते फिर बीच बीच में बोलने की आदत हो गई है। केवल इनका अपना स्वार्थ रह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर यह प्रवृत्ति होगी तो इसका इलाज नहीं है। राजस्थान के अधिकांश मंत्रिमण्डल को समझने का ज्ञान नहीं है, मन नहीं है इसलिये दुर्भाग्य होगा अगर सदस्यों वाली सुविधायें मंत्रियों ने ली तो मंत्री वाली सुविधाओं की सदस्य मांग करेंगे। दोनों में प्रतिद्वन्दिता चलेगी और राज्य सरकार का अधिकांश बजट विधान सभा के सदस्यों पर खर्च हो जायगा और फिर इसके बाद हवाई जहाज की मांग होगी। अगर हमारा देश अमेरिका जैसा विकसित होजाय, रूस जैसा विकसित हो जाय तो कुछ समझने लायक बात है लेकिन जो मौजूदा सुविधायें हैं वह दुनियां के सभ्य देशों के मुकाबले में ज्यादा हैं। प्रत्येक व्यक्ति आमदनी अमेरिका की ज्यादा है। आप जानते हैं आपके देश की आमदनी क्या है ? हमारे यहां भारत में प्रत्येक व्यक्ति आमदनी 375 रुपया है और वहां अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति आमदनी 22 हजार तक पहुंच गयी है और स्केंडीनेविया में प्रत्येक व्यक्ति आमदनी 25 हजार पहुंच गयी है। हमारे यहां देश में तीन युग का पदार्पण हुआ एक तो

(श्री रामकिशन)

गांधीवादी युग था जो कि त्याग का युग था, दूसरा युग जवाहरलाल जी का था जो कि कल्पनाशील युग था और तीसरा युग अब आया है इन्दिराजी का सो इन्दिरा जी के युग का तो पता ही नहीं कि कौनसा युग है। आज मंत्रिमंडल के जो माननीय सदस्य हैं उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है वह कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी जायं, चाहे जानकारी के लिये जायें। आप में से कई लोग यह कह सकते हैं कि न तो हम ज्ञान के लिये जायेंगे न समझ के लिए जायेंगे पर हम तो तीर्थस्थानों पर जायेंगे। जैसे भीखाभाई जी हैं वह हनुमानजी के बड़े भक्त हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हैं वह कह सकते हैं कि मैं तो चित्रकूट जाऊंगा। इसी तरह गायत्री का जाप करने वाले कह सकते हैं कि हम तो कन्या कुमारी जायेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके दल की वित्तीय स्थिति मजबूत है?– क्या सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत है? आप हमारा मुकाबला मत करो। लोकतंत्र में जो आपने हमें सुविधायें दी हैं हम कह सकते हैं कि अगर आप उनको ले भी लेते हैं तो अनर्थ नहीं करते हैं लेकिन जो मैंने सम्भावना व्यक्त की है उसका क्या रास्ता है? मेरी सदन के कई माननीय मंत्री महोदयों से बात हुई है तो मंत्रियों का कहना है कि हम गलत काम करते रहते हैं, सदन में वह इस बात को नहीं कह सकेंगे, तो उनका तर्क यह है कि अरे हम तो गलत काम करते हैं और अगर हमको सुविधायें मिल जायेंगी तो वह काम गलत नहीं होंगे। अगर सुविधा मिल जाती है तो ज्यादा नहीं करेंगे। मुझे ताज्जुब है, सभापति महोदय इन तर्कों के आधार पर आप इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से इसके पीछे क्या भावना है और किस तरह से कान्सटीट्यूशन का मजाक उड़ाया गया है; छोटी छोटी बातों के लिये अध्यादेश लाये गये हैं। सदन चलने वाला था और इसके लिए अध्यादेश का लाना और राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग कराना – अगर कोई भी विधान मंडल इस अध्यादेश के बारे में जानकारी करेगा तो वह हंसेगा। लेकिन यह अध्यादेश तो आप लाये हैं उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह आपकी जो प्रवृत्ति है यह हीन है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

इसके अलावा सभापति महोदय, कल जब हम बहस कर रहे थे सरकारी कर्मचारियों के आचरण और सेवाओं के बारे में तो कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों ने बात कही उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनको पूरा अधिकार है चाहे जैसे कहें लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार की प्रवृत्ति क्या बन गई है। आखिर आप अपने आपको लोक-तन्त्रीय सरकार कहते हैं और फिर कांग्रेस के विभाजन के बाद तो आप अपने आपको समाजवादी भी कहने लग गये हैं और कुछ युवक समाजवादी हो भी गये हैं। यहां सदन में भी कुछ माननीय सदस्य मुझसे चार-पांच साल छोटे हैं मुझे ऐसा आभास होता है उनकी चेष्टा है समाजवाद को समझाने की। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद जीवन-दर्शन है। समाजवाद को किस रूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आप इसको आस्था के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा। अगर आप टेक्नीक के रूप

(श्री रामकिशन)

में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप मन्त्रियों के खर्चे देखिये, इतना भारी भरकम मन्त्रिमण्डल जिसमें उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमण्डल की भी मैं निन्दा करता हूं, हालांकि वहां पर संयुक्त दल की सरकार है, वहां एक दल की सरकार नहीं है लेकिन इतना भारी भरकम मन्त्रिमण्डल और उसके सदस्यों के इस प्रकार के रहन-सहन इस प्रकार के खर्चे, इस प्रकार की आदतें, इन सब बातों को आज की दुनियां बरदाश्त नहीं कर सकती।

मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस बिल को लाये हैं मैं आपकी मन्शा को समझ गया हूं। लेकिन आपके जो आचरण हैं दल के हिसाब से वह अब दूसरी तरह का होना चाहिये। कांग्रेस के विभाजन के बाद हम आशा करते थे कि कुछ सुधार होगा। केवल बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके या राजाओं के प्रिवीपर्स खतम करके आप अपने आपको प्रगतिशील नहीं कह सकते। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना यदि प्रगतिशील हो गया लेकिन आप अपने आचरण को तो देखिये। सरकारी कर्मचारियों पर आपने पाबन्दी लगाई, जो उनको उकसायेगा उसको आप सजा देंगे, जो उनको उधार देगा उनको दो साल की सजा देंगे और नागरिक आजादी का सवाल होगा तो कल विधेयक ला रहे हैं आप किसी को बोलने तक नहीं देंगे और जब खर्चे और सुविधायें बढ़ाने का सवाल होगा तो उसको तो आप अपने लिये करते चले जायेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रगतिशीलता है? अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रगतिशीलता है तो दुनिया के सारे पूंजीवादी देशों में जहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया क्या वे प्रगतिशील सरकार बन गयीं? यह तो एक टेक्नीक है। तो इस टेक्नीक से कोई प्रभावित नहीं होता। जब से कांग्रेस का विभाजन हुआ है क्या राजस्थान के मन्त्रिमण्डल की चाल ढाल, व्यवहार या उनके आचरण में कोई फर्क नजर आता है? बिहेवियर में फर्क नजर आता है? कार्य-प्रणाली में फर्क नजर आता है? क्या सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की? तो मुझे केवल इतना कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी सलाह को मानें। यह आपको अधिकार है आप कुछ भी मानें लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि आप जो आचरण पैदा कर रहे हैं इसका प्रतीक बंगाल की तरफ आप नजर उठाओ। बंगाल में नक्सलवादी क्यों आये? गुमराह नौजवान हैं लेकिन उनके जो सिद्धान्त हैं वह आज के आपके समाजवाद से मेल नहीं खाते। यह नक्सलवाद बंगाल में आया क्यों? क्या कारण है? कांग्रेस के जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं उनको गलियों से घसीट लाते हैं। अतुल्य घोष जो कि राजस्थान सरकार के गुरु रहे हैं उनका बंगाल में रहना मुश्किल हो गया है। वहां के लोगों को उनके पिछले 23 साल के आचरण से नफरत हो गई है। तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप भी अपना आचरण ऐसा न करें कि लोग आपका निकलना बन्द कर दें। हम एक्ट ला रहे हैं तो यह एक्ट तो इसलिये ला रहे हैं कि हम हिंसा को रोकेंगे, हम इस तरह की कार्यवाहियों को रोकेंगे लेकिन आप आचरण इस प्रकार के करते चले जा रहे हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही के लिये लोग प्रोत्साहित होते हैं। अगर आप बंगाल की तरफ देखें तो मुझे अफसोस होता है कि जब नक्सलवादी गांधी जी की मूर्ति को तोड़ते हैं, और दूसरे राष्ट्रीय

(श्री रामकिशन)

नेताओं की मूर्तियों को तोड़ते हैं। मैंने उसका कारण पूछा अभी कुछ दिन पहले एक जलपान गृह में मैंने कहा था, मैंने पूछा कि आप क्यों मूर्तियों को तोड़ते हैं तो वह गांधीजी को अतुल्य घोष बतला रहे थे। जो नयी जेनरेशन है जिन्होंने 1943 के बाद जन्म लिया है उन्होंने अपने आचरण को गांधीजी के आचरण से जोड़ा है और आपके आचरण के अनुसार अन्दाजा लगाते हैं कि उनकी भी यही हालत होगी। वह कांग्रेस को गांधीजी का प्रतीक मानते हैं और कांग्रेस से जिन जिन का सम्बन्ध रहा है वह सबको नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या इस प्रकार की हालत नहीं करना चाहते हैं।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में क्या आप नक्सलवादियों से मिल कर आये हैं ?

श्री रामकिशन : आप, सभापतिजी, मेरी बात को नहीं समझे हैं।

श्री सभापति : नहीं मैं समझ गया हूं।

श्री रामकिशन : मिलने का इरादा है लेकिन मुझे कोई मिला नहीं।

श्री सभापति : आप गलत समझे हैं।

श्री रामकिशन : मैं गलत समझ रहा हू ! आप आसन पर हैं इसलिये नहीं कह कह रहा हूं। आप गलत समझे हैं।

हम अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को जीवित रखना चाहते हैं, माननीय बृजसुन्दरजी से एक बात पूछी। बेचारे अधिक जानकारी नहीं दे सके क्योंकि दो-चार मिनिट ही उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सब जगह फौजी राज्य हो गया। हमारे सारे पड़ौसी देश हमारी तरह से आजाद हुए बर्मा, इन्डोनेशिया, मन्चूरिया, जापान -- जापान की व्यवस्था भिन्न हो सकती है, मन्चूरिया की व्यवस्था ठीक हो सकती है, वहां पर फौजी शासन हो गया, और फौजी शासन आने के कारण थे उनसे हमारा देश कोई दूर नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप यह मानकर न चलें कि मैं द्वेष की वजह से 10-12 हजार की मंजूरी देने की बात नहीं कह रहा हूं। यह बात नहीं है। आज 10-12 हजार की जगह हम 50 हजार की मन्जूरी देने को तैयार हैं क्योंकि हम यह समझेंगे कि जहां पर करोडों की गड़बड़ होती है वहां पर 50 हजार बट्टे खाते में और डाल दें, लेकिन हम एक बहुत ही बुरी परम्परा कायम कर रहे हैं। जहां दिल्ली के सम्मेलन में जाने का प्रश्न है तो माननीय लड्ढा साहब, माननीय भीखाभाई माननीय शोभारामजी, आपकी पार्टी कांग्रेस के विभाजन के बाद भी इतनी सक्षम है कि करोड़ों का चन्दा वह कर सकती है और उसने कलेक्शन किया है, चाहे वह पेट्रोल पम्प से हो। दवाई वालों से हो। हमारे मनफूलसिंह जी ने एक सम्मेलन किया था राजस्थान कांग्रेस का तो उसमें भरतपुर से जो लोग सम्मेलन में गये थे वे कह रहे थे कि 14-15 से अधिक की उपस्थिति नहीं थी लेकिन उनको कितना चन्दा मिल गया गंगानगर से तो चन्दे की आपको कोई कमी नहीं है। हमारे मुकाबले में, कम्युनिस्ट पार्टी

(श्री रामकिशन)

के मुकाबले में और सोशलिस्ट पार्टी के मुकाबले में तो मन में सोचें। चन्दा देने वाले इस तरह के नहीं हो सकते। हम मानते हैं कि हमें भी देना ही होगा लेकिन उतना नहीं। इसमें नैतिकता का जो सवाल आप लाते हैं वह गलत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है इस विधेयक को अस्वीकार करने का उसको स्वीकार करेंगे। माननीय भीखाभाई, आपने राज्य बहुत कर लिया है। कलकत्ते की मिसाल को याद रखें। बुढ़ापा आ गया है और इस कलंक के भागीदार न बनें। यह कहकर मैं अपनी बहस समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह जी।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, आज मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसको अस्वीकार किया जाय। कितना अच्छा करते कि इनको यदि यह सुविधा लेनी थी तो बाद में लाते, लेकिन कल तो इन्होंने यह पास किया है कि जिनको 125 और 150 रु० तनख्वाह मिलती है, जिनके बाल बच्चों को सब्जी नहीं मिलती है:-
मिरच्यां तक भी देश में महंगी हुई अपार।
हे, गरीब, अब ग्रास तू पाणी पीर उतार॥
यानी, हे गरीब, तू पानी पीकर ग्रास को उतार। हालत यह हो रही है कि पानी पीकर ग्रास उतारना पड़ता है। हम लोगों ने उसका ऐतराज किया लेकिन फिर भी पास किया। उसके दूसरे ही दिन यह ला रहे हैं कि हमें 12 हजार किलोमीटर तक प्रथम श्रेणी में आने की सुविधा दें। कम से कम इसको अभी तो न लाते और बाद में लाते तो फिर भी कुछ होता। एक तरफ तो आप 150 रु० पाने वाले को सुविधा नहीं दे सकते हैं और दूसरी तरफ आप यह सुविधा लेना चाहते हैं। आप बुद्धिमान हैं। आपने देखा कि विधायकों को यह सुविधा देंगे तो वे चुप हो जायं। मैं जानता हूं कि किन विधायकों ने इस सुविधा को उठाया है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे एसेन्सियल सर्विसेज थीं और ये नान-एसेन्सियल सर्विसेज हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम लोग इसलिए नहीं आये हैं कि अपने लिए सुविधाएं लें, बल्कि इसलिए आये हैं कि उनको सुविधाएं पहुंचाएं। आप गांवों में जाकर देखिये। आपने विकास के आंकड़े प्रस्तुत किये जिसमें आप समझाते हैं कि विकास हो गया है, लेकिन वह बात नहीं होती है। गांवों की हालत खराब है। हम चार सालों से चिल्ला रहे हैं कि कई ऐसी पंचायतें हैं कि जहां कि लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं और चौमासे में आना जाना बन्द हो जाता है। उसका क्या जवाब मिलता है कि दवाखाने के लिए पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि कई पंचायतों में यातायात की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। भीलवाड़े से कुचेरा तक के लिए गई सड़क पर 5 मील का टुकड़ा बन गया है लेकिन उस पर डामर नहीं हो रहा है। कई बातें नहीं हो रही हैं। भीलवाड़े से चाचेंरा सड़क जिसमें

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं और उसमें चंद हजारों का काम है, लेकिन कहते हैं कि पैसा नहीं है। रास्ता बन्द हो जाता है। इसके लिए कई बार आश्वासन भी दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेड़च नदी पर रपट नहीं है और बरसात के दिनों में गर्भवती स्त्री को भी तुम्दों पर तैरकर उसके पार उतरना पड़ता है। इसमें कई लोग बह जाते हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास इस काम के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हमारी सुविधाओं के लिए पैसा है। आप कह सकते हैं आसानी से कि इसमें 50 हजार का ही तो खर्चा बढ़ा है। 50 हजार का प्रश्न नहीं है। एक मां के 6-7 बच्चे हैं वे तो फूलियें खाते हैं और उनके पास में बैठी हुई मां काजू, बादाम खाती है तो वह 250 ग्राम से ज्यादा नहीं खायेगी और उसमें 5-7 रु० का ही खर्चा है, लेकिन लोग देखने वाले क्या कहेंगे ? वे यही तो कहेंगे कि यह कैसी मां है कि खुद तो बादाम काजू खा रही है और बच्चों को फूलिये खिला रही है। एक तरफ तो निवारक नजरबन्दीकानून लाते हैं और दूसरी तरफ ये सुविधाओं का कानून लाते हैं। यह सचमुच में आप बड़ा अपराध करते हैं।

मैं एक बात यह भी पूछना चाहता हूं आपकी मारफत कि कहीं बाहर जाना है तो अपने खर्चे से चले जायेंगे तो क्या अनर्थ हो जायगा। एक बात और मैं माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि जब आप इसके सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर थर्ड क्लास में कभी नहीं जायेंगे ? थर्ड में जाना होगा ••

श्री सभापति : इन्हें भरोसा नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप क्यों ऐसी बात करते हैं ? उन लोगों की छाती में छुरी चलायेंगे कि तुम्हारे लिए यह निकाला है अनिवार्य सेवा कानून और इनके लिए यह है कि फर्स्ट क्लास में जायेंगे। फिर अध्यादेश आपने निकाला है। राज्यपाल महोदय जब भी कोई अध्यादेश निकालें तो आप समझ लें कि वह सुदर्शन चक्र की तरह है, लेकिन सुदर्शन चक्र का उपयोग इस तरह से नहीं हो सकता है। अगर कोई एसी बात होती है तो उसके लिए उपयोग करते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि आप अपनी सुविधाओं के लिए अध्यादेश लाये तो आपको यह खयाल भी नहीं आया कि हम यह क्या कर रहे हैं। हमें गांव वाले पूछते हैं कि कहां जाना चाहते हैं। सारे हिन्दुस्तान की सैर करना चाहते हैं। गांवों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीकानेर और जयपुर भी नहीं देखा है, और हम प्रथम श्रेणी में हिन्दुस्तान को देखना चाहते हैं। गांव वालों ने तो देखा नहीं जयपुर और बीकानेर मगर विधायक काश्मीर की सैर करेंगे। और वहां जयपुर और बीकानेर भी नहीं देखा और वह भी थर्ड क्लास में और भचोड़ में भी नहीं देखा :—

गांवां का देखी नहीं जयपुर बीकानेर,
थां तो करो विधायकां काश्मीर की सैर।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं—

पूछूं बात विधायकां मत ना लाजो रीस।
स्वर्ग कोर जीमो कहीं जो लेवो इकतीस॥

अरे, कोई लज्जा तो रखना चाहिए। 29 करोड़ का कर्जा है। सबसे माँगते आ रहे हैं। बच्चे क्यू में खड़े रहते हैं और उनके

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लिए दूध अमेरिका ले आता है। आटा तक अमेरिका से आता है —

अन्न दे धन दे, दूध दे, अर देवे हथियार।
बरसे नहीं से मांगले, जल अमेरिका जार।।

यह तो हमारी भुखमरी की हालत है और हमारे देश में हम इस तरह से सुविधाओं पर सुविधाएं लेते जा रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा।

एक बात और, सभापतिजी, सोचना पड़ेगा कि अभी इस भवन पर 12 लाख खर्चा हुआ है। अच्छा भवन बन गया लेकिन कितना ही अच्छा भवन हो उससे उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। भवन की शोभा तो तब बढ़ेगी जबकि इसमें बैठने वालों में चरित्र होगा। अगर चरित्र नहीं है तो शोभा बिल्कुल ही नहीं है। अगर इसमें बैठकर गलत आचरण करते हैं तो कितना ही अच्छा भवन हो तो भी शव के मानिन्द है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। यह एक मन्दिर है, इसमें बैठने वालों का आचरण इस तरह का निकलना चाहिए कि हर आदमी के ऊपर उसका असर पड़े। अगर ऐसा आचरण नहीं है तो फिर यह सारे के सारे राजस्थान पर भी कुप्रभाव डालेगा। इसलिए हर कीमत पर निकलना चाहिए आचरण। इसलिए संक्षेप में मैं यह अर्ज करूंगा कि 50 हजार का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि यह जो सुविधा आप ले रहे हैं वह गलत काम कर रहे हैं। मैंने जो इस सुविधा को छोड़ा है वह इसी कारण छोड़ा है कि हम गलत कर रहे हैं। गांवों की हालत तो देखिये कि 100 में से 90 आदमी रूखी रोटी खाते हैं। 90 नहीं 95 आदमी ऐसे हैं—

दाल परी गी तेल ग्यो, घी तो कोसां दूर।
नाले मत खाले परी रोटी जल में चूर।।

जिस देश की ऐसी हालत हो गई हो वहां आप इस तरह की सुविधाएं लेते हैं तो बड़ी गलत बात है। आप गांवों में जाकर देखिये। आपके सारे विकास के आंकड़े हैं वे गलत हैं।

मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं और सब एम० एल० एज० से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके इसको वापिस ले लें। यह सुविधा न लें। यह ठीक नहीं है। इससे राजस्थान का मस्तक ऊंचा नहीं होगा। इससे राजस्थान का मस्तक नीचा होगा। लोग कहेंगे कि हम इन सुविधाओं के लिए अध्यादेश लाये हैं।

यह बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैंने संकल्प में निवेदन किया है, कृपा करके इसको वापिस ले लें। आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं चाहे इधर विराजने वाले हों, चाहे उधर विराजने वाले हों। इससे राजस्थान का बहुत हित होगा। मैंने निवेदन किया है, आशा है मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे। माननीय भीखा भाई जी आपको निवेदन करता हूं। भीलों की तरफ देखिये। उनके बच्चों को दवा नहीं है। जमीन नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह भीखा भाई के बस की बात नहीं है। यह उनके बस की बात नहीं है कि बिल को वापिस ले लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन चपरासियों को यह पढ़ने को मिला होगा कि

Page No 158

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कल क्या कानून पास किया है । आज उनको यह पढ़ने को मिलेगा कि मन्त्रियों ने यह सुविधाएं ले ली हैं। उनके मुंह से हाय निकलेगी । वह आपको, हम को खतम कर देगी ।

श्री सभापति : श्री मन्त्री महोदय ।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय,

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय······

श्री भीखा भाई : मेरा उत्तर हो रहा है ।

श्री सभापति : अभी नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री भीखा भाई : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सवाल को उठाया है कि सदस्यों के परिलाभ के लिए अध्यादेश लगाया गया है, उसके कारण क्या थे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके क्या कारण हैं ?

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन करूं···

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके कारण मैं बता दूं । बरकत भाई ने जो पैसा खर्च किया है, वह उनको मिला नहीं है । क्या यह सही है ?

श्री भीखा भाई : इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । चाहे वह मन्त्री हो, चाहे अन्य कोई हो । उसका बराबर अधिकार होना चाहिए । जो सदस्यों के लाभ हैं, वह सब को होंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप सदस्य रह जाय ।

श्री भीखा भाई : Being a Member of this House, I am Minister. Had I not been elected as Member, I would not have been a Minister. अगर मैं इसका सदस्य नहीं होता तो मुझे मन्त्री बनने का कोई हक नहीं होता ।

श्री मदनसिंह : लेकिन जो मन्त्री बने हुये हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि पहले वह सदस्य हैं फिर मन्त्री हैं ।

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय, ऐसा कोई सवाल नहीं है······

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आपके कुकर्म हैं ।

श्री भीखा भाई : मन्त्री रहने के कारण लाभ से वंचित करना चाहते हैं ।

श्री रामकिशन : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : माननीय सदस्य स्पष्ट नहीं है, ऐसा लगता है सभापति महोदय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मन्त्री नहीं रहेंगे तो वंचित हो जायेंगे ? आप लॉ डिपार्टमेंट से राय ले लें ।

श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास : सभापति महोदय···

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री महोदय, जब तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मंत्री नहीं रहेंगे तो 12 हजार किलोमीटर क्या आप 6 हजार कि० मी० भी नहीं जा सकेंगे।

श्री सभापति : आर्डर, ग्रार्डर।

श्री भीखा भाई : मैने खुदने कहा है। 1953 को जो एक्ट बना है, उसमें जो स्पष्टीकरण रह गया है, क्योंकि यह डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिमूव करने के लिए किया है। आजकल हमारे यहां सीलिंग करने का सवाल है। उसी प्रकार से मन्त्रियों की यात्रा का सीलिंग है। सरकार के काम के अतिरिक्त मन्त्रियों को ऐसा काम होता है, जैसा पार्टी मीटिंग में जाते हैं, दिल्ली जाते है। पटना जाना पड़ता है। तो बराबर अपने खर्चे पर जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं तो उन लोगों को मिलता है तो इन लोगों को क्यों वंचित रखा जाएगा? हमको बहुत खुशी होगी, आप भी मन्त्री बन जायें। आप भी वही सुविधाएं लें।

श्री रामकिशन : यह आर्डिनेंस का उत्तर है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इर्रेलेवेण्ट बोल रहे हैं। आर्डिनेंस जारी करने के फौरी कारण क्या थे, इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशन : (श्री राम प्रसाद लड्ढा के खड़े होने पर) इसका मतलब यह मान कर चलें कि भीखा भाई अयोग्य हैं, आप समझदार हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीखा भाई योग्य हैं, वह दे रहे हैं जवाब।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : हरिजन मंत्री हैं उनकी यह इज्जत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं।

श्री रूपसिंह : विधि मंत्री का काम है, वह जवाब दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भीखाभाई : कोई आदमी योग्य हो सकता है, कोई आदमी अयोग्य हो सकता है। बुजुर्ग आदमी भी हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : लड्ढा साहब वकील रहे हुए हैं वह अच्छा जवाब दे सकते हैं।

श्री भीखाभाई : इसमें योग्यता अयोग्यता का सवाल नहीं है। योग्य आदमी है वह योग्य से अच्छा जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है सदन के सामने कि कभी योग्य अयोग्य अच्छा बोल सकता है, कभी अयोग्य योग्य से ज्यादा अच्छा बोल सकता है।

मेरा निवेदन है कि यह इनोकुअस ग्रार्डिनेन्स है, पहले जो फैसेलिटी इस सदन के माननीय सदस्यों को स्वीकार की थी, उसी वक्त इसका अमेंडमेंट भी उसके साथ

(श्री भीखा भाई)

आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आ पाया, इसलिए यह आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यादेश क्यों निकाला ?

श्री भीखाभाई : मैं समझता हूं कि इसमें कोई बदनियत नहीं है। इसमें तो समानता लाने का प्रश्न है। इसमें इस प्रकार की बात नहीं है कि किसी पर जुर्म करने के लिए, दबाने के लिए काला कानून बनाने की बात हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एमर्जेन्सी क्या थी ?

श्री भीखाभाई : इस बात की आवश्यकता थी कि समानता का व्यवहार हो...

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम पूछ रहे हैं कि क्या आवश्यकता थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर्डिनेन्स निकालने की क्या आवश्यकता थी ? आप आप बिल लेकर आते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री इस बात पर आ रहे हैं कि एमर्जेन्सी क्या थी। सुनिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब आयेंगे।

श्री रामकिशन : कहलवाइये।

श्री भीखाभाई : On the ground of equality and equity the Ordinance was desirable and therefore.........

श्री रामकिशन : हिन्दी में बोलें।

श्री भीखाभाई : आर्डिनेन्स अंग्रेजी में है।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में बोलें तो ढंग से बोलें। ढंग से बोलें तब तो अंग्रेजी में बोलें।

श्री भीखाभाई : बोल दूं।

श्री रामकिशन : आज आपकी अंग्रेजी देखनी है बोलें ढंग से।

श्री भीखाभाई : इक्विटी के आधार पर, उसके साथ साथ इक्विलिटी के आधार पर इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता थी, इसलिए यह जारी किया गया। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन ही करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापिस ले लें।

श्री नत्थीसिंह : इसका रिप्लाई देंगे।

श्री रामकिशन : इसका जवाब देंगे।

श्री रामचंद्र आर्य : आर्डिनेन्स जारी क्यों किया गया ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या जवाब देंगे।

श्री रामकिशन : संकल्प पर हुए विचार का जवाब देंगे।

श्री नत्थीसिंह : आप समझेंगे नहीं, यह सब्सटेंटिव मोशन है।

श्री सभापति : माननीय भीखा भाई ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, अब रिप्लाई की आवश्यकता नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : स्थिति और उलझ गई है।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है, और जो मैंने बात रखी थी उसका भीखाभाई ने जवाब नहीं दिया है। मेरा आशय था कि ऐसी क्या एमर्जेन्सी थी जिसके कारण संविधान की धारा 213 का प्रयोग किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को आर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार दिया गया है। भीखा भाई स्वीकार करेंगे, इस सदन के माननीय सदस्य, जिन्होंने आपका उत्तर सुना है, उनमें मंत्री भी शामिल हैं वह उससे कन्विन्स नहीं हुए हैं। आप कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके हैं, जिससे एमर्जेन्सी मालूम हो। मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले को लाना था तो विधेयक रूप में लाते, जैसा अब ला रहे हैं वह उस समय ले कर आ सकते थे। कोई प्रलय नहीं आ रही थी, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आपने राज्य में गलत परम्पराओं का निर्माण किया है। अगर राज्य विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो तो एमर्जेन्सी की पावर गवर्नर महोदय को मिली हुई है, उन संकट-कालीन अधिकारों का इस प्रकार की बात के लिए आप उपयोग कराते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का कमजोर जवाब दिया है, इससे वह खुद कनविन्स नहीं हुए होंगे। उन्होंने कहा कि सबके फण्डामेन्टल राइट्स हैं। यह कहां से आप पढ़ आये। आप कान्स्टीट्यूशन की बात कह रहे हैं, आप मंत्रियों और सदस्यों के समान अधिकार की बात कह रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता है, भीखा भाई, आपको इस काम के लिए इसीलिए चुना है कि आप का समाज में मजाक बनायें, आपकी आदिवासी और पिछड़ी जनता यह कह कर चलेगी, यह लड्ढा और व्यास जो हैं, जो सवर्ण सदस्य हैं, वह चाहते हैं कि आदिवासी मंत्री की बुराई कैसे हो, इनकी योग्यता और व्यवहार को लेकर सम्पूर्ण जाति का मजाक बने—यह इनका षड़यन्त्र है। आप लॉ का कोई प्रावीजन बतायें इसके संबन्ध में? मेरा निवेदन है कि मंत्रियों, सदस्यों और आम नागरिकों के राइट्स अलग-अलग नहीं होते, इसके लिये आप इक्विलिटी की, समानता की बात कह रहे हैं। लेकिन आपने समानता बना कब रखी है? सदस्यों से आप क्यों समानता की बात कर रहे हैं। आपकी सचमुच बेईमानी यह थी। आपको बारह हजार किलोमीटर यात्रा करने की सुविधा के लिए इस एमर्जेन्सी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं था। इस बात को, भीखा भाईजी, आप भी समझते होंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें और इसको वापिस ले लें। मैंने इस संबन्ध में पहले जो बातें कही हैं, उन सबको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने आपका जवाब सुना है, वह इस सदन के किसी सदस्य के मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सका है, आपका एक भी तर्क स्वीकार नहीं हो सका है। इसलिए मेरा सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है उसको एकमत से स्वीकार करें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रामकिशन, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल वाढ़दार, श्री मनोहरसिंह मेहता, ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है :

"यह सदन दिनांक 11 जून, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित,

Page No 162

(श्री सभापति)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1970) को अस्वीकार करता है" को स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री मनोहरसिंह मेहता :
श्री नत्थीसिंह :
श्री रामानन्द अग्रवाल :
श्री रामकिशन : } हां पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ना पक्ष जीता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम डिवीजन क्लेम करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division.

श्री सभापति : मैं एक बार फिर प्रश्न रखता हूं...

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप सौ दफा पूछिए न। हम देखेंगे, यह कैसे पास करवा लेते हैं। क्या अनर्थ हो जाता अगर एक बार सत्र रखते ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 11 जून, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं० 5 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री मनोहरसिंह मेहता :
श्री नत्थीसिंह :
श्री रामानन्द अग्रवाल :
श्री रामकिशन : } हां पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ना पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Ayes have it.

श्री गिरधारीलाल व्यास : 'Noes' have it.

श्री मनोहरसिंह मेहता: We Claim division.

श्री विजयसिंह : हां पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 'Noes' have it.

श्री विजयसिंह : आप लाउड स्पीकर से बोल रहे थे।

(7:09 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 11 जून, 1970 को श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं० 5 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री मनोहरसिंह मेहता :
श्री रामानन्द अग्रवाल :
श्री नत्थीसिंह :
श्री रामकिशन :
श्री देवीदत्त गाड़िया :
} हां पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 'Noes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : शायद गल्ती रह गई हो। एक दफा और पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : No Sir, we want division.

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक क्वेश्चन है, यह ऑर्डिनेन्स है, बिल का जस्टिफिकेशन हो सकता था लेकिन आर्डिनेन्स निकालने की एमर्जेन्सी नहीं थी, इसका जस्टिफिकेशन नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No discussion.

श्री उपाध्यक्ष : डिविजन कराना चाहते हैं। सदन के द्वार बन्द कर दिये जायं। लाबी खाली कराई जाए। ना पक्ष के माननीय "ना पक्ष" की लाबी में और हां पक्ष के माननीय सदस्य "हां पक्ष" की लाबी में।

(7.10 सायं)

राजस्थान विधान सभा (सदस्यों और अधिकारियों के परिलाभ) संशोधन अध्यादेश 1970 को अस्वीकार करने का श्री रामकिशन का संकल्प

(हां पक्ष की सूची)

1 श्री कृष्णकुमार गोयल
2 ,, केसरीसिंह हाड़ा
3 ,, चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)
4 ,, देवीदत्त गाडिया
5 ,, दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)
6 ,, नत्थीसिंह
7 ,, भैरोंसिंह शेखावत
8 ,, मनोहरसिंह मेहता
9 ,, रामकिशन
10 श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
11 ,, रामानन्द अग्रवाल
12 ,, रूपसिंह राजवी
13 ,, लादूराम सुलानिया
14 ,, ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
15 ,, बिट्ठल भाई
16 ,, शम्भुराम पटेल
17 ,, श्रवणलाल
18 ,, हरजीराम बुरड़क

(ना पक्ष की सूची)

1 श्री अमीनुद्दीन अहमद
2 ,, कल्याणमल
3 ,, कालूराम मेघवाल
4 ,, कालूराम आर्य
5 ,, गंगाराम चौधरी
6 ,, गिरधारीलाल व्यास
7 सरदार श्री गुरदीपसिंह
8 श्री गुलाबसिंह शक्तावत
9 ,, गोकुलचन्द
10 श्रीमती गौरी पूनिया
11 श्री छुट्टनलाल
12 ,, जगन्नाथ
13 ,, जयनारायण (लसाड़िया)
14 ,, जवाहरमल
15 ,, जसराज
16 ,, बिरदाराम
17 ,, सुरेन्द्र प्रसाद
18 ,, देवीलाल मीणा (सराड़ा)
19 ,, देवेन्द्रकुमार मीणा
20 ,, दौलतराम (देसूरी)
21 ,, धीरसिंह
22 ,, नन्दलाल बेरवा (पाटन)
23 ,, नाथूराम
24 ,, नारायणसिंह मसूदा
25 ,, परसराम मदेरणा
26 ,, पुखराज कालानी
27 ,, पृथ्वीराज पटेल
28 ,, प्रद्युम्नसिंह
29 श्रीमती प्रभा मिश्रा
30 ,, बलवन्त
31 ,, बिरधी चन्द्र जैन
32 ,, विशम्भरनाथ जोशी
33 ,, वीरबल
34 ,, बृजसुन्दर शर्मा
35 श्री भीखाभाई
36 ,, भीमसेन
37 ,, भूरालाल
38 ,, मजलिस खां
39 ,, मथुरादास माथुर
40 चौधरी श्री मनफूलसिंह
41 श्री महेन्द्र कुमार
42 ,, माधोसिंह
43 ,, मोतीलाल
44 ,, मोहनलाल मोदी
45 ,, मोहनलाल सुखाडिया
46 ,, मोहम्मद उस्मान
47 ,, रघुनाथ विश्नोई
48 ,, रतनलाल रोत
49 ,, रामकिशोर व्यास
50 ,, रामकुमार नन्दवाना चित्तौडगढ़
51 ,, रामचरण
52 ,, रामदेव सिंह
53 ,, रामनारायण
54 ,, रामप्रसाद बोहरा
55 ,, रोशनलाल
56 ,, शंकरसिंह
57 ,, विद्यासागर
58 ,, शंकरलाल जाट (कपासन)
59 ,, शंकरलाल (जैतारण)
60 चौधरी श्री शिवचरणसिंह
61 श्री शिवनाथ सिंह
62 ,, श्रीनिवास शारदा
63 ,, श्रीराम रावत
64 ,, सहदेव शर्मा
65 श्रीमती सुमित्रा
66 श्री हंसराज आर्य
67 ,, हरिदेव जोशी
68 ,, हीरालाल देवपुरा

(मत विभाजन पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा है :—

"हां" पक्ष : 18

"ना" पक्ष : 68

"ना" पक्ष जीता। "ना" पक्ष जीता।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव को जनमत जानने के लिये परिचालित करने एवम् प्रवर समिति के सुपुर्द करने के विषय में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि.सं. 52)

(2) श्री मूलचन्द डागा (वि. सं. 113)

(3) राजवी श्री रूपसिंह (वि.सं. 140)

(4) श्री रामानंद अग्रवाल (वि.सं. 137)

(5) श्री केसरीसिंह हाडा (वि. सं. 21)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि :—

1. "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को तीन माह/एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाये।"

श्री लाभचन्द वैद (वि० सं० 147) ने प्रस्ताव किया कि :—

2. "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ कर चलता था कि इस प्रकार के एक विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे। मुझे अफसोस है और मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष में बैठने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों को भी इस बात के लिये मन में अवश्य पश्चाताप हो रहा होगा कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था एक अध्यादेश के माध्यम से नहीं कराई जानी चाहिए थी।

कई माननीय सदस्य : वह तो हो गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरी सुनिये तो सही।

राजस्थान में आर्डिनेन्स इश्यू करें यह सरकार का एक अधिकार है और संविधान

(श्री भैरोंसिंह)

में इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं लेकिन यह सब ही मान कर चलते हैं कि किसी इमरजेन्सी में या कोई विशेष ऐसी घटना हो जाय या विशेष परिस्थितियों का निर्माण हो जाय तो आर्डिनेन्स जैसी चीज का प्रयोग करना चाहिये। यह अधिकारों का दुरुपयोग है। अन्य बातों के साथ साथ आर्डिनेन्स इश्यू करने में इस स्तर तक आ गये कि मन्त्रियों को 12 हजार किलोमीटर रेल्वे यात्रा की सुविधा मिले इसके लिए भी आर्डिनेन्स इश्यू करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सारे आंकड़े तो वित्त मन्त्रीजी प्रस्तुत करेंगे कि इस आर्डिनेंस के इश्यू करने से लेकर आज तक कितने मन्त्रियों ने 12 हजार किलोमीटर में से कितनी दूरी का उपयोग किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि एक मन्त्री हैं जिनके अलावा किसी मन्त्री ने इसका उपयोग नहीं किया है और यह आर्डिनेन्स का कारण भी उन्हीं मन्त्रीजी का एक बिल है। वे यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन एक मन्त्री महोदय ने जो विधान सभा के सदस्यों के लिये 12 हजार किलोमीटर यात्रा का बिल पास किया था वे भी ऐसा मान कर चलें कि इसमें मन्त्री भी शामिल हैं और उसी हैसियत से उन्होंने अपना यात्रा भत्ता बिल इस विधान सभा के सचिवालय में भेजा। विधान सभा में इस पर आपत्ति उठायी गयी कि मन्त्रियों को यह लाभ नहीं मिल सकता है इसलिये विधान सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। केवल एक मन्त्री का बिल, केवल 250 रु० का बिल उसके लिए आर्डिनेन्स सरकार ने इश्यू किया।

मन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे कि एक मन्त्री को यात्रा भत्ता प्रोवाइड किया जाय उसके लिये संविधान के अन्तर्गत जो आपको पावर्स मिले हुए हैं, उनका इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे तो मानकर चलिये कि न तो विधान सभा का किसी प्रकार का सम्मान बढ़ेगा और न ही सरकार का। वित्त मन्त्री जी के इशारों से मैं यह समझ पाया हूं कि आर्डिनेन्स इश्यू करने के बाद किसी मन्त्री ने यात्रा भत्ता नहीं लिया है। मैं आप से पूछ सकता हूं कि जिस चीज का उपयोग नहीं हुआ हो तो आर्डिनेन्स को क्यों इश्यू किया? सदन के हर सदस्य इस बात को गम्भीरता से लें कि मन्त्री लोग आज खर्चा कर रहे हैं यात्रा आदि पर इसके अन्तर्गत खर्चा करें उससे राजस्थान के कन्सौलिडेटेड फण्ड में कोई फर्क नहीं आने वाला है। पहले सरकार के खजाने से पेमेंट होता था और अब इसका विधान सभा के खजाने से होगा। सरकार का तो कन्सोलिडेटेड फण्ड ही होगा। इसके कारण टैक्स लगाने की बात भी नहीं होगी। राजस्व बढ़ने की बात भी नहीं होगी। अतिरिक्त व्यय की भी बात नहीं मानता हूं। एक मद में जो खर्चा होता था उसको दूसरे मद में ट्रान्सफर किया जा रहा है। विधान सभा को भी इस सीमा में लाना चाहते हैं। क्या आपकी आर्डिनेन्स जारी करे बगैर इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? 1952 से लेकर 1970 तक टी० ए० और डी० ए० व्यवस्था करके चले आ रहे थे, तीन महीने रुक जाते और विधान सभा में बिल प्रस्तुत कर देते और पास करवाते तो आकाश टूट कर नीचे नहीं गिरने वाला था धरती पर, या मन्त्रि मंडल टूट नहीं रहा था। या कि मन्त्रि मण्डल के सामने सदस्य इतने नाराज हो गये थे

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये संकट उपस्थित हो गया था। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी महसूस करते होंगे कि हमने गलती की। लोकतन्त्र में उस गलती को स्वीकार करना और सरकार उसको स्वीकार करती है तो यह सरकार का बड़प्पन होगा। हमारी हार जीत का भी प्रश्न नहीं है। ऑर्डिनेन्स को विड्रो भी कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती है इस बिल को पारित और बहस करने में। मैं अभी भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की परम्परा को खत्म करना चाहिये और इसको वापिस ले लें। आर्डिनेन्स पेश किया है, संकल्प रिजेक्ट कर दिया है इसलिए इसको वापिस लेकर आदर्श प्रस्तुत करें। कल इसको पास कर देंगे हमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन गलत परम्परा का निर्माण न करें मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।

मंत्रियों के खर्चे का सवाल आता है तो यह देशव्यापी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वीकार करेंगे कि तीन साल पहले भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भारत सरकार को प्रतिवेदन दिया था उसमें इस बात की सिफारिश की थी कि मंत्रियों की संख्या घटाई जाय। उन्होंने सीमा भी निश्चित की क्योंकि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हर चीज में दूसरे राज्यों की नकल करके चल रहे हैं, आपसे यह सूचना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से आदर्श प्रस्तुत क्यों नहीं करते कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान के मंत्रिमंडल की संख्या को घटा कर दस प्रतिशत करें। हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार की तारीफ होगी। आप उदाहरण दे सकते हैं।

श्री रामकिशन: तामिलनाडु में कम है।

श्री भैरोंसिंह: यू.पी. में 45 बन गये हैं।

एक माननीय सदस्य: 52 बन गये हैं।

श्री भैरोंसिंह: मैं इन्कार नहीं करता, 52 सही, 55 सही, 60 सही, कोई भी संख्या मान कर चलें। लेकिन राजस्थान यू.पी. का मुकाबला करके चलें तो आपको मालूम होना चाहिये कि वहां हाउस की सदस्य संख्या कितनी है? राजस्थान से ढाई गुना है। उसके मुकाबले में नहीं जाना चाहता हूं। यू.पी. की अपनी परिस्थितियां हैं। कोइलीशन गवर्नमेंट और कई प्रकार की मजबूरियां हैं। उसको लेकर मंत्रि मंडल की संख्या अधिक हुई उसको कोई एप्रिशियेट नहीं करता है। राजस्थान में ऐसा संकट नहीं है। वहां की परिस्थितियां अलग हैं, एक पार्ट में दो पार्ट में वहां का मंत्रिमंडल बना। राजस्थान का मंत्रिमंडल यह मानकर चलता है कि सिद्धान्ततः भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया नहीं है लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री ने प्रशासनिक आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है लेकिन मंत्रि मंडल पर सविस्तार विचार हो रहा है अन्तिम रूप मे घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसे सिद्धान्त के रूप में हमारी हिन्दुस्तान की सरकार द्वारा स्वीकार किया गया कि दस प्रतिशत सदस्यों की संख्या के अनुपात से मंत्रीमंडल के सदस्य ज्यादा नहीं होंगे। क्या मुख्य मंत्रिजी इस बात के लिये तैयार हैं कि वे भी इसी अनुपात में अपने मंत्रिमंडल का गठन करते? जितने कम मंत्री होंगे उतनी ही उनको अधिक सुविधा दी जाय

(श्री भैरोंसिंह)

ताकि वे राजस्थान के हर हिस्से को जाकर देख सकें और वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकें। मुख्य मंत्री महोदय, आप यह स्वीकार करेंगे कि जितना बड़ा मंत्रि मण्डल होता है उतनी ही ज्यादा उपेक्षा वृत्ति होती है। मेरी जानकारी के अनुसार आपके मंत्रि मंडल के डिप्टी मिनिस्टर, की ही स्थिति को ले लीजिये, कोई डिप्टी मिनिस्टर, हो सकता है, मेरे कथन से नाराज हो। हमारे सेक्रेटेरिएट के जो बिजनेस रूल्स हैं, उसके अनुसार सेक्रेटेरीज उनके पास कोई भी फाइल नहीं भेजते हैं। इस प्रकार का कोई नियम भी नहीं बना हुआ है कि सेक्रेटरीज डिप्टी मिनिस्टर के पास फाइल भेजे। मंत्री अपनी कृपा से भेज दें तो बात दूसरी ताकि उनके नीचे जो डिप्टी मिनिस्टर लगा हुआ है उसको किसी तरह से खुश रखना है। सेक्रेटेरिएट के बिजीनेस रूल्स में यह व्यवस्था नहीं है कि डिप्टी मिनिस्टर को फाइल भेजी जाय। आज तक यह व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह से डिप्टी मिनिस्टर्स की अजीब स्थिति है और स्टेट मिनिस्टर्स भी कहीं रूल्स में एग्जीस्ट ही नहीं करते। यहां के डिप्टी मिनिस्टर्स के पास कोई फाइल नहीं आती, वे राजस्थान में ही नहीं रहते। बाहर सर्किट हाउस में ठहरते रहते हैं और राजस्थान से बाहर का यात्रा भत्ता उठाते रहते हैं। इनका खास काम तो यह है कि दिल्ली से जयपुर आना जाना लगा रहता है। एक तरह से कई डिप्टी मिनिस्टर्स का तो परमानेंट निवास स्थान दिल्ली ही बना हुआ है। उनसे पूछते हैं आप जयपुर में क्यों नहीं रहते, तो उनका उत्तर होता है कि बंगले में पड़े पड़े दिन नहीं कटता, परेशान हो जाते हैं, सेक्रेटेरिएट से कोई फाइलें नहीं आतीं फिर आखिर यहां रहकर क्या करें? जब चपरासी लोग यह बात करते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स के पास तो कोई फाइल ही नहीं आती तो और भी शर्म का अनुभव होता है, इसलिये विवश होकर जयपुर छोड़कर दिल्ली के सर्किट हाउस में जाकर बैठ जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यही हालत राज्य मंत्री मनफूलसिहजी की भी है, उनके पास कोई फाइल नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता। मेरी इस बात की मंत्री मंडल के सदस्य भी ताईद करेंगे। इस प्रकार की बातें मेरे ही सामने नहीं, एक मंत्रि मण्डल के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके सामने भी कही है कि डिप्टी मिनिस्टर यह कहते हैं कि हमें यहां से दिल्ली जाने का नहीं बल्कि दिल्ली से यहां आने का यात्रा भत्ता दिया जाय। यह बात मंत्रि मंडल की बैठक में कही है, माथुर साहब इस बात की ताईद करेंगे···

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कही।

श्री रामकिशन : आपने भी गवाह गलत पकड़ा।

श्री भैरोंसिंह : यह भी बात कही गई कि इससे कन्सोलिडेटेड फण्ड में अतिरिक्त खर्चा आने वाला नहीं है। राजस्थान के मंत्रि मंडल को आप छोटा नहीं कर सके, न सदस्य संख्या ही घटा सके, तो कम से कम यह तो व्यवस्था करदें, इस पर जो खर्चा होता है उसको तो कम कर दें। मंत्रिमंडल के सदस्यों को सभी प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं। मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि 1967 के बाद मंत्रियों के बिजली और पानी के खर्चे पर जो बन्दिश लगायी थी वह समाप्त करदी गई। आपने

(श्री भैरोंसिंह)

सदन में घोषणा करके इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है। कई मंत्रियों ने बिजली पानी पर खर्चा ज्यादा कर दिया था उसका आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेमेण्ट करवा दिया। वह खर्चा भी आप कन्ट्रोल नहीं कर सके। टेलीफोन का खर्चा बढ़ता जा रहा है उसको भी कन्ट्रोल नहीं कर सके। ऐसी हालत में पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, मोटर गाड़ियों का खर्चा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज मंत्रिमंडल के सदस्यों में इस बात की होड़ चलती है बड़ी से बड़ी कार उनकी सेवा में रहे। बड़ी गाड़ी उनको मिल जाय तो दूर पर जाते हैं, नहीं तो नहीं। दूर का ज्यादा कन्सीडरेशन नहीं, बड़ी गाड़ी का कन्सीडरेशन रहता है। बड़ी गाड़ी मिले तभी जयपुर से बाहर जाने की उनकी इच्छा होती है। आज उनके लिये काम प्रमुख नहीं, गाड़ी प्रमुख बन गई है। इस तरह से गाड़ियों पर खर्चा बढ़ता जा रहा है।

इसी तरह से मंत्रियों को गाड़ी कार खरीदने के लिये कर्ज की भी सुविधा है। कार के लिये कर्जा ले लिया, मुख्य मंत्री महोदय, वे अपनी तनखा से उसका कर्जा चुकाते हों, यह बात नहीं है। वे निजी कार में यात्रा करते हैं और जो टी. ए., डी. ए. मिलता है उससे उस कर्ज का भुगतान किया जाता है। गाड़ी का जो माइलेज मिलता है उस माइलेज के पैसे से गाड़ी अपनी कर लेते हैं।

इस तरह से जहां गाड़ियों पर खर्चा बढ़ा, पानी और बिजली का भी खर्चा बढ़ गया है, टेलीफोन का खर्चा बढ़ गया, मकान का किराया, जिनके निजी मकान हैं, वह अलग लेते हैं। इतना खर्चा और सुविधा उनको मिल रही है इसके बावजूद भी आप इस प्रकार की सुविधा आप दे रहे हैं क्या उसको प्रशासनिक स्वच्छता के लिये वाजिब समझते हैं? इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये। जन मानस पर इसका कितना असर पड़ता है, मैं इस प्रश्न में जाना नहीं चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं मंत्रियों की भीड़ न स्वच्छ प्रशासन के लिये अच्छी है और न कांग्रेस पार्टी के लिये ही अच्छी है। इससे आप यह समझ रहे होंगे कि हमारा राजनैतिक स्थिर बना रहता है, राजनैतिक वातावरण अच्छा रहता है। मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं, राजस्थान का जिस तरह का राजनैतिक वातावरण है उसमें आपको कोई हिलाने वाला नहीं, आपकी सरकार स्थिर है, आपको आगे होकर मंत्रियों की संख्या घटानी चाहिये। संख्या घटाकर कम से कम हिन्दुस्तान की जनता के सामने आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि राजस्थान में मेरी सरकार सुदृढ़ और सुस्थिर है। इसमें कमी कर देने से भी मेरे मंत्रिमंडल में किसी प्रकार की अस्थिरता आने वाली नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, यह त्यागियों की जमात बैठी हुई है, आपके मंत्रि मंडल में 37 त्यागी हैं, वे ही खड़े होकर कह दें कि हम मंत्रि मंडल से हटना चाहते है। कोई न कोई माई का लाल तैयार हो जायगा। त्यागी होगा वह अपने आप सामने आ जायगा यह केवल कुर्सी छोड़ने का ही सवाल है…

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह कमिटमेंट देते हैं कि डिफेक्शन नहीं होगा?

श्री भैरोंसिंह : डिफेक्ट होकर भी वे आपकी पार्टी में आने वाले नहीं। मुख्य मंत्री जी नहीं करना चाहते तो मैं सभी मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने त्याग की भावना लेकर सामने आयें और मुख्य मंत्री जी को कहें कि मैं मंत्रि मंडल से अलग होना चाहता हूं। इस तरह से राज्य के मंत्री मंडल पर खर्चा जो होता है उसको कम करिये.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप त्यागी नहीं तो हम भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पहले तो आपको मंत्रियों की संख्या कम करनी चाहिये।। संख्या के आधार पर विशेष सुविधायें देने का प्रश्न है, उस पर हम विचार करने के लिये सदा तैयार हैं। कन्सोलिडेटेड फण्ड पर इससे कोई खर्चा आने वाला नहीं, यह जो बात कहते हैं वह किसी हद तक मानते हुए भी आर्डिनेंस के जरिये यह चीज नहीं आनी चाहिये। मेरा विरोध इसीलिये है।

मैं अब आपके सामने आल इण्डिया की किस प्रकार की पिक्चर है वह प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1961 में सारे हिन्दुस्तान में मंत्रियों की संख्या 294 थी वह 1970 में बढ़कर 470 हो गई। पहले जहां 1.2 करोड़ का खर्चा होता था अब वह खर्चा 2.50 करोड़ तक पहुंच गया है। हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में मंत्रि मंडल के सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो आप कम करने के लिये तैयार हैं यह मुख्य मंत्री जवाब दे सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं। गुजरात में 8.14 लाख, केरल में 5.17 लाख, इसी तरह से दस जगह 30 से ज्यादा कहीं संख्या नहीं है, और खर्चा में भी ज्यादा अन्तर नहीं हुआ है, बीस लाख का अन्तर किसी राज्य में नहीं है। तामिलनाडू में यह खर्चा घटा है। मंत्रियों की संख्या भी घटी है। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं आप जहां अन्य राज्यों की तुलना करना चाहते हैं, आपको राजस्थान के मंत्रिमंडल में कमी करनी चाहिये। इसमें आप खर्चा कम नहीं करते और फिर और और सुविधाओं के लिये इस तरह का आर्डिनेन्स लाते हैं यह किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में आप यू. पी. का उदाहरण दे सकते हैं। वहां आपकी पार्टी विरोधी दल में बैठी है। और वहां का सत्तारूढ़ दल इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाता है तो क्या आपकी पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी ? विरोधी दल में बैठे हैं तो अवश्य करेगी। विरोधी दल की हुकुमत इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाती है तो आप बतायें कि क्या विरोध नहीं करेंगे ? विरोधी दल राजस्थान में सत्ता में बैठा होता और इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाते तो आप विरोध नहीं करते ? कह दें नहीं करते। यह तो विरोधी दलों का काम है, आप यू. पी. में कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्रियों की संख्या इतनी हो गई है कि अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों में टेलीफोन करना और उनके काम में दखल देना ही इन मंत्रियों का काम रह गया है। यह आपके कांग्रेस के सदस्य भी जानते हैं कि ईमानदारी व निष्पक्ष रूप से बिना हस्तक्षेप के काम नहीं कर सकते हैं, आज सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात को बराबर कहते हैं। किसी को जमीन के अलाटमेंट का मामला है, किसी को नहरी

(श्री भैरोंसिंह)

पानी का विवाद है, किसी को क्या है, इन सब बातों में मंत्रियों के टेलोफोन ग्रा जाते हैं। वरिष्ठ ग्रधिकारी स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि हम काम करते हैं लेकिन मंत्रियों को संख्या इतनी ग्रधिक हो गई है कि किस किस को क्या क्या कहा जाय। जो सम्बन्धित मामला नहीं होता है उसके लिये भी बार बार कहा जाता है और परेशान किया जाता है। कांग्रेस में बैठकर भले ही ग्राज कांग्रेसी सदस्य इन्कार करें लेकिन मन में सब जानते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं बाकी सर्विसेज के लिये कलेक्टर की क्या ड्यूटी होगी, उसका क्या फंक्शन होगा, उसको कितनी फाइल डिसपोज ग्रॉफ करनी होंगी, तहसीलदार को कितनी करनी होगी, एस० डी० एम० को कितनी करनी होगी। इसी प्रकार आपका पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के एस० पी० को कितनी चोरी के मामले पकड़ने होंगे, कितनी तफतीश करनी होगी यह कोई कायदा नहीं है। इसी प्रकार मंत्रि मण्डल पर ग्राप लागू नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान के किस किस मंत्री, उप मंत्री ग्रौर राज्य मंत्री ने कितना कितना काम किया, राजस्थान के किस मंत्री ने जमीन का निराकरण किया। मैं समझता हूं आपके यहां कोई इस प्रकार के काम का कायदा नहीं है। मंत्रियों के पास खुद की डायरी होती है, उसमें कभी लिखा है कि आज के दिन 15 मामलों को डिसपोज ग्रॉफ किया है? मुफ्त में इनको वेतन मिल रहा है। विधायक के नाते सुविधाएं मिलें, विधायक के नाते भत्ता मिले, विधायक के नाते पानी बिजली की सुविधायें मिलें, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विधायक मंत्रियों की होड़ और मंत्री विधायकों की होड़ में लग गये तो सारा मामला गड़बड़ हो जायगा। मामूली लोभ के कारण आज यह विधेयक लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय आज मंत्रियों को तीन चीजों की ज्यादा जरूरत हो गई है, झण्डी, कार और सलामी। ये तीन चीजें ग्रापको सबसे ज्यादा ग्राकर्षक हैं।

एक माननीय सदस्य : पैसे का आकर्षण नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वह तीन चीजों की ज्यादा परवाह करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी पहले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कई थे, जिनको झण्डी का ग्रधिकार नहीं था। यह क्राइटेरिया था कि वे अपनी कारों पर झण्डी नहीं लगा सकते थे। अब कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ब्यावर, अजमेर जाये और ग्रपनी हैसियत का अन्दाज नहीं लगा सकने के कारण यानि कार पर झण्डी नहीं होने के कारण उन्हें कोई सलाम नहीं करें तो यह उन्हें बहुत बुरा लगा। मंत्रियों की कारों के झण्डी लगे तो कहें हमारे क्यों नहीं ? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इनको सलामी देना बन्द हो गया तो इन्होंने ड्राइवरों को 10 रुपये का नोट दिया और कह दिया झंडी लगा दो (व्यवधान, शोरगुल) मेरी बात सुन लें पहले, ग्रब उपाध्यक्ष महोदय, 10-10 रुपये में झंडियां फहराई जाने लगी। यहां तो शहरों के अन्दर झण्डी लगाकर चले मंत्री लोग तो होड़ लगी कि हम क्यों नहीं चलें तो 10-10 रुपये में ये मंत्री स्तर की होड़ करने लग गये। ग्रब आपने इनको

(श्री भैरोंसिंह)

डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दे दिया तो बेचारे ड्राईवरों की कमाई में नुकसान हो गया। और एक ड्राईवर ने माथुर साहब से कहा आपने इनको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया हमारी तो आमदनी मारी गई। यह तो ऐसी हालत है इनकी""

श्री रामकिशन : माथुर साहब नहीं हैं। आपने उनको एक गवाह कर दिया"

श्री भैरोंसिंह : बुला लें उनको।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल आपके लिये कहा इसलिए आप सुना रहे होंगे।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय यह सही बात है। अब तो उनको बुलाना होगा। वह बात तो उनके सामने हुई है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार मंत्रियों की इज्जत बनी रहे। अगर इस प्रकार का आपका प्रशासन रहा तो सरकार में गिरावट होगी और निश्चित रूप से जन मानस पर असर पड़ेगा। आज जो यात्रा भत्ते का सवाल है वह मंत्रियों तक सीमित हो जाय यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 36-37 मंत्री है .....

श्री रामकिशन : इनकी गिनती भी ही याद नहीं हमें तो।

श्री भैरोंसिंह : 37 हैं। इसके अलावा एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन जिसमें हारे हुये व्यक्ति को मंत्री स्तर के अधिकार दे रखे हैं। मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन में रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को लगा रखा है। फाईनेन्स कारपोरेशन में हारे हुये व्यक्ति को लगा रखा है इसी तरह खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं वे हारे हुए एम० एल० ए० हैं। ज्योंही यह क्लाज बनेगा आप याद रख कर चलिये ये भी अपने कारपोरेशन के कानून में व्यवस्था करेंगे और मांग करेंगे कि हमें भी साढ़े बारह हजार किलोमीटर की प्राइवेट में जाने की अनुमति मिलनी चाहिये। फिर यू० आई० टी० के मेम्बर और चेयरमेन हैं वे भी इस बात को रखेंगे और कहेंगे कि हमारे और डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत में कोई अन्तर नहीं है। दुर्भाग्य से हम हार गये और ये जीत गये। इसी तरह आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाथूराम जी वे भी इस बात की मांग करेंगे। श्री बाल चन्द्रजी वैद वे भी इस सुविधा की मांग करेंगे कोई फरक नहीं है हम हार गये वे जीत गये लेकिन हैसियत तो बराबर की है। वे अगर साढ़े बारह हजार किलोमीटर की सुविधा ले सकते हैं तो हम भी यह सुविधा चाहते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा यह खर्च मल्टीप्लाई होगा। दुर्भाग्य यह है कि आर्डिनेन्श जारी करके व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा आपके खर्च में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आने वाला है। जो पहले इनको कर रहे थे वही होगा सिवाय इनके कि आर्डिनेन्स जारी करके विधान सभा में कलंक लगाया है। अब भी मौका है इस कलंक को वापिस लेने की कोशिश करें। यदि इस विधेयक को वापिस नहीं लिया जाता तो मैं कहना चाहूंगा इस विधेयक का विरोध किया जाय और सरकार को परास्त किया जाय, इस बात की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

श्री रामकिशन : व्यास तो बहुत हैं साहब यहां पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रि मण्डल के सदस्यों को विधान सभा सदस्यों के अनुसार 500) रु० माहवार का वेतन दिला दें और जब विधान सभा चलती है तो 31 रु० डी० ए० के दिला दें और प्राय: सभी सुविधायें जो मिलती हैं वे भी उनको उपलब्ध करादें। जो कमेटियां बनती हैं उनमें भी डिप्टी मिनिस्टर्स को मेम्बर रख दिया जाय ताकि ये काम कर सकें (व्यवधान) मेरी सुन लें। यह भी मैं बताता हूं कि यह कल राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। मंत्रि मंडल के सदस्य क्या विधान सभा के मेम्बर नहीं हैं? लेकिन जब एक मंत्रिमण्डल का सदस्य हो जाता है तो विधान सभा के सदस्य की हैसियत नहीं रहती है हालांकि कानून के अनुसार एक आदमी को मंत्रि मंडल का सदस्य होने के लिये विधान सभा का सदस्य होना आवश्यक है। एक मौलिक सत्य रखना चाहता हूं जब मंत्रिमण्डल का गठन हो जाता है तो उन लोगों को यहां पर कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है सदस्य की··· (व्यवधान, शोरगुल) सदस्य के लिये कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति दो हैसियत से प्रिविलेज लेना चाहे, प्रिविलेज को एन्ज्वाय करना चाहे इसमें लीगल लेकूना है। मंत्री मण्डल पर कितना खर्च होता है विस्तारपूर्वक बताया जाय, यह कहां तक उचित है। मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। जो बिल लाया जा रहा है कानूनी रूप से यह सही नहीं है इसमें लीगल लेकूना है। मंत्री मंडल के सदस्य कोई बिजनिस नहीं कर सकते, कोई प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं जबकि अधिकांश विधान सभा के सदस्य अपनी आजीविका के लिये अन्य धन्धों पर निर्भर करना पड़ता है। (विराम)

एक माननीय सदस्य : शेयर तो ले सकते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : शेयर तो ले सकते हैं वह भी केवल बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम···

(व्यवधान, शोरगुल)

मैं जो खर्च करता हूं वह तो वकालत से कमाता हूं। विधान सभा से तो लिया भी नहीं है, इकट्ठा हो रहा है वह तो। मैं निवेदन कर रहा था केन्द्रीय सरकार के अन्दर ऐसी सुविधायें मंत्रियों को उपलब्ध कराई गई है·· मैं नम्र निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की हर एक बात को उसूलन मानने को तैयार है? केन्द्र सरकार के अन्दर मंत्रियों को अपने निजी कार्य के लिए सरकारी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। उनको सिर्फ आफिशियल वर्क के लिए गाड़ी अवेलेबल होती है जो कि उनको घर से आफिस पहुंचाती है और आफिस से घर पहुंचाती है लेकिन हमारे यहां राजस्थान के अन्दर मंत्रियों की गाड़ियां आल दी 24 आवर्स और आल दी 12 मन्थ्स अवेलेबल होती हैं··

एक माननीय सदस्य : वहां भी स्टाफ कार हमेशा के लिए अवेलेबल होती है।

Page No 174

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिये तो सही। अभी एक कान्ट्रेडिक्टरी सिचुएशन खड़ी हो जायेगी कि एक आदमी एम० एल० ए० है और मिनिस्टर भी हैं, कल एक दलील दी जायेगी कि एक मिनिस्टर के पास दो विभाग हैं और दो विभाग हैं इसलिए उसको दो विभागों की शपथ दिलायी जानी चाहिए।

(शोरगुल, व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी वकालत बहुत अच्छी चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री विजयसिंह के खड़े होने पर) माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया शांत रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार बिल पेश करती है तो विरोधी दल के सदस्य जरूर उसका विरोध करते हैं और जब सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो हम कांग्रेस के जो विधायक हैं हम लोग खड़े होकर डिफेण्ड करते हैं और हम मुकाबला करते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन इसमें बड़ी शर्म महसूस होती है कि इनको इस प्रकार की फैसेलिटीज अवेलबल कर दी जाये। मिनिस्टर हमेशा रहता है और मिनिस्टर कभी छुट्टी नहीं जाता है। आल दी 30 डेज और आल दी 12 मन्थ्स वह ड्युटी पर रहता है। मैं समझता हूं कि मैं विरोधी नहीं हूं इसका क्योंकि इसका भार उप-मंत्री के ऊपर पड़ने वाला है और एक उप-मंत्री की दिक्कत महसूस करके इस प्रकार का विधेयक यहां लाया गया है। वह कलकत्ते होकर आये हैं और आप पास नही करेंगे तो वह खर्चा उनके ऊपर पड़ जायेगा। सैद्धान्तिक दृष्टि से और कानून की दृष्टि से यह बड़ी ही एनामालिक पोजीशन हो जायेगी क्योंकि कोई भी मिनिस्टर जब अपने आपको इन्ट्रोड्यूज कराता है तो क्या वह कभी कहता है कि मैं एम० एल० ए० हूं कभी नहीं करायेगा वह इस तरह से इन्ट्रोड्यूज वह हमेशा कहेगा मैं डिप्टी मिनिस्टर हूं, केबिनेट मिनिस्टर हूं या चीफ मिनिस्टर हूं। मिनिस्टर को टी. ए. नहीं मिलता। सिवाय इसके कि मिनिस्टर बनने के पहले विधान सभा का सदस्य बनना लाजिमी है। इसके अलावा उनका क्या काम है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कायदे से मंत्री, उप-मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री या केबिनेट स्तर के मंत्री सिर्फ सवाल का जवाब देंगे या फिर जो भी डिबेट चल रही हो उसका जवाब देंगे। यह हमको ही अधिकार है कि हम किसी का विरोध करें या सपोर्ट करें। आप ही बतायें क्या आज कोई मिनिस्टर किसी चीज का विरोध कर सकता है ? नहीं कर सकता है क्योंकि यह सरकार की तरफ से रखा गया है और कलेक्टिव रेस्पान्सीबिलिटी है। हम लोग कांग्रेस के सदस्य होने के नाते वोट देने के लिए तो बाध्य हैं क्योंकि हमारे ऊपर व्हिप है लेकिन इन्टरवीन करने के नाम पर कोई बाध्य नहीं है, हम चाहे किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को यह विचार करना चाहिए कि उनके पास आलरेडी इतने प्रिवलेजेज हैं तो क्या वह ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बातें करते हैं। यह बिल पास भी हो जायेगा लेकिन यह डिग्नीफाइड बात नहीं है। मैं समझता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हूं कि आप खुद ही अपने आपके लिए करें और लोग सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, जनता पढ़ेगी तो क्या इसका अच्छा इम्प्रेशन पड़ने वाला है, कतई नहीं। वैसे आप मुनासिब समझते हों तो मेरी तरफ से कितने भी प्रिविलेजेज लें मुझे इसका एतराज नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा—

(अनुपस्थित)

श्री रूपसिंह

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उपाध्यक्ष महोदय; लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) (सेकिण्ड अमेण्डमेन्ट) बिल, 1970 के जरिये सेक्शन 2(1) में एम. एल. ए. की डेफीनेशन मे मिनिस्टर को भी इन्क्लुड किये जाने के लिए व सेक्शन 8(बी) में एक्सप्लेनेशन एड कर $12\frac{1}{2}$ हजार किलोमिटर रेल से ट्रेवल करने की फैसेलिटी जो एक एम. एल. ए. को दी गई है वो मंत्रियों को भी दिये जाने के लिए विधि मंत्री जी यह बिल लाये हैं। इसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसे जनमत जानने हेतु 5या6 माह के लिए परिचालित किया जावे।

यह प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि इसके अन्दर 50 हजार रुपये का खर्चा होगा वो पब्लिक एक्सचेकर से खर्च होगा और पब्लिक एक्सचेकर में जो मनी आता है वह टेक्सपेयर से आता है, इसलिए उनकी राय लेना बहुत जरूरी है और जब तक टैक्स पे करने वालों की राय नहीं ली जाती तब तक इसको पास नहीं किया जाये। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाये।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि एम. एल. ए. के लिए अलग एक्ट बना हुआ है और जब तक एम. एल. ए. मिनिस्टर हो जाता है तो उसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है जो कि मिनिस्टर्स सेलेरीज एण्ड इमाल्युमेन्ट्स एक्ट, 1956 है और उसके तहत रूल्स बने हुए हैं। उनके अनुसार एक मिनिस्टर को पे, टी. ए., डी. ए. टेलीफोन, बंगला, कार, पेट्रोल, सरवेन्ट्स, क्लर्क, पियोन्स आदि फैसेलिटीज दी जाती हैं। याने उस एक्ट के तहत और रूल्स के मुताबिक उनको यह फैसेलिटीज दी जाती हैं और एम एल. ए. के लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है और वह 1956 का है और उसके मुताबिक एम. एल. ए. को फैसेलिटीज दी जाती हैं। याने मंत्रियों और मेम्बरों के लिए डिफरेन्ट एक्ट बने हुए हैं। इसलिए अगर मंत्रियों को यह फैसेलिटीज दिलानी हैं तो उस सूरत में यह अमेन्डमेन्ट मंत्रियों का जो एक्ट है उसके अन्दर हमको लाना चाहिए न कि मेम्बर्स वाले एक्ट में। यह एनोमोली होगी इसलिए अमेन्डमेन्ट लाना है तो उसके अन्दर लाया जाये।

तीसरी बात यह देखनी है कि एम. एल. एज. को जो यह फैसेलिटीज दी गयी हैं वह किस बैकग्राउन्ड में दी गई थीं। इसके लिए यह अर्ज करना है कि जिस समय मेम्बर्स के लिए यह बिल लाया गया था उस समय यह था कि मेम्बर्स के पास अपनी कान्स्टीटुएन्सी में ट्रेवल करने के लिए कोई फैसेलिटीज नहीं थीं और स्टेट रोडवेज सब जगह नहीं जाती थी इसलिए उससे सब फायदा नहीं उठा सकते थे और जो डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जीप गाड़ियां का पूल बना हुआ है उसमें से गाड़ी उपलब्ध करा देना मुमकिन नहीं था क्योंकि इसमें बड़ा झगड़ा पैदा होता था।

(श्री हर्षसिंह)

उसको मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्रीजी ने कहा कि आपको राजस्थान के अन्दर घूमने के लिए यह फर्स्ट क्लास रेल्वे ट्रेवल पास दिला देंगे ताकि आप राजस्थान के अन्दर घूमकर अपनी कान्स्टीटुएन्सी का वर्क कर सकते हैं। उस वक्त यह कहा गया था कि जो फैसेलिटीज दी गई वह 12 हजार किलो• मीटर तक राजस्थान में ही महदूद रहेगी, लेकिन बाद में वित्त मंत्रीजी ने यह फैसेलिटी राजस्थान के बाहर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वित्त मंत्रीजी ने यह इसलिए किया कि हाउस में यह सवाल उठाया गया था कि चीफ मिनिस्टर राजस्थान पंजाब वगैरा में इलेक्शन का टूर करते हैं अगर सरकारी गाड़ियां ले जाते हैं और टी. ए., डी. ए. उठाते हैं यह बुरी बात है। अगर बाहर जाते हों तो अपने पैसों से जायें, लेकिन पब्लिक एक्सचेकर से खर्च करने का उनको राइट नहीं है। उसको मीट करने के लिए जैसा कि माथुर साहब ने कल और परसों फरमाया था कि आप क्वेश्चन करते हैं तो उसको मीट करने के लिए यह बिल लाये हैं अगर इस तरह से ही बिल लाना है तो जो मिनिस्टर्स के लिए एक्ट बना हुआ है उसके तहत में अमेन्डमेन्ट लायें और एम. एल. एज. के बिल में लाने की जरूरत नहीं है। एम. एल. ए. के मिनिस्टर बनने के बाद में दूसरी स्थिति हो जाती है, पोजीशन बदल जाती है। उनको दूसरी फैसेलिटीज मिलती है मंत्रियों के एक्ट के मुताबिक और एम. एल. एज. को वे ही फैसेलिटीज मिल सकती हैं तो एम.एल.एज के एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं। इसलिए मंत्रियों को ऐसी फैसेलिटीज देने के लिए मिनिस्टर्स के एक्ट में प्रोवाइड करना चाहिए। अगर एम.एल.एज. के एक्ट में उसको प्रोवाइड करते हैं तो एक कानूनी गलती करते हैं। अगर यह फैसेलिटी हाउस उनको दिलाना चाहे तो जरूर दिलाये, लेकिन एक तरह से रेगुलेराइज करके और इनके एक्ट के अन्दर अमेन्डमेन्ट करके यह फैसेलिटी दिलाई जाये।

अगर यह फैसेलिटी दी जाये तो इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये और उसके बाद में यह बिल प्रस्तुत किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, संयोगवश विधान सभा का यह अधिवेशन एक अजीब कन्ट्रास्ट हमारे सामने पेश कर रहा है। आज से दो दिन पहले हम एक बिल पर बहस कर रहे थे सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित और इस बुनियाद पर एक बिल लाने की सरकार ने आवश्यकता बताई और आर्डिनेन्स उसके लिए जारी किया कि सरकारी कर्मचारी अपनी कुछ आर्थिक स्थिति बढ़ाने की दृष्टि से कुछ बातों की, कुछ वेतनों में, कुछ ग्रेडों में, कुछ एलाउन्सेज में, बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे, जिनके औचित्य को स्वीकार कर चुकी है सरकार, लेकिन चूंकि उनके मांगने के तरीके को पसन्द नहीं किया, उनके एजीटेशन के तरीके को पसन्द नहीं किया, इसलिए सरकार ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह साधन भी, वित्तीय सुविधाएं भी देने से इन्कार किया, और उनके इस तरह के कहने के अधिकार के, उसके लिए संघर्ष करने के अधिकार को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बन्द करने के लिए एक जबरदस्त कानून भी बनाकर उसने इस सदन के सामने और स्टेट्यूट बुक के अन्दर रख दिया । उसी मुकाबले में आज एक दूसरा बिल पेश किया जा रहा है और बड़ी सर्विसेज के बारे में हमारे सामने यह दलील दी गई थी कि ये एसेन्शियल सर्विसेज हैं, ये आवश्यक सेवाएं करने वाले लोग हैं। ये ग्रावश्यक सेवाएं करने वाले लोग हैं इसलिए इनको कम वेतन मिलता है, इनके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पाता, इसको पूरा तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हमदर्दी की बात केवल दिल में महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह इस बात के लिए जिद्द करेंगे तो हम कहने नहीं देंगे और कानून बनायेंगे, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है, और इसलिए उनके कहने के, मांगने के हक को हम रोकेंगे, और हमने रोक दिया।

ग्राज दूसरा बिल भी सर्विसेज के लिए है जो शायद एसेन्शियल सर्विसेज नहीं हैं, वह उस कानून के मुताबिक एसेन्शियल सर्विसेज नहीं हैं समाज के लिए ग्रौर नान-एसेन्शियल सर्विसेज हैं । आज यह हमारे सामने कानून पेश किया जा रहा है ग्रौर यह दलील हमारे सामने पेश की जा रही है कि हमारे सामने इक्विटी का सवाल है, हमारे सामने पेरिटी का सवाल है, हमारे सामने सिद्धान्त का सवाल है । वहां पर इक्विटी का सवाल नहीं है. किसी ग्रादमी को लिवलीहुड के लिए, ग्रपने भरण-पोषण के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उसको पूरा वेतन मिले, उनके लिए वह सिद्धान्त की दलील नहीं रही । वह सिद्धान्त ताक में रख दिया और उसको मेन्टीनेन्स पे दिये बिना उसके लड़ने के हक को भी छीन लेंगे । आज वे ही लोग वित्तीय दिक्कत की बात को नहीं कह रहे हैं । आज वे ही लोग अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कानून लायें जो लोग परसों इन्कार कर रहे थे, एसेन्शियल सर्विसेज वालों को, कम तनख्वाह पाने वालों को जिसके बच्चों का पेट नहीं भरता है । जो लोग उस दिन वित्तीय स्थिति की दलील कर रहे थे वे ग्राज यह दलील नहीं कर रहे हैं । ग्राज उनको वित्तीय स्थिति की चिन्ता नहीं है । ग्राज वे कहते हैं कि इससे केवल 50,000 रु० का भार बढ़ेगा । आज वे दलील कर रहे हैं समाज में समानता की । जो एम० एल० एज० लेते हैं तो हम भी एम० एल० एज० हैं तो हमको क्यों न मिले, और उसके बारे में उनको ग्रार्डिनेन्स लाना पड़ा । उसके जस्टिफिकेशन का भी ख्याल नहीं और आज कानून के जरिये उसको ला रहे हैं । आपको यह भी खयाल नहीं हुग्रा कि जनता इसका विरोध करेगी, लोग इसका विरोध करेंगे, जनता के ग्रन्दर गलत भावना फैलेगी, ग्रौर आम जनता जिसके ग्राप रिप्रेजेन्टेटिव बनकर आये हैं, वे क्या कहेंगे ? ये माननीय सदस्य इधर बैठने वाले ग्रौर उधर बैठने वाले सभी दिल में यह महसूस करते हैं उसके बावजूद भी ग्रपने डिसिप्लिन के नाते, अपनी पार्टी के इस नाते के ग्रापके मेम्बर हैं, ग्रापके डिसिप्लिन के नाते बन्धे हुए हैं इसलिए कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल में जो भावना उनके है वह टोंक से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रापके सामने रखी, लेकिन ग्रनुशासन के साथ बन्धे हुए हैं इसलिए वे ग्रापके साथ रहेंगे, वोट देंगे ग्रौर ग्राप इसको मन्जूर करा लेंगे ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कन्ट्रास्ट आज इसी असेम्बली में हमारे सामने है कि एक वर्ग, एक तरह की सेवा करने वाला, साधन-सम्पन्न, जिनकी यह शिकायत नहीं कि हमारी कम तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं होता, यह उनकी शिकायत नहीं, उनके लिए यह अतिरिक्त व्यवस्था और उसके लिए कानून, और दूसरा उसके मुकाबले में वह वर्ग जो आवश्यक सेवाएं, एसेन्शियल सर्विसेज हैं, जिनकी तनख्वाह हम मानते हैं कि उनके बच्चों का गुजारा नहीं होता है, उसके लिए इस तरह का कानून है। यह इस तरह का कानून है यह कन्ट्रास्ट हम समाज के अन्दर पैदा कर रहे हैं। क्या रिएक्शन पड़ेगा आम आदमी पर आम-सामान्य आदमी जो आज बेकार हैं, जो ग्रेजुएट होते हुए भी बेकार हैं, और जो आज पढ़ा-लिखा बेकार है उस पर? जो आज समाज में काम करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बेकार हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है। आप काम नहीं दे सकते हैं। आपके अन्धे कानून से क्या असर उसके दिमाग पर पड़ेगा। आप उसको पास बैठायें, उससे चर्चा करें, तो आप उसका थोड़ा सा विचार ले सकते हैं कि आज वह क्या सोचता है। अगर यही हालत रही तो क्या स्थिति होगी आपका यह रास्ता है। यह आपकी जो उपज है। कल रात तक उपजा क्या? 10 बजे तक विधान सभा चली। खूब लड़ते रहे। वहां तो कोई सिद्धान्त आपके दिमाग में नहीं बैठता है। कोई दिशा नहीं बताई जाती है। वास्तव में किस मंजिल तक पहुंचेंगे। हमारा बहुमत है इसलिये हम करेंगे। कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है।

वह समझते हैं कि जिस आजादी के लिये हम लड़े हैं, हमारे पुरखे लड़े हैं। आजाद देश का जो नक्शा हमारे देश के नेताओं ने रखा है, आज वह पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। आज उसके दिमाग में एक प्रकार की उमंग है। वह चाहता है कि इन हालात को बदले। मैं समझता हूं कि समाज में जो स्थिति है उससे आप भी संतुष्ट नहीं है। जो ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, इस बात का मतभेद हो सकता है। यह जिम्मेदारी किसकी है? एक तरफ भूख है, इनफ्लेशन है, एक तरफ किस तरह मारे मारे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ यह सेठ बने हुये हैं। यह वास्तविकता है। यह जन्म ले रहा है। आज यह सोसायटी, जो हमारा तरीका है, आज एक फेनेटिक शासन को जन्म दे रहा है। आज यह विष वृद्धि हमारे देश में क्यों हैं? यह भ्रष्टाचार, तस्करी, यह डकैतियां क्यों हैं? क्योंकि आपके समाज का यह ढांचा है, इसको बढ़ाने के बजाय जो संकल्प डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आपका है, यह दिशा क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ ले जाने की है? आप जो कदम उठाते हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, राजस्थान की जनता में, हिन्दुस्तान की जनता में क्या वह सोशलिज्म को मजबूत करता है? वह समझते हैं कि यही ढंग है। यह सोशलिज्म की बात करने वालों का ढोंग है। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह वही तरीका है।

सभापति महोदय, आज हम एक पीरियड से गुजर रहे हैं। जबकि यह और प्रान्तों में भी एनक्वायर किया है। वह 67 में खत्म

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो गया। मिडटर्म इलेक्शन हुए, उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है। वह नई शक्ति उभर रही है। नई पावर बनेगी। उसमें आप हिस्सेदार हो सकते हैं। जनता नया परिवर्तन चाहती है। देश के सामने खड़ी होने वाली समस्याएं, महंगाई, आर्थिक संकट, विकास का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण आज देश का नौजवान देश की उन्नति करे, इसके लिए छटपटा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आप की मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कदम आप लें, क्या आपके इस छोटे से कदम से उन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी ? आज हिन्दुस्तान की जनता में एक क्रांति चल रही है। आपका यह कदम उसमें कहां फिट बैठता है ? माननीय सदस्य रामकिशन जी, संसोपा के नेता ने मेरी पार्टी पर, कुछ मुझ पर इस बात के आरोप लगाये।

श्री रामकिशन : सोचने के लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सोचने के लिए, कहा कि यह कांग्रेस के लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं। कितने तरक्की पसन्द है ? मैं उन्हें यह कहूंगा यह पार्टी के बारे में उन को मेरी समझ, में कांग्रेस गवर्नमेंट और पार्टी की हुकुमत में राज्यों के बारे में उनके दिमाग में भ्रम है। मैं उसे दूर करना चाहूंगा। वह बार बार इसको व्यक्त करते रहें हैं। वह मानते हैं—

श्री रामकिशन : इसके माने विरोध।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह मानना गलत है। और मैं राजस्थान सरकार को एक प्रगतिशील सरकार मानता हूं यह भी मानना गलत है। हम राजस्थान सरकार को सपोर्ट करते हैं। या राजस्थान सरकार या केन्द्र की सरकार जिसकी इन्दिरा गांधी हमारी नेता हैं, वह भी हमारी प्रगतिशील सरकार है, ऐसा हमारी पार्टी मानती नहीं है।

एक माननीय सदस्य : फिर वोट क्यों देते हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बड़ा सिण्डीकेट जो निजलिंगप्पा का बना हुआ है तो दूसरी ओर इन्दिरा गांधी का है। हम यह डिफ्रेंसिएट करते हैं.........

श्री माधोसिंह : आप भैरोंसिंह जी में कोई फर्क समझते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो भैरोंसिंह, महारावल साहब, और माधोसिंह में कोई फर्क ही नहीं समझते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : भैरोंसिंह, महारावल या माधोसिंह में कोई फर्क मैं नहीं समझता हूं। कई लोगों की परीक्षा होना बाकी है। तो वह कहां खड़े हैं ? तो मैं निवेदन कर रहा था उस रूप में हम जरूर डिफ्रेंसिएट करते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय रामानन्द जी कल भी यही भाषण दे रहे थे। अगर टेप रिकार्ड लगाकर सुना जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मै निवेदन करना चाहता हूं कि हम पर जो माननीय श्री रामकिशनजी इस तरीके का आक्षेप करते हैं, या माननीय कांग्रेसी सदस्य इस प्रकार का आरोप लगाते हैं और बात कहते हैं जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सेन्टर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर इन्दिरा गांधी को या सुखाड़िया जी को सपोर्ट करना तय कर लिया हो। तो यह भ्रम गलत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी को हमारा वोट एक नेगेटिव वोट है। हम नहीं चाहते कि देश की सत्ता फासिज्म और रीऐक्शनरीज के हाथ में आ जाये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दें, और जनता ने जो डेमोक्रेटिक राइट्स इतनी लड़ाई के बाद हासिल किये हैं. उन राइट्स को ही खत्म कर दें। इस तरह की बात हम नहीं चाहते। इन्दिरा गांधी की गवर्नमेंट भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का एक ढोंग ही कायम रख रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उन पार्टियों का साथ दें जो अमेरिका से मिली हुई हैं, हम नहीं चाहते कि हम अमेरिका के चुंगल में आ जायें। जो पार्टीज अमेरिकन एयर फोर्स को यहां लाना चाहती हों, जो डिफेन्स का खर्चा कम करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना चाहती हों, जो कभी युनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट की बात कह कर और कभी डिक्टेटरशिप की बात कह कर सेना के हाथ में सत्ता देने की बात कहती हो, हम ऐसी पार्टियों के हाथ में सत्ता देना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : इन सभी बातों का, माननीय सदस्य, इस बिल से क्या ताल्लुक है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तमाम पोलीटीकल प्रश्न हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, उस कांग्रेस गवर्नमेंट का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। माननीय सदस्य ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उस सिलसिले में हम आपकी पार्टी को क्या समझते हैं या दूसरी पार्टीज को क्या समझते हैं, यह सब कहना आवश्यक हो जाता है।

श्री माधोसिंह : आप किसको सपोर्ट करते हैं यह तो सब जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके तो थोड़े दिन हैं। जिस तरह से मानू प्रतापसिंह चले गये, वैसी स्थिति आई तो माधोसिंह भैंसवाडा भी चला जायेगा।

श्री माधोसिंह : मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह निवेदन किया कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, यह सब जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ब्लेक मेल करते हैं इस कांग्रेस पार्टी को। जहां तक आपके हितों की रक्षा होती है, आप कांग्रेस में जमे रहेंगे, यही आपका केरेक्टर है। बाकी आपकी मान्यताएं दूसरी हैं।

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह नहीं मानते बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर लिया है इन्दिरा गांधी ने, या राजाओं का प्रिवीपर्स बन्द कर दिया तो आपकी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन गई, या आप सोशलिस्ट बन गये। हम यह नहीं मानते। हां, यह जरूर है कि यह एक प्रोग्रेसिव कदम है। हम मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ प्रोग्रेसिव एलीमेंट है जो सोशलिज्म के लिये लड़ रहा है। आम तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस के युवा तुर्क सोशलिज्म के लिये लड़ रहे हैं, और हम सच्चो कांग्रेस प्रधान मन्त्री की कांग्रेस को मानते हैं जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिये लड़ी और सोशलिज्म के लिये लड़ी। लेकिन, सभापति महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां तक राजस्थान कांग्रेस का सवाल है राजस्थान की कांग्रेस तो वही पुरानी कांग्रेस है, यहां कहां इंडिकेट कांग्रेस बनी है? क्या मास्टर आदित्येन्द्र की कांग्रेस को कहें कि यह सिंडीकेट की कांग्रेस है......

एक माननीय सदस्य : यही स्थिति आपकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान में तो वह डिवीजन होना बाकी है। राजस्थान के अन्दर तो वास्तविक तौर से सिंडीकेट कांग्रेस इस कांग्रेस में बैठी हुई है, इसमें घुसी हुई है। मेरा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में मेरी इस विचार धारा के हैं उनकी कांग्रेस का रीओरियेंटेशन करना चाहिए.......

श्री रामकिशन : एक शब्द और जोड़ दीजिये, हिन्दुस्तान भर में इंडीकेट फिर सिंडीकेट बन गई हैं जिसमें ब्रह्मानन्द शामिल हैं, मोहनलाल सुखाड़िया शामिल हैं, चव्हाण साहब शामिल हैं। यह आपको जानना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम मानते हैं कि इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के अन्दर कौन लोग हैं? इसमें ऐसे लोग हैं जो किसी भी समय सिंडीकेट के सदस्य हो जायेंगे। इंडीकेट कांग्रेस में ऐसा तबका है खास-तौर पर जो लैंडलार्ड हैं, केपिटलिस्ट है वह बराबर उसमें बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। जहां तक उनका वश चलता है उनकी कोशिश यह रही है, ऐसे निर्णय कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कम्युनिस्ट विचारधारा से बचने की बात हो सकती हो। यह जो नेता हैं यह कैसे हैं? वह जागीरदार तबके के हैं, केपिटलिस्ट तबके के हैं। उन लोगों को यह डर लग रहा है कि अब अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग आयेगा। इसलिये उन लोगों में घबराहट हो रही है, इसलिये एक बार फिर यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश लेफटिस्ट विचारधारा की तरफ न जाय, लेफटिस्ट पालिसी को स्वीकार नहीं करें और इसमें अकेले उनके समर्थन की बात तो क्या, स्वतन्त्र पार्टी का भी समर्थन है, जनसंघ पार्टी के नेताओं का भी समर्थन है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक राजस्थान की कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारी मान्यता है, हमारी पार्टी की मान्यता है कि राजस्थान कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी तक उन ही पुरानी नीतियों पर चल रही है, अभी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे अकाल राहत का मामला हो, चाहे लेबर पालिसी का मामला हो--इस गवर्नमेंट की नीतियां एन्टीलेबर है, एन्टी-किसान हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है, गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस बात को नारे के रूप में नहीं कहना चाहता, स्लोगन के रूप में नहीं कहना चाहता..........

श्री माधोसिंह : मैं एक जानकारी चाहता हूं, आप इन्दिरा गांधी की पालिसी को ठीक समझते हैं या मधुलिमये की पालिसी को? आप दोनों में से किसको ठीक समझते हैं? किसको सही कहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य कहते हैं, इन्दिरा गांधी की पालिसी को या मधुलिमये की पालिसी को—किसको ठीक समझते हैं । यह दोनों पार्टियां अलग हैं·······

श्री माधोसिंह : यह बताइये न ।

श्री नत्थीसिंह : बैठिये बैठिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आर्थिक क्वेश्चन पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा नजदीक है । आज तक आर्थिक प्रश्न पर जिन नीतियों पर कांग्रेस चलती है वह हमारी विचारधारा से काफी दूर है । लेकिन जहां तक फारिन पालिसी का ताल्लुक है, यह सही है कि एन्टी कम्युनिज्म की बुनियाद पर है और इस कारण एस.एस.पी ज्यादा दूर है और इन्दिरा गांधी की लीडरशिप में जो पालिका है वह ज्यादा ठीक कही गई है । इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने कुछ कदम उठा कर एक नई इमेज देश में पैदा करने की कोशिश की है । केरल के अन्दर नई कांग्रेस ने जन्म लिया है, वहां के नौजवान, यूथ कांग्रेस ने पुराने लीडर्स जिन पर किसी पर जमीन लेने का इल्जाम है, किसी पर पैसे के दुरुपयोग का इल्जाम है, उनके खिलाफ क्रांति करके उनको उखाड़ कर फेंक दिया, उनको टिकट नहीं लेने दिये

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिये वह इलेक्शन में कामयाब हुए । खून का परिवर्तन वहां की कांग्रेस में हुआ । यहां की कांग्रेस की सही हालत बनानी है तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है, यहां के जो नौजवान लोग हैं, उनको कहना है, आप नई तमन्ना लिये हुए हैं, आप नया राजस्थान चाहते हैं इसलिये आपसे कहता हूं, आप उसी तरह करें जैसे उन्होंने वहां पुरानी लीडरशिप को उठा कर फेंक दिया, वेरिअर्स को उखाड़ कर फेंक दिया और जो यह कहते थे कि लाल झण्डे के साथ काम नहीं करेंगे—उनको हटा दिया और अपने एक कामन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया, यह समय की मांग थी, समान प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा । फिर एडजस्टमेंट हुए और एकमत से वहां सरकार बनी । वहां मीटिंग हुई तो एक तरफ इन्दिरा गांधी की कांग्रेस बैठी है, एक तरफ कम्युनिस्ट बैठे हैं, एक तरफ लाल झण्डा लगा हुआ है, दूसरी तरफ तिरंगा झण्डा लगा हुआ है । दोनों तरफ से भाषण हुए । तो वहां पर तो प्रोग्रेसिव एकता कायम हुई, समान ख्यालातों की एकता कायम हुई

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब विराजिये । बहुत हो गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बुनियादी विचार पर वहां एक परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की सूरत थी वह नये रूप

(8.32 रात्रि)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

में उत्पन्न हुई और पांच की जगह बत्तीस उनके लोग आये····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप परव्यू आप दि बिल से बहुत आगे जा रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई ऐसे प्रश्न, कई पालिटिकल इश्यू, बहस में दूसरी पार्टीयों के नेताओं ने उठाये जिनका मेरी पार्टी की नीति से सम्बन्ध है, खास तौर से ऐसे कुछ विषय है···

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ हो गया। अब समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनको लेकर बहुत भ्रम खड़ा किया गया है। मैं समझता हूं कि उन प्रश्नों के सम्बन्ध में क्लेरीफिकेशन किया जाय और सही समझ माननीय सदस्यों को और इस सदन को दी जाय।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जिस तरह की कांग्रेस है, वह पुरानी कांग्रेस है, वह सिंडीकेट की नीतियों को लिये हुए कांग्रेस है, और सिंडीकेट की नीतियों को लेकर यह गवर्नमेंट चल रही है। इसलिए इस सरकार को हम कोई प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट कहें-यह गलत है और यह गवर्नमेंट हमारे समझ की अपेक्षा कैसे कर सकती है। वैसे उसकी जरूरत नहीं है (समय–समाप्ति-सूचक घंटी) हम यह बात जानते हैं। लेकिन वह किसी तरह अपनी इन नीतियों के आधार पर क्लेम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आज ईमानदारी से जो कांग्रेस को रीजनरेट करना चाहते हैं, जो नई पालिसी को देश में चलाना चाहते हैं उनको इस कांग्रेस का रिओरियेंटेशन करने के लिए संघर्ष करना होगा, सही तरीके से अपनी पार्टी का परिमार्जन करना होगा। जो रीएक्शनरी पालिसी लेकर चलना चाहते हैं, उनका कौन नेतृत्व करेगा? क्या सुखाड़िया जी करेंगे या रामकिशोर व्यास करेंगे? मैं आपको यह बता दूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक विचारधारा के लोग एक तरफ हो जायेंगे और दूसरी विचारधारा के लोग दूसरी तरफ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो यह बिल पास कराने जा रहे हैं इसके सम्बन्ध में कांग्रेस के नये लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि यह सिंडीकेट की पुरानी नीतियों का द्योतक बिल है, जिसके अन्दर आज के मन्त्रिमण्डल के लोग बेशर्मी के साथ यह सुविधा लेना चाह रहे हैं, अकाल की हालत के बावजूद, डिफेंस की आवश्यकताओं के बावजूद–इन तमाम परिस्थतियों के बावजूद। एक तरफ तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने से, उनका भत्ता बढ़ाने से खर्च बढ़ाने की बात कह कर इंकार करते हैं और दूसरी तरफ जिद कर रहें हैं इस बात के लिए कि नहीं हम इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे। आखिर कोई वोइस आफ अपोजीशन हो। आज इस अपोजीशन को आप नोनसेन्स वेल्यू मानते हैं? जो आपको कंट्रोल करने वाला अपोजिशन है, उसके क्या विचार हैं–·· इसको जानने का आपके दिमाग में विचार पैदा नहीं होता है। इसी बुनियाद पर माननीय अध्यक्ष की ओर से आपको मौका दिया गया कि आप इस पर पुनर्विचार करें। उसके बाद भी, सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी आप दृढ़ हैं। आप अपनी जिद् पर रहेंगे और इसे कानून रूप में लाकर बारह हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा करने की सुविधा प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सख्त विरोधी हूं । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर सरकार यह बात कहे, या मंत्रीमण्डल के सदस्य इस बात को कहें कि चूंकि इस सदन के सदस्यों ने इस सुविधा को ले लिया है इसलिए हमने आर्डिनेन्स के जरिये इसका निर्णय ले लिया है और हम भी लेंगे । इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी आपकी बराबरी नहीं है । आपका दर्जा दूसरा है तो हमारा तीसरा है। इसमें बरावरी नहीं हैं। वैसे मैं अपने लिए, इस सदन के माननीय सदस्यों के लिए भी यह उचित नहीं मानता कि हमें राजस्थान के बाहर जाने का किराया भत्ता वगैरह मिले, राजस्थान के बाहर यात्रा करने की मुफ्त सुविधा मिले । चाहे जो कुछ भी निर्णय लिया गया हो–मैं इसको उचित नहीं मानता । इसलिए इसको वापिस लेने की बात हो, पीछा लेने की बात तो उससे मुझे इन्कार नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मेल छूट जाती है। आप समाप्त करिये अभी माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने कहा, अध्यक्ष महोदय, जब तक यह बैठना चाहेंगे तब तक हम बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बैठेंगे तो सही

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक और निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अन्दर आखिर....

श्री अध्यक्ष : भोजन की व्यवस्था कर दूं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह अच्छी बात है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम क्या कोड आफ कन्डक्ट जनता के सामने पेश कर रहे हैं ? क्या आदर्श हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं । मंत्रिमंडल के सदस्य इस सदन के सदस्यों से कहें कि अपना बिजली, पानी का खर्चा यह माफ करा लें और जितना खर्चा करना चाहें कर वह लें। वह जब हो गया तो नेक्स्ट डे वह अपना बिल लेकर आ गये कि हमारा भी माफ कर दो, हमारा भी हटा दो । अब दूसरा जब बारह हजार किलोमिटर का बिल पास कर दिया तो अपना ले आये । मैं समझता हूं, कि यह एम० एल० एज० को एक एल्योरमेंट देने की कोशिश की जा रही है । मैं समझता हूं, यह भ्रष्टाचार का रास्ता है, भ्रष्ट होने का रास्ता है इसके अलावा एक और वास्तविकता है जो सदन में लानी पड़ेगी । हमारी जो कमेटियां हैं उनमें सदस्य बनने का लालच सदन के माननीय सदस्यों में उत्पन्न कर दिया गया है । समितियों में जाकर सेवा करनी चाहिए, और काम करना चाहिए लेकिन वह भी भत्ता बनाने का एक साधन बन गई हैं । इस तरह कमेटी की मीटिंग होती हैं । चलो यह मीटिंग हो गई, अब इसमें यह तय करना है कि अगली मीटिंग कब बुलाई जाय । एक दिन कमेटी की मीटिंग बुलाई, उस दिन का भत्ता 31, फिर एक दिन और आगे का । और फर्स्ट क्लास का आने जाने का किराया। इस सारे का बजट पर भार पड़ता है । इस तरह मीटिंग बुलाते हैं और मेम्बरों को आमदनी कराने के लिए बजट पर खर्च डालते हैं। मैं यह समझता हूं कि आज जनता में हम प्रिविलेज्ड क्लास, अनड्यू

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रिविलेज्ड क्लास बनते जा रहे हैं। जो जनता में बैठते हैं वह इस बात को महसूस करते होंगे कि आज इस बात की आलोचना जनता में होने लग गई है । इस बात की जबर्दस्त आलोचना होने लगी है । हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारे पुरखाओं, नेताओं और सारे देश के नेताओं ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया हैं। गांधीजी ने आदर्श प्रस्तुत किया । ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिनका चीनी का परमिट का कोटा खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं बगैर चीनी के चाय लूंगा । जो जनता को मिलती है वही लूंगा ऐसे राज नेताओं ने जनता का समर्थन लिया है ....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें, कृपया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समाप्त करने की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन जो मेरे इस सम्बन्ध में विचार हैं उनको दलीय रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, भावना के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

मेरा निवेदन है कि इस स्टेन्ड पर सोचना चाहिए । मैं आफर करता हूं, जो पहले तनख्वाह बढ़ाई गई, सो रुपये एक दफा बढ़ाये गये, फिर सौ रुपये बढ़ाये गये । हम लोगों ने विरोध किया था, उसके बावजूद वह बढ़ाये । यह एक तरीका बन गया है कि आप यह कहें, आप अकेले छोड़ दें । मेरा निवेदन है कि उससे आदर्श स्थापित नहीं हो पायेगा । और इस चीज के ऊपर हमारी पार्टी ने निर्णय करके पहल करने का निर्णय कर लिया हो । मैं ऐसा क्लेम नहीं करता । मैं भी आप में से एक हूं । मेरे में कुछ कमी है तो आप में भी है। मैं विशेषता क्लेम नहीं करता । लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें जनता के सामने खासतौर पर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । इस प्रकार की बात जनता कहती है खास तौर पर, व्यय के मामले में, खर्च के मामले में जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने को बात कहें तो आर्थिक संकट की बात कहीं जाती है। उसी प्रकार जो मजदूरों की हालत है, गांव के हरिजनों की हालत है उसमें भी हम इसी कारण अधिकार सुधार नहीं कर सकते । तो क्या वही दलील हम पर लागू नहीं होती । आप अपना भत्ता बढ़ाने की बात करते हैं । इस पर मेरा निवेदन है कि आप गम्भीरता से विचार करें। खास तौर पर जो कांग्रेस के नौजवान लोग हैं, प्रगतिशील विचार वाले हैं, जो इंदिरा गांधी की लीडर-शीप में न केवल बातों से बल्कि काम से एक सही डेमोक्रेटिक सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा वह एक डिटरमिन तरीके से प्रोग्रेस की ओर एक मजबूत कदम रखें, यह बात दूसरी है वह अपनी पार्टी में अपनी बात नहीं समझा सके तो डिसीप्लीन तोड़ कर बाहर आये। लेकिन जैसा प्रधान मंत्री ने कहा, यह स्टेटस को रखने वाले और परिवर्तन करने वालों में एक लड़ाई है । इंदिरा गांधी ने बासेज की लीडरशिप को तोड़ दिया है, अतुल्य घोष और दूसरे बासेज थे, उनके कहे बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता था, देश में नवीनता नहीं आ सकती थी और कांग्रेस का रीओरियंटेशन नहीं हो सकता था ।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश की जनता के हित में,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देश के डेमोक्रैटिक मूवमेंट के हित में, राजस्थान के डेमोक्रैटिक मूवमेंट के हित में, कांग्रेस का प्रोग्रेसिव तबका जो इस ओर जाना चाहता है, उनकी दृष्टि से भी इस बिल को वापिस ले लिया जाय। सरकार को मजबूर किया जाय कि इसको वापिस ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, आज जो कांग्रेस सरकार सुख सुविधा भोग रही है वह इनकी तपस्या का फल है। ये जो आज सत्ता पर बैठे हैं इनसे पूर्व जो इनके नेता थे उनकी तपस्या का फल यह लोग भोग रहे हैं।

श्री रामकिशन : बाप की कमाई बेटा खा सकता है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : पौते प्रपौते खा रहे हैं। हमने तो माथे कटवा कर राज्य किया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बुजुर्गों का ही खा रहे हो।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह तो दल बदलुओं के खातिर राज्य कर रहे हैं। हम उधर बैठे होते अगर यह नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर आ जाइये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उसी पर आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। केन्द्र की सरकार ने भी इसी तरह का काम किया। राजाओं के प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार समाप्त करने का एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, वह वहां पास हो गया। राज्य सभा में गया तो वहां फेल हो गया।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपको क्या तकलीफ है?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मुझे तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए सदस्य बोलते हैं उनकी ओर आप ध्यान मत दीजिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आपके जो काले कारनामे हैं वह सुनाना चाहता हूं। आप उनको शान्ति से बैठकर सुनिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सभा में वह विधेयक फेल हो गया तो प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति से अध्यादेश निकलवा दिया।

श्री अध्यक्ष : इसी बिल पर आ जाइये। वह बड़ी बात है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उसी पर आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जो बोलता हूं वह हकीकत बोलता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामकिशन : उनको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : इसी के अन्दर बोलें तो ठीक है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो वेदान्त के सूत्र हैं।

श्री अध्यक्ष : भोजन करेंगे या नहीं?

श्री रामकिशन : आप करा देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : भोजन तो मेरे हाथ में सुरक्षित है नहीं, आपके ही हाथ में है।

श्री रामकिशन : आप करवा देंगे तो ठीक, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा की ओर से आपके भोजन का प्रबन्ध कराया जाय। हां आरम्भ रखिए।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : भोजन की बात पहले हो जाय।

श्री अध्यक्ष : वह हो गयी। आरम्भ रखिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह तो हमारे घर पर बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : तो भोजन का प्रबन्ध नहीं कराया जाय।

आरम्भ रखिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : राष्ट्रपति से अध्यादेश निकलवाया गया। इसी प्रकार हमारी राज्य सरकार भी यह अध्यादेश लायी है। जैसा माननीय सदस्यों ने पहले कहा कि अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। इसको विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन उनके सामने एक धर्म संकट था जो कि सदन के सामने आया। धर्म संकट यह था कि किसी मंत्री ने दौरा किया, निजी और यात्रा भत्ता विधानसभा में प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष : विधानसभा का मसला था। मैंने देख लिया कि ऐसा नहीं हुआ है। ज्योंही यह प्रश्न उठा मैंने इसको देख लिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंगाकर देखा है आपने ?

श्री अध्यक्ष : मंगा कर देख लिया है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह जो कहते हैं कि हमने त्याग किया है, त्याग तो महात्मा गांधी ने और दूसरे नेताओं ने किया, यह जो त्यागी बनते हैं और यह जो कांग्रेस के चेले हैं, पहले ये लोग बड़े बड़े लोगों को आश्वासन देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते थे आज ये अपना पेट भरने में लगे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया डिबेट को डिस्टर्ब न करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार इसलिये ले रहे हैं कि पहले के रईसों ने भी इतना आमोद प्रमोद नहीं किया। उनको जो प्रिवीपर्स मिलता था उसके अन्तर्गत ही वे खर्चा किया करते थे। राज्य का खर्चा अलग था और उनका खर्चा अलग था। उनकी मोटर और नौकरों के खर्चे अलग थे। लेकिन 40 की फौज का राजस्थान पर जो खर्चा है उसको तो देखिये।

श्री अध्यक्ष : 40 की फौज तो नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उसमें शामिल है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गांधीजी के पोते हैं। 37 हैं।

श्री दौलतराम सारण : 6 तो अन्डरग्राउन्ड रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : साफ हो गया वह मामला।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बड़ी बड़ी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। बंगले, पानी बिजली सब फ्री। स्वेच्छा अनुदान सब ये ले रहे हैं। उस पर भी सदन ध्यान दे। स्वेच्छा अनुदान एक विशेषाधिकार है मंत्रियों का।

श्रीमती सुमित्रा : वह आपके भी हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप जरा शान्ति से सुनिये। 64-65 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 हजार रुपया स्वेच्छा अनुदान लिया, वह 65-66 में 15 हजार हो गया

एक माननीय सदस्य : आपको ये फीगर किसने दिये हैं ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बजट से लिये हैं। आपके पास भी बजट की कापी आती हैं और मेरे पास भी अध्यक्ष महोदय, ये तो बजट को रद्दी में बेच देते होंगे लेकिन मेरे पास तो सब सुरक्षित हैं और मैं उनका उपयोग करता हूं।

25 हजार हो गये 68-69 में और राजस्थान की जनता और यह सदन आश्चर्य करेगा कि 70-71 में स्वेच्छा अनुदान की यह रकम 50 हजार हो गयी। जनता की गाढी कमाई का पैसा स्वेच्छा अनुदान के रूप में 50 हजार रुपया मुख्य मंत्रीजी लेंगे जो अपनी इच्छानुसार खर्च करेंगे। 5 साल में कितना हुआ ?

श्री रोशनलाल शर्मा : यह गलत है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : रोशनलालजी सुने जाइये। मक्खन मत लगाओ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह अनुदान तो दुखी पीड़ित लोगों को देना होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अधिक देर तक बैठना चाहते हैं क्या ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : हर मंत्री को पांच हजार रुपये स्वेच्छा अनुदान के दिये जाते हैं। जहां तक पीड़ित लोगों को देने का सवाल है वह तो अलग है सब। बृजसुन्दरजी का ही बताऊं। उनका पर्सनल हरिजन है। उसकी मृत्यु हो गयी। वह भी उस अनुदान में से पाने वाला है। जो मक्खन लगाये उसके मुंह में डाल दें। जिस प्रकार राजा महाराजाओं के समय में चारण भाटों उनकी तारीफ में अनुदान मिल जाता था उनकी ओर से उसी प्रकार आज ये लोग भी इनकी तारीफ करने वालों को कुछ बांट रहे हैं। ये सब लोग अपना पेट भरते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। (व्यवधान) सुनिये, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

श्री रोशनलाल : असेम्बली को नहीं सुना रहे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसके अलावा उनको राज्य की गाड़ियों की सुविधा है। सरकारी गाड़ियों का खुलकर दुरुपयोग करते हैं साग सब्जी लाने के लिये नौकर चाकरों के इधर उधर घूमने के लिये उनका प्रयोग किया जाता है। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहता हूं बृजसुन्दरजी के लड़के की शादी हुई उसमें किस प्रकार से सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया गया वह मैं बताना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: सब जानते हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। कई मंत्री लोग तो इस प्रकार के है कि यहां से जो कागजात बजट आदि के मिलते हैं वे अपने पास नहीं रखते उनको रद्दी में बेचते हैं। मेरे पास तो सारे कागजात ठीक प्रकार से रखे हुए मिलेंगे।

इसके अलावा ये मंत्री लोग जो दौरे करते हैं अधिकतर भत्ता कमाने के लिये करते हैं। मैंने इस बारे में प्रश्न पूछा था 66-67 में किस किस मंत्री ने कितना कितना दौरा किया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका उत्तर कौन देगा ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : विधान सभा में जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नही देंगे तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा भत्ते के लिये जिस जिस प्रकार की लूट मची है वह बता देना चाहता हूं। राजस्थान गवर्नमेंट में लूट मची हुई है जो दौरे किये जाते हैं एक साल के 360 दिन होते हैं उसमें से कई मंत्री लोग तो 233 दिन दौरे पर रहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : लीप ईयर में तो 364 हो जाते हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं वृजसुन्दर जी का हिसाब बता रहा हूं 61-62 में ये 231 दिन दौरे पर रहे और केवल 114 दिन हैडक्वार्टर पर रहे। मैं चूंकि उन्हीं से ताल्लुक रखता हूं उन्हीं का हिसाब मैं रखता हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा: कितने बढ़िया ताल्लुक हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं यह बता रहा हूं जो जो सुविधायें उनको मिली हैं उन सुविधाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। मैंने प्रश्न किया था 67 के चुनाव के पहले दो महीने का टेलीफोन पर पेट्रोल पर कितना कितना खर्चा हुआ। उसको सुनकर तो आप दंग रह जायेंगे। फरवरी 66-67 में टेलीफोन पर श्री मथुरादासजी माथुर का चार महीने का खर्चा 33 हजार 831 रुपये हुआ....

श्री अध्यक्ष : ये सब समाचार पत्रों में आ चुके हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बहुमत उनके हाथ में है इसलिए बोलना ही बेकार है। इसी प्रकार केवल माथुर साहब की ही तालिका नहीं है सब की तालिका मेरे पास हैं। इसी तरह से बालकृष्ण कौल जो पहले वित्त मन्त्री थे उनका भी खर्चा बताया गया है....

श्री अध्यक्ष : आप उनको तो क्षमा कर दीजिये वे है नहीं स्ट्रेन्जर हो गये हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उनको क्षमा किया। भीखा भाई को ले लीजिए इनका चार महीने में टेलीफोन पर खर्चा 7089 रुपया हुआ है।

श्री दामोदर व्यास 8600

श्री हरिदेव जोशी 6600

एक माननीय सदस्य : लड्ढा साहब का नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इनका भी है लेकिन मैं इनको माफ करता हूं। इन्होंने 6915·70 पैसा खर्च किया है। मैंने सिर्फ पांच हजार से ऊपर जिनका खर्चा हुआ है उन्हीं के नाम लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं बिल अलग रह गया है आप अलग रह गये है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकार करती आई है उससे यह स्पष्ट आभास मिलता है कि इस प्रकार की जो सहूलियत दे रहे हैं उसका वे फर्जी बिल बना कर नाजायज फायदा उठायेंगे। पहले तो यह सरकार भ्रष्टाचार बन्द करे उसके बाद यदि इस प्रकार की सुविधाओं की मांग होती है तो उस पर सहानुभूति के साथ विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप अब समाप्त कर दीजिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : वैसे ही अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। आप मेरे पर नाराज मालूम देते हैं। आप कहते हैं तो समाप्त कर देता हूं अब केवल एक साल ही और रह गया है आपका और हमारा। शायद अगले चुनाव में न आ सकूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा मत कहिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इन्हीं शब्दों के साथ आपकी दुविधा को देखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, खास तौर से हमारी राजस्थान सरकार का एक रवैया रहा है वह यह है दूसरे की नकल की जाय, वह किस प्रकार, यह बताना चाहता हूं। जो भारतीय बाहर जाते हैं वे वहां से यह सीख कर नहीं आते हैं टाइम की पाबन्दी किस प्रकार की जानी चाहिये डिसीप्लीन क्या होता है। वहां जाकर सिगरेट पीना सीखकर आयेंगे, बीयर पीना सीखकर आयेंगे। राजस्थान के मन्त्री लोग भी लोकसभा में जो नियोजन प्रस्तुत है उसी के अनुसार सुविधायें यहां लेना चाहते है उसी प्रकार का नियोजन करना चाहते हैं।

आपको दूसरों की नकल करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। अच्छा तो यह होता जो आप यह बिल लाये हैं उसके पहले यह देखते कि एक माननीय सदस्य जो ठीक यहां विराजते थे श्री विजयसिहजी रावत, जो आज हमारे बीच नहीं हैं आपने कभी दूसरों के लिए सोचा है? मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं इस विषय में किन्तु आपको सोचना चाहिये और फिर आप अपनी सुविधाओं की सोचते···

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को माननीय मन्त्री महोदय देख लें। बड़ा दर्दीला प्रश्न है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will look into it.

श्री विजयसिंह : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान के बहुत से हिस्सों में सड़कें नहीं हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और जब हम निवेदन करते हैं तो आप फरमा

(श्री विजय सिंह)

देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अब फिर 50 हजार का पैसा कहां से निकाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमें कोई ऐतराज नहीं होता यदि आप इन्कम बढ़ाते और इन्कम बढ़ाकर उन पैसों को इस प्रकार युटिलाइज करते तो हमें ऐतराज नहीं होता। आप क्यों नहीं रिकवरीज करते हैं, जो बकाया है उनको रिकवर करें। राजस्थान का पैसा जो खड्डे में जा रहा है उसको बटोरना चाहिये। पर आप सोच सकते हैं हमारे पास पैसों की बहुतायत है वसूल करके करना क्या है? इसको आप फौरन ले सकते हैं।

दूसरी बात मन्त्रियों को बहुत सी सुविधायें हैं। आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि सुविधा लेना चाहते हैं। क्या आपके मन्त्रियों ने भारत का भ्रमण नहीं किया? बहुत से मन्त्री ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान के बजट के अन्दर से हिन्दुस्तान के बहुत से भागों में, हिन्दुस्तान के कोने कोने में भ्रमण किया है और उसका लाभ उठाया है। फिर आपको इसकी क्या आवश्यकता है? दूसरी चीज जब आप मन्त्री या उप-मन्त्री हैं तो आपके खुद की एक केटेगरी है, आप खुद एक जगह स्टेण्ड करते हैं तो आपका अपना स्टेण्डर्ड इस हिसाब से बनाना चाहिये क्योंकि आपको वेतन अधिक मिलता है, प्रिविलेज अधिक मिलता है तो उस हिसाब से स्टेन्डर्ड कायम करना चाहिये। मन्त्री अगर थर्ड क्लास में सफर करे तो जनता पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गवर्नमेन्ट में इस इम्पेक्ट का बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। परन्तु देखते क्या हैं जयपुर में अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सुझाव दे रहे हैं, लोकप्रिय हो जायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनके ज्यादा विरोध में कहेंगे तो यह आत्म हत्या की श्रेणी में पहुंच जायेंगे।

श्री विजयसिंह : आज मन्त्रियों के पीछे राजस्थान मोटर गैरेज की गाड़ियां लगी रहती हैं। किस प्रकार मन्त्री लोग इन गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। मैं कहता हूं इन्ही कारों की पेट्रोल की बचत करके सुविधा लेते तो ठीक होता लेकिन इनके लिये यह नहीं हो सकता है। किन्तु मैं कहता हूं यह हो सकता है आपको आपके ड्राईवर को कन्ट्रोल में लाने की जरूरत है। आपका ड्राईवर न जाने किन किन कामों में गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, आज इसका सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैं नहीं करना चाहता हूं। दो-चार मिनिट "

श्री रामचन्द्र आर्य : नादिर शाह की हुकुमत को याद करते हैं तो इनकी हुकुमत को भी याद करेंगे।

श्री विजयसिंह : मैं समाप्त कर दूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था आपकी सुख सुविधायें हैं क्योंकि आप मंत्री हैं। आपको पूरी फेसेलिटिज मिलें, सेक्रेटेरियेट में आपके लिए कमरे अलग सिविल लाइन में अलग, सिविल लाइन में नहीं है तो दूसरी जगह अलग - सचिवालय की फेसेलिटिज़ अलग, गाड़ियों की फेसेलिटि अलग, टी. ए. डी.ए. की फेसेलिटिज अलग–कमी किस बात का है और उसके अलावा बहुत से मंत्रियों के इस प्रकार के लोग लगे हुये हैं जो आपको भी फेसेलिटिज दिलवाते हैं और खुद भी लेते हैं। कहने का मतलब भ्रष्टाचार को पनपाते रहते हैं जो मंत्रियों के बंगले पर बैठे रहते हैं। मैं उनका नाम बता सकता

Page No 192

(श्री विजयसिंह)

हूं। उनका कोई धन्धा नहीं है। आपकी इन्कम बढ़ाते हैं और खुद की इन्कम बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं आपको बहुत सी फेसेलिटिज मिली हुई हैं। इसलिए आप 50 हजार के गर्त में न पड़ें और नैतिकता से सोचें। आप विधायकों के बराबर आना चाहते हैं, आप आयें—हम वेलकम करेंगे किन्तु दूसरी फेसेलिटिज हैं उनको छोड़कर फिर आयें तो हमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कालानी साहब (श्री मुखराज कालानी) का स्थानान्तरण हो गया है क्या वापिस ?

श्री अध्यक्ष : एक्सचेन्ज हो गया है। उधर वे चले हैं हाड़ा साहब।

श्री विजयसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पूर्ण विचार करके इस विधेयक को ड्राप कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ·······

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मुझे भी अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं तो सभी को अवसर दूंगा।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष जी, मुझे भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष : दूंगा।

श्री जगन्नाथ : कभी नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : देखिये मैं देकर रहूंगा। आप आरम्भ रखिए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी अभी इस सदन में कुछ समय पहले पहले जब भू-राजस्व से सम्बन्धित एक विधेयक था उस समय राजस्व मंत्री जी ने इस बिल की चर्चा करते हुये कहा था आखिर मंत्रिमण्डल के सदस्य अगर विधायकों के समकक्ष आना चाहते हैं तो उसमें खुशी होनी चाहिए–आपत्ति की बात क्या है ? और करीब करीब यही दलील मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य की ओर से दी जा रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्य विधायकों के समकक्ष आने का प्रयास करेंगे लेकिन अध्यक्ष जी मैं यह देखता हूं कि विधायकों के समकक्ष तो आने का प्रश्न ही नहीं है मंत्रिमण्डल में जाने के बाद में मंत्रि मण्डल के सदस्य अपने आपको समाज से अलग, पार्टी के सदस्यों से अलग और विधायकों से तो अलग अपने आपको समझते ही हैं। अपने आपको इस प्रकार समझने लगते हैं जैसे कहीं वे आसमान के परिन्दे हैं। उनकी योग्यता बढ़ जाती है, उनकी शान-शौकत बढ़ जाती है। उनकी दृष्टि में वे अपने आपको अलग समझते हैं। मुझे उनके इस तरह समझने से और इनकी योग्यताओं से भी आपत्ति नहीं लेकिन मुझे मेरे कांग्रेसी मित्रों से एक बात कहनी है। अध्यक्ष जी क्या कांग्रेस के अन्दर ऐसे सदस्य नहीं हैं जो इस बात को

(श्री दौलतराम सारण)

महसूस करें कि आखिर आने वाला इतिहास कांग्रेस जन को कसौटी पर कसेगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो मंत्रिमण्डल के सदस्य, सरकारी पक्ष के लोग किस प्रकार की मर्यादायें बनाते हैं ? किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार का जनतान्त्रिक शासन स्थापित करके गये हैं। यह जब देखेंगे तो आने वाला युग आपको क्या कहेगा ? मेरा निवेदन है कांग्रेस के नेता अपने आपको कहां रखना चाहते हैं यह समझ लें। यह सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल के 37 सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि आप अपने कौनसे जजबात इसके लिए पेश करना चाहते हैं। अगर आप में सेवा की भावना है, त्याग की भावना है तो फिर इस विधेयक को लाने की क्या जरूरत पड़ गई।

कांग्रेस में चाहे वह एलीमेंट थोड़ा ही हो, लेकिन है। लेकिन आज जब मैं देखता हूं उनमें से बहुत सों के चेहरे मुरझाये हुए हैं और वह बिलकुल अपने आपको कसमसाते हुए प्रकट कर रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा जरूर छटपटा रही है। मैं अध्यक्ष महोदय उनको भी कह रहा हूं कि यह तो मतिभ्रम हो गए, इनको तो विनाश-कालेन-विपरीत बुद्धि हो गयी लेकिन क्या कांग्रेस के अन्दर एक भी ऐसा सदस्य नहीं कि जिसके सामने यह सारा सवाल हो ? सदस्यों के समकक्ष आने की बात करते हो, गांव से आने के बाद, घरों से आने के बाद किस प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करके ग्राम विधायकों के बराबर आना चाहते हो। हीटर्स के बिना सर्दी लगती है कूलर्स के बिना गर्मी लगती है और रेफ्रीजरेटर्स के बिना कोई चीज हजम नहीं हो तो, टेस्ट नहीं बनता। किस प्रकार के नखरे सरकार में आते ही बढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के सदस्य सदन के सदस्यों के समकक्ष आना चाहते हैं तो हमारी ओर से वह मंत्री बने रहें, अगर वह उन सारी सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो मंत्री की हैसियत से उनको दी गयी हैं और जो अनावश्यक है आवश्यक नहीं है जिन्होंने उनको दूर कर दिया है जनता से। वह सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो उनका सम्मान जनता की नजर में बढ़ेगा, सदस्यों की नजर में बढ़ेगा, उनका आदर बढ़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों की नजरों में वह ऊंचे उठेंगे। लेकिन उस तरफ छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। अगर छोड़ने की तैयारी के साथ संशोधन के साथ यह

(9-12 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बिल लेकर आते हैं तो भी इसके ऊपर गौर किया जा सकता था लेकिन ऐसा है नहीं उपाध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र मर्यादाओं की व्यवस्था है। माननीय कांग्रेस के सदस्य इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर मर्यादायें नहीं रहें तो लोकतंत्र नहीं चल सकेगा। अगर लोकतंत्र में प्रमाणिक आधार नहीं रहे समाज के अन्दर तो लोकतंत्र नहीं चल सकेगा और मर्यादायें स्थापित करने का काम मुखियाओं का होता है, समाज के नेतृत्व करने वालों का होता है। अधिकांश समाज समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों के पीछे चलता है, उनके हावभाव, उनके आचार-विचार उनके एक्शन पर समाज

(श्री दौलतराम सारण)

की मर्यादायें बनती हैं। समाज उनकी तरफ देखकर उस तरफ चलता है। लेकिन क्या आपको इसका ध्यान है? इसका कोई ध्यान नहीं। जनतंत्र में कह देते हैं खड़े होकर कि सरकार को अधिकार है संविधान के अन्तर्गत कि वह आर्डीनेन्स जारी कर सकती है। हम मानते हैं अधिकार है लेकिन किस स्थिति में है? क्या परिलाभ सदस्यों के बराबर करने के लिए संविधान ने अधिकार दे रखे हैं? संविधान का अधिकार किन्हीं विशेष परिस्थितियों के लिए दे रखा है। जिस समय सदन बैठने की स्थिति में न हो, सदन जल्दी आने वाला न हो, समाज का शासन का कोई काम अटका हुआ हो, ऐसी विशेष परिस्थितियों में संविधान अधिकार देता है अध्यादेश का। परन्तु हमारे यहां अध्यादेश तो जैसे राजस्थान में कहते हैं राबड़ी रोटी समझ रखा है। जैसे गरीब की राबड़ी रोटी होती है ऐसे ही संविधान के अधिकार को राबड़ी रोटी समझ रखा है। आये दिन मामूली मामूली बातों पर कामा और फुलस्टाप को हटाने के लिए अध्यादेश जारी हो जाते हैं। इससे अधिक अमर्यादित, अलोकतंत्रीय तरीका हो नहीं सकता। इसलिए उपाध्यक्ष जी जिस तरीके से यह सरकार सदन के सामने आई उस प्रक्रिया की मैं निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस के मेरे मित्र इस बात पर गंभीरता से गौर करेंगे कि यह लोकतंत्र में मर्यादाओं के लिए जो प्रश्न चुने हुए खड़ा करना चाहता हूं इसलिए आपका विशेष दायित्व है। वह तो अन्धे हो रहे हैं, वह तो कहते हैं कि हमारी बात हर कीमत पर मानी जानी चाहिए, हम सही और गलत कुछ भी कह दें वह बात होनी चाहिए। लेकिन इसको पास करने वाले कौन हैं? पास करने वाले आप लोग हैं। आप लोगों को चाहिए कि अगर इस तरह से अनियंत्रित तरीके से यह मंत्रि-मण्डल के लोग चलने लगे तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा जनता के दिमाग में क्या बनने वाली है और क्या बनती जा रही है? मुझे फिक्र इसलिए है कि राजस्थान की बाग-डोर आपके हाथों में है, शासन आपके हाथों में है, शासन समाज के लिए है शासन कांग्रेस के लिए नहीं है। सरकार अगर अमर्यादित एक्शन करती है तो सारे समाज में गलत तत्व प्रवेश पाते हैं। इसलिए मुझे चिंता है और इस चिन्ता के लिए मैं कहता हूं।

उपाध्यक्षजी, जिन लोगों के सामने कोई आदर्श नहीं, जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जो लोग केवल मक्खन लगाकर चापलूसी करके किसी तरह से टुकड़े तोड़ते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, मैं उनको कहता भी नहीं। उनके लिए मेरे पास कोई भाषा भी नहीं समझाने के लिए लेकिन मैं उनको कह रहा हूं जिनके दिलों में जज्बात हैं, जो देश और समाज के लिए सोचते हैं, जो इसलिए नहीं जी रहे हैं कि केवल उनको कुछ पैसे बटोरने हैं या कुछ टुकड़े तोड़ने हैं, जो किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं, जो किसी कार्यक्रम के लिए कार्य करते हैं। मेरी अपील उन साथियों के लिए है।

इसलिए उपाध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में मैंने आपसे निवेदन किया कि मर्यादाओं की व्यवस्था होती है। शासन की मर्यादायें समाज की अगवानी करने वाले लोग स्थापित करते हैं। लोकतंत्र के अन्दर पार्टी इन पावर नेतृत्व करती है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल एवं रामनारायण चौधरी के आपस में बात

Page No 195

(श्री उपाध्यक्ष) करने पर) माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : यह मैं बहुमत की बुनियाद समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामनारायण चौधरी के बोलने पर) आर्डर, प्लीज माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : अब टाइम आ गया है जब सड़कों पर हिसाब लिया जायगा आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(श्री रामानन्द अग्रवाल एवं रामनारायण चौधरी के आपस में बोलने पर) आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्षजी.....

श्री रामनारायण चौधरी : दुनिया को गुमराह करते हो

श्री दौलतराम सारण : यह आसन का पैनल इसी तरह के मेम्बर्स का है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामनारायण चौधरी के बोलने पर) आर्डर, माननीय श्री रामनारायण जी।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने निवेदन उनसे किया जिनके दिलों में देश और समाज के लिए मर्यादायें स्थापित करने की कल्पनायें हैं। मैंने निवेदन उनसे किया है जो त्याग और तपस्या के महत्व को समझते हैं और उसको अंगीभूत करने के लिए इच्छायें आकांक्षायें रखते हैं। उपाध्यक्षजी, मैंने निवेदन उनसे किया है जिनके दिलों में समाज के निम्नतम अंग को ऊपर उठाने की भावनायें और आकांक्षायें हैं। मैंने निवेदन उनसे नहीं किया जो केवल प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति की बात करते हैं। मैंने निवेदन उनसे नहीं किया जो केवल फ्लेटरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, मक्खन लगाते हैं और समाज और देश के लिए कुछ नहीं सोचते। जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जो केवल खाने के लिए जीते हैं, उनसे मैंने अपील नहीं की इसलिए मुझे उनसे कोई आपत्ति भी नहीं और ऐसे लोग नाराज भी हो जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि लोकतन्त्र में मर्यादा की व्यवस्था होती है, लोकतन्त्र में पार्टी इन पावर मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होती है इसलिए कि वह शासन का, समाज का नेतृत्व करती है। नेतृत्व करने वालों को मर्यादाबद्ध किया जाना चाहिए और पार्टी इन पावर से अपने मंत्रि-मण्डल को गाइड करती है, निर्देशित करती है। लेकिन, उपाध्यक्षजी, मुझे अफसोस है कि नियन्त्रण करने, गाइड करने व निर्देशित करने का तो सवाल ही नहीं, यहां तो पार्टी मंत्रि-मण्डल के द्वारा हांकी जाती है। क्या माननीय कांग्रेस के मेरे मित्र जिनमें जरा भी स्वाभिमान हो, जिनमें जरा भी देश और समाज के लिए टीस हो, दर्द हो वे इस प्रकार कुछ लोगों की मनचाही इच्छाओं से हांके जाने के लिए तैयार हैं? विधान सभा के सदस्य हम रहें या नहीं, हम विजयी होकर आयें न आयें हम मुखिया रहें या नहीं, लेकिन जितने भी दिन रहेंगे, जितने भी दिन जियेंगे समाज और देश के लिए जियेंगे, सत्य और न्याय के लिए जियेंगे। (हियर,

(श्री दौलतराम सारण)

हियर) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शासक दल को समाज का नेतृत्व करने के लिए पार्टी को शासक दल पर और मंत्रि-मण्डल पर नियन्त्रण करना चाहिए, उसको निर्देशित करना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए। क्या है यह ? क्या बात आप कर रहे हैं मैं शासक दल के परे माननीय साथियों से पूछना चाहता हूं ? सब महसूस करते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत कहने की नहीं है ......

श्री रामनारायण चौधरी : आप बिल पर बोलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको नहीं कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : बिल की धाराओं पर होना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : (श्री रामचन्द्र आर्य से) उन्हें कहने दो। आप क्यों बोलते हो। यह मेरे पर छोड़ दें। मैं अपने आप कन्ट्रोल कर लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं जिनका पद हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इतिहास रहेगा ...

श्री रामनारायण चौधरी : वह बना दिया।

श्री दौलतराम सारण : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हद के बाहर गलत काम न करें। आप इस बिल को पारित नहीं करवायेंगे और उसको विथड्रा करेंगे और अगर यह कर देंगे तो आप राजस्थान में हीरो बन जायेंगे और राजस्थान की 75 प्रतिशत गरीब जनता आपको ऊंची आवाज पर लेकर खड़ी हो जायगी।

श्री विजयसिंह : आप चीफ मिनिस्टर बन जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन, भीखाभाई, इसके लिए प्रलोभन, इसके लिये मोह और इसके लिए आकर्षण को उपेक्षा करनी पड़ेगी। अगर प्रलोभन, मोह, लोभ और आकर्षण की उपेक्षा करने का इरादा है, तो फिर कांग्रेस को आप मर्यादित रूप से रखने में साबित कर सकते हैं इस बिल को विथड्रा करके। लेकिन, उपाध्यक्षजी, भीखाभाई के दिल में कसमसाहट है, वेदना है, रावसाहब के दिल में वेदना हो रही है, सुमित्राजी बेचैन हैं (हंसी) मुझे लगता है कि हंसराजजी जो हैं उनका खून खौल रहा है मैं इधर देखता हूं तो यह पाता हूं कि पूरे व्यक्ति बेचैन हैं आगे की बैन्चों पर। पीछे जो व्यक्ति हैं वे भी बाकायदा बेचैन हैं, पीछे के लोग भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, परन्तु फर्क इतना ही है कि साहस नहीं है। किस को शक्ति पर शासन चल रहा है, यह आपकी शक्ति पर है, लेकिन आपको यह मुगालता हो रहा है कि इनकी शक्ति से आपकी शक्ति कम है। यह मुगालता आपको कमजोर बनाये हुए है। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति को बटोर कर इनको सद्बुद्धि दीजिये ताकि ये सही कदम उठायें, मर्यादाएं स्थापित करें और राइट डाइरेक्शन में एक्शन लें। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री दौलतराम सारण)

उपाध्यक्षजी, छोटी सी बात है उसके लिए अध्यादेश निकालना तो अनुचित, असंवैधानिक, गैरवाजिब और अनैतिक था ही, लेकिन उस दिन के विरोध के बाद आज पुनः यह साबित कराने के लिए कि हमारे पास में बहुमत है, पास करा लेंगे यह बिल लाये हैं। मैं मानता हूं कि आपके पास में बहुमत है। आप इसको पास करवा लेंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुमत जिनका, आप मानते हैं उनमें विवेक जागृत हो जाय और आपको नसीहत मिल जाय·······

श्री विजयसिंह : इनकी आत्माएं मरी हुई हैं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा मैं नहीं मानता कि सभी की आत्मा मरी हुई हैं।

श्री विजयसिंह : अभी देख लेना।

श्री दौलतराम सारण : अंगारे पर राख पड़ी हुई हो, यह हो सकता है। हनुमान का पता नहीं था कि वह समुद्र को लांघकर लंका में जा सकता है। जानवन्त को पता नहीं था कि वह समुद्र को बान्ध सकता है, लेकिन हनुमान और जानवन्त को उनकी शक्ति बतानी पड़ी ··· ···

एक माननीय सदस्य : कहां तुलना कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मीणाभाई हनुमानजी के भक्त हैं।

श्री विजयसिंह : ये तो कुम्भकरण हैं।

श्री दौलतराम सारण : समाजवाद की बात करते हैं, लोकतन्त्र की बात करते हैं, विधायकों के समकक्ष की बात करते हैं। अगर विधायकों के समकक्ष आने का सवाल है, खर्चा कम करने का सवाल है, गलत बिल से बचने का सवाल है तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मंत्री-मण्डल के सदस्यों को जो गैर जरूरी सुविधाएं दी हुई हैं वे उनका परित्याग करें उससे लाखों की बचत हो सकती है और उस बचत से इन प्रहरियों की व्यवस्था करें जो रात के 10 बजे सर्दी के अन्दर ठिठुरते हुए, हाथ बन्द करके जायेंगे। इनके लिए जूतियों का बन्दोबस्त नहीं है, खाने के लिए बन्दोबस्त नहीं है उसमें पैसा लगाइये। लेकिन उसके लिए आपके पास में पैसा नहीं है ·····

श्री विजयसिंह : शेम, शेम।

श्री दौलतराम सारण : 15 लाख इस भवन को शान और शौकत, पर लगाने के लिए हैं। नीचे से ऊपर आने के लिए डेढ़ लाख रुपया लिफ्ट में लगाने के लिए है। नाचघर बनाने के लिए है, और हमारे पास सब काम के लिए पैसा है, लेकिन, पीने के पानी देने के लिए पैसा नहीं है, धान के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए पैसा नहीं है, कालू भील की झोंपड़ी पर फूस का छप्पर डालने के लिए पैसा नहीं है, उसके कुए के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा किस लिए है ? फर्जी काम करने के लिए, गलत तरीके से पैसा खर्च करने के लिए है। हम दिखाने को तो सामन्तवाद का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे मन और मस्तिष्क सामाजवादी और साम्यवादी नहीं हैं। उनके अन्दर पूंजीवाद और सामान्तवाद की अभिलाषा घुसी हुई है। हमारे तौर-तरीके, हमारा

(श्री दौलतराम सारण)

प्रदर्शत, हमारी शानोशौकत, हमारी नजाकत, ये सब हमें सामन्ती प्रदर्शित करती है। कहीं भी समानता की, समाजवाद की ग्रोर गरीबों के प्रति हमदर्दी नजर नहीं ग्राती है ·· ····

श्री रामनारायण चौधरी : पालियामेंट में ग्रापकी पार्टी ने वोट किसको दिया ?

श्री दौलतराम सारण : रामनारायणजी ग्राप बीच बीच में न बोलें तो ज्यादा ग्रच्छा है। मेरे से खाता खोलना ग्रच्छा नहीं है। मैं ग्रापका पूरा इतिहास जानता हूं और एक एक गांव की लिस्ट मेरे पास में है, लेकिन मैं पर्सनल एलिगेशन्स में नहीं पड़ना चाहता हूं इसलिए मेरे से खाता न खोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी ग्रापस में बात नहीं करता।

श्री रामनारायण चौधरी : राजाओं के पक्ष में दिया है वोट आपने।

श्री दौलतराम सारण : एक माननीय सदस्य जो पैनल के चेयरमैन तो हैं वे बारबार बीच बीच में बोलें यह उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत तो है ही लेकिन इस सदन की मर्यादाओं के खिलाफ भी है। उनके अन्दर तो यह तमीज नहीं है लेकिन चेयरमैन की प्रतिष्ठा और इज्जत का ध्यान रखकर तो बोला करें। समझ ही नहीं आती ····

श्री रामनारायण चौधरी : राजाओं को वोट देने वाले खुशामदी ······

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री दौलतराम सारण : बेइमानी करते हैं········

श्री रामचन्द्र आर्य : (श्री रामनारायण से) चुप रहो। बकवास बन्द करो।

श्री दौलतराम सारण : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, हंसी आती है, छाजला बोले तो बोले, लेकिन छालनी भी बोलती है जिसमें हजारों छेद हैं। मुझे हंसी ग्राती है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री दौलतराम सारण : मैं ऐसा मानता हूं, उद्देश्य ग्रौर ग्रादर्शों को ध्यान में रखते हुए ग्राप कोई विधेयक लावें या ग्रध्यादेश लाना चाहिए। अगर ग्राप ऐसा करते तो ठीक था, वे ग्रध्यादेश जो इस सेशन में लाये हैं ये ग्रधिकांश नहीं ला सकते थे। और यह तो नहीं ला सकते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कटिबद्धताएं ग्राप इनको पूरा करने में दिखाते हैं, वह आप शासन को निष्कलंक बनाने में दिखाते। अगर ग्राप वह कटिबद्धता ग्रपने कार्यक्रम को ग्रौर उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाते तो मुझे खुशी होती। मैं आपको दुग्रा देता। लेकिन हकीकत क्या है उपाध्यक्ष महोदय, उधर कोई ध्यान नहीं है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या हालत है ? निर्माण की बात की जाती है, योजना की बात की जाती है। तो आप के सामने ग्रर्थाभाव ग्राकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं,

(श्री दौलतराम सारण)

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से शासन को व्यवस्थित करने में, निष्पक्ष बनाने में, कुशलता के साथ कार्य संपादित करने में भी क्या अर्थाभाव बाधक है। इसका कारण अर्थाभाव नहीं है अगर है तो आप निर्माण रोक दें लेकिन कम से कम राजस्थान में एक बार शासन को कुशल कर दें। शासन को निष्पक्ष बना दिया जाये। इस सम्बन्ध में आपकी कोई योजना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुत्ते की पूंछ 12 साल तक नलकी में रखी फिर भी टेढ़ी रही।

श्री रामचन्द्र आर्य : वाह, रामनारायण जी।

श्री दौलतराम सारण : 1500 रु० पाने वालों का, हजार से ऊपर पाने वालों का ख्याल है लेकिन 100-200 पाने वालों को कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि समाजवादी मूल्यों की स्थापना करने का मतलब है व्यवहार और सिद्धान्तों में एकरूपता। एकरूपता अगर नहीं रहेगी तो फिसलते फिसलते कहां जायेंगे। कोई पता नहीं है। कुछ लोग एक ओर एक पक्ष में प्रतिगामिता दिखाते हैं प्रगतिशीलता नजर आती है एक पक्ष में प्रगतिशीलता दिखाते हैं। और न इधर प्रतिगामिता नजर आती है। लेकिन माननीय श्री रामनारायण जी, माननीय चेयरमैन साहब, ये नवाब साहब लुहारू क्या हैं? ये राजा हैं। श्री रामनारायण जी के चाचा हैं।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री रामनारायण चौधरी : आप राजाओं के गुर्गे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं यही बात पूछना चाहता हूं। पूछिये, अपनी उस इन्द्रा गान्धी से, वह महाराजा कर्णसिंह, काश्मीर के महाराजा नहीं तो क्या हैं। वह कौन है। कालू भील है। कालू भील की औलाद है। राजा नहीं है। मुझको के आगे की जानकारी नहीं है, समाजवाद की बात करते हो। हिन्दुस्तान के कौन कौन पूंजीपति कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, कौन कौन राजा सदस्य हैं? न हमारी नजर में राजा है न सामन्त। मैं उनको प्रगतिशील समाजवाद का नाम लेने वाला मानता हूं। इन फैशनेबुल समाजवादियों से इस देश को सबसे बड़ा खतरा है मुझे नजर आता है। बालडांस और कैबरेडांस के हिमायतियों से समाजवाद को खतरा नजर आता है।

श्री विजयसिंह : एक सेकेण्ड ......

श्री दौलतराम सारण : यह पाश्चात्य प्रभाव का समाजवाद। यह फैशनेबुल समाजवाद है।

मैं एक एक कांग्रेस नेता को जानता हूं।

श्री विजयसिंह : रामनारायण जी तो कैबरेडांस के हिमायती हैं।

श्री रामकिशन : कांग्रेस के मंत्री कई ऐसे हैं जिनको नाचने को नहीं मिला है।

श्री दौलतराम सारण : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। डाक्टर ने भाषण देने के लिए मना कर रखा है। लेकिन जनता के दिलो दिमाग की बात आप को कहूं, शायद आप को घर कर जाये। समाजवाद की

(श्री दौलतराम सारण)

स्थापना करने वालों पहले मर्यादाओं को स्थापित करो । आप और हम मरेंगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है, वह मरेगा और तुम्हारी सरकार भी समाप्त होने वाली है । सदैव रहेगी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय रामानन्द जी । (कुछ व्यवधान के कारण)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, वह एक कुत्ता होता है, जो इशारा पाकर भौंकता है । लेकिन जब भालू आता है तो दुम दबाकर भीतर घुस जाता है । इसीलिए मुझे ऐसा समाजवाद और नकली समाजवादियों से नफरत है । ऐसे मक्खनियां समाजवादियों से मुझे नफरत है । लड्ढा जी की आत्मा तो जाग्रत हो नहीं सकती है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : भीखा भाई की आत्मा तो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करने जाग्रत हो सकती हैं । यह भी हो सकता है कि आप फर्जी वोट डलवाकर शराब पिलाकर चुनाव जीत आये । मोटर या बस में बैठकर देखिये जनता क्या कहती हैं । थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठकर देखिये, जनता क्या कहती हैं । इसीलिए मैं निवेदन करता हूं आप जो कुछ करना चाहे करें । पर मेरी अपील तो यह है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे । आप मर्यादायें स्थापित करने के लिए अपने कर्त्तव्य को मूर्त्त रूप में साकार करें, आप उसके लिए कटिबद्ध हों । लेकिन केवल अहंकार प्रदर्शित करने के लिए, अपने बहुमत का दबदबा दिलाने के लिए विरोधी जो कह रहे हैं वह गलत है और हम कह रहे हैं वह सही है—यह कह कर आप चलते चले जा रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा लेकिन देश को भी भुगतना पड़ेगा । गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है । आपके साथ में देश को भी भुगतना पड़ेगा । आपको नेतृत्व करने का मौका दिया गया है, पुराने शासकों की तरह सत्ता के वशीभूत होकर मर्यादायें स्थापित करने के बदले लोकमत की उपेक्षा किये जाने के लिए बहुमत का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रोग्रेसिव तरीके से सोचकर अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होकर निर्णय लें तो वह ज्यादा सही होगा और उसमें वजन रहेगा । लेकिन अगर इसको वोट पर रख कर पास करने की बात कहें तो मैं कांग्रेस के नौजवान मित्रों से कह रहा हूं कि वह जरा अपनी हिम्मत और कुव्वत इस सदन में प्रकट करें । आपको सद्बुद्धि आये और आपका कर्त्तव्य पूरा हो । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब एक और प्रस्ताव है प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु ।

श्री लाभचन्द वैद ।

(अनुपस्थित)

जवाब देंगे ।

श्री नत्थीसिंह : सद्बुद्धि जागी या नहीं । जवाब तो क्या देंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक घण्टा लगेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जवाब हैं । जवाब है ही नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम बठे हैं, क्या दिक्कत है।

एक माननीय सदस्य : इसमें जवाब नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : वापिस लेलो।

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य और मकराने से आने वाले माननीय ...

श्री विजयसिंह : थेंक यू, सर।

श्री भीखा भाई : जो अपनी बात कही है, मैं समझता हूं कि इस बिल के स्कोप से बिल्कुल दूर है और बहुत बहुत दूर है। मैं समझता हूं कि उन्होंने या तो पार्टी की बात या समाज की बात या फासिस्ट की बात— इस प्रकार जो आइडियोलोजिकल बात कही...

श्री दौलतराम सारण : गले से उतरी नहीं।

श्री नत्थीसिंह : इस वक्त आप सही बात समझना नहीं चाहते, सही बात का जवाब नहीं देना चाहते। हवा में उड़ाना चाहते हैं। इधर उधर की बात नहीं कही, सही बात कही। फिर क्या मतलब है? क्या आपकी जमीर चाहती है, कहती है कि बारह हजार किलोमीटर का फर्स्ट क्लास का किराया लें। मैं पूछना चाहता हूं, आपका क्या मन है? कभी तो सही बोलें हनुमान जी।

श्री विजयसिंह : आपका जवाब बिल्कुल गलत है। न पार्टी के बारे में कहा और न किसी और के बारे में। इस बिल से सम्बन्धित बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय नत्थी सिंहजी ने कहा, उस पर मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर चीफ मिनिस्टर का डण्डा है। भीखा भाई क्या करेंगे? यह चाहें भी तो डण्डा ऐसा लगा हुआ है कि बोल नहीं सकते।

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन करना चाह रहा था, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में एक बात तो कबूल कर ली, मुझे खुशी है। उन्होंने कहा, इससे फाइनेन्सियल बर्डन बढ़ने की दिक्कत है नहीं। साथ में यह भी कहा कि यह जो ...

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए कहा कि आप बेईमानी न करके काम करें।

श्री भीखा भाई : सामान्य बजट है उस पर इसका भार पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे आप यह कबूल करते हैं कि बेईमानी से सफर दिखाते थे।

श्री भीखा भाई : उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी मिनिस्टर, मन्त्री और राज्य मन्त्री क्या करते है? सारा भाषण मैं समझता हूं, ऐसा था जैसे कि सामान्य बजट के ऊपर वाद विवाद हो रहा हो, जनरल बजट पर डिबेट हो रही हो अथवा सामान्य प्रशासन के ऊपर बहस हो रही हो। सारी बहस उसी प्रकार की हो रही थी। यह कहा जाता है कि यह जो सुख सुविधा ले रहे हैं राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्य ...

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आपका पर्दाफाश करने के लिए कहा गया।

श्री भीखा भाई : वह वैसे ही ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को साफ कर

(श्री भीखाभाई)

दिया कि इसमें कोई सुख सुविधा लेने का सवाल नहीं है। इसलिए इसका कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता है…

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की यह सारी खाली बातें हैं। न तो आप में जवाब देने की हिम्मत है और न जवाब देना चाहते हैं। आप व्यर्थ और निरर्थक बात कहते हैं। आप स्पष्टरूप से बेईमानी पर आ गये हैं। आप कभी भी सही बात को कबूलना नहीं चाहते हैं। आप दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर जवाब दे रहे हैं। इसलिए हम अप्रजातांत्रिकतौर तरीके की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते…

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : और इसलिए मैं और मेरा दल इस सदन से सरकार के इस ताना-शाही रवैये के विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(संसोपा सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री गिरधारी लाल व्यास : जाओ। जाओ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अध्यादेश लाया गया और जिस ढंग से सुविधा ली गई है…

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना करके बहुमत के आधार पर इस प्रकार का यह अध्यादेश लाकर उसे बिल का रूप दे रहे हैं, इसके कारण से राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। इसलिए हम इसकी कटु शब्दों में निन्दा करते हैं और बहुमत के आधार पर नादिर-शाही तरीके जो इसे पास कराना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार के इस रवैये की भर्त्सना करते हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, त्याग की जगह जो इस सुविधा को लेने के लिए वोट को आधार बनाया जा रहा है, इसके लिए दुःख प्रगट करते हुए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी जाइये।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य अपने आपके विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उनके जो अधिकार हैं, मंत्री होने के नाते वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, मंत्री होने के नाते, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है…

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण हो गया।

श्री दौलतराम सारण : मंत्रिमण्डल के सदस्य ऐसा सोचते हैं कि वह हमेशा मंत्री रहेंगे…

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भी जाइये।

श्री दौलतराम सारण : और उनको मंत्रिमण्डल से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि मंत्री की कोई प्राइवेट कैपेसिटी होती नहीं है, और मंत्री होने के नाते विशेष प्रकार का संरक्षण जो कानून और विधि और नियमों में मिला हुआ है उसको वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके रहते हुए भी जो विधायकों को प्राप्त सुविधायें हैं उनको भी हड़पना चाहते हैं। यह इनका अतिक्रमण है, यह कानून के ऊपर अतिक्रमण है…

श्री भीखा भाई : संविधान में लिखा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कानून में लिखा हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : यह संवैधानिक दायित्वों का अतिक्रमण है···

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री दौलतराम सारण : इनकी इस प्रकार की अविवेकपूर्ण कार्यवाही के विरोध में मैं अपने साथियों के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(भा. कां. द. के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जो जवाब दे रहे हैं, इसमें इन्होंने जो मैंने लीगल आब्जेक्शन रेज किये थे, उनका जवाब नहीं दिया है और न ही देना चाहते हैं। इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रूपसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, (शोरगुल : अश्रव्य) उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल के सदस्य मैजोरिटी के जरिये मुझे दबाना चाहते हैं, इसलिए मैं भी विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

कई माननीय सदस्य : दबा नहीं रहे हैं।

(श्री विजयसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि जो माननीय श्री देवीदत्त गाड़िया, रूपसिंह राजवी, रामानन्द अग्रवाल, केसरीसिंह हाड़ा ने राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ)(द्वितीय संशोधन) विधेयक,1970 को तीन माह/दो माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाय का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री भीखा भाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भीखा भाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

एक सूचना है। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे के बजाय दस बजे···

एक माननीय सदस्य : शाम को कब तक ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ होगी। सदन की कार्यवाही कल प्रातः दस बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.50 बजे शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 के प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची)

राजस्थान सरकार

निदेशालय भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर

सं०	नाम	दिनांक आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्र जिसके द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये	स्मरण-पत्र की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री ए० सी० दुबे, प्रसार अधिकारी, जालोर	(i) ऊन वर्गीकरण अधिकारी, पाली के पद पर कार्य करते हुए लापरवाही से वर्गीकरण कार्य करवा कर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में दिनांक 25-3-68 को आरोप-पत्र एवं अभिकथन विवरण-पत्र का प्रारूप भेजा गया।	6-1-69 18-3-69 एवं 20-1-70
		(ii) अपनी आय से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करते समय अभिलेखों को अन्तः शेष (टेम्पर) करने के सम्बन्ध में दिनांक 1-4-69 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों का प्रारूप भेजा गया।	20-1-70

1	2	3	4
2.	श्री एस०के०शर्मा, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर	जोधपुर मन्डी ऊन क्रय करने में अनियमिततायें करने के सम्बन्ध में आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों के प्रारूप दिनांक 12-6-69 के द्वारा भेजे गये।	16-4-70 एवं 3-7-70
3.	श्री डी०आर० बजाज, भूतपूर्व उप निदेशक (विपणन, भेड़ व ऊन विभाग, जयपुर		
4.	श्री सोमनाथ थापड़, भूतपूर्व जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर।		
5.	श्री सत्यदेव, प्रसार अधिकारी, भोपालगढ़	सितम्बर 66 विलप में दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में दिनांक 6-2-69 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को भेजे गये।	14-3-69, 20-1-70 एवं 16-4-70
6.	श्री रमेशचन्द्र, शर्मा, प्रसार अधिकारी, बाप	राज्य कार्य से अनुपस्थित रहने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में दिनांक 16-9-68 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को भेजे गये।	14-10-68, 11-12-68 13-2-69, 17-1-70, 16-4-70 एवं 20-4-70 व 2-7-70
7.	श्री विरदाराम चोधरी, भूतपूर्व प्रसार अधिकारी, सिरोही	सितम्बर 66 विलप में झूठी बुकिंग कर राज्य सरकार की राजकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में दिनांक 18-3-69 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को भेजे गये।	16-4-70

1	2	3	4
8.	श्री देवकीनन्दन शर्मा, प्रसार अधिकारी, देवीकोट	उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं भ्रमण की झूठी डायरियां प्रस्तुत कर राज्य सरकार को धोखा देने के सम्बन्ध में दिनांक 30-6-69 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को भेजे गये ।	18-12-69 एवं 28-7-70
9.	श्री महेन्द्र सिंह, व्याख्याता,—भेड़—व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	वास्तविक तथ्यों को छिपाकर राज्य सरकार पर अनावश्यक व्यय भार थोप कर सरकार को धोखा देने एवं अपने पद तथा राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को लांछित करने के सम्बन्ध में दिनांक 17—9—69 के द्वारा आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया ।	18-12-69 व 28-2-70
10.	जे० एस० गंगवाल, प्रसार अधिकारी, इटावा भोपजी	सितम्बर 66 विलप में दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में दिनांक 17—1—70 को आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों के प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया ।	17-1-1970
11.	श्री धर्मपाल सिंह भूतपूर्व जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, भीलवाड़ा	आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों का प्रारूप दिनांक 25 5—68 के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया ।	27-1-69, 20-2-70 व 29-4-70

1	2	3	4
12.	श्री जगदीश चन्द्र गांधी, प्रसार अधिकारी, जैसलमेर	सितम्बर 67 क्लिप में दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने एवं सितम्बर 67 क्लिप में ही भेड़ पालकों के विरुद्ध दिखाई गई राशि का भुगतान न कर क्रय भुगतान कर राजकीय धनराशि का गबन करने के सम्बन्ध में आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों का प्रारूप दिनांक 1-8-68 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।	20-12-68, 17-7-69 एवं 27-4-70
13.	श्री भंवर सिंह तंवर, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जैसेलमेर	राजकीय अभिलेखों में झूठा इन्द्राज कर सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने एवं धोखा देने के सम्बन्ध में आरोप एवं अभिकथन विवरण पत्रों के प्रारूप दिनांक 29-3-69 के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये।	—
14.	श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, जोधपुर	सामान्य एवं वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन कर तथा अपने कर्तव्यों का लापरवाही से निभाने एवं राजकीय सामान के गबन को प्रोत्साहित करने के संबंध में आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों के प्रारूप दिनांक 10-12-69 के द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये।	—
15	श्री ए० बी० शर्मा ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जयपुर	राज्य कार्य में अनावश्यकरूप से दैनिक मजदूर रखकर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्रों का प्रारूप दिनांक 24-5-69 के द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।	

1	2	3	4
16.	श्री श्रीधर कल्ला, अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र, बांकलियां।	नियम 17 के अन्तर्गत बिना इजाजत मुख्यावास छोड़ने के सम्बन्ध में जांच प्रस्तावित दिनांक 8-10-69 के द्वारा की गई।	16-4-70
17.	श्री बांकेलाल अग्रवाल, प्रसार अधिकारी	नियम 17 के अन्तर्गत राज्य कार्य के प्रति लापरवाही करने विभाग को ऊन क्रय योजना को हानि पहुंचाने एवं राजकीय धनराशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जांच दिनांक 30-4-70 के द्वारा प्रस्तावित की गई।	—
18.	श्री राजशेखर गोस्वामी, कार्यवाहक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर	नियम 17 के अन्तर्गत अनधिकृत अवकाश उपभोग करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में दिनांक 20-4-70 के द्वारा जांच प्रस्तावित की गई।	पुनः18-9-70 को आरोप एवं अभिकथन विवरण-पत्र भेजे गये
19.	श्री जनकराज, प्रसार अधिकारी, महाजन	नियम 17 के अन्तर्गत राज्य कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अपनी नियमित राज्य कार्य के प्रति उदासीन रहते हुए अपने अधीन कार्य पर समुचित प्रबन्ध न रखकर राज्य सरकार को अधिक हानि पहुंचाने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही राज्य सरकार को दिनांक 27-5-70 द्वारा प्रस्तावित की गई।	—

नोट:—उपरोक्त विवरण-पत्र के अन्तर्गत अंकित क्रमांक 1, 5, 10, 12, 13, 14, एवं 15 पर अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

क्रम संख्या 7 व 8 पर अंकित मामले भी राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची)

परिशिष्ट (क)

प्रश्न भाग 2 के अन्तर्गत मद अनुसार व्यय की सूची

1.	वेतन एवं भत्ता	32,200.00
2.	पानी एवं बिजली	2,010.59
3.	यात्रा भत्ता	4,446.27
4.	टेलीफोन	3,974.70
5.	चिकित्सा भत्ता	079.97
		42,711.53

(परिशिष्ट ख)

प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत दौरे के कार्यक्रमों की सूची

1.	21/9/69 से 23/9/69	जयपुर से देहली एवं वापसी
2.	26/9/69 से 4/10/69	जयपुर से सरदारशहर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदारशहर, चूरू, जयपुर।
3	30/10/69 से 5/11/69	जयपुर से सरदारशहर, गंगानगर, साहबा, तारानगर, चूरू, सरदारशहर, सुजानगढ़, डीडवाना, सुजानगढ़, जयपुर।
4.	29/11/69 से 4/12/69	जयपुर से देहली, सरदारशहर, जयपुर।
4.अ	11/12/69 से 12/12/69	जयपुर से देहली, जयपुर।
5.	16/12/69 से 21/12/69	जयपुर से सरदारशहर, तारानगर, सरदारशहर, जयपुर।
6.	26/12/69 से 30/12/69	जयपुर से बम्बई, बड़ौदा, बम्बई, जयपुर।
7.	9/2/70 से 16/2/70	जयपुर से सरदारशहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, साहबा, सरदारशहर, जयपुर।
8.	27/2/70 से 4/3/70	जयपुर से लक्ष्मणगढ़, राजलदेसर, सरदार शहर, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, राजलदेसर, सरदार शहर, तारानगर, चूरू, सरदारशहर, जयपुर।
9.	6/3/70	जयपुर से देहली जयपुर।
10.	5/6/70 से 7/6/70	जयपुर से सरदारशहर, पुलसर, जयपुर।
11.	22/6/70 से 23/6/70	जयपुर से देहली, जयपुर।
12.	8/7/70 से 11/7/70	जयपुर से सुजानगढ़, सरदारशहर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बरसाना, सरदारशहर, जयपुर।
13.	20/7/70 से 22/7/70	जयपुर से दिल्ली, जयपुर।
14.	23/7/70 से 26/7/70	जयपुर से राजलदेसर, नागौर, जोधपुर, पाली, जयपुर।

15.	6/8/70 से 9/8/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
16.	16/8/70 से 18/8/70	जयपुर से चूरू, सरदारशहर, चूरू, जयपुर ।
17.	23/8/70 से 1/9/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
17.अ	8/9/70 से 10/9/70	जयपुर से सरदारशहर, जयपुर ।
18.	12/9/70 से 14/9/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
19.	19/9/70 से 22/9/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
20.	25/9/70 से 30/9/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
21.	2/10/70 से 4/10/70	जयपुर से सरदारशहर, डूंगरगढ़, तारानगर, जयपुर ।
22.	10/10/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।
23.	21/10/70 से 24/10/70	जयपुर से सरदारशहर, जयपुर ।
24.	24/10/70 से 28/10/70	जयपुर से देहली, जयपुर ।

परिशिष्ट (ग)

प्रश्न भाग 6 के अन्तर्गत मांगे गये अधिकारियों की सूची

1.	सेक्रेटरी	श्री बी० एल० पालगड़िया
2.	डिप्टी सेक्रेटरी एवं परसनल आफिसर	श्री आर० एस० सिंघी
3.	सेल्स आफिसर	श्री जे० के० जैन
4.	चीफ अकाउन्ट्स आफिसर	श्री डी० आर० जैन
5.	अकाउन्ट्स आफिसर	1. श्री सूरजराज भंसाली
		2. श्री जगदीशनारायण शर्मा
6.	अध्यक्ष के पी० ए०	श्री पूनमचन्द काला

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पशु चिकित्सा हेतु बोर्डर चैक पोस्ट की स्थापना

247. श्री नन्दलाल (किशन गंज): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कोटा जिले में पशु चिकित्सा हेतु बोर्डर चैक पोस्ट की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो उसका हैडक्वार्टर कहां पर रखा गया है ?

उत्तर

जी हां,

हैड क्वार्टर कोटा में ही रखा गया है।

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही

248. श्रीदिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन किन जिलों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा जिला टौंक के अतिरिक्त तहसीलदार ने कई मामले धारा 91 के तहत फाइनल कर दिये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 16 के अन्तर्गत उन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार स्वत: ही तहसीलदारों द्वारा दिये जाने थे, पर वह नहीं दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उनियारा, तहसील में हजारों की संख्या में ऐसे काश्तकार है जो संवत् 2011 से ही सवाई चक भूमि पर काबिज थे पर उन्हें खातेदारी नहीं दी गई और अब उन पर पैनेल्टी कायम की गई ?

(5) क्या राज्य सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि जो काश्तकार संवत् 2011 या 2012 से ही सवाई चक भूमि पर काबिज हैं उन पर पैनेल्टी नहीं लगाई जाय पर उन्हें धारा 15 व 16 के अन्तर्गत खातेदारी प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह भी सही है कि पैनेल्टी जो कायम की गई है वह इतनी अधिक है कि साधारण काश्तकार उसे चुका नहीं सकता ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्थान में सभी जिलों में कार्यवाही की गई है।

(2) जी हां। तहसील उनियारा के अतिरिक्त तहसीलदार ने 1910 मामले धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत फाइनल किये हैं।

(राजस्व मंत्री)

(3) टोंक जिले में सभी तहसीलों में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 16 के अन्तर्गत जिन्हें खातेदारी दी जानी थी, उन्हें दी गई हैं।

(4) तहसील उनियारा में ऐसा कोई केस ध्यान में नहीं है जिसमें सम्वत् 2011 से सिवाय चक पर काश्त की हो और उसे खातेदारी न दी जाकर पेनल्टी कायम की गई हो।

(5) टोंक जिले में ऐसे काश्तकारान जो सम्वत् 2011 व 2012 में सिवाय चक पर काबिज हैं उन पर पैनेल्टी न लगाई जाकर धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

(6) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अधिक से अधिक 15 गुनी पैनल्टी लगाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत ही काश्तकार की स्थिति को देखते हुए पैनेल्टी कायम की गई है।

सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन

249. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत बहुत पुरानी है व जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? अगर हां, तो इसकी विशेष मरम्मत के लिये सरकार कब तक क्या व्यवस्था करेगी?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस स्वास्थ्य केन्द्र की नई इमारत सरकार बनाने का विचार रखती है? अगर हां, तो नई इमारत कब तक बना दी जावेगी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक युनिसेफ की जीप भी नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों? अब यह जीप कब तक दे दी जावेगी?

(4) अब सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कब तक बना दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां, सरकारी भवनों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जाती है। मरम्मत के लिये 5000 रु० का प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी से प्राप्त हो गया है जो विभाग के विचाराधीन है मरम्मत के लिये बहुत कम धनराशि का प्रावधान रोज से अब तक मरम्मत के लिये प्रावधान नहीं किया जा सका है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। युनिसेफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर को सहायता दिलाने हेतु प्रश्नावली पूर्ण रूप से भर कर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाए, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर युनिसेफ से यह जीप आवंटित होगी।

(4) धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

आयुर्वेद फैकल्टी में डीन की नियुक्ति के आधार

250. श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद फैकल्टी में डीन की नियुक्ति किस योग्यता व आधार पर की

(श्री हर्षसिंह)

जाती है ? व वर्तमान में जो डीन है उनकी क्या योग्यता व उम्र है ?

(2) आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल की निर्धारित योग्यता व अनुभव कितने सालों का व क्या होना चाहिये ?

(3) आयुर्वेद विश्वभारती के प्रिंसिपल की क्या योग्यता व अनुभव होना चाहिये ? और मौजूदा प्रिंसिपल की नियुक्ति किस आधार पर की गयी है ?

उत्तर

(1) डीन की नियुक्ति विश्व विद्यालय के नियमों के अनुसार होती है। राज्य सरकार का इस नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप एवं दायित्व नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय एक स्वशासित संस्था है। वर्तमान डीन आयुर्वेदाचार्य विद्या पीठ दिल्ली से उत्तीर्ण हैं एवं उनकी आयु लगभग 50 वर्ष है।

(2) नियम में प्राचार्य पद की योग्यता निम्न हैं।

3 वर्ष के स्थाई उप निदेशक आयुर्वेद विभाग या 3 वर्ष के स्थाई व्यवस्थापक रसायनशालाएं या 10 वर्ष का स्थाई आचार्य आयुर्वेदिक महाविद्यालय पद का अनुभव।

(3) आयुर्वेद विश्व भारती निजी संस्था है। राज्य सरकार द्वारा इसके प्रिंसिपल की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। वर्तमान प्रिंसिपल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी हैं।

थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स

251. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दो-तीन वर्ष पूर्व ऐसे आदेश जारी किये गये थे कि थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स जो पी. एन. आर. सी. ट्रेण्ड नहीं हैं और यदि उनकी सर्विस पन्द्रह वर्ष की है तो उनको सेकिण्ड ग्रेड का प्रमोशन दे दिया जावे ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें और क्या उस आदेश की पालना हुई है ?

(2) राजस्थान में ऐसे कितने थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स हैं जिनकी 15 वर्ष की सर्विस है और जो कि पी. एन. आर. सी. ट्रेण्ड नहीं हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) 135 कम्पाउन्डर्स।

कृषकों को पंजाब बैंक से ऋण

252. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किसानों को पंजाब बैंक से ऋण दिलाने के बारे में क्या इस वर्ष भी राज्य सरकार कृषि ऋण की गारण्टी देगी ? यदि हां, तो सरकार इसकी घोषणा कब तक करेगी ?

(2) गारन्टी की शर्तें राज्य सरकार ने तय की हैं या नहीं ? यदि की हैं, तो शर्तें

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

क्या रखी है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार योजना के अनुसार गारन्टी देने का विचार रखती है। इस संदर्भ में सम्बन्धित बैंकों से पत्र व्यवहार जारी है।

(2) ऋण गारन्टी योजना इस प्रकार है :-

छोटी जोत के किसानों को जिनके पास 5 एकड़ सिंचित अथवा 15 एकड़ असिंचित भूमि पर बैंकों द्वारा राज्य सरकार की गारन्टी पर 10,000 रुपये तक की सीमा मध्यकालीन ऋण (अ) वर्तमान कुओं को गहरा करने अथवा नये कुए बनाने हेतु (ब) भूमि विकास–भूमि को समतल करने एवं खेत में नालियां बनाने हेतु 7 साल की अवधि के लिये तथा (इ) पैरिशन व्हील इत्यादि के खरीद हेतु (ई) पम्पिंग सेट खरीदने एवं लगवाने हेतु तथा (उ) कृषि कार्य हेतु मशीन इत्यादि खरीदने के लिये पांच साल की अवधि के लिये

(1) बड़ौदा बैंक –एक करोड़
(2) सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया–एक करोड़
(3) पंजाब नेशनल बैंक –एक करोड़
(4) दी राजस्थान बैंक लि० –एक करोड़
(5) यूनाईटेड कार्माशियल बैंक-एक करोड़
(6) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर स्टेट बैंक आफ इंडिया दो करोड़

की सीमा तक ऋण दिया जायेगा।

केशोराय पाटन शुगर फैक्टरी को भूमि का आवंटन

253. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि केशोराय-पाटन शुगर मिल्स को फैक्ट्री लगाने हेतु, भूमि का आवंटन हुआ था ? अगर हां, तो कब व कितनी भूमि का ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री ने सन् 68 में उक्त भूमि को काश्त के लिये कुछ काश्तकारों को सब लैट किया था ? अगर हां तो कितनी कितनी भूमि किन किन व्यक्तियों को किस शर्त पर दी गई थी ?

(3) इस वर्ष फैक्ट्री ने किस दिन से शक्कर का उत्पादन प्रारम्भ किया ? व यह फैक्ट्री कुल कितने दिन कितने घण्टे चली ? कृपया तालिका सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) इस वर्ष फैक्ट्री ने कब कब कितना कितना गन्ना खरीद किया व उसके लिये कितनी रकम चुकाई गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) कुल कितनी शक्कर का उत्पादन हुआ ?

(6) कितनी शक्कर बेच कर कितनी रकम प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 4-3-68 को 636 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां । निम्न व्यक्तियों से उनके सामने लिखी तादाद में भूमि जुतवाई गई ।

क्र० सं० नाम काश्तकार	रकवा बीघा	बिस्वा	दर प्रति बीघा
1–गोपाल आत्मज माधो	50	1	21)
2– ओंकार आत्मज गणेश	18	8	21)
3–ओंकार आत्मज गणेश	18	19	28)
4–अनूपचन्द आत्मज सरवन	63	3	20)
5–कल्याण आत्मज गणेश	51	16	20)
6–बाबूराम–पल्टूराम	14	19	30)
7–चतुर्भुज आत्मज भोलू	17	1	29)
8–जमनालाल आत्मज रामचन्द्र	17	4	31)
9–कल्याणलाल आत्मज रामचन्द्र	54	–	85)
10–धन्नालाल आत्मज भंवरलाल	53	7	22)
11–बाबूलाल आत्मज पल्टूराम	11	5	20)
12–बाबूलाल आत्मज पल्टूराम			

यह भूमि एक वर्ष के लिये काश्तकारों को दी गई थी । इसके अतिरिक्त फैक्ट्री व काश्तकारों के बीच कोई शर्त नहीं रखी गई ।

(3) फैक्ट्री ने दिनांक 25-3-70 से शक्कर का उत्पादन आरम्भ किया । फैक्ट्री कुल 2 माह-20 दिन में 632-10 घंटे चली ।

(4) फैक्ट्री ने दिनांक 22-2-70 से 24-4-70 तक निम्न मात्रा में गन्ना उसके सामने लिखी रकम पर खरीद किया:—

गन्ने की मात्रा (क्वीन्टल में)	गन्ना खरीद की कुल रकम
62, 460–57	4, 60, 334–40
85, 736–16	6, 04, 439–92
25, 579–34	1, 80, 334–34
10, 997–21	77, 389–33
1, 222–47	6, 618-41

(5) कुल 1128–7 टन शक्कर का उत्पादन हुआ ।

(6) 826 टन शक्कर बेचकर एक्साइज ड्यूटी के अलावा रुपये 11,30,030–75 की राशि प्राप्त की ।

झालावाड़ चिकित्सालय में लेडी डाक्टर

254. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) :

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी झालावाड़ के चिकित्सालय में कोई लेडी डाक्टर नहीं है जब कि यहां 2 लेडी डाक्टर्स के पद हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सेकिण्ड लेडी डाक्टर का अभी तबादला फेमिली प्लानिंग में कर दिया गया जब कि इन्हें यहां आये हुए दो साल नहीं हुए ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

श्री (जुझारसिंह) व रामप्रसाद बोहरा

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ के चिकित्सालय में जिले का सदर मुकाम होने के कारण रोगी बाहर से बहुत आते हैं तथा लेडी डाक्टरों के न होने पर जनता को परेशानी भुगतनी पड़ेगी ? डाक्टरों की कब व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में महिला चिकित्सकों के अत्यन्त अभाव के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी। तथापि परिवार नियोजन में नियुक्त महिला चिकित्सक जनाना अस्पताल का कार्य देख रही है।

(2) जी हां। परिवार नियोजन के कार्य में महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण वहां महिला चिकित्सक का लगाना अनिवार्य हो गया था। अन्य डाक्टर उपलब्ध न होने पर दो महिला चिकित्सकों में से एक को वहां लगा दिया गया।

(3) शीघ्र ही।

पिपाड़ के लिए पृथक् तहसील

255. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पिपाड़ की जनसंख्या व्यापार एवं यहां पर स्थित सरकारी कार्यालयों को दृष्टिगत रखते हुए पिपाड़ को एक पृथक से तहसील बनाया जाना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वे कौन कौन से आधार एवं मापदण्ड हैं जिनके अनुसार पृथक्-पृथक् तहसीलों का निर्माण किया गया है अथवा किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में पिपाड़ की जनता ने राज्य सरकार से बार बार निवेदन किया है लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस संबंध में जिलाधीश से प्रस्ताव आने पर जन गणना के कार्य की समाप्ति के बाद विचार किया जावेगा।

(2) तहसीलों का निर्माण राज्य द्वारा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 15 के तहत किया जाता है जिसमें कोई आधार नहीं दिया गया है वैसे भौगोलिक स्थिति, एरिया, जनसंख्या तथा जहां तहसीलों का हैडक्वार्टर नियुक्त किया जाता है, वहां से पूर्व में स्थित तहसील हैडक्वार्टर की दूरी, खसरा नम्बर, गांव की जन संख्या एवं आय के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

(3) ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के पास नहीं आये हैं। आने पर विचार किया जावेगा।

कृषि प्रसार अधिकारियों की विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति

256. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967 से अब तक कितने कृषि प्रसार अधिकारियों (ए. ई. ओज) को विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है

(श्री गंगासहाय)

जिनकी वरिष्ठता सूची अनुसार 150 से अधिक हैं ? इन नियुक्तियों का आधार क्या है ?

(2) अब तक गत तीन वर्षों में इनके मामलों का अन्तिम निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) सन् 1967 से अब तक 116 कृषि प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति विकास अधिकारी के पद पर विकास विभाग द्वारा की जा चुकी है। वर्तमान में कार्य कर रहे विकास अधिकारियों की संख्या, जो वरिष्ठता सूची (पुरानी) के अनुसार 150 क्रम संख्या से अधिक वरिष्ठता वाले कृषि प्रसार अधिकारी हैं, 82 हैं। इन नियुक्तियों का आधार यह है कि सम्बन्धित पंचायत समिति में प्रतिनियुक्त वरिष्ठतम कृषि प्रसार अधिकारी को स्थानापन्न विकास अधिकारी लगाया जाता है।

(2) कृषि अधिनस्थ सेवा की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देते ही यथाशीघ्र नियमानुसार विकास अधिकारियों का चयन करने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

जैसलमेर जिले में आयुर्वेदिक औषधालय

257. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में राजस्थान में सबसे कम औषधालय हैं और जिले के क्षेत्र व अकाल में बीमारी के प्रकोप से जिस प्रकार से व्यापक संख्या में मृत्यु हुई उसको देखते हुए आयुर्वेद औषधालय नहीं के बराबर हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में भविष्य में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति व जिला परिषद् व जिला प्रशासन ने गांव खुडी, डांगरी, लाठी, हाबूर, सतों में औषधालय खोलने के लिये बार बार राज्य सरकार से अनुरोध किया है ? अगर हां, तो पांच वर्षों में एक भी औषधालय जैसलमेर जिले में नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर नगर में जो औषधालय है उसको भी बाड़मेर जिले के अधीन रखा है जिससे औषधियों की प्राप्ति में दुविधा का सामना रहता है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले के औषधालय को जैसलमेर नगर के अधीन प्रशासनिक दृष्टि से करने का विचार रखती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जैसलमेर जिले में 20 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। समय समय पर आवश्यकतानुसार इस संख्या में अस्थायी अकाल राहत शिविर औषधालय खोल कर वृद्धि की जाती रही है।

(2) खुडी ग्राम में औषधालय खोलने का प्रस्ताव 69-70 में पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर सरकार को प्राप्त हुआ है। शेष के नियमित प्रस्ताव जिला परिषद् द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं। खुडी ग्राम में औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भवन नहीं प्राप्त होने से अभी तक स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) जैसलमेर नगर में औषध प्राप्ति की दुविधा नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से जैसलमेर व बाड़मेर जिले के लिये एक ही जिला आयुर्वेद अधिकारी रखा गया है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के भवन

258. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कौन-कौन से प्राइमरी हैल्थ सेण्टर हैं जिनके भवन योजनानुसार नहीं बने हैं और जिनके कार्यालय नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

(2) जिन प्राइमरी हैल्थ सेण्टर के योजनानुसार अपने भवन बन गये हैं उनके स्थानों की जन संख्या क्या है ? क्या वे सेण्टर निर्धारित शर्तों के अनुसार ही इन स्थानों पर खोले गये हैं ? यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

(3) ऐसे कौन कौन से प्राइमरी हैल्थ सेण्टर हैं जहां जन सहयोग के रूप में निर्धारित धनराशि देने के प्रस्तावों सहित पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव भेजने के उपरांत भी उनके प्रस्तावों को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया ? तथा क्यों ?

(4) सरदारशहर प्राइमरी हैल्थ सेण्टर के लिये पंचायत समिति के प्रस्तावानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची संलग्न है इनमें से केवल तीन स्थानों सलूम्बर (उदयपुर) बाडी (भरतपुर) छोटी सादड़ी (चित्तौड़) में भवन निर्माण का कार्य अभी चालू है शेष स्थानों पर भवन व्यवस्था योजनानुसार उपलब्ध है।

(2) प्रश्न (1) की सूची में जनसंख्या दर्शा दी गई है। उक्त प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समितियों के प्रस्ताव एवं स्थानीय मांग को ध्यान में रखकर सुचारु रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सेवायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थापित किये गये हैं।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) चिकित्सा विभाग एवं विकास विभाग के संयुक्त निर्णय के अनुसार दो साल से ज्यादा समय से चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान को बदलना सम्भव नहीं होने के कारण।

LIST OF PHCs. LOCATED AT MUNICIPAL HEAD-QUARTERS WITH 1961 POPULATION.

S.No.	Name of District.	Name of P.H.C.	Population	Remarks
1.	Bikaner	Nokha.	996	
		Napasar	6634	
2.	Bhartpur.	Nadbai	5975	
		Rajakhera	9997	
		Bari	14695	(70-71)
3.	Banswara	Kushalgarh	5264	
4.	Chittorgarh	Kapasan	8371	
		Chhotisadri	8265	(70-71)
5.	Churu	Sardarshahar	32072	
		Ratan-nagar	4363	
6.	Dungarpur	Sagwara	8655	
7.	Ganganagar	Raisinghnagar	9499	
		Srikaranpur	11551	
		Sangaria	8112	
8.	Jhunjhunu	Udaipur-wati	9723	
9.	Jaisalmer	Pokran	5284	
10.	Sawai Madhopur	Hindaun	20237	
		Gangapur	22591	
11.	Sikar	Neem-ka-thana	10862	
		Laxmangarh	18484	
12.	Sirohi	Abu Road	17728	
13-	Tonk	Malpura	10622	
14.	Udaipur	Rajsamand	11272	
		Devgarh	8032	
		Salumber		(69-70)
15.	Jodhpur	Pipar-city	12557	

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची)

विवरण आय – मेला गोगामेड़ी

क्रम सं०	सन्	आय	क्रम सं०	सन्	आय
1.	50–51	7949)	11.	60–61	25,525)
2.	51–52	7400)	12.	61–62	19,407)
3.	52–53	7410)	13.	62–63	31,435)
4.	53–54	7410)	14.	63–64	22,760)
5.	54–55	7410)	15.	64–65	26,500)
6.	55–56	6321)	16.	65–66	26,473)
7.	56–57	6845)	17.	66–67	27,500)
8.	57–58	7845)	18.	67–68	32,597)
9.	58–59	19743)	19.	68–69	36,580)
10.	59–60	17065)	20.	69–70	35,000)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

Budget of Jaisalmer

Pay of Officer —	50,000/—
Pay of Establishment	1,00,000/—
Dearness Allowance	1,20,000/—
Travelling Allowance	7000/—
Medical charges	500/—
Other Allowances	2000/—
	1,29,500/—

4. OTHER CHARGES

Postage & Telegrams	500/—
Liveries	1800/—
Light & Water	3000/—
R. R. Furniture	500/—
Clothing & Bedding	1000/—
Diet	1300/—
Drug & Medicines	19800/—
Maintenance of Building	1000/—
Utensils	300/—
Equipment & Instruments	4000/—
Other item	1000/—

SANCTIONED STAFF

Doctor —	—	2
Staff Nurse —	—	1
Midwife —	—	1
Compounder Gr. II	—	1
Compounder Gr. III	—	2
Class IV —	—	4

REFRELL HOSPITAL:—

Compounder Grade II	—	2
Compounder Grade III	—	1 (1)
Class IV —	—	1

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची)

सूची परिशिष्ट (क)

वर्ष 1969-70 में 5000 या इससे अधिक की रकम अनुदान दी गई, के बारे में सूची

क्रम सं०	नाम सहकारी समितियां	अनुदान की राशि	अनुदान किस कार्य के लिये दिया गया	उपभोग करने का समय	उपभोग होने का समय
1.	रा०राज्य बुनकर स० संघ लि०	10,000-00	व्यवस्थापकीय	30-6-70	1969-70
2.	उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार लि०	5,000-00	,,	,,	,,
3.	राजस्थान विश्व विद्यालय सहकारी उपभोक्ता होल-सेल भण्डार लि० जयपुर	5,000-00	,,	,,	,,
4.	उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा	5,000-00	,,	,,	,,
5.	बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक को शाखा बालोतरा	5,000-00	,,	,,	,,
6.	टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाख मालापुरा	5,000-00	,,	,,	,,
7.	भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० की शाखा नंदबई	5,000-00	,,	,,	,,
8.	अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा राजगढ़	5,000-00	,,	,,	,,
9.	गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा हनुमानगढ़	5,000-00	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
10.	राजस्थान स्टेट को०ग्रा० बैंक लि० जयपुर	20,00,000-00	साख स्थिरता कोष	31-3-70	31-3-70
11.	जोधपुर केन्द्रीय स॰ बैंक लि०	2,27,000-00	बट्टाखाता	30-6-70	1969-70
12.	झूंझनूं ,, ,,	2,50,000-00	,,	,,	,,
13.	भीलवाड़ा,, ,,	75,000-00	,,	,,	,,
14.	जयपुर ,, ,,	80,000-00	,,	,,	,,
15.	पाली ,, ,,	40,000-00	,,	,,	,,
16.	बारां क्रय विक्रय स०स०लि०	1,500-00 4,750-00	वर्कशाप हेतु	निर्माण एक साल व्यवस्था-पकीय की अवधि में	समय पूर्ण नहीं हुआ
17.	राज० राज्य स० क्रय विक्रय संघ	20,730-00	प्रमोशनल सैल	30-6-70	,,
18.	राजस्थान वन श्रमिक स० संघ लि०	20,000-00 18,000-00 1,000-00 1,00,000-00 90,000-00	गोदाम निर्माण व्यवस्थापकीय फर्नीचर ट्रक क्रय करने हेतु प्रशिक्षण योजना	30-6-70	69-70
19.	सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक	70,500)	सहायक निरीक्षकों के वेतन हेतु	30-6-70	69-70
20.	नागौर ,, ,,	89,100)	,,	,,	,,
21.	जोधपुर ,, ,,	56,300)	,,	,,	,,
22.	भीलवाड़ा ,, ,,	72,100)	,,	,,	,,
23.	झालावाड़ ,, ,,	55,500)	,,	,,	,,

1	2			3	4	5	6
24.	झुंझुनू	,,	,,	34,000)	सहायक निरीक्षकों के वेतन हेतु	30-6-70	69-70
25.	टोंक	,,	,,	58,000)	,,	,,	,,
26.	चूरू	,,	,,	36,500)	,,	,,	,,
27.	डूंगरपुर	,,	,,	34,200)	,,	,,	,,
28.	बीकानेर	,,	,,	20,800)	,,	,,	,,
29.	बाड़मेर	,,	,,	59,800)	,,	,,	,,
30.	भरतपुर	,,	,,	44,400)	,,	,,	,,
31.	बून्दी	,,	,,	34,400)	,,	,,	,,
32.	उदयपुर	,,	,,	89,500)	,,	,,	,,
33.	जालौर	,,	,,	37,500)	,,	,,	,,
34	पाली	,,	,,	74,000)	,,	,,	,,
35.	बांसवाड़ा	,,	,,	44,000)	,,	,,	,,
36.	चित्तौड़गढ़	,,	,,	49,600)	,,	,,	,,
37.	जयपुर	,,	,,	37,400)	,,	,,	,,
38.	स० माधोपुर	,,	,,	85,500)	,,	,,	,,
39.	कोटा	,,	,,	96,600)	,,	,,	,,
40.	गंगानगर	,,	,,	69,100)	,,	,,	,,
41.	अलवर	,,	,,	78,000)	,,	,,	,,
42.	अजमेर	,,	,,	97,700)	,,	,,	,,
43.	सिरोही	,,	,,	18,500)	,,	,,	,,
44.	अपेक्स बैंक शाखा, जयपुर			15,000)	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
45.	सीकर प्राथमिक भूमि विकास बैंक नीमका थाना	5,000)	सहायक निरी-क्षकों के वेतन हेतु	30-6-70	69-70
46.	नागौर प्रा० भू० वि० बैंक डेगाना	5,000)	,,	,,	,,
47.	स० माधोपुर प्रा० भू० वि० बैंक गंगापुर	5,000)	,,	,,	,,
48.	रायसिंहनगर ,, ,, अनुपगढ़	5,000)	,,	,,	,,
49.	पाली प्रा० भू० वि० बैंक रायपुर	5,000)	,,	,,	,,
50.	भीलवाड़ा ,, ,, आसीन्द	5,000)	,,	,,	,,
51.	बीकानेर ,, ,, बीकानेर	6,150)	,,	,,	,,
52.	उदयपुर ,, ,, वल्लभनगर	6,150)	,,	,,	,,
53.	बारां ,, ,, अटरू	6,150)	,,	,,	,,
54.	बून्दी ,, ,, नैनवां	6,150)	,,	,,	,,
55	जयपुर ,, ,, जयपुर	6,150)	,,	,,	,,

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

LIVE STOCK CENSUS OF RAJASTHAN STATE CONDUCTED IN THE YEAR 1965-66

S.No.	District	1961	1966	Increase or decrease (+)or(—)	% of increase
1.	Ajmer	4,88,718	4,87,202		
2.	Alwar	99,427	1,18,565		
3.	Banswara	23,039	26,440		
4.	Bhartpur	67,897	78,537		
5.	Barmer	5,86,064	7,92,150	(+) 2,06,086	35%
6.	Bhilwara	6,96,042	7,35,652		
7.	Bikaner	4,30,242	5,33,517	(+) 1,02,215	24%
8.	Bundi	78,547	86,048		
9.	Chittorgarh	1,67,017	2,15,182		
10.	Churu	2,89,642	3,62,111	(+) 72,469	43%
11.	Dungarpur	91,428	89,767		
12.	Ganganagar	2,87,294	3,34,330	(+) 47,036	17%
13.	Jaipur	3,62,875	3,82,539		
14.	Jaisalmer	4,66,819	5,90,884	(+) 1,71,081	37%
15.	Jalore	4,06,219	5,15,654	(+) 1,09,435	27%
16.	Jhalawar	21,229	29,047		
17.	Jhunjhunu	2,18,114	1,75,701	(—) 42,413	(—)19%
18.	Jodhpur	4,84,963	6,63,335	(+) 1,78,372	37%
19.	Kotah	49,750	61,834		
20.	Nagaur	3,97,614	5,90,013	(+) 1,92,399	49%
21.	Pali	3,93,170	6,59,534	(+) 2,66,464	67%
22.	Sawai Madhopur	94,823	1,01,220		
23.	Sikar	2,92,704	3,23,743	(+) 31,039	11%
24.	Sirohi	1,48,229	1,63,915		
25.	Tonk	2,32,527	2,75,943		
26.	Udaipur	3,84,576	4,13,241		
	Total :	73,59,772	88,06,174	(+) 14,48,402	

Source : Board of Revenue.

Available in : Animal Husbandry Department.

भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र

(1) जयपुर

(2) जोड़बीड़ (बीकानेर)

भेड़ प्रजनन केन्द्र

(1) मण्डोर (जोधपुर)

(2) बांकलिया (नागार)

(3) चित्तौड़गढ़

(4) कोड़मदेसर

(5) लाठी

(6) रघुनाथपुरा

विधान सभा प्रश्न (अ० ता०) संख्या 26 मार्च 1969 के प्रश्न भाग 2 का अवतरण

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भेड़ व ऊन महकमे के बजट में बहुत कमी कर दी है? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं?

भेड़ व ऊन विभाग के बजट का आवंटन सरकार द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है।

वर्ष	आयोजना मद	आयोजना भिन्न मद	योग
1964-65	30,94,000	6,24,500	37,18,500
65-66	36,90,100	7,27,070	44,17,170
66-67	26,00,000	1,14,37,200	1,40,372,00
67-68	26,00,000	1,80,32,350	2,06,52,350
68-69	21,26,400	64,70,630	85,97,030

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 252 की सूची)

सूची सूरतगढ़ तहसील के ग्राम सरदारगढ़ के निकट के राशियों की जिन्हें स्टे दिया गया है तथा अग्रिम आदेश हुए

क्रम संख्या	पत्रावली संख्या	गाम पार्टी	तादाद रकबा	स्थगन कब दिया	कब तक	अग्रिम फैसला	किसके द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	5(48) राज/उप/69	श्री करतारसिंह पुत्र जुहारसिंह	25 बीघा	28-2-69	अग्रिम फैसले तक	अभी विचाराधीन है	राज्य मंत्री	—
2.	5(120) ,,	,, गुरदत्तसिंह पुत्र केशरसिंह	25 बीघा	5-6-69	,,	,,	,,	,,
3.	5(217) ,,	,, प्यारासिंह पुत्र चतरसिंह	25 बीघा	—	—	निगरानी खारिज	मंत्री(उपनि.)	25-11-69
4.	5(243) ,,	,, जिन्दाराम पुत्र दीवानचन्द	25 बीघा	—	—	,,	राज्य मंत्री	1-12-69
5.	5(6) ,,	,, मेहताबसिह पुत्र जुमासिह	23 बीघा	4-1-69	अग्रिम फैसला	विचाराधीन है	,,	—
6.	5(173) ,,	,, भगवानसिह पुत्र श्री करमा सिह	—	—	,,	,,	मंत्री	—
7.	5(173)राज/उप/68	श्री जगतारसिह पुत्र श्री सोदागर सिह	24½बीघा	7-12-68	,,	,,	राज्य मंत्री	—
8.	5(44) राज/उप/69	श्री वीरसिह पुत्र मानसिह	—	—	—	नजरसानी खारिज	,,	20-12-69
9.	5(43) ,,	,, सबीरसिह पुत्र भागसिह	—	—	—	,,	,,	,,
10.	5(7) ,,	,, शामसिह पुत्र सादसिह	—	—	—	,,	,,	,,
11.	5(8) ,,	,, गंगासिह पुत्र जोड़सिह	—	—	—	निगरानी खारिज	,,	,,
12.	5(114)राज/उप/67	,, करनेरसिह पुत्र धूमसिह	11½बीघा	24-4-68	23-5-68 30-11-68	स्थगन आदेश खारिज	,,	3-6-69
13.	5(9) ,,	,, मालसिह पुत्र जबाबासिह	25 बीघा	28-7-67	अग्रिम आज्ञा तक	विचाराधीन है	,,	—
14.	5(219) ,,	,, गजनसिह पुत्र गुरजारसिह	25 बीघा	25-5-70	,,	,,	,,	—
15.	5(115) ,,	,, मिलखासिह पुत्र धूमासिह	-	—	—	निगरानी अस्वीकार	,,	15-5-69
16.	5(205) ,,		—	—	—		,,	

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची)

गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को भूमि आवंटन

नाम तहसील	कुल आवंटन भूमि —— अनुसूचित जाति सं.	आवंटित रकबा एकड़ में	अनुसूचित जन जाति सं.	आवंटित रकबा एकड़ में
1. चित्तौड़गढ़	401	806	263	518
2. गंगरार	597	1573	283	631
3. कपासन	575	1394	725	1737
4. राशमी	316	890	188	464
5. प्रतापगढ़	551	845	2312	5711
6. बेगूं	1888	5213	1756	5156
7. निंबाहेड़ा	437	734	245	759
8. मदेसर	163	344	73	153
9. डूंगला	225	542	83	229
10. बड़ी सादड़ी	270	485	171	339
11. छोटी सादड़ी	84	162	207	489
टोटल	5507	12988	6306	16186

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न सं० 257 की सूची)

तालिका

क्रम सं.	नाम ग्राम	चारागाह		नीलामी एवं आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि	
		सं. बिना	रकबा	सं० बिना	रकबा
1.	करमोली	2	39	9	60
2.	कल्याणपुरा सीयटी	1	40	17	346
3.	खिजूरी	9	81	—	—
4.	अटनगला	3	103	3	126
5.	कालवाडीवट	—	—	11	59
6.	चक शेरपुरा	4	267	—	—
7.	विजय पुरा	1	22	1	5
8.	बन्दावली	4	88	3	4
9.	सोमला	2	7	5	12
10.	हुकमी खेडा	2	5	2	3
11.	रीजवास	2	106	3	7
12.	सूरोठ	1	6	—	—
13.	पाली	—	—	20	39
14.	डिखानजट	2	25	—	—
15.	बाईजट	—	—	5	9
16.	सोमडी	—	—	1	2
17.	जटवाडा	—	—	2	2
18.	डिण्डोरा	2	56	—	—
	कुल योग 18 ग्राम	35	825	82	674

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की सूची)

प्रश्न के भाग 2 की सूची

1. श्री गजानन्द आत्मज मन्नालाल
2. ,, हजारीलाल आत्मज भंवरलाल
3. ,, चोथमल आत्मज बाला
4. ,, वंशीधर आत्मज भैरूलाल
5. ,, पन्नालाल आत्मज मांगीलाल
6. ,, रामनाथ आत्मज रामसुख
7. ,, गणपतलाल आत्मज बन्दीलाल
8. ,, जगन्नाथ आत्मज रामकिरण
9. ,, कृष्ण आत्मज रामनारायण
10. ,, दोलतराम आत्मज रामलक्ष्मण
11. ,, प्रेमचन्द आत्मज श्रीकृष्ण
12. ,, दुलीचन्द आत्मज रामसुख
13. ,, गोपालबाई दोलतराम
14. ,, कन्याबाई जगन्नाथ
15. ,, बच्चीबाई पन्नालाल
16. ,, कानीबाई गणपतलाल
17. ,, भंवरीबाई हजारीलाल

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची)

प्रश्न के भाग 2 की सूची

क्रम सं०	नाम तहसील	स्थान का नाम जहां तहसील सलाहकार समिति की बैठकें हुई	तहसील सलाहकार समिति की बैठक होने का दिनांक
1.	लाडनूं	ग्राम पंचायत भवन, जसवंतगढ़	14-9-70
2.	,,	पंचायत भवन, निम्मी जोधा	15-9-70
3.	,,	पंचायत भवन, लडी	16-9-70
4.	,,	,, मीठडी	17-9-70
5.	,,	,, ब्यावा	26-9-70
6.	डीडवाना	उपखंड कार्यालय, डीडवाना	18-9-70
7.	,,	पटवार घर, मालासर	19-9-70
8.	,,	,, खुनखुना	21-9-70
9.	,,	पंचायत मुख्यालय, दीनदारपुरा	22-9-70
10.	,,	उपखंडाधिकारी कार्यालय, डीडवाना	28-9-70
11.	,,	,, ,,	9-11-70

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची)

परिशिष्ट (क)

राजस्थान राज्य को भू-राजस्व से होने वाली आय की जिलेवार सूची

क्रम सं.	नाम जिला	आय की राशि (लाखों में)
1.	अजमेर	24-53
2.	अलवर	43-11
3.	बांसवाड़ा	9-00
4.	बाड़मेर	16-90
5.	भरतपुर	50-50
6.	बीकानेर	13-51
7.	भीलवाड़ा	35-33
8.	बून्दी	23-26
9.	चित्तौड़गढ	42-00
10.	चूरू	17-00
11.	डूंगरपुर	10-00
12.	गंगानगर	55-14
13.	जयपुर	76-00
14.	जैसलमेर	2 -50
15.	जालौर	31-00
16.	झालावाड़	35-00
17.	झुंझुनु	23-25
18.	जोधपुर	26-46
19.	कोटा	42-39
20.	नागौर	56-00
21.	पाली	44-76
22.	सवाई माधोपुर	59-71
23.	सीकर	33-28
24.	सिरोही	9-58
25.	टोंक	33-41
26.	उदयपुर	40-28
	योग	853-90

परिशिष्ट (ख)

मद् 9-भू-राजस्व का मदानुसार 69-70 का व्यय का विवरण

क्रम सं.		उपमद	वास्तविक व्यय
1.	क (1)	सी कलेक्शन चार्जेज	134664
2.		अधीक्षण	143343
3.		जिला व्यय	28759395
4.		राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक	213930
5.		पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय	161844
6.		भू-अभिलेख सुधार योजना	2282209
		कुल योग-9-भू-राजस्व 69-70-	31695385

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची)

सूची (क) भूमि आवंटन ग्राम जूसरिया जो 3-7-62 को की गई

क्र० सं०	नाम आसामी	खसरा नं०	रकबा	
1.	जीवणराम पुत्र गोदु बलाई	111।)1	14)	बीघा
2.	मागुराम पुत्र डूंगाराम बलाई	111)1	15॥।)1	,,
3.	चुनो पुत्र किसना बलाई	12	11	,,
4.	हुकमाराम पुत्र मगना बलाई	12	11)	,,
5.	लाखा पुत्र डालु बलाई	12	11)4	,,
6.	गणेश पुत्र गंगा बलाई	29	2॥)1	,,
		100	6॥)	,,
7.	पुरसाराम पुत्र बरसाराम बलाई	100	10।)1	,,
8.	भैरू पुत्र नारायण दरोगा	120	11॥।)1	,,
9.	बदरी पुत्र मुन्ना दरोगा	190)	2॥।)1	,,
		160)	7)	,,
10.	सुवाराम पुत्र लादुराम बलाई	160)	10)॥	,,
11.	मोदू पुत्र गंगा बलाई	160	10॥।)1	,,
12.	शिम्भुराम पुत्र चोथा बलाई	91	14)	,,
13.	मोडू पुत्र डूंगा बलाई	91	14।)2	,,
14.	पन्ना पुत्र किसना बलाई	156	13)	,,
15.	नरसाराम पुत्र सुदाराम जाट	156	13)	,,
16.	अरचनाराम पुत्र दयालराम जाट	156	13)	,,

सूची (ख) आसामी जिनके आवंटन शुदा भूमि कब्जे में है।

क० सं०	नाम आसामी	खसरा नं०	रकबा	कारण
1.	श्री धन्ना पुजारिया पसा, केस पि० अर्जना जाट जूसरिया	111/1	29।।।)1	आर.टी.ए. धारा 15 के तहत खातेदारी पंचायत द्वारा स्वीकृत दि. 13-4-61
2.	श्री सुगनसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत सा. जूसरिया	12	33।)4	उपरोक्त अनुसार
3.	श्री सांवरा, चन्द्रा, दाना, काना पि० उद्रा 1। पन्ना, रामां धन्ना पि. उमरा 1/2	100	18।।)1	,, ,,
4.	श्री जोरसिंह पुत्र मेहरसिंह राजपूत सा. जूसरिया	100) 150)	11।।।)1 3।)1	,, ,,
5.	श्री सोना बेवा श्री रिडमल सिंह राजपूत सा. जूसरिया	160	28)1	श्री मान एस.डी.ओ साहब परबतसर के आदेश दि० 29-11-65
6.	पड़त सरकारी खाते में	11 29 156	28।)1 3।।)1 38।।।)5	दिया ,, ,,

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
22	13	ाश्तकार	काश्तकार
23	7	श्री केसरसिंह	श्री केसरीसिंह
24	14	शय्याग्रों	शैय्याओं
55	12	क ग्रे र	की ओर
95	अन्तिम से 4	सेढ़ा	सोढ़ा
139	8	ग्रोर	ओर
147	17	सब्स्सीट्यूट	सब्स्टीट्यूट
151	14	एक्स्पीरियेन्स	एक्सपीरियेन्स
181	9	जब तक में	में जब तक
181	अन्तिम से 1	वड़	बढ़
187	,, 3	पर्सेंट	पर्सेन्ट
188	,, 3	सभापति	सभापति महोदय,
199	,, 13	प	रूप
204	,, 21	ग्रनुपुपूरक	अनुपूरक
208	,, 5	जसी	जैसी
210	,, 4	बुगला	बगुला
211	8	श्री ग्रध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
219	1	वांदाकुई	बांदीकुई
231	10	वड़ा	बड़ी
242	17	डी. डी. शर्मा	बी. डी. शर्मा
274	अन्तिम से 7	लैडी	लेडीज
274	,, 1	जण्डर	जैन्डर
319	,, 11	आवश्यकता थी ? आप	आवश्यकता थी ?
322	,, 19	करना चाहिऐं नहीं	नहीं करना चाहिए
326	,, 8	ने	के
362	,, 11	पालिशी	पालिसी
364	अन्तिम से 2	आप	ग्राफ
382	,, 6	का	की
415	,, 7	पालगढ़िया	पानगढ़िया
422	,, 11	हेतुु	हेतु
440	,, 12	(नागार)	(नागौर)